सोमवार
28 मई 1956

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ४, १९५६

( १५ मई से ३० मई, १९५६ )

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

( खण्ड ४ में अंक ६१ से अंक ७२ तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

# विषय-सूची

(खंड ४—अंक ६१ से ७२—१५ मई से ३० मई, १९५६)


**अंक ६१. मंगलवार, १५ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २१९८, २२०१, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२११, २२३२, २२१३ से २२१६, २२१८, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२५, २२२७ और २२२८ २३९९–२४१९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २१९७, २१९९, २२००, २२०२, २२०३, २२०७, २२०८, २२१२, २२१७, २२२०, २२२२, २२२६, २२२९ से २२३१ और २२३३ से २२४० ... २४१९–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २०३२ से २०८४ और २०८६ से २०८८ २४२६–४४

**दैनिक संक्षेपिका** **२४४५–४७**

**अंक ६२. बुधवार, १६ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २२४१ से २२४५, २२४७, २२४९, २२५२, २२५३, २२५५, २२५६, २२५८, २२५९ और २२६० से २२६६ ... २४४८–६७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४८, २२५०, २२५१, २२५४, २२५७ और २२६७ से २२७९ २४६८–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २०९८, २१०० से २१०५ और २१०७ से २१४७ २४७३–९३

**दैनिक संक्षेपिका** **२४९४–९६**

**अंक ६३. गुरुवार, १७ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २२८० से २२८२, २२८७ से २२९३, २२९५ से २२९७, २३०० से २३०४, २३०६ से २३१२ और २२८४ २४९७–२५१९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २२८३, २२८५, २२८६, २२९४, २२९८, २२९९, २३०५ और २३१३ २५१९–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४९ से २१७९ २५२१–३१

**दैनिक संक्षेपिका** **२५३२–३३**

**अंक ६४. शुक्रवार, १८ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--** **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २३१५, २३१६, २३२३, २३२६, २३२८, २३३०, २३३२ से २३३६, २३३८, २३४०, २३४१, २३४३ से २३४६ और २३४८ से २३५० २५३४–५५

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ २५५६–५८

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या २३१४, २३१७ से २३२२, २३२४, २३२५, २३२७, २३२९, २३३१, २३३७, २३३९, २३४२, २३४७ और २३५१ से २३५६ २५५८–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२०६ और २२०८ से २२२५ २५६४–८०

**दैनिक संक्षेपिका** **२५८१–८३**

**अंक ६५. सोमवार, २१ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या २३५७, २३५९, २३६२ से २३६८, २३७० से २३७२, २३७४, २३७५, २३७८ से २३८५ और २३८७ २५८५–२६०६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या २३५८, २३६०, २३६१, २३६९, २३७३, २३७७, २३८६, २३८८ से २४०२ २६०६–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२६ से २२३२, २२३४ से २२७२ २६१३–२८

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... **२६२९–३१**

**अंक ६६. मंगलवार, २२ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या २४०३ से २४११, २४१३, २४१५ से २४१९, २४२१ से २४२५ और २४२७ से २४३० २६३३–५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ २६५५–५६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या २४१२, २४१४, २४२०, २४२६ और २४३१ से २४४१ २६५७–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ से २२८४, २२८६ से २३००, २३०२, २३०३ और २३०५ ... २६६२–७१

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... **२६७२–७४**

**अंक ६७. बुधवार, २३ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या २४४२ से २४४४, २४४६, २४४७, २४४९ से २४५३, २४५८, २४६४, २३६६ से २४७०, २४७१–क, २४७१ और २४७२ २६७५–९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २६९४–९७

पृष्ठ

**प्रश्नों के लिखित उत्तर–**

तारांकित प्रश्न संख्या २४४५, २४४८, २४५४, २४५५, २४५७, २४५९ से २४६१, २४६५, २४७३ से २४८३ और २४८५ से २४८९ २३९७–२७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३०६ से २३४९ २७०५–२०

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... ... **२७२१–२३**

**अंक ६८. शुक्रवार, २५ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१, २४९२, २४९४ से २४९६, २४९८, २५०२, २५०४, २५०९, २५११, २५१३ से २५१६ और २५१८ से २५२१ ... २७२५–४५

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २४९०, २४९३, २४९७, २४९९ से २५०१, २५०३, २५०५ से २५०७, २५१२, २५१७ और २५२२ से २५२६ ... २७४६–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५० से २३५६ और २३५८ से २३९१ २७५०–६२

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... ... **२७६३–६५**

**अंक ६९. शनिवार, २६ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या२५२९, २५३२, २५३५, २५३६, २५३८, २५४२, २५४३, २५४५ से २५५०, २५५३, २५५६ से २५५८, २५६० से २५६२, और २५३७ २७६७–८७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २५२८, २५३०, २५३१, २५३३, २५३४, २५३९ से २५४१, २५४४, २५५१, २५५२, २५५५ और २५६३ से २५७२ ... २७८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३९२ से २४०४, २४०६ से २४०९ और २४११ से २४१४ ... ... ... २७९४–२८०२

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... **२८०३–०४**

**अंक ७०. सोमवार, २८ मई, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २५७२–क, २५७३ से २५८०, २५८२ से २५८६, २५८९, २६०८ और २५९० से २५९३ ... ... ... २८०५–२७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०, २१ और २२ २८२७–३२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २५८१, २५८७, २५८८, २५९४, २५९५, २५९५-क, २५९६ से २६०७, २६०९ से २६११, २६१३ से २६१७, २६१७-क, २६१८ से २६२०, २७१० से २७३२ और २७३४ से २७३९ ... २८३२–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ से २४२२, २४२२-क, २४२३ से २४३३ और २५३२ से २५६३ ... ... ... ... ... २८५०–६९

**दैनिक संक्षेपिका** **२८७०–७३**

## अंक ७१. मंगलवार, २६ मई, १६५६


**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६३०, २६३२ से २६३४, २६३६, २६३७, २६३६ से २६४७ और २६५० से २६५२ ... २८७५–६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ २७६७–६६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २६२१ से २६२३, २६३५, २६४१—क, २६४६, २६५३ से २६५८, २६५८-क, २६५८-ख, २६५६ से २६६३, २६६३-क, और २५०८ २८६६–२६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३४ से २४७७, २४७६ से २४८५, २४८५-क, २४८७ से २४६३ २६०५–२४

**दैनिक संक्षेपिका** २६२५–८८


## अंक ७२. बुधवार, ३० मई, १६५६


**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २६६४ से २६७१, २६७३, २६७३-क, २६७४ से २६७६, २६७८, २६७८-क, २६७६ और २६८० २६२६–४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २४, २५, २६, २७, और २८ २६४६–५६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २६७२, २६७७, २६८१ से २६८६, २६८६-क, २६६० से २६६५, २६६५-क, २६६६ से २७०३, २७०५ से २७०६ और २५५६ २६५६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४, २४६५, २४६५-क, २४६६ से २५१८, २५१८-क और २५१६ से २५३१ ... ... २६७०–८३

**दैनिक संक्षेपिका** ... २६८४–८६

**बारहवें सत्र का संक्षिप्त विवरण** २६८७–८८


M72LSD—190—20-3-58—GIPF.

# लोक-सभा

सोमवार, २८ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### राजकोट-जामनगर डाऊन मेल का पटरी पर से उतर जाना

†*२५७२–**क. श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ मई, १९५६ को हाडमटीया और वन्थाली स्टेशनों के बीच राजकोट-जामनगर डाऊन मेल के पटरी पर से उत्तर जाने के कारण १५ आदमी मर गये और लगभग ३६ आदमी आहत हुए जिनमें से कुछ को गहरी चोट आई;

(ख) यदि हाँ, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है;

(ग) मेल के पटरी पर से उतर जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) दुर्घटना के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या १]**

†**श्री डाभी** : क्या समाचारपत्रों के इस समाचार में कोई सचाई है कि रेलगाड़ी का चालक पूरी गति से गाड़ी चला रहा था और उसी कारण दुर्घटना हुई ?

†**श्री वेलायुधन** : श्रीमान् यह सूची का पहला प्रश्न नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पहले ही रखा गया था और बाद में वह प्रश्न संख्या २६२०-क के नाम से रखा गया था और मैंने उसे साधारण रूप में स्वीकार कर लिया था । किन्तु इस प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए जहाँ रेल के पटरी पर से उतर जाने के कारण १६ व्यक्ति मर गये, मैंने क्रम को बदल दिया और पहला स्थान दिया ।

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : हमें ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है । किन्तु अब भी उस सम्बन्ध में जांच जारी है और जाँच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दुर्घटना का कारण मालूम होगा ।

†**श्री डाभी** : क्या मृत और आहत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को कोई प्रतिकर मिलेगा ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : शीघ्र ही दावा आयुक्त नियुक्त किया जायेगा और वह प्रतिकर के प्रश्न के बारे में निर्णय देगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री डाभी** : रेलगाड़ी और अन्य सम्पत्तियों को कितनी हानि पहुंची है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : रेलवे सम्पत्ति को लगभग १,५५,००० रुपये की हानि हुई है ।

†**श्री जेठालाल जोशी** : क्या उस लाइन पर रेल की गति की कोई पाबन्दी है और यदि हाँ, तो कितनी अधिकतम गति से गाड़ी चलाने की आज्ञा दी गई है ? दुर्घटना के समय मेलगाड़ी किस गति से चल रही थी ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : ये सब बातें जाँच करने वाले पदाधिकारी पर छोड़ दी जानी चाहियें, जो इस विषय में जाँच कर रहे हैं ।

†**डा० जे० एन० पारिख** : क्या रेलवे लाइन पहले से ही खराब थी और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों ने कुछ महीने पूर्व लिखित सूचना दी थी, और यदि हाँ, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या शाहनवाज़ समिति ने यह सुझाव दिया था कि ऐसी दुर्घटनाओं की न्यायिक जाँच कराई जाये, और यदि हाँ, तो उस विषय में सरकार का क्या विनिश्चय है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : न्यायिक जाँच गम्भीर मामलों में की जाती है, न कि सभी मामलों में । रेलवे का एक सरकारी निरीक्षकालय है जो कि संचार मंत्रालय के अधीन, न कि रेलवे के अधीन, एक संविहित संगठन है, और वह अन्य सभी दुर्घटनाओं की जाँच करता है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या पिछले दस वर्षों में हुई किसी दुर्घटना की कोई न्यायिक जाँच की गई है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मेरे विचार से, दस वर्ष में अवश्य ही हुई है, किन्तु मैं यह ठीक ठीक नहीं बता सकता कि वह कब की गई है । मेरे कार्यकाल में कोई न्यायिक जाँच नहीं की गई है ।

†**श्री जेठालाल जोशी** : रेल पथ को पिछली बार फिर से कब ठीक किया गया था, अर्थात्, उस के स्लीपर्स और रेलें कब बदली गई थीं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मैं अभी तुरन्त वह जानकारी नहीं दे सकता ।

†**डा० जे० एन० पारिख** : क्या यह सच है कि यद्यपि रेलवे लाइन के खराब होने का समाचार मिला था फिर भी गति १८ से ३५ मील कर दी गई थी ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मैं विस्तारों में नहीं जा सकता क्योंकि जाँच हो रही है किन्तु प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य इस गलत धारणा में हैं कि रेलगाड़ी की अधिक गति के कारण दुर्घटना हुई, जब कि वह किसी और ही कारण से हुई थी । मैं अभी इसी क्षण निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि संविहित जाँच की जा रही है ।

**रेडियो लाइसैंस फीस**

†*२५७३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम में न आने योग्य रेडियो सेट्स पर लाइसैंस फ़ीस ली जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा ४ और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम की धारा ३ का सम्मिलित प्रभाव यह है

†मूल अंग्रेजी में

कि पूरा वायरलेस सेट रखने के लिये लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। "पूरा वायरलेस सेट" की परिभाषा यह है :

"कोई भी यंत्र जो स्वत: या विद्युत् शक्ति, एरियल्स, वाल्वस्, टेलीफोन्स, लाउडस्पीकर्स और इसी तरह के मिलते जुलते साधनों की सहायता से, बेतार प्रसारण को पारेषित करने या प्राप्त करने के लिये काम में लाया जा सकता हो, और उसमें वह यंत्र भी शामिल है जो उसके पुर्जों में या बिजली के तारों में किसी दोष के कारण अस्थायी काल के लिये काम में लाये जाने योग्य न हो।"

किसी भी सेट को सदा ही काम में न लाया जा सकने वाला बनाया जा सकता है और तथाकथित काम में न लाये जा सकने वाले सेट को विमुक्ति देने से लाइसैंस फ़ीस का बहुत अधिक अपवंचन होगा । ऐसे सेट का मालिक जो अपने सेट को काम में लाये जा सकने योग्य नहीं बनाना चाहता है, किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यवसायी को बेच कर उससे छुटकारा पा सकता है। अत: काम में न लाये जा सकने योग्य रेडियो के लिये फ़ीस लेने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

**श्री विभूति मिश्र** : मंत्री जी ने जो जवाब दिया हैं, उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, सवाल यह है कि जो रेडियो-सेट काम नहीं करता है—अनसर्विसेबल हो गया है—उसके ऊपर फ़ीस चार्ज की जाती है या नहीं और की जाती है, तो क्यों ?

**श्री राजबहादुर** : काम न करने वाले रेडियो दोतरह के होते हैं। एक तो वे रेडियो होते हैं, जो कि थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद इस्तेमाल किये जा सकें और दूसरे वे जो कि बिल्कुल इस्तेमाल न किये जा सकें। जो रेडियो थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद काम कर सकें, वे इस परिभाषा में आते हैं और उन से फीस चार्ज की जाती है। जो बिलकुल काम नहीं करते हैं, उनके लिये दरख्वास्त देनी होती है। फिर जाँच करने के बाद उसके पुर्जे अलग कर दिये जाते हैं और उनकी फ़ीस माफ कर दी जाती है ।

**श्री विभूति मिश्र** : जब तक कोई व्यक्ति जाँच के लिये न जाये और रेडियो अनसर्विसेबल पड़ा रहे, तो क्या उस पर फीस चार्ज की जाती है ?

**श्री राजबहादुर** : अगर कोई रेडियो अनसर्विसेबल पड़ा है और जब तक उसकी एग्ज़ेम्प्शन नहीं मांगी गई है– या दरख्वास्त नहीं दी गई है कि उसकी फ़ीस माफ कर दी जाये– और एन्टी-पाइरेसी स्टाफ जाकर उसको देख नहीं लेता है, तब तक उसकी फीस माफ नहीं की जाती है।

## ग्रामीण उधार

†*२५७४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक को निर्देश समिति के सुझावों के अनुसार ऐसी उपयुक्त मशीनरी स्थापित करना सम्भव हो सका है जो कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा चुनी हुई सहकारी संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में उधार सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में जाँच कर सके, अनुसन्धान कर सके तथा उसे रोक सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संगठन की क्या मुख्य मुख्य विशेषताएं होंगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) भारत के रक्षित बैंक के अनुसन्धान तथा सांख्यकी विभाग के प्रविधिक विशेषज्ञ इस संबंध में एक योजना बना रहे हैं किन्तु इसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या निर्देश समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय में ग्रामीण उधार की देखभाल करने के लिये कोई संस्था बनाई गई है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हम लोग सहकारी संस्थाओं तथा भाण्डागारों के विकास के लिये यह बोर्ड बना रहे हैं और मुझे विश्वास है उन बोर्डों का यह भी एक कार्य होगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : एक सिफारिश यह भी थी कि खाद्य और कृषि मंत्रालय में ग्रामीण उधार की देखभाल करने के लिये एक विशेष विभाग होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस सिफारिश को कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं ?

†**डा० पी० एस देशमुख** : यह विशेषज्ञों की राय पर निर्भर होगा । योजना की पूर्ति होने पर अगर उसकी यह राये होगी कि यह विचार ठीक है तो हम उस विभाग को खोलेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या किसी भी राज्य ने निर्देश समिति की सिफारिशों पर गम्भीरता पूर्वक मनन करके अपने राज्य की एतत् सम्बन्धी मशीनरी को ठीक करने का प्रयत्न किया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जी हाँ, कई राज्यों ने ऐसा किया है, विशेष रूप से इस सम्बन्ध में आन्ध्र का नाम उल्लेखनीय है ।

**काम दिलाऊ दफ्तर**

***२५७५. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या बढ़ाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई योजना सम्मिलित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की स्थूल रूपरेखा क्या है; और,

(ग) उस पर कितना अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हाँ ।

(ख) योजना की स्थूल रूपरेखा सभा की मेज पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) लगभग ७० लाख रुपया ।

**श्री के० सी० सोधिया** : इस विवरण से ज्ञात होता है कि १२५ नये काम दिलाऊ दफ्तर जिलों में खोले जायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये दफ्तर केवल शहरों के लिये ही होंगे या इस सम्बन्ध में देहात की आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दिया जायेगा ?

**श्री आबिद अली** : ये दफ्तर तो ज्यादातर ज़िले के मुकाम पर खोले जायेंगे और उनमें देहात और शहर के सब लोग अपना नाम लिखा सकते हैं और उनकी लियाकत के मुताबिक उनको काम दिलाने की कोशिश की जायेगी ।

**श्री के० सी० सोधिया** : क्या जिले में एक एक काम दिलाऊ दफ्तर खोला जायेगा ?

**श्री आबिद अली** : अभी तो नहीं, आगे चल कर ऐसा हो जायेगा ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार को दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या यह भी सच है कि एक परिचय का कार्ड लेने तक के लिये लोगों को सम्बन्धित अफसर अथवा क्लर्क को १०० रुपये देने पड़ते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री आबिद अली : लगभग दो वर्ष पूर्व एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उस समय जाँच की गई थी और तब मैं स्वयं दो बार उस काम दिलाऊ दफ्तर में गया था। उस के बाद से तो कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वैसे भी मैं जब-तब उस काम दिलाऊ दफ्तर में हो आता हूँ और किसी ने भी यह शिकायत नहीं की है कि उस काम दिलाऊ दफ्तर में कोई अनियमितता है।

†श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इन काम दिलाऊ दफ्तरों को राज्य सरकारों के सुपुर्द किये जाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और यदि कुछ राज्यों में यह पूरी न की जा चुकी हो, तो उसके कारण क्या हैं ?

†श्री आबिद अली : कुछ राज्यों ने यथार्थ में तो इन काम दिलाऊ दफ्तरों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, परन्तु विधि-अनुसार अधिकारों का हस्तांतरण दो या तीन महीनों के बाद किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : दूसरी पंचवर्षीय योजना में करीब एक करोड़ नये व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी को विश्वास है कि यह जो १२५ नये रोजगार दिलाने वाले दफ्तर खोले जा रहे हैं इन से यह समस्या हल की जा सकेगी, यदि नहीं तो क्या इसके लिये अतिरिक्त धन राशि मंजूर करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : अभी तो १३६ काम दिलाऊ दफ्तर काम कर रहे हैं और ५ खोल दिये गये हैं, १२० और खोले जायेंगे। उम्मीद है कि जो काम बढ़ेगा उसको यह दफ्तर निबटा सकेंगे ?

†श्री तिम्मय्या : क्या काम दिलाऊ दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी समझा जाता है अथवा राज्य सरकारों के ?

†श्री आबिद अली : इस समय तो वे केन्द्रीय पदाली में हैं। किन्तु बाद में जब उन्हें राज्य सरकारों को सौंप दिया जायेगा तब वे राज्य सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे।

## अमरीकी मक्खन

†*२५७६. श्री भीखा भाई : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मिशनों द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों में अमरीका से आयात किया गया मक्खन मुक्त हस्त से बांटा जाता है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी मिशन द्वारा राजस्थान में बांसवाड़ा सब-डिवीज़न के कुशलगढ़ स्थान पर ऐसा मक्खन बांटा गया था ?

†खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० बी० कृष्णप्पा) : (क) भारत और अमेरिका के मध्य हुए १९५१ के समझौते के अन्तर्गत, भारत स्थित कुछ स्वीकृत एजेंसियों द्वारा अमरीका से उपहार सामग्री का, जिसमें मक्खन तथा घी भी सम्मिलित है, समस्त भारत के निर्धन तथा जरूरतमंद लोगों में बिना जांत पात कुल वंश का कोई भेदभाव किये मुफ्त बांटने के लिये आयात किया जा रहा है।

(ख) जी, हाँ।

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी तक कितने पाउंड बटर मंगाया गया है, और क्या इसका वितरण आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिये किया जा रहा है ?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : लगभग २ लाख टिन बटर आइल अमरीका से हिन्दुस्तान में आया है। आदिवासी एरिया में और राजस्थान में इसका वितरण हुआ है।

श्री भीखा भाई : मिशन्स के अलावा और कौन सी संस्थायें हैं जिनको यह बटर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : तीन चार एजेंसीज़ हैं जो कि इसका वितरण करती हैं ।

**श्री भीखा भाई** : क्या सरकार के पास यह शिकायत आई है कि इस बटर द्वारा अंगोरा, काबेडिया, कुशलगढ़ और अन्य स्थानों में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : हम तो बांटने वालों से यह शर्त ले लेते हैं कि वे किसी के साथ भेद-भाव न करें और सब लोगों को दें ।

**श्री भीखा भाई** : क्या मैं यह उम्मीद करूं कि मैंने जो स्थान बताये हैं सरकार उनके बारे में जांच करवायेंगी ?

†**श्री जाँगड़े** : क्या मैं जान सकता हूँ कि मक्खन केवल आदिवासी क्षेत्रों में ही क्यों बाँटा जाता है अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : यह वहीं बांटा जाता है जहाँ कि वितरण अभिकरणों की अपनी संस्थायें हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह निश्चित करने के लिये कोई कोशिश की गई है कि आदिवासी क्षेत्रों में बांटा जा रहा है यह मक्खन उनसे हिंसात्मक कार्य करवाने के लिये तो नहीं बाँटा जा रहा है ?

†**श्री एम० वी कृष्णप्पा** : इन उपहारों को प्राप्त करने वाले अभिकरण ईसाई मिशन तथा 'केअर' संस्थायें हैं, वे अमेरिका से मक्खन आदि प्राप्त करती हैं और वे जहाँ कहीं भी इसकी आवश्यकता होती है उसे वहाँ भेजते हैं और बांटते हैं । केवल इसी बात पर अनुरोध करने के अतिरिक्त कि यह बिना किसी भेदभाव के बांटा जाना चाहिये हमारा उन पर और कोई नियंत्रण नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : इस बात को देखते हुए कि इस सभा में तथा इसक बाहर देश में भी बार बार यह विचार प्रकट किया गया है कि इस प्रकार के मुफ्त के उपहार स्वीकार नहीं करने चाहियें और इन मिशनरियों द्वारा उन्हें ख़ास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में वितरित नहीं कराया जाना चाहिये, क्या सरकार इस चीज़ को बन्द करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : हम ऐसे उपहार की माँग नहीं करते हैं । प्रत्युत सद्भावना क रूप में हम भी कई बार विदेशों को उपहार भेजते रहते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि दूसरे देश हमारे यहाँ भेजते हैं । अभी हाल ही कुछ संसद् सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के अनुसार मैंने कुछ संस्थाओं से अपनी समस्त वस्तुओं को इकट्ठा करके मुझे दे देने की अपील की थी जिससे कि मैं ५० लाख रुपये के मूल्य की वस्तुयें मद्रास के चक्रवात पीड़ित लोगों को भेज सकूं, और मैंने एक स्पेशल गाड़ी पर चीज़ें भेजी भी हैं । और अभी कुछ दिन ही हुए १४ मई को मैंने उड़ीसा के बाढ़ पीढ़ित क्षेत्रों को ५० लाख रुपये के मूल्य की वस्तुयें एक दूसरी स्पेशल गाड़ी से भेजी हैं । अन्य गरीब व्यक्तियों के अतिरिक्त, स्कूल जाने वाले निर्धन छात्रों को भी यह उपहार मिलेंगे । वितरण कलेक्टरों द्वार किया जाता है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या देश भर में इस वितरण पर आपका नियंत्रण है ?

**कई माननीय सदस्य** उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने के जोश में उचित प्रक्रिया को विस्मृत नहीं कर देना चाहिये । उन्हें प्रश्न अध्यक्ष के ज़रिये से पूछना और उन्हें सीधे माननीय मंत्री पर आक्रमण नहीं करना चाहिये ।

†**श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : यदि इस सभा की यह राय हो कि हमें यह उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिये तो हम उस पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि धर्म प्रचारक इस अमरीकी घी के वितरण के साथ धर्मपरिवर्तन के लिये कुछ प्रचार कार्य भी करते हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा**: हमें ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और हम उनकी जांच कर रहे हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है कि आदिम जाति क्षेत्रों में घी का वितरण करते समय यह मिशन केवल उन्हीं लोगों को घी देते हैं जो ईसाई हैं और अन्य व्यक्तियों को नहीं देते हैं और उन को भी देते हैं जो ईसाई बनने को तैयार होते हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : हमें जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें से यह एक है । इसीलिये मैं इन सभी उपहारों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को भेज रहा हूँ और उनका वितरण स्थानीय कलेक्टरों के अधीक्षण में किया जाता है ।

† **श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन में मक्खन, घी और दुग्ध-चूर्ण का वितरण केवल कैथोलिक ईसाई गिरजाघरों द्वारा किया जाता है और वास्तव में यह वस्तुएं केवल उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो धर्मपरिवर्तन करके ईसाई धर्म स्वीकार करना अथवा ऐसी ही कोई अन्य बात करना चाहते हैं ? क्या ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : अमेरिका से जिन अभिकरणों को यह उपहार प्राप्त होते हैं उनमें कैथोलिक मिशन भी एक है । स्वाभाविक है कि देश में वह अपने अभिकरणों के ज़रिये वितरण करता है । हम इस बात पर बल देते हैं कि वितरण के मामले में किसी प्रकार का कोई पक्षपात न किया जाये और उपहारों को सभी निर्धन लोगों में निःशुल्क वितरित किया जाये ।

## सरकारी भवनों का निर्माण

†* **२५७७. श्री डाभी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी भवनों और निवास स्थानों का तेज़ी से निर्माण करने के लिये संचार मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ जो व्यवस्था की थी, उसका व्यवहारिक परिणाम क्या निकला है; और

(ख) उक्त व्यवस्था का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३]**

†**श्री डाभी** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर की मद संख्या (१) में कहा गया है कि जहाँ कहीं भी कार्य भार पृथक विभागों के बनाये जाने का औचित्य सिद्ध करता है वहाँ संचार मंत्रालय के निर्माण कार्यक्रम की अन्य रूप से देखभाल करने के लिये लोक कर्म विभाग के अतिरिक्त विभाग बनाये जायेंगे । क्या मैं जान सकता हूँ कि पृथक विभागों के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

†**श्री राजबहादुर** : जैसा कि मैं बता चुका हूँ ब्यौरों पर चर्चा की जा रही है और हम एक ऐसी योजना बनाने जा रहे हैं जिससे कि निर्माण कार्य के प्रयोजनों के लिये देश को विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री डाभी** : क्या मैं जान सकता हूँ कि वह मानदण्ड या आधार क्या है जिसके ज़रिये कार्य-भार पृथक विभागों के बनाये जाने का समर्थन कर सकता है ?

†**श्री राजबहादुर** : उनके पास व्यय का एक प्रमाप है जो ऐसे प्रत्येक विभाग में हो सकता है । सम्भवत: वह १४ और १५ लाख रुपये के बीच है । वह इस आधार पर ही हो सकता है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं जान सकती हूँ कि यह व्यवस्था इसलिये की गई है कि संचार मंत्रालय को भवनों के निर्माण के बारे में व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं, और यदि हाँ, तो क्या यह व्यवस्था स्थायी होगी अथवा क्या आनेवाले वर्षों में इन भवनों के निर्माण का दायित्व मंत्रालय लेने जा रहा है ?

†**श्री राजबहादुर** : यह व्यवस्था मुख्यत: डाक व तार विभाग के भवनों का और संचार मंत्रालय से सम्बन्धित अन्य भवनों का निर्माण तेज़ी से करने के लिये है । मैं आशा करता हूँ कि यह व्यवस्था संतोषजनक सिद्ध होगी ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या मैं जान सकता हूँ कि कार्यालय भवन निर्माण और उससे सम्बन्धित मकान आदि का निर्माण राज्यों में जब संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो क्या वह केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है अथवा सम्बन्धित राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है ?

†**श्री राजबहादुर** : यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है ।

**श्री भक्त दर्शन** : अगली पंचवर्षीय योजना में भवन निर्माण के लिये दस करोड़ की राशि निश्चित की गई है । क्या गवर्नमेंट को विश्वास है कि यह जो व्यवस्था की जा रही है इससे दस करोड़ के भवन बनाये जा सकेंगे । यदि नहीं तो क्या अलग अपना इंजीनियरिंग विभाग स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ?

**श्री राजबहादुर** : उम्मीद है कि यह जो नई व्यवस्था की जा रही है इसके द्वारा यह राशि खर्च की जा सकेगी और शायद इससे ज्यादा भी खर्च किया जा सके । यह जो नई व्यवस्था है कम्यूनिकेशन्स (संचार) विभाग के लिये एक अलग सी व्यवस्था ही हो जाती है । मैं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस बात को देखते हुए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की निष्क्रियता और ढिलाई के कारण निर्माण कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका था, क्या मंत्रालय इस निर्माण-कार्य को विभागीय रूप से कराने की प्रस्थापना करता है ?

†**श्री राजबहादुर** : मैं ढिलाई इत्यादि को नहीं जानता ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : तब फिर वह पूरा क्यों नहीं हुआ ?

†**श्री राजबहादुर** : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और संचार मंत्रालय ने इन निर्माण-कार्यों के निष्पादन के लिये विहित प्रक्रिया की सीमाओं के अन्दर रहते हुए प्रत्येक वर्ष में इस विलम्ब को घटाने का भरसक प्रयत्न किया है । हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५९१ लाख रुपये खर्च किये हैं जिन में १२९ लाख की वह राशि भी सम्मिलित है जो १९५५-५६ के लिये केवल एक प्राक्कलित राशि ही है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : सरकार द्वारा संचार मंत्रालय में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना किये जाने से पहले उन व्यपगतियों के सम्बन्ध में जो वर्ष प्रति वर्ष होती जा रही हैं क्या अन्तरिम प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राजबहादुर :** यह प्रबन्ध इन व्यपगतियों को कम से कम करने या बिल्कुल समाप्त कर देने के लिये ही किया गया है । संचार मंत्रालय और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच माहवारी बैठकें हो रही हैं । अब संचार मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये निर्माण-कार्यों के कार्यक्रम के निष्पादन का दायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर को सौंप दिया गया है । वे भवन निर्माण के कार्यक्रम को अधिक गतिशील बना रहे हैं । इस कार्य के आड़े आने वाली प्रत्येक कठिनाई या रुकावट का उपयुक्त समाधान किया जा रहा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** १९५५-५६ (मार्च १९५६ तक) के आय व्ययक में निर्माण कार्यक्रमों के लिये आवंटित कुल राशि में से कितनी राशि व्यपगत हो चुकी है ?

†**श्री राजबहादुर :** समूचे लेखे के अभी तक संकलित न किये जाने के कारण, इस समय यह बताना सम्भव नहीं है ।

**एटा के लिये रेलवे लाइन**

*२५७८. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री २२ नवम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में एटा से मिलाने वाली रेलवे लाइन के बिछाने का काम, जिसके लिये आयव्ययक में धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, कब से प्रारम्भ होगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है कि स्टेशन कहाँ बनाये जायें ।

(ग) यदि हाँ, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) लाइन किस रास्ते से होकर निकाली जाये, इसका आखिरी सर्वे पूरा हो चुका है और ज़मीन मिलते ही मिट्टी डालने का काम शुरू हो जायेगा ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) बरहन में जंक्शन से शुरू होकर टीहू, रज़ानगर, जलेसर, पंडरी, अवागढ़, बसूंदरा, जवाहरपुर, कमसन और एटा में स्टेशन बनाने का विचार है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

**श्री दिगम्बर सिंह :** यह पूरा कार्य कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री :** अभी तो शुरू ही हुआ है, समाप्त होने की बात तो बाद में जा कर उठेगी ।

**श्री दिगम्बर सिंह :** इस वर्ष कितनी धनराशि इसमें व्यय होने की सम्भावना है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री :** इस समय, या कुल इस पर कितना खर्च होने वाला है ?

**श्री दिगम्बर सिंह :** दोनों बतला दीजिये ।

**श्री एल० बी० शास्त्री :** कुल खर्चा तो १ करोड़ २७ लाख रुपये का है जो कि इस पर खर्च होने वाला है अभी कितना खर्च होगा, वह रक़म ज़रा कम है और अगर माननीय सदस्य उसको न जानें तो अच्छा है ।

**रामगुन्दम-निज़ामाबाद रेलवे लाइन**

†*२५७९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री ६ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगुन्दम-निज़ामाबाद परियोजना का यातायात-सर्वेक्षण प्राप्त हो चुका है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे बोर्ड द्वारा उसकी जाँच के समाप्त कर लिये जाने और उसके सम्बन्ध में निर्णय किये जाने की कब तक संभावना है ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : रेलवे मंत्री ने आय-व्ययक सम्बन्धी वाद-विवाद के समय कहा था कि इस सर्वेक्षण को पूरा करने में कुछ बाधायें थीं और अब यह सर्वेक्षण बहुत शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा । उसमें अब और अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : इसमें कुछ ही विलम्ब हुआ है । लेकिन ६ अप्रैल को माननीय सदस्य को सूचित किया गया था कि जून १९५६ तक एक व्यापक प्रतिवेदन के तैयार हो जाने की आशा है । अभी तो मई ही है । मुझे आशा है कि जून के अन्त तक उसे समाप्त कर लिया जायेगा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नये निर्माण-कार्यों को आरम्भ करने में खनिज पदार्थों के विकास को कुछ प्राथमिकतायें दी गई हैं और क्या यह लाइन उस श्रेणी में आयेगी ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता । अभी तक तो इस लाइन को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है । एक या दो वर्ष बाद स्थिति का पुनरीक्षण करने पर सम्भव है कि हम इस लाइन के लिये जाने के प्रश्न पर विचार करें ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या माननीय मंत्री हमें यह बताने की स्थिति में हैं कि इस सर्वेक्षण को ठीक-ठीक तौर पर कब शुरू किया जायेगा और उसे समाप्त करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : बुनियादी सर्वेक्षण तो आरम्भ किया भी जा चुका है । मैं बता चुका कि उसमें एक महीना लग सकता है । जून के अन्त तक शायद वह समाप्त हो जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : २५८०

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कृपया अपना आसन ग्रहण करें । वे सुन नहीं पा रहे हैं ।

†**श्री नम्बियार** : हिन्दी समझने की कठिनाई इसका कारण हो सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कोई कठिनाई नहीं है ।

## मनीपुर में खाद्यान्नों की कमी

*२५८०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल क्षेत्र में मनीपुर के टेमगलांगडू डिवीज़न में खाद्यान्नों की अत्यन्त कमी हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या खाद्यान्न वायुयानों से गिराये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक कितनी मात्रा में खाद्यान्न गिराये गये हैं ।

**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). फसल काटने के पिछले मौसिम में चूहों से चावल की फसल को नुक्सान पहुंचने के कारण टेमगलांगडू सब-डिवीज़न में कुछ कमी हो गई थी लेकिन इस क्षेत्र में मज़दूरों और हवाई जहाज़ों द्वारा चावल और धान भेजने का प्रबन्ध कर दिया गया है । अभी तक लगभग ५४० मन धान हवाई जहाज़ों द्वारा गिराया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय वहाँ अकाल की क्या अवस्था है ?

**श्री एम० वी कृष्णप्पा :** अब वहाँ सब ठीक हो गया है। हमने ५४० मन धान उस इलाक़े में हवाई जहाज़ों द्वारा गिराया है और उससे लोगों को खाना मिलने लगा है और अब वहाँ की हालत ठीक हो गई है ।

†**श्रीमती खोंगमेन** : क्या सरकार को उस क्षेत्र में भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना मिली है ? सरकार ने देश के उस भाग में खाद्यान्नों का सम्भरण करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** हम ने वहाँ पर्याप्त चावल का सम्भरण कर दिया है। उन्होंने तत्काल ही ५०० मन की माँग की थी। हमने वायुयानों द्वारा ५४० मन भेज दिया है। हमने चावल को ढोने के लिये कुलियों का प्रबन्ध किया है और वे उसे ढो रहे हैं। हमें खाद्य के अभाव के कारण लोगों की मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या सरकार ने फसल के मौसिम में भी कीमतों की चिन्ताजनक प्रवृत्ति का अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** प्रश्न तो मनीपुर की घाटी और चावल के अभाव के सम्बन्ध में है। हमने उनके पास बहुत काफी चावल भेज दिया है। कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** क्या यह सच है कि वायुयानों द्वारा गिराये हुए चावल से केवल मुख्य कार्यालय के सरकारी कर्मचारीरियों को ही लाभ हुआ है आम जनता को नहीं ।

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** हमने ५४० मन चावल भेजा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ कितने सरकारी कर्मचारी हैं। यह एक बहुत ही छोटी सी घाटी है और इस में थोड़े से ही लोग रहते हैं। यह चावल वहाँ के सभी निवासियों के लिये हैं ।

†**श्री नम्बियार** : यदि इतना अधिक अभाव नहीं था और भूख के कारण मृत्युयें भी नहीं हुई थीं, तब फिर वायुयानों द्वारा चावल गिराने का क्या कारण था ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्योंकि वह एक घाटी है। वहाँ बोझ को ७० मील तक ढोना पड़ता है। वहाँ न सड़कें हैं, और न संचार के साधन ही हैं। उन्हें कभी भी बाहर से चावल मिला नहीं था। वे आत्म-निर्भर थे। वह एक छोटी सी घाटी है। इस वर्ष चूहों के कारण फसल पर प्रभाव पड़ा है। हम ने वायुयानों द्वारा चावल इसीलिये भेजा है क्योंकि उसे ढोने के लिये मज़दूर ही नहीं हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ की जनता से कहते हैं कि चावल भेजने का दायित्व सरकार का है और उन्हें उसे ढोने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये हमें वायुयानों द्वारा चावल भेजना पड़ा ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : इस बात को देखते हुए कि वहाँ की जनता की क्रय-शक्ति बहुत ही कम है और वहाँ के लोग कुछ सेर चावल भी नहीं खरीद सकते हैं, क्या सरकार वहाँ की अभाव-ग्रस्त जनता को मुफ़्त चावल बाँटने के बारे में सोचेगी ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : वास्तव में वह मुफ़्त बंटवारा ही होजाता है। हम केवल परिवहन का खर्च ही वसूल कर रहे हैं। वायुयानों से भेजने पर हमें प्रति मन सात रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हम जनता से केवल इतना ही ले रहे हैं। इसलिये, यह लगभग मुफ़्त बंटवारा ही है और, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे और अधिक लोगों को चावल ढोने के लिये उत्साहित करें। तब हम जितना

---

†मूल अंग्रेजी में

भी चाहें चावल भेज सकते हैं। इतना तो हम केवल इसलिये भेजते हैं कि लोग सिर पर ढोकर ७० मील दूर तक चावल ले जाने के लिये तैयार नहीं होते हैं। यदि वहाँ की वास्तव में पीड़ित जनता हमारे साथ सहयोग करे, तो हम उन्हें मुंहमाँगा चावल भेजने को तैयार हैं।

**रेलवे पर भोजन व्यवस्था**

†*२५८२. **श्री कामत**: क्या **रेलवे** मंत्री २ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा चुकी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसे लोक-सभा पटल पर कब तक रख दिया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). उसके बाद अपेक्षित जानकारी संसदीय कार्य विभाग को दे दी गई है।

एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४]**

†**श्री कामत** : लोक-सभा पटल पर रखे गय विवरण से मैं देखता हूँ कि मध्य और दक्षिण-पूर्वी रेलवे में भाड़े पर आगे उठाने के किन्ही मामलों का पता नहीं लगा। दी गई जानकारी 'शून्य' है। क्या मैं इसका तात्पर्य यह समझ लूं कि आगे भाड़े पर देने के बारे में, विशेषकर मध्य रेलवे में जिसकी जानकारी मुझे है, रेलवे मंत्रालय अथवा रेलवे बोर्ड को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : रेलवे बोर्ड को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री कामत** : जिन ठेकेदारों के ठेके आगे भाड़े पर देने के कारण समाप्त कर दिये गये हैं क्या उनके नाम उन नामों की सूची में सम्मिलित किये गये हैं जिन्हें भविष्य में ठेके नहीं दिये जाने हैं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : यह मैं निश्चयपूर्वक तो नहीं कह सकता किन्तु मेरा ख्याल है कि उन्हें नये ठेके नहीं दिये जायेंगे।

**मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति**

†*२५८३. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को आसाम सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे आसाम विधान सभा ने पारित किया है और जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि मोटर स्पिरिट के किराये और मूल्य समानीकरण के बारे में मोटर गाड़ी करारोपण जाँच समिति की जो सिफारिशें हैं उन्हें स्वीकार किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या मैं जान सकता हूँ कि मोटर स्पिरिट के किराये और मूल्य समानीकरण के बारे में मोटर गाड़ी करारोपण जाँच समिति की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया गया है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : इस बात पर परिवहन मंत्रणा परिषद् द्वारा विचार किया गया था जिसमें सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यों के परिवहन मंत्री परिवहन मंत्रणा परिषद् के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि अन्तिम कार्यवाही करने से पूर्व हमें करारोपण जाँच आयोग के प्रतिवेदन

---

†मूल अंग्रेजी में

की प्रतीक्षा करनी चाहिये और करारोपण जाँच आयोग मोटर गाड़ी जाँच समिति के विचारों से सहमत नहीं हुआ है। इसलिये मोटर गाड़ी करारोपण जाँच समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही करने का हमारा विचार नहीं है।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या इसका कारण यह है उस स्थिति में आसाम में मोटर स्पिरिट का मूल्य कम हो जायेगा ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मुझे जानकारी दी गई है कि आसाम में पेट्रोल के मूल्य कम होने के इस मामले पर निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था और प्रति गैलन २।। आने कम किये जा सके थे। यदि आसाम सरकार चाहती है कि इस मामले पर और विचार किया जाये तो उसे चाहिये वह निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय से इस मामले का निर्देश करे।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि इस बात के बावजूद कि आसाम राज्य में मोटर स्पिरिट का उत्पादन होता है, तथापि मोटर स्पिरिट का मूल्य वहाँ सबसे अधिक है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : हो सकता है यह सच हो, या न भी हो, किन्तु मैं यह कह चुका हूँ कि पट्रोल के मूल्य में जो कमी पहले की गई है उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य या आसाम सरकार यदि इस मामले पर और आगे विचार किया जाना चाहते हैं तो उन्हे सम्बन्धित मंत्रालय से पूछ-ताछ करनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वेलायुधन :

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या मैं जान सकता हूँ कि किन आधारो पर .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री वेलायुधन से कहा है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या देश भर में सभी मोटर गाड़ियों के लिये एक सम दर करने अथवा दर को समान करने के बारे में करारोपण जाँच आयोग के समक्ष कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : एक प्रस्ताव था किन्तु करारोपण जाँच आयोग उससे सहमत नहा हुआ।

†**श्री वेलायुधन** : क्यों

**स्टेशन मास्टरों के काम के घंटे**

***२५८४. श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के कुछ महाखण्डों में स्टेशन मास्टरों को केवल बारह घंटे काम करना पड़ता है और उनको यातायात तथा वाणिज्यिक कार्य एक साथ नहीं करने पड़ते, जबकि कुछ महाखण्डों के स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों को दोनों तरह के काम करने पड़ते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). काम के घंटे और उसकी किस्म नियत करते समय यह देखा जाता है कि अमुक स्टेशन कितना बड़ा है और उसकी विशेषता क्या है। अगर परिवहन का काम ज्यादा है, तो वाणिज्य के काम के लिये सहायक दिया जाता है और स्टेशन मास्टर पर केवल आम देखभाल की ज़िम्मेदारी रहती है। छोटे स्टेशनों पर दोनों तरह के काम अकेला स्टेशन मास्टर कर सकता है।

**श्री अमर सिंह डामर** : क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन कौन से स्थानों के स्टेशन मास्टरों से यातायात और वाणिज्य दोनों का काम लिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री एल० बी० शास्त्री** : मैं सब स्टेशनों के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जैसा मैंने कहा, जो बड़े स्टेशन हैं, जहाँ कि दोनों काम मिलकर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उन स्टेशनों पर अलग-अलग सहायक स्टेशन मास्टरों को यह काम दिये जाते हैं।

†**श्री नम्बियार** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृषित नहीं किया गया है और क्या उससे ऐसी व्यवस्था करने का अनुरोध नहीं किया गया है कि इस बात को देखते हुए कि स्टेशन मास्टरों के कर्त्तव्य का स्वरूप और दायित्व इतना अधिक है, सभी स्टेशन मास्टरों के काम के ८ घंटे दिये जायें चाहे वह बड़े स्टेशनों पर हो अथवा छोटे स्टेशनों पर ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मेरा खयाल है माननीय सदस्य को यह भलीभांति विदित है कि स्टेशन मास्टरों का वर्गीकरण तीन वर्गों में—गहन, निरन्तर और आवश्यक रूप से सविराम किया गया है। यदि ८ घंटे की एक पारी में कार्यभार लगभग ६ घंटे है तो वह निरन्तर है और यदि १२ घंटे की एक पारी में कुल मिलाकर ६ घंटे या उससे अधिक समय तक काम नहीं है तो वह सविराम है। इसलिये स्टेशन मास्टरों को जो काम वास्तव में करना पड़ता है वह बारह घंटे नहीं है। उन्हें कुल मिलाकर छः घंटे या उससे अधिक समय तक विश्राम मिल जाता है। इसलिये छोटे स्टेशनों पर जो स्टेशन मास्टर हैं उन्हें अधिक बड़े स्टेशनों पर काम करने वाले स्टेशन मास्टरों के वर्ग में रखना उचित नहीं समझा गया।

†**श्री नम्बियार** : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, जिसका भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है, उस समझौते की जानकारी है जिसके अनुसार स्टेशन मास्टरों को काम के केवल ८ घंटे देना भारत सरकार के लिये अनिवार्य है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : देश-देश की स्थिति भिन्न होती है और हमें अपने देश की मौजूदा स्थिति के अनुसार कार्य करना है। यदि किसी ऐसे स्टेशन मास्टर को जिसके काम के घंटे बारह हैं किन्तु उसे छः घंटे का विश्राम मिल जाता है तो उसका अर्थ यह है कि उसे केवल छः घंटे कार्य करना है। मेरा अपना ख्याल है कि हमें अपने कर्मचारियों को कठिन परिश्रम करने का परामर्श देना चाहिये और मौजूदा प्रसंग में जिससे जितना अधिक कार्य हो सकता है उसको करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, चाहे वह स्टेशन मास्टर हो या कहीं अन्यत्र कार्य करता हो।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या मैं जान सकता हूँ कि काम लगातार १२ घंटे तक होता है अथवा नहीं ? क्या स्टेशन मास्टर के काम के घंटे १२ नहीं होते और इसलिये क्या माननीय मंत्री .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस मामले पर बहस कर रहे हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : जी, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप बहस ही कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट किया है। काम के प्रकार के अनुसार स्टेशन मास्टरों को तीन वर्गों में रखा गया है और वर्गीकरण करते समय देश की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। उनको काफी आराम मिलता है और उन्हें उतना अधिक काम नहीं होता है जितना आप समझते हैं। यही उत्तर उन्होंने दिया है। माननीय सदस्य बहस करके उसे बदलना चाहते हैं। माननीय सदस्य को किसी अन्य अथवा भिन्न अवसर पर यह बात कहनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

**कृषि अर्थशास्त्र**

†*२५८५. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कृषि अर्थशास्त्र पर प्रोफेसर जान डी० ब्लैक और डा० एल० स्टुअर्ट ने अपने प्रतिवेदन में कृषि अर्थशास्त्र में गवेषणा परियोजनाओं के बारे में जो सिफारिशें की हैं उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) उक्त प्रतिवेदन का उपयोग भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की कृषि अर्थशास्त्र समिति ने कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गवेषणा के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिये किया है ।

†**श्री संगण्णा** : क्या मैं जान सकता हूँ कि उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : सभी सिफारिशों का सारांश देना कठिन है । उनको तीन भागों में–गवेषणा, शिक्षा और लोकशासन–रखा जाता है । प्रत्येक सिफारिश की जाँच की जा रही है और उन सिफारिशों को क्रियान्विति के लिये कार्यवाही की जा रही है जो लाभदायक हैं ।

†**श्री संगण्णा** : क्या मैं गवेषणा के उन कार्यक्रमों के नाम जान सकता हूँ जिनका निर्देश सिफारिशों में किया गया है ? ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : निदर्शी परियोजनाएं २४ हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री सभी परियोजनाओं को पढ़ने जा रहे हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : उनको छः भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है । यदि आपकी इच्छा है तो मैं उन समूहों का उल्लेख कर सकता हूँ । वह इस प्रकार हैं : उत्पादन और भूमि उपयोग, फार्म का अर्थशास्त्र और परिवार के औसत उपभोग का अर्थशास्त्र, विपणन और फार्म उत्पादों के मूल्य, ग्रामीण ऋण, भू-धृति और आर्थिक इकाई के रूप में राष्ट्र ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो, तो वह उक्त जानकारी सभी माननीय संदस्यों के लाभार्थ लोक-सभा पटल पर रख सकते हैं ।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

**आयुर्वेदिक कालिज, त्रिवेन्द्रम्**

†*२५८६. **श्री मैथ्यू** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) (त्रिवेन्द्रम् त्रावन-कोर-कोचीन राज्य) में आयुर्वेदिक कालिज के छात्रों ने किन परिस्थितियों में हड़ताल का प्रश्रय लिया और कालिज बन्द कर देना पड़ा; और

(ख) क्या इस बात की आशा की जाती है कि अगले शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में यह कालिज पुनः खुलेगा और उसका कार्य पुनः ठीक ढंग से करना शुरू करेगा ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री वी० पी० नायर** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि यद्यपि सरकार को दस दिनों की सूचना प्राप्त थी तथापि इस सादे प्रश्न का–कि त्रिवेन्द्रम के आयुर्वेदिक कालिज में हड़ताल हुई है अथवा नहीं–उत्तर देना उसके लिये क्यों सम्भव नहीं हो सका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमने त्रावनकोर-कोचीन सरकार को लिखा है । हमने २२ और २३ मई को तार द्वारा दो अनुस्मारक भेजे हैं । राज्य सरकार से हमें इस आशय की सूचना तार द्वारा प्राप्त हुई है कि जानकारी भेजी जा रही है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या यह सच है कि कालिज फिर से नहीं खुला है ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह सच है । किन्तु इस प्रश्न के बारे में हमें अधिकृत जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त करनी है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इस मामले में कोई शीघ्रता नहीं की जानी चाहिये ? क्या सरकार इतनी लाचार है कि वह समय रहते उत्तर प्राप्त नहीं कर सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने तार भेजा है और वह जानकारी एकत्रित कर रहे हैं ।

†**डा० रामा राव** : श्रीमान् औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि इस समय संसद् त्रावनकोर-कोचीन राज्य के प्रशासन के चार्ज में है . . . . . :.

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु इस जानकारी का सम्बन्ध त्रावनकोर-कोचीन से है ।

†**डा० रामा राव** : मैं सादी सी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ । वहाँ हड़ताल हुई है या नहीं इस सम्बन्ध में जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस मामले में कृपया शीघ्रता करें ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम शीघ्रता करेंगे ।

†**श्री वी० पी० नायर** : आपके विचारार्थ मैं निवेदन करता हू कि इस सत्र में पूछे गये १७ प्रश्नों में से १२ का उत्तर इसी प्रकार दिया गया है अर्थात् कि जानकारी एकत्रित की जा रही है । तो, हम यहाँ किस लिये आते हैं ?

†**श्री नम्बियार** : वहां परामर्शदाता कोई कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जबकि केन्द्रीय सरकार ने प्रशासन का भार अपने उपर ले लिया है तो मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री यथाशक्य शीघ्रता से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि वहाँ अब कोई विधान-मंडल नहीं है ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम शीघ्रता करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री वेलायुधन** : मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या २६०८ को इसके साथ लिया जाये क्योंकि दोनों प्रश्न एक ही विषय से सम्बन्धित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने के लिये तैयार हैं ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो दोनों का उत्तर एक साथ दिया जाये ।

## दिल्ली मेन स्टेशन

†*२५८९. **श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मेन स्टेशन में कितने बुकिंग क्लर्क हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों से इस श्रेणी के कर्मचारियों की कोई कमी है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि इस मामले की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) १४० ।

(ख) और (ग). पांच कर्मचारियों की कमी थी, लेकिन अब उसे पूरा कर लिया गया है ।

**बुकिंग क्लर्क**

†*२६०८. **श्री वलायुधन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मेलों और अन्य त्यौहारों के दौरान में उत्तर रेलवे के लगभग ४०० बुकिंग क्लर्कों का साप्ताहिक अवकाश जब्त कर लिया गया है; और

(ख) गत समय में, कितने अवसरों पर इस प्रकार अवकाश-काल रद्द किये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) कुछ महत्वपूर्ण मेलों इत्यादि के दौरान में कार्य का अधिक भार सम्भालने के लिये, यह आवश्यक हो गया कि उचित नियमों के अन्तर्गत उत्तर रेलवे के बुकिंग क्लर्कों के साप्ताहिक अवकाशकालों को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया जाये । इससे प्रभावित होने वाले बुकिंग क्लर्कों की वास्तविक संख्या संग्रहीत की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) गत दो वर्षों में चार अवसरों पर ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या वाणिज्यक अधीक्षक ने उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक के पास लगभग ११४ क्लर्कों के लिये अधिग्रहण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मैं प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सका । क्या माननीय सदस्य कृपया अपना प्रश्न दोहरायेंगे ?

†**श्री वेलायुधन** : क्या वाणिज्यिक अधीक्षक ने दिल्ली मेन स्टेशन के लिये अधिक बुकिंग क्लर्कों की माँग की थी, और यदि हाँ, तो उनकी नियुक्तियाँ अभी भी विचाराधीन क्यों पड़ी हैं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : इन मेलों के दौरान में कुछ नये टिकट-कलैक्टर तो भर्ती किये जाते हैं । लेकिन, बुकिंग क्लर्कों के सम्बन्ध में तो इस कार्य का अनुभव न रखने वाले व्यक्तियों से इसे कराना कठिन है । इसीलिये, सामान्यत: बुकिंग क्लर्कों की भर्ती उन कर्मचारियों में से ही की जाती है जिन्हें इस कार्य का कुछ अनुभव हो और जो पहले से सेवा में हो । यह सही है कि क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है । इसमें कुछ विलम्ब हो गया है, लेकिन अब उनकी भर्ती में शीघ्रता की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री वेलायुधन** : मैंने केवल दो अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं । मैं एक या दो और भी अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्नों की संख्या पर नहीं, विषय के महत्व पर निर्भर करता है । इस प्रश्न का विषय तो यही है कि दिल्ली मेन स्टेशन में कुछ और क्लर्कों की नियुक्ति होनी चाहिये । क्या मैं केवल इसीलिये इस प्रश्न में सारा समय खपा दूँ कि यह दिल्ली से सम्बन्धित है ?

†**श्री वेलायुधन** : अब मैं जो पूछना चाहता हूँ वह एक सामान्य प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं दो प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूँ । माननीय सदस्य इसी प्रकार से पूछते जा सकते हैं कि पाँच और व्यक्तियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई थी । खैर, माननीय सदस्य अपना प्रश्न अब पूछ सकते हैं ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या यह सही है कि क्लर्कों को न तो अवकाश-काल दिया गया है और न उन्हें कुर्सियों आदि की तरह की सुविधायें दी गई हैं, और उनमें से तमाम क्लर्क पुराने और टूटे हुए स्टूलों पर बैठ कर बहुत अधिक समय तक कार्य करते हैं ?

†**श्री नम्बियार :** यह बड़ी खेदजनक बात है ।

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** उनको यथासम्भव अभी सुविधायें दी जाती हैं । अवकाश भी दिया जाता है । लेकिन, यह सही है कि उन्हें उस काल में छुट्टी नहीं दी जाती ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या उन्हें दी जाने वाली दर-पुस्तिकायें , लगभग बीस-पच्चीस वर्ष पुरानी हैं और उनके भी तमाम पृष्ठ गायब रहते हैं, और वे दर-पुस्तिकायें एक शताब्दी पुरानी हस्त प्रतियों की तरह दिखती हैं ? उन्हें तो इस दर-पुस्तिका को बार-बार देखना पड़ता है ।

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** मैं इसकी जाँच करूँगा । यदि स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसी कि माननीय सदस्य ने बताई है, तो हम अवश्य ही उसे सुधारने का प्रयास करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आप सारा ब्यौरा मंत्री को दे सकते हैं । वे कहते हैं कि वे उसकी जाँच करेंगे ।

†**श्री वेलायुधन :** अन्य बात की अपेक्षा ब्यौरा अधिक महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसे मानता हूँ लेकिन आप उसे मंत्री को दे सकते हैं । वे उसकी जाँच करेंगे । इतने पर भी यदि माननीय सदस्य को कोई संतोष नहीं होता, तो वे अगले सत्र में पुनः इस प्रश्न को उठा सकते हैं ।

## दिल्ली दूध सम्भरण योजना

***२५९०. श्री भक्त दर्शन :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समस्त देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने तथा दुग्धशालाओं का विकास करने के लिये बाइस करोड़ रुपये की जो धनराशि नियत की गई है, उसमें से चार करोड़ पचास लाख रुपये की रकम दिल्ली दूध सम्भरण योजना पर खर्च की जायेगी ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** दिल्ली दूध सम्भरण योजना का असली अनुमानित व्यय ४·५ करोड़ रुपया था, लेकिन इस में संशोधन होने की सम्भावना है जिससे राशि में कमी होगी । यह प्रश्न कि यह राशि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन डेरी विकास के लिये निर्धारित २२ करोड़ रुपये में से प्राप्त हो सकेगी या कि इसके बाहर से, अभी विचाराधीन है ।

**श्री भक्त दर्शन :** दिल्ली में दूध उपलब्धि की जो योजना शुरू की जानें वाली है, क्या मंत्री महोदय उसकी मोटी रूपरेखा बताने की कृपा करेंगे ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** मोटी बात तो लोगों को दूध पहुँचाने की है । हमारा यह इरादा है कि दूध को इकट्ठा किया जाये उन लोगों से जो देहातों में दूध पैदा करते हैं और साथ ही साथ यहाँ जिन लोगों के पास दस से ज्यादा जानवर हैं, उनको बाहर ले जाया जाए और यहाँ उनको अच्छी तरह से रखा जाए वे जो दूध दें, वह लोगों को उपलब्ध करने का विचार है ।

**श्री भक्त दर्शन :** क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि इस समय दिल्ली म भैंसों को जो पालने का ढंग है तथा दूध पहुँचाने का जो ढंग है और दूध पीने वालों की जैसी हालत है, वह न

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल दिल्ली सरकार के लिये बल्कि भारत सरकार के लिये भी कलंकपूर्ण है ? ऐसी स्थिति में क्या सरकार इसके बारे में कोई तत्काल कार्रवाई करेगी ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** यह सच है कि जिस तरह से यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है वह ठीक नहीं है । यह चीज़ न केवल जानवरों के लिये ही ठीक है बल्कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके लिये भी ठीक नहीं है । इसी चीज़ को देखते हुए काफी योजनायें बनाई जा रही हैं । हमें अफसोस है कि हम इनको जल्दी कार्यान्वित नहीं कर सके । अब हम चाहते हैं कि इनको जल्दी कार्यान्वित किया जाय ।

†**श्री साधन गुप्त :** इस बात को देखते हुए कि कलकत्ता जैसे तमाम शहरों की अपेक्षा दिल्ली में दूध का सम्भरण अधिक अच्छा है, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि दिल्ली दुग्ध सम्भरण योजना के सम्बन्ध में बिना किसी अनुपात के इतना अधिक व्यय करने का क्या कारण है ? क्या उसका कारण यह है कि राजधानी में आनेवाले विदेशी दर्शकों पर यह प्रभाव पड़े कि भारत में, यदि दूध और मधु नहीं तो, कम से कम दूध की तो नदियां बहती हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** जी, नहीं । इसके पीछे यह भावना है कि दिल्ली वृद्धि करती जा रही है, और इसे अवश्य ही अधिक दूध की आवश्यकता पड़ेगी । इसलिये, हम यह नहीं चाहते कि हम आवश्यकता पड़ने पर उसके लिये तैयार न हों और केवल अपर्याप्त दूध का ही संभरण कर सकें । इसी लिये, इस अनुपात से इसकी लागत बढ़ गई है; क्योंकि हमें आगे चल कर अधिक मात्रा में दूध का सम्भरण करना ही पड़ेगा ।

**श्री झुनझुनवाला :** आज तक कितने पशु इस स्कीम (योजना) के अन्दर लिये गये हैं तथा कितने उनमें से बाहर भेजे गये हैं और कितना दूध सप्लाई (संभरित) होता रहा है ? इस स्कीम के तहत क्या भैंसों को ही रखा जाता है, या गायों को भी रखा जाता है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** अभी तो योजना शुरू नहीं हुई है ।

**श्री विभूति मिश्र :** क्या सरकार गाय का दूध सप्लाई (संभरित) करने का भी प्रबन्ध करेगी ? आजकल देखा जाता है कि केवल भैंस का दूध ही सप्लाई किया जाता है और जो लोग अपने बच्चों के लिये गाय का दूध लेना चाहते हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है ।

**डा० पी० एस० देशमुख :** लोग जिस किसी का दूध चाहते हैं उनको वह दूध देने की कोशिश की जाएगी ।

†**डा० रामा राव :** क्या भारत सरकार दिल्ली के बाहर नहीं देख पाती, और क्या इसीलिये उसने शेष सारे देश की उपेक्षा करते हुए २२ करोड़ रुपयों में से केवल दिल्ली शहर के लिये ही ४।। करोड़ रुपयों का आवंटन कर दिया है ?

†**डा० पी० एस० दशमुख :** जी, नहीं । हम दिल्ली के बाहर भी देखते हैं । इसलिये हमने २२ करोड़ पयों की व्यवस्था की है। मै यह पहले भी बता चुका हूँ । शायद मेरे माननीय मित्र ने उत्तर को समझा नहीं है, क्योंकि मैंने उसे हिन्दी में पढ़ा था ।

अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हुआ है कि यह राशि २२ करोड़ रुपयों में से ली जायेगी, या किसी और से । अभी यह विषय विचाराधीन है ।

## सलेम-बंगलौर रेलवे लाइन

†***२५६१. श्री सी० आर० नरसिंहन् :** क्या रेलवे मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सलेम और बंगलौर को मिलने वाली छोटी लाइन की प्रस्तावित शाखा के इंजीनियरिंग सर्वेक्षण में अभी तक कितनी प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)**: उसका लगभग बीस प्रतिशत क्षेत्र-कार्य अभी तक सम्पन्न किया जा चुका है ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : सरकार को कब तक इस सर्वेक्षण के पूरे होने की आशा है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : लगभग एक वर्ष में ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि यह लाइन खाण्डवा-हिंगोली लाइन के कारण ही उसकी सहायता के लिये है ? इस सम्बन्ध में उत्तर के लिये एक प्रश्न भी आज रखा गया है । क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस लाइन के पूरे हो जाने से उत्तर से दक्षिण को यातायात करने में जो संचालन-कार्य सम्बन्धी कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें दूर करने में सहायता मिलेगी ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : हम इस लाइन को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन प्रश्न तो निधियों का है । जब तक हमें निधियाँ उपलब्ध नहीं होती, मेरे विचार से तो तब तक, अगले एक या दो वर्षों तक, इस नई लाइन के निर्माण को आरम्भ करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

†**श्री नम्बियार** : बंगलौर-सलेम लाइन का निर्माण कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : अभी तक उसका सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के साथ ही साथ यातायात का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है ? अन्यथा, उसके सर्वेक्षण में भी एक वर्ष निकल जायेगा ।

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : सामान्य तौर पर इंजीनियरिंग सर्वेक्षण यातायात का सर्वेक्षण पूरा कर लेने के बाद ही आरम्भ किया जाता है ।

**मछली पकड़ना**

†*२५९२. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में मछलियों की प्राप्ति बढ़ाने के लिये कोई विशेष उपाय किये गये हैं ; और

(ख) क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारतीयों को मछली पकड़ने के आधुनिक कौशल में प्रशिक्षित करने के लिये जापान द्वारा कुछ प्रविधिक सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

†**श्री गिडवानी** : द्वितीय योजना के काल में इसकी प्राप्ति में कितनी वृद्धि की आशा है, और इस कार्य के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, राज्य सरकारों के मीन-क्षेत्रों के विकास की योजनाओं पर अनुमानतः ८·८ करोड़ रुपया खर्च होगा । इसमें से, केन्द्रीय सरकार ५·४ करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है । इन के अलावा, केन्द्रीय मीन-क्षेत्र योजनायें भी हैं, जिनमें ३·७३ करोड़ रुपये लग सकते हैं । इसके अतिरिक्त, मीन-क्षेत्रों की गवेषणा, उनके सर्वेक्षण और प्रदर्शन के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये २५ लाख रुपयों की एक राशि भी अलग रखने का विचार है । कुल व्यवस्था लगभग १२ करोड़ की है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या इस कार्य में सहायता देने के लिये भारत के लिये कोई विदेशी विशेषज्ञ भी नियुक्त किये गये हैं ? यदि हाँ, तो उनकी सहायता किस प्रकार की होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पी० एस० देशमुख** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या योजना के अन्तर्गत उन कई लाख मछुओं की दशा सुधारने के लिये भी कोई प्रयास किया जायेगा जिनकी दशा हमारी जनता के किसी भी भाग से अधिक गई-बीती है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जी, हाँ । इन मछुओं की दशा की जाँच करना और उसे सुधारने का प्रयास करना हमारी अगली पंचवर्षीय योजना के आधारभूत भागों में से एक है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार की योजनाओं में, चीन की तरह, कृषीय कार्यों के साथ ही साथ, कृत्रिम रूप से मछलियों को उत्पन्न करने की प्रणाली को चालू करना भी शामिल रहेगा, जिसके फलस्वरूप कि ताज़े पानी के मीन-क्षेत्रों से मछलियों की प्राप्ति को काफी बढ़ाया जा सकता है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : स्वयं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये एक सुझाव के फलस्वरूप ही, हम इस विषय की सम्भावनाओं का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या जापान को भेजे जाने वाले व्यक्ति मछुओं के समुदाय के ही होते हैं, या गैर-मछुये वर्ग के ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मेरे पास इस की सूचना नहीं है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या दूरस्थ स्थानों को भेजी जाने वाली मछलियों को सड़ने से पहले वहाँ पहुँचा देने के लिये उनके परविहन का कोई विशेष प्रबन्ध किया जायेगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना की योजनाओं में से एक योजना अधिक बढ़ी हुई परिवहन सुविधाओं और साथ ही बर्फ़ तथा शीत-कोठार सुविधाओं के सम्बन्ध में है । और मुझे आशा है कि परिवहन की वर्तमान दशाओं में भी सुधार होगा ।

†**श्री वी० पी० नायर** : कुछ दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्रावणकोर-कोचीन तट पर स्थित उस 'वाज तट' के सुरक्षित मीन-क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग का कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिससे कि लगभग दस लाख टन मछलियों प्रति वर्ष मिल सकने की सम्भावना है । यदि भारत, सरकार मछलियों की प्राप्ति में वृद्धि करना चाहती है, तो फिर उस योजना को क्यों त्याग दिया गया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : वह जानकारी यहाँ मेरे पास नहीं है । माननीय मित्र से मेरी प्रार्थना है कि वह इसकी पूर्व सूचना दें ।

†**श्री ए० एम० थामस** : जब कभी सभा में मीन-क्षेत्रों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो श्री वी० पी० नायर वाडगे बैंक में मछलियों की प्राप्ति के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं । मैं नहीं जान पाता कि कृषि मंत्री यह किस तरह कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है ।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : इस समय तो मेरा सम्बन्ध एक अलग प्रश्न से है । पूछे जाने वाले सभी अलग प्रश्नों की प्रत्येक सम्भव जानकारी मैं नहीं रख सकता ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मेरा प्रश्न भाग (क) के उत्तर से उत्पन्न होता है। माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ निश्चित कार्यवाही की जा रही है । यदि ऐसा हो तो मीन क्षेत्रों को उपयोग में लाए बिना जिनसे प्रति वर्ष लगभग १० लाख टन मछली प्राप्त की जा सकती है, मछली का उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना कहाँ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके पास इस समय वह जानकारी नहीं है । सभी जानकारी माननीय मंत्रियों की जबान पर नहीं रहती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० बी० विट्ठलराव** : वह अवकाश से जानकारी दे सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मंत्री को लिख सकते हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर** : इस पर विशेष वाद-विवाद हुआ था और माननीय मंत्री ने कहा था कि वह इस पर विचार करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कभी किसी प्रश्न या संकल्प या अन्य किसी वाद विवाद के दौरान में किसी विशिष्ट विषय के बारे में सुझाव दिये जाते हैं और माननीय मंत्रियों के पास जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं रहती और उस विषय में उन्होंने विचार न किया हो, तब वे जाँच करते हैं। साधारणतया यह आशा की जाती है कि उन्हें छोटे-मोटे विस्तारों को छोड़कर अपने विषय के सभी विस्तृत पहलुओं और रूपरेखाओं के बारे में जानकारी हो ।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : माननीय सदस्य स्वतः जानते हैं कि मैंने क्या उत्तर दिया है । अतः मैं नहीं समझता कि कोई अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न होता है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : वह दो वर्ष पहले था ।

## देशी बेड़े की हानि

†*२५९३. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिकट के समुद्रतट पर अभी हाल के तुफ़ान में कुछ देशी जहाज़ खो गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो कितने;

(ग) उनमें क्या माल था;

(घ) खोये हुए जहाज़ों का मूल्य कितना था और उन पर माल कितने मूल्य का था;

(ङ) क्या सरकार ने उस दुर्घटना के बारे में कोई जाँच की है; और

(च) यदि हाँ, तो क्या परिणाम हुआ ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) जी हाँ ।

(ख) आठ ।

(ग) जानकारी इकट्ठा की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) बेडे का अनुमानित मूल्य ४०,००० रुपये और माल का मूल्य १,०२,००० रुपये था ।

(ङ) एक जहाज़ 'गनेसपासा' की हानि के बारे में जाँच की जा रही है ।

(च) अनुसंधानकारी पदाधिकारी के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री एम० डी० जोशी** : क्या इन जहाजों को अपनी यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व तूफान के बारे में कोई चेतावनी दी गई थी ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मौसम एकाएक खराब हो गया और आँधी चलने लगी । इसलिये यह एकाएक ही हुआ । मैं नहीं समझता कि कोई चेतावनी दी जा सकती थी किन्तु मुझे निश्चित जानकारी नहीं है ।

†**श्री एम० डी० जोशी** : जहाज और माल खो जाने से जिन्हें नुक्सान हुआ है क्या उन्हें सरकार कोई मदद देगी ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेलायुधन :** प्रत्येक बरसात के मौसम में पश्चिमी तट पर देशी नौकाओं या देशी जहाजों या तटीय जहाज़ों के खो जाने के कारण हानि होती है । इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** निवारक कार्यवाही की जाती है किन्तु इस विशिष्ट मामले में आँधी एकाएक शुरू हो गई और बढ़ते हुए खराब मौसमी दशाओं के कारण ये जहाज डूब गये ।

---

## अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

### बर्मा के साथ चावल करार

**अ० सू० प्र० सं० २०. श्री रामचन्द्र रड्डी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले सप्ताह भारत के खाद्य मंत्री और बर्मा के व्यापार मंत्री के बीच चावल करार के सम्बन्ध में बातचीत हुई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या परिणाम हुआ;

(ग) करार की क्या शर्तें हैं; और

(घ) करार किस तारीख से लागू होगा ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :** (क) जा हा ।

(ख) से (घ). दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक ऊँचे स्तर तक व्यापार बढ़ाने की दृष्टि में बर्मा सरकार के साथ एक नया व्यापार करार करना तय हुआ है और दोनों सरकारें इस बात से सहमत हुई हैं कि परस्पर आयात और निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये सभी संभव सुविधाएँ दी जायें । व्यापार करार पूरा न होने के कारण भारत सरकार बर्मा से २० लाख टन चावल खरीदने के लिये सहमत हुई है जो १ जून, १९५६ से प्रारम्भ होकर पाँच वर्ष की अवधि में बाँटा जायेगा । इस व्यवस्था से वे आवश्यक साधन प्राप्त होंगे जिनके कारण बर्मा भारत से अपनी अधिकतर आवश्यकताएँ प्राप्त कर सकेगा ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** भारत में चावल प्रति टन किस भाव पर आयात किया जायेगा और स्थानीय भाव क्या होगा ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** जिन भावों पर हम चावल आयात करने जा रहे हैं वे पाँच वर्ष की अवधि में बांटे जायेंगे । तीन वर्ष के लिये हमने भाव निर्धारित कर दिया है । इस वर्ष वह ३४ पौंड प्रति टन होगा; अगले वर्ष अर्थात् १९५७ में वह ३३ पौंड होगा और १९५८ के लिये वह ३२ पौंड होगा । इन तीन वर्षों के बाद १९५९ और १९६० के लिये, हम परस्पर समझौते से भाव निर्धारित करेंगे ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** स्थानीय भाव के बारे में आप क्या कहते हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** अभी यह भाव देश के कुछ भागों में स्थानीय भावों के बराबर ही है । एक बार यह चावल देश में आने पर भारत में भाव बैठ जायेंगे और वे अवश्य ही गिर जायेंगे किन्तु अभी वे इन बर्मी चावल के भावों के बराबर ही हैं ।

†**श्री एस० एस० मोरे :** "भाव बैठ जायेंगे" इसका क्या अर्थ है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री का यह आशय है कि भाव गिरा दिये जायेंगे अथवा वे अनार्थिक स्तर पर पहुँच जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** गत वर्ष से पहले का हमारा अनुभव यह रहा । जब हमने बर्मा से ९ लाख टन चावल खरीदा तब भाव यहाँ बहुत ऊँचे थे और एक बार यहाँ बर्मी चावल आने के बाद, भाव धीरे धीरे गिरने लगे और बैठ गये । उसका अर्थ यह है कि देश के कुछ भागों में भाव बहुत ऊंचे चढ़ गये थे और उस संदर्भ में मैं यह कहता हूँ कि वे सामान्य या उचित स्तर तक आ जायेंगे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस करार का, जो पाँच वर्ष तक की अवधि के लिये होगा, आंतरिक उत्पादन से क्या सम्बन्ध होगा ? मान लीजिये, किसी एक साल, बहुत अच्छी फसल होती है तो क्या सरकार करार के अनुसार बर्मा से आयात करेगी या आयात स्थगित कर देगी ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** वर्तमान करार के अनुसार हमें ५ वर्ष तक चावल आयात करना है । सभा जानती है कि हमने रक्षित अतिरिक्त भंडार बनाने का निश्चय किया है । यदि आंतरिक उत्पादन पर्याप्त हो तो इसमें से कुछ हम अन्य देशों को निर्यात कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया है । हमारे चावल की किस्म अधिक अच्छी होने के कारण, उसके लिये बर्मी चावल के मूल्य से दूना मूल्य मिलता है और हम अपना कुछ चावल निर्यात कर सकते हैं ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या वह धान के रूप में आयात किया जायेगा अथवा चावल के रूप में ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** वह पूर्णतः चावल के रूप में होगा, कुछ उबाला और कुछ कच्चा ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या यह सच है कि बर्मा में चावल का आंतरिक भाव इस करार के अधीन लिये गये भाव से कम है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** जी, नहीं, यह सच नहीं है । बर्मा में कोई स्वतन्त्र बाज़ार नहीं है । बर्मा में कृषि विपणन बोर्ड को वहाँ चावल के विपणेन के बारे में एकाधिकार प्राप्त है और अभी वहाँ ३६ पौंड के भाव से बिक रहा है जब कि हम इस वर्ष ३४ पौंड, अगले वर्ष ३३ पौंड और उससे अगले वर्ष ३२ पौंड के भाव से खरीद सकेंगे ।

†**श्री वी० पी० नायर :** क्या इस करार में ऐसा कोई उपबन्ध रखा गया है जिसमें यह कहा गया हो कि भारत को यह चावल देने के बदले में बर्मा को एक निश्चित परिमाण में सूखी मछलियाँ लेनी होंगी और यदि हाँ, तो कितना परिमाण रखा गया है और क्या भाव निर्धारित किया गया है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** असली विचार तो यह है कि हमें भी कुछ चीजें बर्मा को निर्यात करनी चाहिये । हम परंपरा से बर्मा से चावल आयात करते हैं और बर्मा हमसे काफी मछली, पटसन, हाथकरघे का कपड़ा और वस्त्र खरीदता है । हम देखना चाहते हैं कि यथा संभव हमारा व्यापार अन्तर इन मछलियों या अन्य चीजों के सम्भरण से बराबर रहें ।

†**श्री वी० पी० नायर :** मेरा प्रश्न था .....

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न जो भी हो, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** एक प्रश्न ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं और किसी प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दे रहा हूँ ।

## गोवध निषेध

**अ० सू० प्र० सं० २१. बाबू रामनारायण सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने भारत गोसेवक समाज के अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में सारे देश में गोवध पर पूरी तौर से रोक लगा दी जायेगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या समाज ने एक बैठक में प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना की है कि बुद्ध जयन्ती समारोह के दिन, २४ मई, १९५६ को इस आशय की एक राजकीय घोषणा की जायें; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या वह घोषणा की जा रही है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) प्रधान मंत्री ने हमें यह सूचना दी है कि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है ।

(ख) और (ग). प्रधान मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं है किन्तु २२ मई को किसी संगठन से उन्हें एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव रखा गया था कि खास बुद्ध जयन्ती के दिन २४ मई को भारत में पशुवध नहीं होना चाहिये । उत्तर यह था कि यह विषय राज्यों द्वारा निर्णय का विषय है और किसी भी हालत में, २४ मई के लिये ऐसा कोई आदेश जारी करने के लिये बहुत विलम्ब हो चुका है।

†**श्री कामत** : क्या यह सत्य है कि संविधान के इस निर्देश के उपरांत भी—देखिये संविधान अनुच्छेद ४८—कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भारत में गौओं, बछड़ों तथा दुधारे पशुओं का वध नहीं हो आज भी नगरों में विशेषकर बम्बई, कानपुर, कलकत्ता आदि स्थानों में अंग्रेजी राज्य की अपेक्षा ऐसे पशुओं का अधिक वध किया जा रहा है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : यह कहना ठीक नहीं है कि पशु वध बढ़ गया है । और यह कहना भी ग़लत है कि हमने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया है । इस प्रश्न की यहाँ पर बारम्बार चर्चा की जा चुकी है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों को इसकी बड़ी चिन्ता है । हमने इस दिशा में उचित कार्यवाही करने के लिये कदम उठाये हैं ।

†**श्री कामत** : यदि मैंने ग़लत नहीं सुना है तो शायद मंत्री महोदय ने मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा है कि राज्य इस संबंध में जो कुछ भी उचित समझें वैसी कार्यवाही करने में पूर्णतया स्वतन्त्र हैं क्या मैं यह मान लूं कि सरकार प्रधान मंत्री के उन विचारों से सामूहिक रूप से सहमत नहीं है जो उन्होंने पिछले वर्ष अप्रैल में यहाँ पर व्यक्त किये थे यानि कि अप्रैल १९५५ में । मैं उस समय इस सभा का सदस्य नहीं था किन्तु मैंने उन्हें कहीं पर पढ़ा है । उस समय जब सेठ गोविन्ददास जी के विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि मैं इस प्रसंग पर त्यागपत्र देने को तैयार हूँ । और उन्होंने यह कहा था कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्यवाही की है वह ग़लत है । अब क्या यह सभा यह मान ले कि सरकार सामूहिक रूप से प्रधान मंत्री के उस कथन से सहमत नहीं है क्योंकि उस समय प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि राज्य सरकारें गोवध बन्द करने के लिये जो भी कार्य कर रही हैं वह सब ग़लत है ?

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या यह विधिवत् है कि पूरक प्रश्न के रूप में एक वाद विवाद खड़ा कर दिया जाये ? माननीय सदस्य ने अभी जो वक्तव्य दिया है उसका खंडन किया जा सकता है क्योंकि वह सही बयान नहीं है । क्या मैं एक दो वाक्यों में ही अथवा भाषण के रूप में उसका उत्तर दूं ? मेरे सम्बन्ध में उन्होंने जो अधिकांश बातें कहीं हैं वे ठीक नहीं है । क्या मैं उन सब की व्याख्या करूँ ? पहला प्रश्न तो बुद्ध जयन्ती दिवस के सम्बन्ध में था किन्तु अब हम उसी से संविधान के विस्तृत क्षेत्र में उतर आये हैं ।

†**श्री कामत** : मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकारें जो भी उचित कार्यवाही समझें उन्हें वैसा करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । और जैसा कि पिछले वर्ष प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार का कार्य बिल्कुल ग़लत है अब यदि हम इस कथन का ध्यान रखें तो क्या हम मान

†मूल अंग्रेजी में

सकते हैं कि ऐसी हालत में राज्य सरकारें जो कुछ उचित समझती हैं वे वैसा करने का साहस कर सकती हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूँ परन्तु आज नहीं । इस के लिये मुझे पूरा दिन चाहिये । इस समय एक प्रश्न में से उत्पन्न पूरक प्रश्न के उत्तर में इस मामले का निपटारा नहीं कर सकता हूँ और फिर जिसका कि उत्तर भी दिया जा चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुख्य प्रश्न तथा पूरक प्रश्न दोनों ही तथ्यों की जानकारी के लिये होते हैं, उनके उत्तर में नीति विषयक मामलों की व्याख्या नहीं की जा सकती है । यदि कोई माननीय सदस्य नीति विषयक मामले पर चर्चा करना चाहता है तो उसे उसके लिये संकल्प प्रस्तुत करना चाहिये । इसलिये यह ठीक है कि बुद्ध जयन्ती में से यह सामान्य प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है ।

भाग (क) के विषय में, कि क्या प्रधान मंत्री ने भारत गोसेवक समाज के प्रधान को यह आश्वासन दिया था कि देश भर में गोवध सर्वथा बन्द कर दिया जायेगा, यह उत्तर दिया जा चुका है कि उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया था । अतः अब यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

†**श्री कामत :** औचित्य प्रश्न के निमित्त मैं पूछना चाहता हूँ कि भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इस मामले में राज्य सरकारें जो कुछ भी उचित समझती हैं उन्हें वैसा करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है यह एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रश्न यह है कि एक खास दिन अर्थात् बुद्ध जयन्ती के दिन क्या कार्य किया जाये, यह कोई व्यापक प्रश्न नहीं है । इसका उत्तर यह था कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता हूँ । क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मुझे एक पत्र मिला था और मैं उस समय उस पर कुछ भी नहीं कर सका था ।

†**श्री कामत :** मगर उत्तर व्यापक है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो कोई भी उत्तर दिया जाता है वह केवल प्रश्न विशेष से सम्बन्धित माना जाना चाहिये ।

†**श्री कामत :** किन्तु यह उत्तर उस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । हम इसे कैसे सम्बन्धित मान लें ?

**बाबू रामनारायण सिंह :** मैंने कोई प्रश्न नहीं किया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने तो माननीय सदस्य को प्राथमिकता दी थी । मैंने उनकी ओर देखा भी था किन्तु उन्होंने श्री कामत को प्रश्न करने दिये हैं ।

**बाबू रामनारायण सिंह :** मेरा प्रश्न तो बाकी ही रह गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले मैं सदस्यों को क्रम से बुलाता हूँ । क्योंकि आपने प्रश्न किया था । अतः मैंने आपकी ओर देखा था । लेकिन आपने अपना मौका खो दिया और श्री कामत को सहायता करने के लिये आगे बढ़ने दिया ।

†**श्री कामत :** सहायता के लिये नहीं श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब आप उठना चाहते हैं । खैर, तो आप का क्या प्रश्न है ?

**बाबू रामनारायण सिंह :** मेरा प्रश्न यह है कि १९ मई को हिन्दुस्तान टाइम्स में इस तरह का एक सम्वाद प्रकाशित हुआ है कि गोसेवक समाज की एक बैठक हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को भूरि भूरि धन्यवाद दिया गया और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में सारे देश में गोवध निषिद्ध कर दिया जायेगा.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उससे इन्कार कर दिया गया है ।

**बाबू रामनारायण सिंह :** क्या इस सम्वाद की तरफ माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित हुआ है ? यह सम्वाद सही है या गलत ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** गो सेवक समाज की घोषणायें मुझ तक पहुँचती नहीं हैं । मैंने इस चीज़ को देखा नहीं है । लेकिन अगर यह संवाद प्रकाशित हुआ है तो इसमें उनकी सद्भावनायें हैं उनको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह वाक्या ग़लत है ।

**कोयले की कमी**

†**अ० सू० प्र० संख्या २२. श्री फीरोज गांधी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में कोयले की अनुपलब्धि का कारण रेलवे द्वारा दिल्ली के लिये निश्चित वेगनों का न भेज सकना है ;

(ख) इस तिमाही में दिल्ली में कोयले लाने के लिये कितने वेगन निश्चित किय गये थे ; और

(ग) उनमें से अभी तक कितने वेगन आये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा क पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ५]**

†**श्री फीरोज गांधी :** मेरे पास यह विवरण नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** यह पहले ही पटल पर रख दिया गया है । किन्तु फिर भी यदि आप आज्ञा दें तो इसे पढ़ कर सुना सकता हूं । यह बहुत एक छोटा सा विवरण है "दिल्ली के लिये आवंटित तथा कोयल से भरे गय वेगनों की संख्या—जनवरी से मई १९५६ तक

| मास | वेगन जो महीने के दौरान में भरे गये |
|---|---|
| जनवरी १९५६ | २,२८० |
| फरवरी १९५६ | २,०७५ |
| मार्च १९५६ | २,००८ |
| अप्रैल १९५६ ... | २,०९५ |
| मई १९५६ (२५ तारीख तक) ... ... | २,२३० |
| कुल ... | १०६८८ |

कोयले से भरे हुये वेगनों की संख्या जो कि दिल्ली में आये उतनी ही है जितनी कि ऊपर भरे हुय वेगनों की संख्या बताई गई है ।

इसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि यह कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली में रेलवे की लापर-वाही के कारण कोयले की कमी हुई है ।"

†**श्री फीरोज गांधी :** मेरा प्रश्न यह था कि दिल्ली के लिये कितना कोटा निश्चित किया गया था और उसमें से पहली अप्रैल के बाद यहां पर कितने वेगन आये हैं । मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार ३१ मार्च तक समाप्त होने वाले पिछले छः महीने क लिये निश्चित वेगनों में से ९१ वेगन कम आये थे । इस प्रकार इस अवधि तक ९१ वेगनों की कमी थी । इसी प्रकार अप्रैल में आने वाले ८०० अथवा ७९४ वेगनों में से वास्तव में केवल ६१७ वेगन ही २२ मई तक आय ।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी :** मैं और कर ही क्या सकता हूं ? जो आंकड़े माननीय मंत्री ने दिये हैं वे मेरे आंकड़ों से नहीं मिल रहे हैं । या तो मेरे आंकड़े ठीक हैं या उनके ही ।

†**श्री गाडगिल :** चाहे कुछ भी हो, हमें कष्ट तो हो ही रहा है ।

†**श्री फीरोज गांधी :** २२ मई तक केवल ३१८ वेगन ही दिल्ली में आये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आंकड़े ठीक हैं अथवा नहीं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** मैंने कुल भरे गये वेगनों के आंकड़े पढ़ कर सुना दिये हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी :** आप भरे गये वेगन बता रहे हैं और मैं पूछ रहा हूं कि कितने वेगन यहां पहुंचे ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** जो अकड़े मैंने पढ़े हैं उनसे यह प्रकट होता है कि दिल्ली में १०,६८८ वेगन पहुंचे हैं । अप्रैल में २,०९५ वेगन आये और मई में २५ तारीख तक २,२३० वेगन आये ।

†**श्री फीरोज गांधी :** अप्रैल १९५६ से सितम्बर १९५६ तक के छः महीनों के लिये दिल्ली के लिये कुल कितने वेगन आवंटित किये गये हैं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** मुझे सितम्बर के आंकड़ों का नहीं पता है लेकिन मैंने माननीय सदस्य को अप्रैल और मई के आंकड़े बता दिये हैं । जहां तक मैं बता सकता हूं इस सम्बन्ध में उत्पादन मंत्रालय द्वारा ही न्यूनतम लक्ष्य निश्चित किया जाता है अथवा कोयला आयुक्त बताता है कि कोयले के लिये कितने वेगनों की आवश्यकता होगी ।

†**श्री फीरोज गांधी :** अप्रैल और मई के जो आंकड़े मैंने पढ़ कर सुनायें हैं मैंने वह उत्पादन मंत्रालय से ही प्राप्त किय हैं । मंत्री महोदय ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया है .....

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** मैंने अपने आंकड़ों की उत्पादन मंत्रालय से जांच करवा ली है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वेदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इन आंकड़ों की तुलना किसी अन्य स्थान पर की जा सकती है । इसमें सभा का समय नष्ट नहीं होना चाहिये।

†**श्री गाडगिल :** क्या समान्यता दिल्ली में जितने वेगन आते हैं वे आ रहे हैं अथवा उनमें भी कुछ कमी हो गई है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** पिछले वर्ष की अपक्षा अब कुछ कम वेगन आ रहे हैं । किन्तु इसके लिये रेलवे मंत्रालय उत्तरदायी नहीं है । हमने पर्याप्त वेगन आवंटित कर दिये हैं । केवल फरवरी और मार्च में स्थिति कुछ कठिन हो गई थी क्योंकि तब उस क्षेत्र में हड़ताल हो रही थी । किन्तु अप्रैल और मई में उनकी संख्या काफी अधिक हो गई हैं । उपभोक्ताओं के लिये वास्तव में उत्पादन मंत्रालय अथवा कोयला आयुक्त द्वारा ही आवंटन किया जाता है । हम तो केवल मांगे गये वेगन देने के उत्तरदायी होते हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगला कार्य ले रहा हूं । पटल पर रखे गये पत्र ।

†**श्री फीरोज गांधी :** गोवध पर और समय लग सकता है किन्तु इस प्रश्न पर नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## जेट विमान

†*२५८१. **श्री आर० पी० गर्ग :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूरोप तथा अमरीका के लिये ११७ सीटों वाले जेट वायुयान चलाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो पहली सेवा कब चालू की जायेगी ;

(ग) इस विमान की कितनी रफ्तार होगी तथा वह कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा ; और

(घ) इस प्रकार के वायुयान का मूल्य क्या होगा तथा सरकार नई सेवा के लिये ऐसे कितने विमान खरीदना चाहती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में रेलवे लाइनें

†*२५८७. **श्री पुन्नूस :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्रावनकोर-कोचीन राज्य से एलिप्टी से होकर मातनचेरी और कलोन रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिये कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) जी हां, अरनाकुलम अथवा कोचीन को अल्लप्पी होकर मवेलीकारा के साथ मिलाने के लिये ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सीमित धन उपलब्ध होने के कारण इस समय नई लाइन बनाने की इस योजना पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

## दिल्ली और श्रीगंगानगर के बीच टेलीफोन लाइन

*२५८८. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अप्रैल से ३० अप्रैल, १९५६ के दौरान में दिल्ली और श्रीगंगानगर के बीच टेलीफोन लाइनें कितनी बार खराब हुईं ;

(ख) उक्त अवधि में दिल्ली से श्रीगंगानगर और श्रीगंगानगर से दिल्ली को कितने ट्रंक काल बुक कराये गये, और इनमें कितने साधारण और कितने जरूरी थे ; और

(ग) इनमें से कितने काल बाद में रद्द कर दिये गये ?

**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) १५ अप्रैल से ३० अप्रैल, १९५६ तक की अवधि में दिल्ली-श्रीगंगानगर का ट्रंक परिपथ (Circuit) सात बार खराब हुआ था ।

(ख) आवश्यक दैनिक आंकड़े सुलभ नहीं हैं । इन्हें एकत्रित करना है ।

(ग) यह सूचना भी उपलब्ध नहीं है और इसे भी एकत्रित करना है ।

## मनीपुर को कृषि सम्बन्धी ऋण

†*२५९४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों में मनीपुर राज्य को माध्यमिक तथा लम्बी अवधि के कृषि ऋणों के रूप में प्रतिवर्ष ३ लाख रुपया दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सत्य है कि मनीपुर की सरकार ने प्रतिवर्ष यह रुपया वैसे ही लौटा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसक कारण क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० बेशमुख)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) १९५५-५६ में राज्य सरकार कुछ आवश्यक औपचारिक बातें पूरी नहीं कर सकी थी यद्यपि यह ऋण जून १९५५ में स्वीकृत कर दिया गया था और १९५३-५४ और १९५४-५५ में यह ऋण देरी से स्वीकार किये गये थे ।

**ब्रिटेन के साथ हवाई समझौता**

†*२५९५. **श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और ब्रिटेन के बीच विमान सेवा पर पुनर्विचार के लिये एक उच्च सत्ता प्राप्त भारतीय शिष्टमंडल ब्रिटेन गया था ;

(ख) क्या उसने कोई समझौता किया था ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) से (ग). हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच वायु परिवहन समझौते के अधीन लन्दन में पुनर्विचार किया गया था । भारतीय और ब्रिटिश शिष्टमण्डल कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे जो सम्बन्धित सरकारों को अनुमोदन के लिये भेज दिये गये हैं । उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, अतः इस समय उनके बारे में कोई वक्तव्य देना लोक-हित में नहीं होगा ।

**भूमि का वाह्य मंडल**

†*२५९५-क. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक देश क ऊपर वायुमण्डल पर एकाधिपत्य के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन कन्वेन्शन में क्या उपबन्ध किया गया है ; और

(ख) वाह्य मंडल में तीव्र गति से उड़ने वाले विमानों, राकिटों और कन्दुक नक्षत्रों (बैलिस्टिक मिसिल्स) का इस उपबन्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन के कन्वेन्शन के अनुच्छेद १ में निम्नलिखित उपबन्ध किया गया है :

"**एकाधिपत्य** : करार में शामिल होने वाले देश यह मानते हैं कि प्रत्यक राज्य को अपने क्षेत्र के वायुमण्डल पर पूर्ण एकाधिपत्य प्राप्त है ।"

(ख) ४ अप्रैल, १९५६ को अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा प्रेस को दिये गये विषय की एक प्रति मैं सभा-पटल पर रखता हूं, जो "वाह्य मण्डल" से सम्बन्धित है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबनध संख्या ६]**

**दिल्ली सुधार प्रन्यास**

†*२५९६. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार के पास इस प्रकार के कोई अभ्यावेदन आये हैं कि मोतिया खान माल-क्षेत्र में दिल्ली सुधार प्रन्यास द्वारा जमीनों के जो प्लाट दिये गये हैं वे अलाटियों द्वारा अधिग्रहीत नहीं किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) भारत सरकार के पास ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं आया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**राजकुमारी खेल-कूद प्रशिक्षण योजना**

†*२५९७. **डा० रामा राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५५-५६ में राजकुमारी खेलकूद प्रशिक्षण योजना के अधीन आंध्र को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई है ; और

(ख) १९५६-५७ में कितनी सहायता का प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ७]**

**रेलों में एलार्म चेन का दुरुपयोग**

†*२५९८. **श्री के० सी० जेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलों में एलार्म चेन के गैर कानूनी प्रयोग को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करना चाहती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ८]**

**राष्ट्रीय राज मार्ग**

†*२५९९. **डा० जे० एन० पारिख** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषत: कुंडला को जाने वाले मार्ग, में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) चालू वर्ष में उसके लिये कितनी रकम निश्चित की गई है ; और

(ग) यह सारी योजना कब तक पूरी होने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ख) १२·५० लाख रुपये ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में ।

**बेनेदीह की कोयला खान में दुर्घटना**

†*२६००. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ मई, १९५६ को गिरीदीह में बेनेदीह की कोयला खान में कोयला खोदते समय छत का कोयला गिर पड़ने से दो व्यक्ति मर गये;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना की वास्तविकता और परिस्थितियां क्या थीं ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**कृषक-गोष्ठी**

†*२६०१. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
**श्री देवगम :**

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २७ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १७९९ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर इस आशय का एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि कृषक गोष्ठी ने भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के अनुदान का किन-किन बातों में उपयोग किया ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : यद्यपि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् अभी कृषक गोष्ठी के परीक्षित लेखों की प्रतीक्षा में है, तथापि गोष्ठी के सचिव ने जो सूचना उपलब्ध कराई है वह सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या १०]**

**खंडवा-हिंगोली रेलवे लाइन**

†*२६०२. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **रेलवे** मंत्री ६ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंडवा-हिंगोली रेलवे लाइन के निर्माण म अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) अभी तक कुल १० प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) लगभग अप्रैल, १९५९ तक।

**भैंस प्रजनन केन्द्र**

†*२६०३. **श्री मादिया गौडा : क्या खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में सरकार का प्रयोग के रूप में कोई भैंस प्रजनन केंद्र खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: उसकी लागत कितनी होगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**जनता एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयत्न**

†*२६०४. **श्री डाभी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९५६ के अन्तिम सप्ताह में पारदी और उदवदा स्टेशनों के बीच जनता एक्सप्रेस (पश्चिम रेलवे, बड़ी लाइन) को पटरी से उतारने का प्रयत्न किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे पुलिस ने भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन शिकायत दर्ज की है ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो इस समय उस मामले की क्या स्थिति है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) २२-२-१९५६ को प्रात: एक बजने में ३५ मिनट के समय (जैसा कि प्रश्न में जनवरी १९५६ के अंतिम सप्ताह में कहा गया है तब नहीं) पश्चिम रेलवे की बम्बई-सेन्ट्रल-सूरत बड़ी लाइन के उदवदा और पारदी स्टेशनों के बीच जब

†मूल अंग्रेजी में

३०५ डाउन जनता एक्सप्रेस जा रही थी तब रेल चालक ने इंजिन के पहियों के साथ में एक लोहे का टुकड़ा टकराने की आवाज सुनी और ११६/१८ मील पर उसने गाड़ी रोक दी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रेलवे पुलिस, बुलसार न इस मामले को दर्ज किया था और उसे इस रूप में खत्म कर दिया है कि इसका पता नहीं लग पाया । उनके मतानुसार यह कुछ उपद्रवियों द्वारा शरारत का मामला था ।

**रेल की पटरी का टूटना**

***२६०५. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर के पास मलकापुर और बिसवा स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना के बाद रेल की पटरी टूटने (फ्रेक्चर) की घटना का पता चला है ; और

(ख) क्या यह मामला रेल विशेषज्ञों के पास अन्वेषण के लिये भेज दिया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) तथा (ख). जी, हां

**रेलवे कारखाने**

***२६०६. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **रेलवे** मंत्री ८ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कारखानों में उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिये निर्मित कारखाना समीक्षण समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं और उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ;

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ;

(घ) योजना आयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में जिन विभिन्न रेलवे कारखानों का विस्तार करने तथा जिनकी स्थापना करने की सिफारिश की गयी थी, उनके नाम क्या हैं ; और

(ङ) उक्त कारखानों में से आयोग ने किन-किन को बढ़ाने व स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) जी, हां ।

(ख), (घ) तथा (ङ). एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) सवाल नहीं उठता ।

**उज्जैन - इन्दौर रेल सम्पर्क**

***२६०७. श्री अमर सिंह डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री ८, दिसम्बर, १९५५ क तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवास हो कर उज्जैन और इन्दौर के बीच बड़ी लाइन बिछाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ; और

(ख) उक्त रेलवे लाइन के लिये अर्जित भूमि के लिये किसानों और अन्य व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार को कितनी धनराशि देनी पड़ी है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) इस रेलवे लाइन के लिये जमीन ले ली गयी है। ६० फीसदी मिट्टी का काम पूरा हो चुका है और दूसरे सहायक कामो में भी प्रगति हो रही है ।

(ख) माल-विभाग के अधिकारियों ने अपने फैसले का एलान अभी तक नहीं किया है। ठीक रकम का पता उसके बाद ही चलेगा ।

**अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौता**

*२६०९ **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल ही में भारत सरकार ने जिस अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, उसके अनुसार वह किस दर पर गेहूं खरीदने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यह समझौता कितने समय के लिये है ; और

(ग) क्या इस प्रकार से खरीदे गये विदेशी गेहूं से इस देश में पैदा होने वाले गेहूं की कीमत पर बुरा असर पड़ेगा ?

**कृषि मंत्री (डा० पी०एस० देशमुख)** : (क) से (ग). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या १२]**

**भारत तथा ब्रिटेन के बीच भारवाही जहाजों का यातायात**

†*२६१०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा ब्रिटेन के बीच भारवाही जहाजों के यातायात के लिये इस समय केवल ब्रिटेन ही सेवायें चला रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दोनों देशों के बीच भारवाही जहाजों के यातायात को बराबर-बराबर बांटने के लिये कोई व्यवस्था करना चाहती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत और ब्रिट्रेन के बीच भारवाही जहाज यातायात सेवाओं को चलाना, भारत और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा का एक विषय था। उन प्रतिनिधियों की बैठक हाल ही में भारत-ब्रिटेन वायु परिवहन करार का पुनरीक्षण करने के लिये लन्दन में हुई थी। दोनों प्रतिनिधि मण्डलों के बीच हुये निर्णयों पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं ।

**ट्रैक्टरों के द्वारा खेती करना**

†*२६११. **श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १५ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२२४ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी राज्य सरकारें ट्रैक्टरों के द्वारा खेती करने पर होने वाले खर्च अथवा उसकी बकाया राशि पर ब्याज लेती हैं; और

(ख) कौन-कौन सी राज्य सरकारें इस प्रकार के ब्याज नहीं लेती हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) और (ख). खाद्य और कृषि मंत्रालय को उपलब्ध जानकारी के अनुसार भोपाल सरकार ट्रेक्टरों के द्वारा खेती के खर्च अथवा उसके बकाया धन पर काश्तकारों से कोई ब्याज नहीं लेती है। मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार का ब्याज लेती है। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दिल्ली सुधार प्रन्यास

†*२६१३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली सुधार प्रन्यास के कार्य के बारे में समय समय पर प्रतिवेदन प्राप्त कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५४-५५ के प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १९५४-५५ के प्रतिवेदन की प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गयी । **देखिये संख्या एस०–१९९/५६**]

## भारयीय चिकित्सा संघ

†*२६१४. **श्री एम० डी० जोशी** :
**श्री एच० एन० मुकर्जी** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ ने भारत सरकार को अच्छे स्वास्थ्य तथा रोग निवारण के उद्देश्य से एक कमरे के क्वार्टर बनाने के विरुद्ध परामर्श दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त सुझाव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार पहले के समान ही एक कमरे वाले क्वार्टर बनवा रही है;

(घ) भारतीय चिकित्सा सन्था द्वारा और कौन कौन से सुझाव दिये गये थे ; और

(ङ) उनमें से किन किन सुझावों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है ।[ **देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या १३**]

## कासू बेगू में खाद्यान्न का डिपो

†*२६१५. **डा० रामा राव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजपुर के निकट कासू बेगू के खाद्यान्न के डिपो के कर्मचारियों को अभी तक मार्च और अप्रैल, १९५६ का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार ने उन्हें सूचित किया है कि वे केन्द्रीय सरकार से अपने वेतन प्राप्त करें ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) और (ख). कासू बेगू का केन्द्रीय स्टोरेज डिपो केन्द्रीय सरकार की ओर से पंजाब सरकार द्वारा चलाया जाता है । करार की शर्तों के अनुसार सभी प्रकार के खर्चे, जिनमें इस कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों के वेतन भी सम्मिलित हैं, पहले राज्य सरकार द्वारा बहन किये जाते हैं. और बाद में केन्द्रीय सरकार द्वारा उन खर्चों को पूरा किया जाता है । इस प्रकार से डिपो के कर्मचारियों को वेतन देने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है, और भारत सरकार द्वारा वेतन देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार को इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि वहां के कर्मचारियों को मार्च, और अप्रैल, १९५६ के महीनों का वेतन मिल गया है, या नहीं, अथवा क्या उन्हें राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे केन्द्रीय सरकार से वेतन प्राप्त करेंगे । राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी मांगी जा रही है ।

**टेलीफोन उद्योग**

†*२६१६. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कौन कौन से टेलीफोन उद्योग हैं जिनमें विदेशी वित्त लगा हुआ है ; और

(ख) उनमें कितना विदेशी वित्त लगा हुआ है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) भारतीय टेलीफोन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड़, बंगलौर ।

(ख) ४ करोड़ रुपये की प्रदत्त अंश पूंजी में लगभग २·५ प्रतिशत ।

**केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, कोनी बिलासपुर**

*२६१७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर के प्रशिक्षणार्थियों को कोई छात्र-वृत्ति देती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितमी राशि दी जाती है और प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि कितनी है ; और

(ग) १९५५-५६ में प्रत्येक विभाग में अपने खर्च से पढ़ने वाले प्रशिक्षणार्थियों को संख्या कितनी कितनी थी ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) सीखने वालों की संख्या २२४ है । ये सब अपना खर्च आप उठाते हैं ।

**गर्मी की लहर**

†*२५१७–क. **श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बत... ... कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुछ भागों में आज कल जो गर्मी की लहर सी आई हुई है, उसके बारे में हमारे ऋतु वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों द्वारा क्या कुछ जांच की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या परिणाम पद्धति है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह गर्मी की लहर "वैस्टर्न डिस्टर्बेंस" नामक एक प्रकार के चक्रवात के, जो देश के उत्तरी भागों के पार पश्चिम से पूर्व को चलता है और जो कि वर्षा के द्वारा तथा अपेक्षाकृत ठंडी वायु उत्पन्न करके तापांश को कुछ गिरा दिया करता है, अभाव में उत्पन्न हुई थी । इन "वैस्टर्न डिस्टर्बेंस" के अभाव में वायु कुछ ठहर सी जाती है और धीरे-धीरे और अधिक गरम हो जाती है । इस ग्रीष्म ऋतु में जिन गरम लहरों का अनुभव किया गया है, वे कोई नयी बात नहीं है, क्योंकि रिकार्ड बताते हैं कि भूतकाल में भी देश के किसी न किसी भाग में इसी प्रकार की और इससे भी भयंकर गरम-लहरें उत्पन्न होती रहती थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे लोको रनिंग कर्मचारी वर्ग**

*२६१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० मई, १९५६ को इलाहाबाद में लोको रनिंग कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि ईद के मौके पर उनको वेतन नहीं दिया गया और सारी रेल गाड़ियां तीन घंटे तक बन्द रहीं; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना का वास्तविक विवरण क्या है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या १४ ]**

**यात्रियों को सुविधायें**

*२६१९. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत सी रेलगाड़ियों में नौकरों के डिब्बों में शौचालय तथा पंखे नहीं हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : जी हां, कुछ डिब्बों में।

**विलिंगडन अस्पताल**

†*२६२०. **श्री वेलायुधन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) विलिंगडन अस्पताल तथा नर्सिंग होम में कितने डाक्टर काम कर रहे हैं ?

(ख) उनमें से दांतों के कितने डाक्टर हैं ; और

(ग) दांतों के सर्जनों द्वारा प्रतिदिन कितने रोगियों का इलाज किया जाता है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) ३८, जिनमें २० डाक्टर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के हैं।

(ख) तीन । वे तीनों ही अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के हैं। उनमें से एक को जो दन्त-चिकित्सा सम्बन्धी चलती फिरती गाड़ी के लिये है, १७ मई, १९५६ को नियुक्त किया गया था।

(ग) ३६ ।

**स्वैंग रेलवे कोयला-खान**

†*२७१०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैंग रेलवे कोयला-खान में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच न्यायालय द्वारा जिम्मेदार ठहराये गये प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई अभियोग चलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अभियोग का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस देरी के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह निर्णय किया गया था कि स्वैंग रेलवे कोयला-खान के अभिकर्त्ता तथा प्रबन्धक के विरुद्ध भारतीय कोयला-खान विनिमय, १९२६, के विनियम संख्या ४८ के उपबन्धों के अधीन अभियोग चलाया जाये। उस प्रयोजन के लिये एक जांच न्यायालय पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**आसाम में गोदाम सम्बन्धी सुविधायें**

†*२७११. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर कार्यालयों में गोदाम स्थापित करके इकट्ठी वस्तुदरों के लिये "बन्दरगाह से बन्दरगाह तक के खण्ड" के निकाल देने से सम्बन्ध रखने वाली कोई प्रस्थापना विचाराधीन है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : इस समय इस प्रकार की कोई भी प्रस्थापना नहीं है ।

**रेलवे सेवा आयोग**

†*२७१२. **श्री रामानन्द दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोग के अधीन पूर्वी रेलवे में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये शिशिक्षु मैकेनिकों के ३५ स्थान रक्षित किये गये थे ;

(ख) उन स्थानों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्र आये हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति पहले लिखित परीक्षा में बैठे थे और फिर अप्रैल १९५६ में मौखिक परीक्षा में बैठे थें; और

(घ) कितने व्यक्तियों को वास्तव में चुना गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) जी, नहीं । केवल ३० स्थान ही अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित किये गये थे ।

(ख) १०३ ।

(ग) ३५ ।

(घ) २१ ।

**उड़ीसा में तार सम्बन्धी सुविधायें**

†*२७१३. **श्री संगण्णा** : क्या **संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समय उड़ीसा में तार सम्बन्धी सुविधायें जनता की मांग की दृष्टि में अपर्याप्त तथा बहुत कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). पिछले आठ वर्षों से तार घरों की संख्या ८६ से बढ़ाकर १७० कर दी गयी हैं, इस प्रकार से १०० प्रतिशत वृद्धि हुई है । १२५ और तार घरों के लिये स्वीकृति दे दी गयी है ।

**सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के बारे में आस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन**

†*२७१४. { **श्री गिडवानी** :
**श्री विभूति मिश्र** :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के एक सिंचाई कार्य विशेषज्ञ, श्री जे० सी० बीले ने सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अपने विचार सरकार को बता दिये हैं ;

(ख) उसने क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) श्री जे० सी० बील ने आस्ट्रेलिया में पशु-भूमि को सींचने के लिये अपनायी गयी सिंचाई प्रणाली का एक सामान्य सवक्षण भेजा है।

(ख) उन्होंने स्पष्ट किया है कि आस्ट्रेलिया में उपलब्ध जल संसाधन को निम्नलिखित तरीकों से संरक्षित रखा जाता है : (१) नीचे के क्षेत्रों में बहुत से बांधों तथा तालाबों को बनाकर वर्षा के पानी को इकट्ठा करके; (२) पानी भाप बन कर उड़ न जाये इस उद्देश्य के लिये पानी की तह पर एक परदा सा बना देने के लिये किसी मिश्र-द्रव्य के प्रयोग के द्वारा ; (३) पानी को धरातल न सोख ले इस उद्देश्य से तालाबों के धरातल से ६ इंच नीचे एक प्लास्टिक शीट लगाकर ; और (४) छिड़काव के द्वारा सिंचाई करने की प्रणाली के द्वारा।

(ग) उन पर विचार किया जा रहा है।

## काम दिलाऊ दफ्तर

†*२७१५. **श्री आर० पी० गर्ग** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों से काम दिलाऊ दफ्तरों को कुल कितने रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त हुई थी ; और

(ख) उसी वर्ष विस्थापित व्यक्तियों को कितनी नौकरियां दी गयी थीं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी लोक सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबद्ध संख्या १५]**

## रेलवे को हानि

*२७१६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जालन्धर में रेलवे को धोखा देकर ५० लाख रुपये पैदा करने वाला १६ आदमियों का एक गिरोह पकड़ा गया है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : जी, नहीं।

## दिल्ली सुधार प्रन्यास

†*२७१७. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली सुधार प्रन्यास से काम लेने के लिये दिल्ली राज्य सरकार को कुछ अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं अथवा सौंपे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली सुधार प्रन्यास के कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं ; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**बिना विभाग के मंत्री ( श्री कृष्ण मेनन )** : (क) और (ख). दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली सुधार प्रन्यास के ऊपर पूरे अधिकारों का प्रयोग करती है। केवल प्रन्यास के गठन, निर्माण, नियुक्ति, पदच्युति, कार्याविधि तथा न्याय के सदस्यों की अन्य सेवा शर्तें, सुधार योजनाओं की मंज़ूरी तथा परिवर्तन तथा दिल्ली सुधार प्रन्यास न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति तथा उनको पदों से हटाने के सम्बन्ध में दिल्ली सरकार को भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है।

---

†मूल अंग्रेजी म

(ग) से (ङ). भारत सरकार को प्रन्यास के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध अकुशलता तथा भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें दिल्ली के मुख्यायुक्त को आवश्यक कार्यवाही के लिये दे दिया गया था। वे ही ऐसे मामलों का निपटारा करने के सक्षम अधिकारी हैं।

**रेल दुर्घटना**

†*२७१८. **श्री राम दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ मई, १९५६ को जालन्धर मुकेरियन रेलवे लाइन पर होशियारपुर जिले में टांडा उरमर के निकट चालोंग में रेलगाड़ी टकरा गई थी और एक बैलगाड़ी अपने सारे सवारों सहित कुचल गई थी; और

(ख) किन स्थितियों में यह दुर्घटना हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या १६]**

**पर्यटन**

†*२७१९. **श्री हेमराज** : क्या **परिवहन** मंत्री ९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत, पंजाब में पर्यटन के विकास की योजनायें सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उन पर कितना व्यय किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). पंजाब तथा अन्य राज्यों की पर्यटन के विकास की योजनाओं पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के रूप में विचार किया जा रहा है।

योजना के ब्यौरों पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

**ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस**

†*२७२०. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५६ और अप्रैल, १९५६ म ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस १५ अप और १६ डाउन नागपुर और दिल्ली स्टेशनों में कितने दिन विलम्ब से पहुंची ; और

(ख) गाड़ी के ठीक समय पहुंचने और छोड़ने के लिये क्या प्रयत्न किये गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या १७]**

**खाद्यान्न**

†*२७२१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा में उन्होंने हाल में ही यह कहा था कि खाद्यान्नों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये वे जम्मू और काश्मीर सरकार तथा रक्षा मंत्रालय के लिये टेंडर के आधार पर गेहूं और चावल की खरीद नहीं करेंगे अपितु रक्षित भांडार से उनकी मांग पूरी करेंगे ;

(ख) क्या उनका ध्यान २ मई, १९५६ को 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित जम्मू और काश्मीर के नाम से गेहूं के सम्भरण के लिये टेंडर मांगने की एक सूचना पर आकर्षित हुआ है ; और

---

†भूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषमता को दूर करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी हां, यह कहा गया था कि सरकार अन्तर्देशीय बाजारों से गेहूं और चावल की आगे और खरीद नहीं करेगी ।

(ख) और (ग). जी हां । जम्मू और काश्मीर सरकार ने अपने टेंडर को रद्द कर दिया है । राज्य के लिए आवश्यक गेहूं, केन्द्रीय रक्षित भांडार से दिया जायेगा ।

## यात्री सुविधायें

†*२७२२. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जमशेदपुर से २० मील के अन्दर रहने वाले तरकारी उगाने वाले लोग अपने बगीचों की फस्ल को जमशेदपुर में प्रतिदिन बेचने के लिये भीड़ के कारण बड़ी कठिनता से ही गाड़ी में ला पाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको क्या सुविधायें देने का विचार किया जा रहा है क्योंकि तरकारियां सड़ने-गलने वाली चीज हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) इस विशेष प्रश्न पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उन तीन गाड़ियों में से, जिनमें तरकारी उगाने वाले यात्रा करते हैं, एक गाड़ी पथ संख्या ३२३ हावड़ा-नागपुर पेसेन्जर में बहुत भीड़ रहती है ।

(ख) जैसे ही उपयुक्त सामान और लाइन क्षमता उपलब्ध हो जायेगी एक अतिरिक्त गाड़ी को चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

## गेहूं का आयात

*२७२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खाद्यान्न आयात कार्यक्रम के अधीन नौ हजार टन गेहूं का एक जहाज, जो बम्बई में उतरने वाला था, पाकिस्तान सरकार के निवेदन व आग्रह पर करांची भेज दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों व दशाओं में यह गेहूं पाकिस्तान को दिया जा रहा है ; और

(ग) पाकिस्तान को और कितना गेहूं भेजा जायेगा ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) पाकिस्तान सरकार के निवेदन पर एक जहाज फिरा कर करांची भेजा गया । उनका कोई आग्रह नहीं था ।

(ख) गेहूं सम्बन्धी उस देश की आवश्यक मांग की पूर्ति के लिये यह बदली हमारी इच्छा पर हाल ही में पाकिस्तान से ऋण पर लिये हुए गेहूं के प्रति समायोजन के अधीन है;

(ग) ऋण पर लिये हुए गेहूं की वापिसी के अलावा अब कुछ नहीं ।

## होमियोपैथी

†*२७२४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में होमियोपैथी चिकित्सा के विकास अथवा प्रशिक्षण के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**बिना विभाग के मंत्री** ( **श्री कृष्ण मेनन** ) : जी, हाँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में, गवेषणा कार्य के लिये रोगियों की शय्या का प्रबन्ध करने, होमियोपैथीक कालेजों के स्तर को ऊंचा करने, और होमियोपैथिक संहिता के तैयार करने का विचार किया गया है।

**गाड़ियों में भीड़-भाड़**

†*२७२५. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कोल्हापुर-पूना जनता एक्सप्रेस में, विशेषकर वर्षा ऋतु के दिनों में––जून से लेकर अक्तूबर तक––यात्रियों की बहुत अधिक भीड़भाड़ रहती है ;

(ख) क्या ४ या ५ बोगी वाली वर्तमान जनता एक्सप्रेस को, इस भारी भीड़भाड़ का सामना करने के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार जनता एक्सप्रेस को बढ़ा कर दस या बारह डिब्बों की पूरी गाड़ी बनाना चाहती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या १८]**

**सहकारी कृषि**

†*२७२६. **श्री वोडयार** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में किन-किन राज्यों में सहकारी कृषि केन्द्र प्रचलित थे; और

(ख) क्या सरकार इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने वाली सरकारों को अनुदान देना चाहती है?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) लोक-सभा के पटल पर अपेक्षित विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ख) जी, हां।

**रेलवे में भोजन व्यवस्था**

†*२७२७. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री १८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम, उत्तर और मध्य रेलवे के किराया लगाने के फलस्वरूप कितने ठेके समाप्त हुए;

(ख) क्या ठेकेदारों ने, अथवा ठेकेदारों के विरुद्ध, क्षति के दावे किये गये हैं ; और

(ग) किराया लेने वालों को कितने ठेके दिये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

**केन्द्रीय पेट्रोल उपकर निधि**

*२७२८. **श्री जांगड़े** : क्या **परिवहन** मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९२ क उत्तर क सम्बन्ध म यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पेट्रोल उपकर निधि द्वारा दिये गये अनुदान की सहायता से राजपुर और रायगढ़ जिलों में शिवरीनारायण-सारंगगढ़ सड़क बनाई जा रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितना काम हो चुका है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). इस काम के ऊपर राज्य को दी गई पूंजी में से खर्चा किया जा रहा है। इस धन द्वारा किये गये काम की उन्नति के लिये राज्य सरकार पूरी जिम्मेवार है। और इसकी सूचना केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय को नहीं भेजी जाती है।

**रेलवे कर्मचारी**

†*२७२९. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५५ में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किये थे, क्योंकि सरकार ने उक्त दोनों रेलों के प्रधान कार्यालयों के कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टियां देना अस्वीकार कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थितियों में सरकार द्वारा अतिरिक्त छुट्टियां मंजूर की जाती हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां। पूजा की छुट्टियां २१-१०-१९५५ से लगातार ११ दिन के लिये देने तथा पूजा की छुट्टियों के लिये अग्रिम धन की मांग करने के सम्बन्ध में प्रदर्शन किये गये थे।

(ख) पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक पहिले ही अतिरिक्त छुट्टियां मंजूर करने को सहमत हो गय हैं, और उन्हें अपने निर्णय के अनुसार काम करने की अनुमति दे दी गई थी और यह आदेश दक्षिण पूर्व रेलवे में भी लागू किया जायेगा।

**ओवरसियरों का प्रशिक्षण**

†*२७३०. **श्री राम शरण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मंत्रालय ने एक वर्ष पूर्व पुन: बसाने और नियोजन के महानिदेशालय के केन्द्रों में ओवरसियरों का प्रशिक्षण पुन: प्रारम्भ करने का निर्णय किया था लेकिन ये कक्षायें अभी तक प्रारम्भ नहीं की जा सकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये बहुत से ओवरसियरों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार पुन: बसाने और नियोजन के महानिदेशालय केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना चाहती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). १९५५ में ओवरसियरों के प्रशिक्षण को पुन: शुरू कर दिया गया था।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों के आधार पर विस्तार कार्यक्रमों का निश्चय किया जायेगा।

**परिवहन पर अध्ययन गोष्ठी**

†*२७३१. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त परिवहन की अध्ययन गोष्ठी द्वारा प्रस्तुत प्रतिबेदन को सरकार क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). अध्ययन गोष्ठी की मुख्य सिफारिशों का तथा उन पर किये गये कार्यों को प्रदर्शित करते हुए एक संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २०**]

---

†मूल अंग्रेजी में

## रेल-दुर्घटना

*२७३२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बारांबंकी जिले में गोंडा जाने वाली रेलवे लाइन के बुढ़वाई-सीतापुर सैक्शन पर बिसवां और सरैया के स्टेशनों के बीच एक रेलगाड़ी मनुष्यों से भरी दो बैलगाड़ियों से टकरा गयी जिसके परिणामस्वरूप आठ व्यक्ति मर गये और बहुत से घायल हुये ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : १२-५-१९५६ को लगभग १२ बजकर ३० मिनट पर पूर्वोत्तर रेलवे के सीतापुर-बुढ़वल शाखा लाइन के बिसवां और सरैया स्टेशनों के बीच ४३४ डाउन सवारी-गाड़ी के इंजन से एक भैंसा-गाड़ी (न कि दो बैलगाड़ियां जैसा कि सवाल में कहा गया है) मील ३३/१८ के समतल-पार (लैवल क्रासिंग) पर टकरा गयी जहां कोई चौकीदार नहीं रहता। टक्कर लगने से गाड़ीवान मर गया। कोई दूसरा घायल नहीं हुआ।

## दिल्ली-पेरिस बस सेवा

*२७३४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक फ्रांसीसी फर्म वायजेज डुब्रेइल ने दिल्ली से पेरिस तक की एक आरामदेह बस सेवा चालू करने की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उस फर्म ने इस सेवा को चालू करने व सफल बनाने के लिये कोई सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**रलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). समाचार पत्रों के अलावा भारत सरकार के पास इस तजवीज के बारे में और कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल ही पैदा नहीं होता।

## मध्य रेलवे में गाड़ियों का देर से आना जाना

†*२७३५. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि मध्य रेलवे की बम्बई में चलने वाली स्थानीय रेलगाड़ियां समय पर नहीं आती जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ; और

(ग) स्थानीय रेलगाड़ियों में कठोर नियमितता तथा समयनिष्ठता कब लागू की जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २१**]

## भिलाई स्टेशन

*२७३६. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई के गुड्स शेड और शंटिंग यार्ड के निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) रायपुर जंकशन में इस सम्बन्ध में क्या कार्य हो रहा है अथवा होने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) भिलाई में मार्शलिंग यार्ड इन्टरचेंज यार्ड और नये स्टेशन का ब्यौरा अभी इस्पात कारखाना योजना के अधिकारियों से मिलकर तय होना बाकी है। लेकिन जो सुविधायें इस समय जरूरी हैं उन पर काम हो रहा है।

(ख) सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

**सहायक शिकायत पदाधिकारी**

†*२७३७. **श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार शिकायत संगठन में सहायक शिकायत पदाधिकारियों के पदों की स्वीकृति कब दी गई थी ;

(ख) उपरोक्त पदों के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें क्या थीं ;

(ग) क्या ये पद विज्ञापित किये गये थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १-३-१९४२ ।

(ख) विश्वविद्यालय की डिग्री ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह पद पदालि के अन्तर्गत नहीं थे और इनकी स्वीकृति सीमित अवधि के लिये दी गई थी ।

**विशेष डाक घर**

†*२७३८. **श्री संगण्णा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं को बढ़ाने के लिये प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों तथा सामूहिक परियोजना क्षेत्रों में क्या बचत बैंक की सुविधाओं के साथ विशेष डाक घर खोले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों तथा साभूहिक परियोजना क्षेत्रों में डाक घर खोलने को पूर्वता दी जाती है परन्तु इन डाक घरों को बचत बैंक के अधिकार देना इस बात पर निर्भर है कि क्या

(१) कोई उपयुक्त तथा वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ ब्रांच पोस्ट मास्टर प्राप्य है ;

(२) नकदी की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये तथा डाक घर से तथा डाक घर तक उसके विप्रेषण के लिये उपयुक्त प्रबन्ध हैं ;

(३) कार्यालय स्थायी है ; और

(४) सुविधा के लिये मांग है ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों या सामूहिक विकास क्षेत्रों में बचत बैंक की सुविधाओं वाला ऐसा कोई विशेष डाक घर नहीं खोला गया है ।

**मद्रास-रगून यात्री बाष्प-नौका सेवा**

†२७३९. **श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५५ में मद्रास-रंगून स्टीमर (पेसैंजर) सर्विस स्थापित कर दी गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक इसे प्रारम्भ नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) मार्च, १९५६ के अन्त तक एम० वी० "सोनावती" द्वारा सेवा प्रारम्भ करने की आशा थी परन्तु उसके बाद से अब भारत सरकार के प्रविधिक पदाधिकारियों ने उसे यात्रा के लिये अनुपयुक्त तथा असुरक्षित घोषित किया है । इसलिये इस नौका के द्वारा सेवा प्रारम्भ नहीं की जा सकी । सरकार के भरसक प्रयत्नों के बावजूद नौका चलाने के लिये कोई और प्रबन्ध नहीं किया जा सका है । तथापि सरकार दीर्घकालीन प्रबन्ध करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

**रामगंगा पर सड़क का पुल**

**२४१५. श्री राम शरण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद शहर के निकट रामगंगा पर एक सड़क का पुल बनाने की योजना सम्मिलित की गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेलवे पुल के ऊपर या नीचे एक सड़क का पुल बनाने का विचार है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान रेलवे पुल के पास नदी के ऊपर की तरफ एक स्वतंत्र पुल वाली सड़क बनाने का विचार है । किन्तु अभी तक इन तजवीजों के बारे में अन्तिम फैसला नहीं हुआ है ।

**ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में भोजन-व्यवस्था**

†**२४१६. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस में अप्रैल, १९५६ के अन्तिम दिनों से, जब से भोजन डिब्बे (डाइनिंग कार) में भोजन व्यवस्था विभागीकृत की गई थी, सोडा वाटर की बोतलें नहीं ले जाई जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इससे यात्रियों को बहुत ही असुविधा तथा असुख का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) जी० टी० एक्सप्रैस में २३-४-५६ को विभागीय कार्यवहन के लिये सेवा का कार्य संभाल लिया गया था और १५-५-५६ तक भोजन डिब्बों में सोडा वाटर का प्रबन्ध नहीं था, परन्तु १६-५-५६ से उसकी बिक्री का प्रबन्ध कर दिया गया था ।

(ख) २३-४-५६ को जब उच्चतम न्यायालय ने ठेकेदारों को आदेश रोकने से सम्बन्धित याचिका को रद्द कर दिया था तब विभागीय कार्यवहन के लिये अल्प सूचना पर सेवा का कार्य प्रबन्ध संभालना पड़ा था और सोडा वाटर के सम्भरण का प्रबन्ध अन्तिम रूप से तय करने में कुछ समय लग गया था ।

(ग) इससे यात्रियों को कुछ असुविधा हुई होगी परन्तु दिल्ली और बेजवाड़ा के बीच सभी स्टेशनों पर, जहां जी० टी० एक्सप्रेस की गाड़ियों का रुकना निर्धारित है, सोडा वाटर के सम्भरण के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये थे ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**जबलपुर-इटारसी रेलवे लाइन**

†२४१७. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मध्य रेलवे के जबलपुर-इटारसी भाग में दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) इस भाग में कुछ हिस्से में दोहरी लाइन बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**कपास**

†२४१८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ की अवधि में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने से सम्बन्धित योजना के अधीन आंध्र राज्य के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में कुल कितनी रकम की स्वीकृति दी गई थी और १९५६-५७ में कितनी रकम देने का विचार है ;

(ख) १९५५-५६ वर्ष के लिये दिये गये अनुदान तथा ऋण का क्या पूर्णतः उपयोग किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस का कारण क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) १९५५-५६ में आंध्र सरकार को १ लाख रुपये के ऋण की तथा अनुदान के रूप में ५९,२४२ रुपये की स्वीकृति दी गई थी । १९५६-५७ में ३१,१९० रुपये अनुदान के रूप में देने का विचार है । १९५६-५७ में ऋण की कोई मांग नहीं की गई है ।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**दिल्ली सुधार प्रन्यास**

†२४१९. **श्री वी० मिश्र** :
**श्री रामजी वर्मा** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सुधार प्रन्यास द्वारा नई रोहतक रोड तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन रोड की सीमाओं के बीच में क्षेत्र के लिये उपयुक्त गलियों की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र में, विशेषतः जिस गली में चान्दीवाला क्वार्टर हैं, जिस जगह पर गली बनाई जानी थी क्या वहां हाल ही के वर्षों में मकान बनाये गये हैं ;

(ग) ऊपर जिन गलियों की चर्चा की गई है वहां पर होने वाले इस कब्जे को समाप्त करने के लिये सरकार का कब और क्या कार्यवाहियां करने का विचार है ?

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नई रोहतक रोड तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन रोड की सीमाओं के बीच के क्षेत्र में दिल्ली सुधार प्रन्यास ने कोई योजना कार्यान्वित नहीं की थी ।

(ख) तथा (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के लिये कोई भी योजना नहीं बनायी गयी थी, इसलिये गली के लिये अपेक्षित किसी क्षेत्र में मकानों के होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## डाक और तार विभाग की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

२४२०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग की द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति टेबल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). डाक-तार विभाग की योजना को अन्तिम रूप में परिणत करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अनुमति प्रतीक्षित है।

(ग) यथासम्भव शीघ्र ही।

## पेराम्बूर का सम्पूर्ण डिब्बे बनाने का कारखाना

†२४२१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेराम्बूर के सम्पूर्ण-डिब्बे बनाने के कारखाने में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) इन व्यक्तियों में से कितने प्रशिक्षार्थी मद्रास राज्य के हैं और कितने मद्रास के प्रत्येक पड़ोसी राज्य के हैं ;

(ग) चुनाव के लिये अपेक्षित अर्हतायें क्या हैं; और

(घ) प्रशिक्षार्थियों का चुनाव कौन करता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क)

| | |
|---|---|
| इम्प्रूवर चार्जमैन | २७ |
| ट्रेड शिशिक्षु | ७२५ |
| योग | ७५२ |

(ख) सुसंगत सांख्यकी न बनाये रखने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) इम्प्रूवर चार्जमैन—किसी भी सुविख्यात इंजीनियरिंग सार्थ में या रेलवे वर्कशाप में बी०ई० (मैकेनीकल) के लिये दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या एल०एम०ई० के लिये तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; या ऐसे मैट्रिक पास विद्यार्थी, जिन्होंने किसी प्रमुख इंजीनियरिंग सार्थ में या रेलवे वर्कशाप में शिशिक्षा कोर्स पूरा किया हो और जिन्हें पर्यवेक्षी हैसियत से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो या वे व्यक्ति जिन्हें व्यापार में कम से कम आठ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो।

ट्रेड एपरेन्टिसिस फिटर्स तथा यांत्रिक—४ फार्म या इसके बराबर की कोई परीक्षा पास की हो (अर्थात्, मैट्रिक से दो दर्जे नीचे) और किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल में १८ महीने का प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

या

किसी विख्यात इंजीनियरिंग सार्थ में कम से कम तीन वर्ष का शिशिक्षा कोर्स पूरा किया हो

---

† मूल अंग्रेजी में

या

एल० एम० ई०, एल० ए० ई० में या बराबर के किसी पूर्णकालिक कोर्स में कम से कम दो वर्ष या एल० एम० ई०, एल० ए० ई० या बराबर के किसी अंशकालिक कोर्स में तीन वर्ष के पूरे किये हों।

ट्रेड एपरेंटिसिस वैल्डर—४ फार्म, अर्थात् मैट्रिक से दो वर्ष कम, पास किया हो परन्तु अपवाद रूप में ३ फार्म पास किये हुए उम्मीदवारों को भी लिया जा सकता है यदि उन्होंने किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल में निम्न व्यवसायों में १८ महीने का प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर रखा हो : वैल्डर (गैस तथा इलैक्ट्रिक)

या

किसी सुविख्यात इंजीनियरिंग सार्थ में वैल्डर्स व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का शिशिक्षा कोर्स पूरा किया हो

या

एल० एम० ई०, एल० ए० ई०, एल० ई० ई० या बराबर के किसी पूर्णकालिक कोर्स में कम से कम दो वर्ष या एल० एम० ई०, एल० ए० ई०, एल० ई०ई० या बराबर के किसी अंशकालिक कोर्स में तीन वर्ष पूरे किये हों

या

कलकत्ता में गैस तथा इलैक्ट्रिक वैल्डिंग में इंडियन आक्सीजन एण्ड एसिटीलीन कम्पनी का कोर्स पूरा किया हो और कम से कम एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो ।

(घ) इम्प्रूवर चार्जमैन—रेलवे सेवा आयोग, मद्रास ।

ट्रेड शिशिक्षु—सम्पूर्ण-डिब्बे बनाने के कारखाने के प्रमुख प्रशासन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त एक चुनाव समिति ।

**चाय बागान के श्रमिक**

†२४२२. **श्री संगण्णा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम चाय बागान के लिये प्रति वर्ष उड़ीसा से श्रमिकों की भर्ती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो १९५३, १९५४ तथा १९५५ के लिये प्रत्येक वर्ष में उड़ीसा से कुल कितने श्रमिक भर्ती किये गये थे; और

(ग) उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितने श्रमिक प्रत्यावर्तित किये गये थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५३ — ७६० ।
१९५४ — ३२९ ।
१९५५ — ७,४३३ ।

(ग) १९५३ } उड़ीसा के लिये पृथक् रूप से
१९५४ } जानकारी उपलब्ध नहीं है ।
१९५५ — ४,८९२ ।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थायें**

†२४२२-क. **श्री देवगम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की कंडिका २३, अध्याय ३७ के अनुसार योजना काल में कितनी सहकारी संस्थायें स्थापित की गईं और कहां-कहां; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आदिम जातियों के उत्थान के लिये इन सहकारी संस्थाओं ने क्या-क्या काम किये ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और राज्य सरकारों से प्राप्त होते ही सभा पटल पर रखी जायेगी ।

**उड़ीसा की खाद्य स्थिति**

†२४२३. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की खाद्य स्थिति तथा सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिये १५ मई, १९५६ को नई दिल्ली में उड़ीसा सरकार और संघ सरकार के प्रतिनिधियों की एक सभा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**ग्वालियर में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय**

२४२४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय ग्वालियर में रखने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से यह कार्यालय कार्य आरम्भ कर देगा ?

**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का किस पोस्ट मास्टर-जनरल से अभिप्राय है । मध्य भारत राजस्थान परिमण्डल के अन्तर्गत है और इसका मुख्यालय जयपुर में है । इस परिमण्डल के मुख्यालय को ग्वालियर हटा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**रेलवे स्टेशनों पर शिकायतें**

२४२५. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ से अब तक पश्चिम रेलवे के कोटा और दोहद के बीच के स्टेशनों पर कितनी शिकायतें दर्ज की गयीं;

(ख) उन शिकायतों को कहां तक दूर किया गया;

(ग) क्या अभी हाल में रतलाम और बामन्या स्टेशनों पर कोई विशेष शिकायतें दर्ज की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) १-१-५६ से १५-५-५६ तक ४२ शिकायतें ।

(ख) इस अवधि में दर्ज की गई कुल ४२ शिकायतों में से ३३ की जांच पूरी हो चुकी है और बाकी की जांच अभी हो रही है । जिन ३३ मामलों की जांच हो चुकी है, उनमें से २१ शिकायतें सही साबित हुईं और उन्हें दूर करने के लिये उचित कार्यवाही की गयी ।

(ग) जी हां, एक शिकायत रतलाम स्टेशन पर दर्ज की गयी है जो ३३ डाउन देहरादून बम्बई सेन्ट्रल एक्सप्रेस में अधिक भीड़ होने के बारे में है और दूसरी बामनियां स्टेशन पर दर्ज की गयी है जो पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय न होने के सम्बन्ध में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इन शिकायतों की जांच की जा रही है और जांच के बाद इन पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

**मालगाड़ी पर आग दुर्घटना**

२४२६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १३ मई, १९५६ को जबलपुर से ११० मील की दूरी पर मध्य रेलवे के लगरगांव और सतना स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के इंजन में आग लग गयी और दो व्यक्ति मरे और घायल हुए ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : १३-५-५६ को मध्य रेलवे के सतना और लगरगांव स्टेशनों के बीच किसी मालगाड़ी के इंजन में आग नहीं लगी। लेकिन ११-५-५६ को इन्हीं स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के सी० डब्ल्यू० डी० इंजन के फायर-बाक्स का क्राउन प्लेट बहुत गरम हो गया । इंजन में काम करने वालों ने ब्वायलर में जरूरत के मुताबिक पानी नहीं रखा था, इसलिये क्राउन प्लेट टूट गया और बहुत ज्यादा भाप और पानी निकल कर फायरबाक्स के अन्दर और फुट-प्लेट पर चला गया । भाप और गरम पानी से इंजन में काम करने वाले बुरी तरह जल कर घायल हो गये । ड्राइवर और दो फायर मैन, तीनों आदमी, बाद में जबलपुर अस्पताल में मर गये ।

**रेल-दुर्घटना**

२४२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १४ मई, १९५६ को शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे क्रासिंग पर एक बैल गाड़ी जिसमें एक बारात के लोग जा रहे थे एक रेलगाड़ी से टकरा गयी जिसके परिणामस्वरूप ३ व्यक्ति मर गये और ११ घायल हुए ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : ११-५-१९५६ को, न कि १४-५-१९५६ को, जैसा कि सवाल में कहा गया है, लगभग १८ बजकर १० मिनट पर जब उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन की शिकोहाबाद-फरुखाबाद शाखा-लाइन के निबकरोरी और उगरपुर स्टेशनों के बीच १ एस०एफ० सवारी गाड़ी जा रही थी, उससे एक बारात की बैलगाड़ी मील ८११–१३ के समतल-पार पर टकरा गयी जहां कोई चौकीदार नहीं रहता । टक्कर लगने से गाड़ीवान वहीं मर गया और बैलगाड़ी में बैठे दो आदमियों को चोटें आयीं ।

**केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली**

२४२८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली के डाइरेक्टर का पद बहुत दिनों से खाली है;

(ख) यदि हां, तो वह पद वास्तव में कब से खाली है;

(ग) इस बीच के लिये क्या कोई अस्थायी व्यवस्था कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो उस कार्यकारी डाइरेक्टर का नाम, योग्यतायें और गवेषणा सम्बन्धी अनुभव क्या हैं; और

(ङ) डाइरेक्टर के उपर्युक्त खाली स्थान की पूर्ति कब और किस प्रकार से की जायेगी ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) से (घ). लेफ्टिनेंट-कर्नल एम० एल० अहुजा ने २० सितम्बर, १९५५ को इस पद का भार छोड़ा । उसी तारीख से केन्द्रीय अनुसंधान संस्था, कसौली के असिस्टेंट डाइरेक्टर डा० सी० वी० डी-सिल्वा अपनी निजी ड्यूटी के साथ डाइरेक्टर के पद का चालू भार संभाल रहे हैं। वह ६००–११५० रुपय के उच्च वेतनानुक्रम में मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट के एक

स्थायी अफसर हैं। इस संस्था में नियुक्त किये जाने के पहले वह १९३९ से १९४३ तक पास्च्यूर इन्सटीच्यूट, कूनूर में कृमि-विज्ञान विशारद रहे और १९४३ से १९४६ तक फौज में। उन्होंने कृमि-विज्ञान में व्याख्यानकर्ता व विभिन्न प्रयोगशालाओं के कार्यभारी अफसर के रूप में कार्य किया और व्याधि-विज्ञान में एक विशेषज्ञ की मान्यता प्राप्त की। १९५२ में विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की एक अधि-छात्रवृत्ति पर ८ महीने के लिये उसने फ्रेंच-पश्चिमी-अफ्रीका व संयुक्त-राज्य अमरीका में कृमि-विज्ञान से सम्बन्धित संस्थाओं का निरीक्षण किया। उसने दो पत्रों का स्वतः व ६ पत्रों का संयुक्त प्रकाशन किया है।

(ङ) पद की पूर्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये की जायगी जिसे अर्थना भेज दी गयी है।

**अस्पताल**

२४२९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २९ जुलाई, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८ के सम्बन्ध में (जिसका उत्तर ७ मई, १९५६ को सभा पटल पर रखा गया था) यह बताने की कृपा करेंगी कि ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जाने वाले इन ३३४ अस्पतालों के लिये केन्द्र द्वारा कितनी सहायता प्रति वर्ष दी जाती है ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : यूनियन मिशन टी० बी० सैनिटोरियम, मदनपल्ली, आंध्र के अतिरिक्त इनमें से किसी भी अस्पताल को वार्षिक आवर्ती सहायता नहीं दी जाती है। १९५५-५६ में इस सैनिटोरियम को ९१,९१३ रुपये की सहायता दी गई थी।

**फसल प्रतियोगिता**

२४३०. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में विभिन्न राज्य सरकारों ने खाद्य पदार्थों के प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन के लिये किन-किन व्यक्तियों को पारितोषिक दिये हैं; और

(ख) उन खाद्यपदार्थों के नाम क्या हैं ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २२**]

**राष्ट्रीय राजपथ**

†२४३१. **श्री के० सी० जेना** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में उड़ीसा के जिन राजपथों के निर्माण की स्वीकृति दी गई और जिन पर अब भी काम शुरू नहीं किया गया है, उनके नाम क्या हैं;

(ख) काम प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उस राज्य में कुछ राजपथों पर अब भी निर्माण-कार्य चल रहा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) सभा पटल पर ऐसे निर्माण-कार्यों की एक सूची रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २३**]

(ख) पुलों का काम प्रारम्भ करने से पूर्व, टेन्डर मंगाये जाते हैं और सब से उपयुक्त टेन्डर भेजने वाले को चुनने में प्रायः कुछ समय लग जाता है। सूची की क्रमांक संख्या १ और ३ में बताये गये कामों के बारे में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि उनकी स्वीकृति १९५५ के अन्त में दी गई थी।

(ग) जी हां, २३ निर्माण-कार्य जिनमें अनुमानतः ८२·५६ लाख रुपये लगेंगे, चल रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

**बसों के अड्डे**

†२४३२. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
**श्री देवगम** :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ पथों को जाने वाली बसों के अड्डे रेलवे स्टेशनों के पास ही रखने की आज्ञा देने से रेल और सड़क सेवाओं में समन्वय लाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : क्योंकि बसों के खड़े होने के स्थानों के बारे में सोचने का काम केवल राज्य सरकारों का ही है, अतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

**करनाल के फार्म में नलकूप**

†२४३३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८ में करनाल के पशु एवं गव्य (डेरी) फार्म में तीन नलकूप बनाने की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसक लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी;

(ग) ये नलकूप कब तैयार हुए थे; और

(घ) यदि अभी नहीं हुए तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशासन ने १,७०,००० रुपये मंजूर किये थे ।

(ग) (१) २८–१०–४८
(२) ३०–१०–५०
(३) १८–१–५१

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रशिक्षण केन्द्र**

†२५३२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण कारीगरों के २० प्रशिक्षण केंद्रों, गृह विज्ञान प्रशिक्षण केद्रों, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि युवक विनिमय केंद्रों के ब्योरे क्या हैं और यह केंद्र किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ख) इन प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश प्राप्त करने के लिये कौन-कौन सी शर्तें ह जो कि फोर्ड फाउंडेशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित की गई हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) एक विवरण जिसमें ग्रामीण कारीगरों के २० प्रशिक्षण केंद्रों और ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिये २७ गृह-विज्ञान केंद्रों और उन स्थानों के नाम, जहां वे स्थित हैं, का ब्योरा दिया गया है, सभा पटल पर रखा जाता है। [ **देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २४** ]

कृषि युवक विनिमय योजना कृषि युवकों को अमेरिका भेजने के सम्बन्ध में है और कृषि युवकों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्र कोई नहीं है ।

(ख) ग्रामीण कारीगरों का चुनाव सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । चुने गये प्रशिक्षणार्थियों को ३० रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति दी जाती है, और उन्हें एक बन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, वे अपने गांव में कृषि औजारों की मरम्मत तथा निर्माण के लिये ३ से ५ वर्ष की कालावधि तक अपना एक कारखाना खोलेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम सेविकाओं का चुनाव एक चुनाव समिति करती है । प्रवेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की आयु ३५ वर्ष से कम होनी चाहिये और उसके पास मैट्रिक अथवा उसके बराबर योग्यता का प्रमाणपत्र होना चाहिये, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उन्हें ग्राम्य जीवन का अनुभव भी होना चाहिये । प्रशिक्षणार्थियों को ५० रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति दी जाती है । उन्हें भी एक बन्ध पत्र भरना पड़ता है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, वे कम से कम पांच वर्ष तक ग्राम्य सेविकाओं के रूप में कार्य करेंगी ।

**बैरकपुर प्रधान डाकघर**

†२५३३. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के चौबीस परगना जिले के बैरकपुर प्रधान डाकघर में बहुत सी अनियमिततायें की जाती हैं जिन के कारण अनेक प्रकार के गबन के मामले होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि बैरकपुर में कर्मचारी काफी अधिक दिनों तक रखे जाते हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) प्रेसीडेंसी डिवीजन के दूसरे कार्यालयों में से बैरकपुर प्रधान डाकघर में धोखा देने के मामले कुछ अधिक ही रहे हैं । प्रत्यक्षत: यह धोखे, जिनकी संख्या बचत बैंक शाखा में सर्वाधिक है, कतिपय कर्मचारियों द्वारा बाहर वाले लोगों की सहायता से किये गये थे ।

(ख) उत्तर नकारात्मक है ।

**बैरकपुर डिवीजन डाकघर**

†२५३४. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना जिले के बैरकपुर सब-डिवीजन के बेलघरिया, टीटागढ़, बैरकपुर, शामनगर, जगतदल, नैहाटी, गोरीका हजारी नगर और कंचरापाड़ा, डाकघरों में प्रतिदिन कितने वेरंग पत्र आते हैं;

(ख) इन समस्त वेरंग पत्रों का ठीक से हिसाब रखने के लिये किस प्रकार का निरीक्षण तथा नियंत्रण रखा जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि इन सब डाकघरों में प्राप्त बेरंग पत्रों के केवल २५ प्रतिशत का ही हिसाब रखा जाता है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) औसत बेरंग पत्रों की संख्या सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी जाती है । [ **देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २५** ]

(ख) डाक के थैले खोलते समय पोस्ट मास्टर को निरीक्षण करने के लिये उपस्थित रहना पड़ता है । ऐसे समस्त पत्र, जिन पर टिकट व्यय लेना होता है, पोस्ट मास्टर ले लेता है और वह उन पर स्वयं कर निर्धारित कराता है और पत्र डाक व्यय पंजी में ली जाने वाली राशि को दर्ज करता है और इस व्यय को अपने लेखे में भी दर्ज करता है । उसकी ईमानदारी की जांच निरीक्षक प्राधिकारी समय-समय पर उक्त डाकघर को भेजी गयी वस्तुओं पर लिये जाने वाले व्यय की तुलना पत्र डाक व्यय लेखा पंजी की प्रविष्ठि से मिलान करके की जाती है ।

(ग) जी, नहीं । समस्त वेरंग पत्रों का हिसाब रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**सल्फेट आफ एमोनिया**

†२५३५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में आंध्र को कितने अल्पकालीन ऋण सल्फेट आफ एमोनिया और अन्य खादों के क्रय करने के लिये पृथक् रूप से दिये गये और अधिक परिवहन व्यय के कारण हुए नुकसान की पूर्ति के लिये यदि कोई आर्थिक सहायता दी गई हो वह कितनी है;

(ख) १९५३-५४ और १९५४-५५ की तुलना में उक्त कालावधि में आंध्र में कुल कितने एमोनियम सल्फेट, फासफेटिक खादों और उर्वरकों की खपत हुई;

(ग) १९५५-५६ के लिये आंध्र राज्य सरकार द्वारा कुल कितने एमोनियम सल्फेट के लिये व्यादेश दिया और कुल कितनी मात्रा वास्तव में दी गई; और

(घ) १९५६-५७ में उक्त शीर्ष के अन्तर्गत आंध्र को दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋणों की राशियां क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) १९५५-५६ में आंध्र सरकार को २९१·१९ लाख रुपये का एक अल्पकालीन ऋण एमोनियम सल्फेट खरीदने तथा वितरण करने के लिये मंजूर किया गया था । इसके अतिरिक्त ०·१२ लाख रुपये का एक अनुदान तथा ४·०० लाख रुपये का एक दीर्घकालीन ऋण राज्य सरकार को उसकी नगरीय खाद योजना के लिये मंजूर किया गया था ।

इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार के लिये कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है ।

(ख) वर्ष १९५५ में आंध्र में एमोनियम सल्फेट की कुल खपत ८३,८०० टन थी जबकि १९५३ और १९५४ में खपत क्रमशः ५७,८०० टन और ६६,७०० टन थी । फासफेटिक खाद और उर्वरकों के बारे में इसी प्रकार ही जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) वर्ष १९५५ के लिये ९०,००० टन एमोनियम सल्फेट के बारे में आंध्र सरकार ने व्यादेश किया था और उसी वर्ष में यह मात्रा उसको दे दी गई थी ।

(घ) १९५६-५७ के लिये आंध्र राज्य के जी० एम० एफ० कार्यक्रम पर चर्चा के समय २९९·२५ लाख रुपये के एक अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति दे दी गई थी । इसके अतिरिक्त नगरीय खाद योजना के लिये ३·०० लाख रुपये का एक दीर्घकालीन ऋण और ०·०५ लाख रुपये का एक अनुदान स्वीकार कर लिया गया है ।

**आंध्र में डाकघर**

†२५३६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कड़पा जिले में १ जनवरी, १९५६ से ३१ मार्च, १९५६ तक वास्तव में खोले गये ग्रामीण तथा नगरीय डाकघरों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां खोले गये हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[ देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २६ ]**

**कड़पा में डाकघर**

†२५३७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में कड़पा जिले (आंध्र) में खोले जाने वाले ग्रामीण तथा नगरीय डाकघरों की संख्या तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[ देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २७ ]**

**नारियल और सुपारी**

†२५३८. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में नारियल और सुपारी के सुधार के लिये आसाम सरकार को कोई अनुदान देने का विचार है ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : जी, हां।

**नारियल**—नारियल पौधशाला योजना के लिये तथा आसाम में नारियल की खेती के विस्तार के लिये ७०,००० रुपये का उपबन्ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया है। इस राशि में केन्द्रीय तथा आसाम सरकार का आधा-आधा अंश होगा। चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लिये ७,००० रुपये के अनुदान का उपबन्ध किया गया है।

**सुपारी**—आसाम में सुपारी की खेती के विस्तार के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चार लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। इस राशि में केन्द्रीय तथा आसाम सरकार का अंश आधा-आधा होगा। चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लिये ४०,००० रुपये के अनुदान का उपबन्ध किया गया है।

**पल्लेदार**

†२५३९. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के अधीन इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) के गुड्स शेड (माल शेड) में काम करने वाले पल्लेदारों की मजूरी एक रुपया १२ आना प्रति दिन निश्चित कर दी गयी थी;

(ख) क्या अभी हाल में मजूरी की दरों में कमी कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी कर दी गयी है और कब से; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) १९४९ में, जब मजूरी निश्चित करने का मामला प्रांतीय सरकार के निर्णयाधीन था, इलाहाबाद गुड्स शेड में काम करने वाले ठेकेदार द्वारा रखे गये पल्लेदारों की मजूरी अस्थायी रूप से १ रुपया आठ आना प्रति व्यक्ति प्रति दिन निश्चित कर दी गयी थी। डिप्टी कमिश्नर, इलाहाबाद की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद ठेकेदार ने १-२-१९५० से मजूरी बढ़ाकर १ रुपये १२ आने प्रति दिन कर दी।

(ख) जी, हां।

(ग) १-२-१९५५ से मजूरी-दर घटा कर १ रुपये ४ आने प्रति दिन कर दी गयी है।

(घ) मजूरी का भुगतान मुख्यतया ठेकेदार और मजदूरों के बीच हुए समझौते पर निर्भर रहता है। नया ठेकेदार, जिसन १-२-१९५५ से ठेके का कार्यभार संभाला है, १ रुपया ४ आने प्रति दिन पर मजदूर रख रहा है।

**आसाम में माल का यातायात**

†२५४०. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में और आसाम से बाहर माल का निर्यात करने के लिये मालगाड़ी के डिब्बों तथा स्टीमरों (वाष्पयानों) की कुल वर्तमान क्षमता (टनों में) कितनी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसकी तुलना में कुल आवश्यकता कितनी है;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आसाम में आयात करने और आसाम से निर्यात करने के लिये आवश्यक क्षमता (टनों में) में लगभग कितनी वृद्धि होने वाली है; और

(घ) इस समय क्या कार्यवाही की जा रही है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) अन्दर लाने और बाहर ले जाने में लगभग २,६६० टन प्रतिदिन ।

(ख) आसाम सरकार द्वारा भेजे गये आंकड़ों के अनुसार आयात के लिये उसकी आवश्यकता २,४०० टन प्रतिदिन है ।

(ग) आसाम सरकार ने बताया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आसाम में आयात की वृद्धि वर्तमान आवश्यकता से २५ प्रतिशत अधिक होगी अर्थात् ३,००० टन प्रतिदिन होगी । आसाम से निर्यात करने के लिये इस समय उपलब्ध क्षमता से काफी कम क्षमता की आवश्यकता होगी ।

(घ) सभी मार्गों से आसाम में सामान का आयात करने की विद्यमान क्षमता जरूरत को पूरा करने के लिये काफी है । बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये, जैसा कि योजना आयोग ने बताया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिये आवण्टित घटायी गई राशि में से, अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी । यातायात को चालू रखने के लिये एक मुख्य समस्या सम्पूर्ण वर्ष भर रेल यातायात को चालू रखना है ।

वर्षा-ऋतु में आसाम-रेल सम्पर्क (मार्ग) को स्थायी रूप से चलाते रहने की संभावना की जांच करने के लिये विशेषज्ञों की एक टेकनिकल समिति नियुक्त कर दी गयी है । उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद मार्ग को शक्तिशाली बनाने या उसका पुनर्वर्गीकरण करने के लिये आगे कार्यवाही की जायेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में धन की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त रेलवे इंजिन, डिब्बे, आदि की व्यवस्था की जायेगी ।

**रेलवे कर्मचारी**

†**२५४१. श्री वीरस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४७ में नियुक्त किये गये और दक्षिण रेलवे पर त्रिचनापल्ली में एकाउण्ट्स कार्यालय में काम करने वाले क्लर्कों को अभी स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). १९४७ में नियुक्त किये गये द्वितीय श्रेणी के ७६ क्लर्कों में से २६ क्लर्कों को स्थायी बना दिया गया है और १२ अन्य क्लर्कों को भी स्थायी रिक्त स्थानों पर स्थायी बनाया जा रहा है । शेष लोगों को स्थायी स्थानों के रिक्त होने पर स्थायी बनाया जायेगा ।

**बिलासपुर रेलवे अस्पताल**

**२५४२. श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलासपुर रेलवे अस्पताल में उपेक्षा और पक्षपात की कितनी शिकायतें सरकार को मिली हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

**"अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन"**

**२५४३. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री निम्न आशय का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अधीन १९५५-५६ में मध्य प्रदेश सरकार को कुल कितने अनुदान दिये गये; और

(ख) इस योजना की मुख्य-मुख्य मदें क्या हैं, और उन पर उक्त अवधि में कितना व्यय हुआ ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) सन् १९५५-५६ में ११,८६,४३१ रुपयों का अनुदान मंजूर किया गया था ।

(ख) मुख्य-मुख्य मदों की सूचना और प्रत्येक के लिये मंजूर किया हुआ अनुदान निम्न प्रकार है :—

| मद का नाम | मंजूर किया हुआ अनुदान (रुपये) |
|---|---|
| १. नये कुओं का खोदना | २,२२,८०० |
| २. पुराने कुओं की मरम्मत ... ... ... | २६,००० |
| ३. ग्रामस्थित सिंचाई क छोटे तालाबों का निर्माण और उनकी मरम्मत | १,२६,००० |
| ४. सिंचाई के लिये बिजली का उपयोग ... ... | ६४,८०० |
| ५. सिंचाई के निमित्त कुओं से पानी निकालने के लिये रहटों का वितरण ... | २१,२५० |
| ६. शहरी खाद का वितरण | २८,२५० |
| ७. फोस्फेटिक उर्वरकों का वितरण | १,११,८९५ |
| ८. उर्वरक मिश्रण का वितरण | १७,७५० |
| ९. सुधरे धान बीजों का वितरण ... | १,९५,३१५ |
| १०. रेतुआ रोधक गेहूं के बीजों का वितरण | ४८,७८२ |
| ११. पौधों का संरक्षण ... ... | ७०,४३४ |
| १२. खाद्य उत्पादन आन्दोलन के लिये कर्मचारी | ९१,५०० |
| १३. कृषि विस्तार के लिये अतिरिक्त कर्मचारी | ९३,७०० |
| १४. फसल प्रतियोगिता ... ... | ४,९०५ |
| १५. मीन-क्षेत्रों का विकास ... ... ... ... | २५,४०० |
| १६. मत्स्य संवर्द्धन के सुधारने की सम्भावनाओं को जानने के लिये एक अल्पकालीन योजना ... ... ... ... ... | १८,००० |
| १७. अमोनियम सलफेट के वितरण के लिये अतिरिक्त कर्मचारी | १९,६५० |
| कुल ... | ११,८६,४३१ |

इन मदों में से हर एक पर राज्य-सरकार द्वारा किये हुए वास्तविक व्यय के आंकड़े मध्य प्रदेश के एकाउन्टैंट-जनरल द्वारा आंकड़ों की जांच और मिलान हो जाने के बाद चालू वित्त साल के दूसरे आधे भाग में ही प्राप्त होंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

## रेल दुर्घटनायें

**२५४४. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में रेल दुर्घटनाओं के लिये मुआवजे के रूप में कुल कितनी रकम दी गयी;

(ख) दावेदारों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) अधिक से अधिक और कम से कम कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) कुल कितने दावेदारों के दावे खारिज किये गये; और

(ङ) ऐसी रेल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है, जिनसे क्षति पूर्ति का प्रश्न सम्बद्ध है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) से (ङ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई

†**२५४५. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'प्रथम पंचवर्षीय योजना' के पृष्ठ २२१ पर दिये गये विवरण के प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत अर्थात् (क) नये कुओं, (ख) पुराने कुओं, (ग) नलकूपों, (घ) तालाबों, (ङ) नदियों में पम्प लगा कर, (च) कुओं में पम्प लगाकर, (छ) बांधों, नहरों आदि से १९५४-५५ में (१००० एकड़ों के यूनिटों में) उन क्षेत्रों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं जिन्होंने सिंचाई का लाभ उठाया और (ज) प्रत्येक राज्य तथा सम्पूर्ण भारत का सम्पूर्ण योग क्या है; और

(ख) 'प्रथम पंचवर्षीय योजना' के पृष्ठ २२२ पर दिये गये विवरण के उन क्षेत्रों, जो (क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन, (ख) राज्य ट्रैक्टर संगठन, (ग) राज्य की सहायता से गैर-सरकारी दलों, (घ) पड़ती सहित अन्य साधनों, (ङ) बांध बनाकर विकसित की गयी भूमि, और (च) यांत्रिक खेती से विकसित की गयी भूमि द्वारा कृषि योग्य बनाये गये हैं, क बारे में १९५४-५५ के सम्बन्ध में उक्त आंकड़े क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) और (ख). मांगी गयी जानकारी के दो विवरण सभा-पटल पर रखे जते हैं । [ **देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २८** ]

## काम दिलाऊ दफ्तर

†**२५४६. श्री संगण्णा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को उस राज्य में पंचवर्षीय योजना में संभाव्य औद्योगिक साधनों को ध्यान में रखते हुये काम दिलाऊ दफ्तर निदेशालय का विस्तार करने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक और किस ढंग से ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में काम दिलाऊ सेवा का विस्तार करने का विचार है और उसके विस्तार की हद तथा उसके ढंग के बारे में राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है ।

## छूत से फैलने वाला चर्म रोग (यॉज)

†**२५४७. श्री संगण्णा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को छूत से फैलने वाले चर्म रोग (याँज) की अन्तर्राज्यीय नियंत्रण योजना के बारे में पता है जिसे उड़ीसा सरकार आंध्र और मध्य भारत सरकारों के सहयोग से चला रही है; और

†मूल अंग्रजी म

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र से कोई सहायता की मांग की गई है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां । १९५१ में भारत सरकार ने भारत के उन क्षेत्रों के लिये जहां याँज नामक रोग फैला था अर्थात् मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मद्रास और उड़ीसा, याँज-विरोधी आन्दोलन चलाने के लिये एक योजना स्वीकार की थी । कार्यक्रम में निश्चित किया गया था कि विश्व स्वास्थ्य संघ और यूनीसेफ की सहायता से चारों राज्यों में एक समन्वित आन्दोलन चलाया जाये । उडीसा में आन्दोलन का उद्घाटन जनवरी, १९५६ में किया गया था और वास्तव में कार्य मार्च १९५६ के दूसरे पखवाड़े में, जिला कोरापत के मलकनगिरि तालुक में जहां यह रोग विशेषतया आदिवासियों में फैला हुआ था, शुरू किया गया ।

(ख) जी, हां । उड़ीसा सरकार ने योजना के लिये सहायता अनुदान की प्रार्थना की थी और २४ नवम्बर, १९५५ को, ३०,००० रुपये की सहायता राशि स्वीकृत को गयी थी ।

**उत्तर रेलवे पर पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बे**

†२५४८. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की कौन सी रेलवे लाइनों पर पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों का चलना बन्द कर दिया गया है; और

(ख) उत्तर रेलवे पर तीसरे दर्जे के कितने डिब्बों में बिजली के पंखे लगाये गये हैं; और

(ग) क्या उन लाइनों पर, जिन पर पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों का चलना बन्द कर दिया गया है चलने वाले तीसरे दर्जे के डिब्बों में बिजली के पंखे लगाने का सरकार का कोई विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) हाल में एक भी नहीं । परन्तु, ऐसी कुछ ब्रांच लाइनें हैं, जिनको सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिखाया गया है, जिन पर पिछले कुछ दिनों से कुछ गाड़ियों में पहले अथवा दूसरे दर्जे के डिब्बे नहीं लगाये जाते हैं। **[ देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २९ ]**

(ख) ३१-३-५६ तक ४२८ ।

(ग) तीसरे दर्जे के डिब्बों में बिजली के पंखे केवल उन्हीं गाड़ियों में नहीं लगाये जाते जिनमें पहले अथवा दूसरे दर्जे के डब्बे नहीं होते । उनका प्रबन्ध एक कार्यक्रम के अनुसार सभी गाड़ियों में किया जाता है और उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उन गाड़ियों में पहले अथवा दूसरे दर्जे के डिब्बे लगाये गये हैं या नहीं, और विचार तो यह है कि अन्ततोगत्वा तीसरे दर्जे के सभी डिब्बों में बिजली के पंखे लगाये जायें ।

**रेल के फाटक**

†२५४९. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में १९५६-५७ में रेल के कितने नये फाटकों का निर्माण करने और कितनों को चौड़ा करने की प्रस्थापना की गयी है; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनमें इनका निर्माण और प्रबन्ध किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). इस प्रकार की सूचना साधारणतया केवल प्रत्येक रेलवे के सम्बन्ध में ही प्राप्त हो सकती है ।

परन्तु, ऐसा समझा जाता है कि १९५६-५७ में पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में रेल के दो फाटकों का—अर्थात् (१) भिवानी और मनेहरू स्टेशनों के बीच में ५१वें मील पर और (२) भट्टू तथा आदमपुर के बीच ११७/१३-१४ मील पर—निर्माण करने की प्रस्थापना की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५६-५७ में रेल के लगभग ५० पुराने फाटकों को चौड़ा करने की प्रस्थापना भी की गयी है। रेल के इन फाटकों के ब्योरे को अभी अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

**अरांव और कोसमा के बीच फ्लैग स्टेशन**

†२५५०. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अरांव और कोसमा के बीच एक फ्लैग स्टेशन की स्थापना करने के सम्बन्ध में, जिसका निर्णय काफ़ी पहले किया जा चुका है, कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : इस कार्य के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार की मंजूरी रेलवे को हाल ही में प्राप्त हुई है और रेलवे को भूमि पर कब्जा दिये जाते ही इस स्टेशन के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया जायेगा।

**रेलवे निरीक्षकालय**

†२५५१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे निरीक्षालय ने १९५५-५६ में क्या सिफारिशें की थीं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). निरीक्षकालय द्वारा समय-समय पर की जाने वाली तथा उनमें से स्वीकार की गयी सिफारिशों का उल्लेख रेलवे के मुख्य सरकारी निरीक्षक द्वारा रेलवे निरीक्षकालय के कार्य-सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाता है। इस प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय को भी दी जाती हैं। वर्ष १९५५-५६ का प्रतिवेदन इस समय तैयार किया जा रहा है और प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही उसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

**भारतीय डेरी (गव्य) गवेषणा संस्था**

†२५५२. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गव्य गवेषणा संस्था और करौल के पशु एवं गव्य फार्म में किये गये गवेषणा-कार्य के परिणाम गांव वालों को बताये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा और किस रूप में; और

(ग) पिछले चार वर्षों में इस कार्य के लिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) यह संस्था गवेषणा के परिणामों को विज्ञान सम्बन्धी तथा लोकप्रिय पत्रिकाओं में प्रकाशित कराती है। राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण परिणामों को छांट लेती हैं और विस्तार संगठनों द्वारा उनको अपने गांव वालों को उपलब्ध कर देती हैं ?

(ग) इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ विशेष व्यय नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको अपने साधारण कार्य के ही एक अंश के रूप में पूरा किया जाता है।

**नयी रेलवे लाइनें**

†२५५३. **डा० जे० एन० पारिख** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ के बाद से सौराष्ट्र में कितनी नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं अथवा रेलों का कितना विस्तार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : १९५२ से १९५६ (अप्रैल तक) की अवधि में पश्चिम रेलवे के गोंडल रीजन में, जिसमें सौराष्ट्र भी शामिल है, १२ नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं और १२ मौजूदा गाड़ियों की लाइनें बढ़ा दी गयी ह । सौराष्ट्र के लिये पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

**डुंगुआपोश स्थित लोकोशेड**

†२५५४. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के डुंगुआपोश लोकोशेड में अलग-अलग श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [ **देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३०** ]

**पटसन कृषि-गवेषणा संस्था**

†२५५५. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम राज्य में, पटसन के उत्पादन को विकसित करने के लिये एक पटसन कृषि-गवेषणा संस्था (अर्थात् एक प्रादेशिक केन्द्र) की स्थापना करने की प्रस्थापना की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : आसाम में एक पटसन गवेषणा एवं विकास उप-केन्द्र की स्थापना करने की प्रस्थापना की गयी है ।

**मलेरिया रोक-थाम योजना**

†२५५६. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मलेरिया रोक-थाम योजना के अन्तर्गत आसाम में कुछ कार्य किया गया है; और

(ख) १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में वहां इस योजना पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री वी० के० कृष्णमेनन)** : (क) जी हां, गौहाटी, कोकराझार, तेजपुर, सिलचर और जोरहाट क्षेत्रों में, जहां पांच मलेरिया रोक-थाम एकक कार्य कर रहे हैं, ६,०९,२२० मकानों में डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया है जिससे लगभग ३,०५० लाख जनता को सुरक्षा प्राप्त हुई है ।

(ख) १९५४-५५ ८,४७,२७७ रुपये

१९५५-५६ १५,९०,६७८ रुपये

**होम्योपैथी**

†२५५७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५५-५६ में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत होम्योपैथी पर कन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया ?

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री वी० के० कृष्णमेनन)** : होम्योपैथी के विकास के लिये १९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ भी व्यय नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## बिरूर तलगुप्पा मेल गाड़ी

†२५५८. **श्री बोडियार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिरूर और तलगुप्पा मेल और पैसेन्जर (यात्री) गाड़ियां १ जनवरी से लेकर १ अप्रैल, १९५६ तक कितने दिन ठीक समय पर सगड़ा स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर पहुंची हैं;

(ख) यह औसतन कितने मिनट देर से पहुंचती रहीं; और

(ग) क्या सरकार को जनता से इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) १-१-५६ से १-४-५६ तक की अवधि के ९१ दिनों में से नम्बर १११८ बिरूर-तलगुप्पा पैसेन्जर (यात्री) गाड़ी १७ दिन और नम्बर ११२० बिरूर-तलगुप्पा पैसेन्जर गाड़ी २० दिन बिल्कुल ठीक समय पर सगड़ा स्टेशन पर पहुंची ।

(ख) सगड़ा स्टेशन पर गाड़ी नम्बर १११८ औसतन ३० मिनट और नम्बर ११२० औसतन ४० मिनट देर से पहुंचती रहीं ।

(ग) इन गाड़ियों के समय से न पहुंचने के बारे में जनता से कोई विशिष्ट शिकायतें तो नहीं प्राप्त हुईं ; परन्तु फिर भी इन गाड़ियों के ठीक समय से चलने के सम्बन्ध में सुधार करने के लिये कार्य-वाही की जा रही है ।

## समुद्र-पार के देशों को विमानों की उड़ान

†२५५९. **श्री आर० पी० गर्ग :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार महीनों में समुद्र पार के देशों को की गयी कुछ उड़ानों में कुछ भारतीय असैनिक सेवा ( आई० सी० एस० ) के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी निःशुल्क बाहर चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके साथ उनके परिवार वाले भी गये हैं ; और

(ग) किस नीति के अन्तर्गत सरकारी पदाधिकारियों अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों को निःशुल्क उड़ान की यह सुविधा प्रदान की जाती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) एयर इंडिया इंटरनेशनल के महा प्रबन्धक (जनरल मैनेजर) के अतिरिक्त भारतीय असैनिक सेवा के दो पदाधिकारी अपने परिवार के साथ गये हैं ।

(ग) एयर इंडिया इंटरनेशनल अन्तर्राष्ट्रीय वायु-परिवहन संघ का सदस्य है । अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के सदस्यों में यह प्रथा है कि वे जब भी नयी सर्विसें , नये पड़ाव अथवा नये उपकरण लागू करते हैं तब उद्घाटन उड़ान करते हैं । ऐसे अवसरों पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ विमान कम्पनी को यह अनुमति देता है कि वह जिस निमंत्रित व्यक्ति को चाहे, निःशुल्क ले जा सकती है । विमान कम्पनी साधारणतया ऐसे संगठनों के प्रतिनिधियों—प्रचार संगठनों के प्रतिनिधियों, यात्रा-अभिकर्त्ताओं के प्रतिनिधियों, महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों आदि—को निमंत्रित करती है जो उनके व्यापारिक कार्यों में उनके सम्पर्क में आते हैं और जिनसे उसके प्रचार और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है ।

दमिश्क और प्राग को एयर इंडिया इन्टरनेशनल की उद्घाटन-उड़ान और भारत-सिंगापुर मार्ग पर उनके सुपर-कांस्टेलेशन के उद्घाटन के अवसर पर निमंत्रित व्यक्तियों में, जिन्हें एयर इंडिया इंटरनेशनल अपने अतिथियों के रूप में ले गया था, कुछ सरकारी पदाधिकारी भी थे, जिनमें भारतीय असैनिक सेवा के भी ४ पदाधिकारी थे । इनमें से भारतीय असैनिक सेवा के तीन पदाधिकारी सरकारी काम से गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोनी**

**२५६०. श्री जांगड़े :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोनी (मध्य प्रदेश) की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इस समिति द्वारा १९५४, १९५५ और १९५६ में क्या काम किया गया;

(ग) १९५१ से १९५६ तक इस केन्द्र में तैयार किये गये सामान की कितनी बिक्री हुई;

(घ) इस केन्द्र से सफल हुए कितने उम्मीदवारों को सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी नौकरियों में अब तक लगाया गया है, और उनमें से कितने लोग आत्म निर्भर हुए; और

(ङ) इन उम्मीदवारों को निजी धन्धे चालू करने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है, जो प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**हरिजनों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र**

**२५६१. श्री जांगड़े :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के हरिजन सहायकों और क्लर्कों को प्रशिक्षण देने वाले पृथक् केन्द्र को कब तक चालू रखा जायेगा;

(ख) प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा कब तक ली जायेगी; और

(ग) क्या इस प्रशिक्षण को प्रति वर्ष चालू रखा जायेगा और प्रशिक्षण प्रति वर्ष कितनी अवधि के लिये दिया जायेगा ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) जनवरी १९५६ में आदि-वासियों/अनुसूचित जातियों के क्लर्कों के लिये ट्रेनिंग क्लास शुरू की गयी थी जिसे १-३-५६ से दूसरे क्लर्कों की ट्रेनिंग क्लास में मिला दिया गया । यह मिली-जुली क्लास ३१-८-५६ तक चलेगी ।

(ख) कोर्स पूरा होने पर कोई परीक्षा लेने का विचार नहीं है । लेकिन ट्रेनिंग पाने वालों को हफ्ते में एक टेस्ट देना पड़ता है ताकि उनकी प्रगति का पता लगता रहे ;

(ग) कर्मचारियों को दफ्तर की कार्य-विधि की समुचित जानकारी कराने के लिये यह ट्रेनिंग प्रयोग के रूप में शुरू की गयी है । इसे आगे जारी रखने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है ।

**राष्ट्रीय राजपथ**

**२५६२. श्री जांगड़े :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश सरकार ने अम्बिकापुर (सरगुजा ज़िला) और जगदलपुर (बस्तर ज़िला) के बीच आदिम जाति क्षेत्रों में होकर सैकड़ों मीलों तक जाने वाले सीधे सम्बन्ध को स्थापित करने के लिये एक राष्ट्रीय राजपथ बनाने के बारे में कोई सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ऐसा राष्ट्रीय राजपथ बनाना चाहती है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मल अंग्रेजी में

**अहमदाबाद से हावड़ा के लिये डाकगाड़ी**

**२५६३. श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल, बीना, कटनी और बिलासपुर के मार्ग से अहमदाबाद से हावड़ा तक कोई डाक गाड़ी चलाये जाने का विचार है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां । लेकिन इस तरह की कोई गाड़ी चलाने के लिये इस समय यातायात काफी नहीं है ।

# दैनिक संक्षेपिका

[ सोमवार, २८ मई, १९५६ ]


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... ... ... ... | | २८०५–३२ |

**तारांकित**
**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| २५७२-क | राजकोट-जामनगर डाउन मेल का पटरी पर से उतर जाना | २८०५–०६ |
| २५७३ | रेडियो लाइसेंस फीस ... | २८०६–०७ |
| २५७४ | ग्रामीण उधार ... ... | २८०७–०८ |
| २५७५ | काम दिलाऊ दफ्तर ... | २८०८–०९ |
| २५७६ | अमरीकी मक्खन ... | २८०९–११ |
| २५७७ | सरकारी भवनों का निर्माण | २८११–१३ |
| २५७८ | एटा के लिये रेलवे लाइन ... | २८१३ |
| २५७९ | रामगुन्डम-निज़ामाबाद रेलवे लाइन | २८१३–१४ |
| २५८० | मनीपुर में खाद्यान्नों की कमी ... | २८१४–१६ |
| २५८२ | रेलवे पर भोजन व्यवस्था ... | २८१६ |
| २५८३ | मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति | २८१६–१७ |
| २५८४ | स्टेशन-मास्टरों के काम के घंटे ... | २८१७–१८ |
| २५८५ | कृषि अर्थशास्त्र ... | २८१९ |
| २५८६ | आयुर्वेदिक कालिज, त्रिवेन्द्रम ... | २८१९–२० |
| २५८९ | दिल्ली मेन स्टेशन | २८२०–२१ |
| २६०८ | बुकिंग क्लर्क ... | २८२१–२२ |
| २५९० | दिल्ली दूध संभरण योजना | २८२२–२३ |
| २५९१ | सलेम-बंगलौर रेलवे लाइन ... | २८२३–२४ |
| २५९२ | मछली पकड़ना ... ... ... | २८२४–२६ |
| २५९३ | देशी बेड़े की हानि ... ... | २८२६–२७ |

**अल्प सूचना**
**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| २० | बर्मा के साथ चावल करार ... | २८२७–२८ |
| २१ | गोवध-निषेध | २८२८–३१ |
| २२ | कोयले की कमी ... | २८३१–३२ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | प्रश्नों के लिखित उत्तर ... ... ... ... | २८३३–६९ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| २५८१ | जेट विमान ... ... ... | २८३३ |
| २५८७ | त्रावनकोर-कोचीन राज्य में रेलवे लाइनें ... | २८३३ |
| २५८८ | दिल्ली और श्रीगंगानगर के बीच रेलवे लाइन | २८३३ |
| २५९४ | मनीपुर को कृषि सम्बन्धी ऋण ... | २८३३–३४ |
| २५९५ | ब्रिटेन के साथ हवाई समझौता ... | २८३४ |
| २५९५-क | भूमिका बाह्य मंडल | २८३४ |
| २५९६ | दिल्ली सुधार प्रन्यास ... | २८३४–३५ |
| २५९७ | राजकुमारी खेलकूद प्रशिक्षण योजना | २८३५ |
| २५९८ | रेलों में एलार्म चेन का दुरुपयोग | २८३५ |
| २५९९ | राष्ट्रीय राजमार्ग ... | २८३५ |
| २६०० | बेनेदीह की कोयला-खान में दुर्घटना | २८३५ |
| २६०१ | कृषक गोष्ठी ... ... | २८३६ |
| २६०२ | खंडवा हिंगोली रेलवे लाइन ... | २८३६ |
| २६०३ | भैंस प्रजनन केन्द्र ... ... | २८३६ |
| २६०४ | जनता एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयत्न | २८३६–३७ |
| २६०५ | रेल की पटरी का टूटना | २८३७ |
| २६०६ | रेलवे कारखाने ... ... | २८३७ |
| २६०७ | उज्जैन-इन्दौर रेल सम्पर्क ... | २८३७–३८ |
| २६०९ | अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौता ... ... ... | २८३८ |
| २६१० | भारत तथा ब्रिटेन के बीच भारवाही जहाजों का यातायात | २८३८ |
| २६११ | ट्रैक्टरों के द्वारा खेती करना ... ... | २८३८ |
| २६१३ | दिल्ली सुधार प्रन्यास ... | २८३९ |
| २६१४ | भारतीय चिकित्सा संघ ... | २८३९ |
| २६१५ | कासू बेगू में खाद्यान्न का डिपो ... ... | २८३९–४० |
| २६१६ | टेलीफोन उद्योग ... ... ... | २८४० |
| २६१७ | केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, कौनी बिलासपुर ... | २८४० |
| २६१७-क | गर्मी की लहर ... ... | २८४० |
| २६१८ | रेलवे लोको रनिंग कर्मचारी वर्ग ... | २८४१ |
| २६१९ | यात्रियों को सुविधायें ... | २८४१ |
| २६२० | विलिंगडन अस्पताल ... ... | २८४१ |
| २७१० | स्वैंग रेलवे कोयला-खान ... ... | २८४१ |
| २७११ | आसाम में गोदाम सम्बन्धी सुविधायें ... | २८४२ |
| २७१२ | रेलवे सेवा आयोग ... ... ... | २८४२ |
| २७१३ | उड़ीसा में तार सम्बन्धी सुविधायें ... ... ... | २८४२ |
| २७१४ | सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के बारे में आस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन | २८४२–४३ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

**तारांकित**
**प्रश्न संख्या**

२७१५ काम दिलाऊ दफ्तर २८४३
२७१६ रेलवे को हानि २८४३
२७१७ दिल्ली सुधार प्रन्यास २८४३–४४
२७१८ रेल दुर्घटना २८४४
२७१९ पर्यटन ... ... २८४४
२७२० ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस ... २८४४
२७२१ खाद्यान्न २८४४–४५
२७२२ यात्री सुविधायें २८४५
२७२३ गेहूं का आयात २८४५
२७२४ होमियोपैथी ... ... २८४५–४६
२७२५ गाड़ियों में भीड़-भाड़ २८४६
२७२६ सहकारी कृषि ... २८४६
२७२७ रेलवे में भोजन व्यवस्था २८४६
२७२८ केन्द्रीय पैट्रोल उपकर निधि ... २८४६–४७
२७२९ रेलवे कर्मचारी ... ... २८४७
२७३० ओवरसियरों का प्रशिक्षण २८४७
२७३१ परिवहन पर अध्ययन गोष्ठी ... २८४७
२७३२ रेल दुर्घटना ... २८४८
२७३४ दिल्ली-पेरिस बस सेवा ... ... २८४८
२७३५ मध्य रेलवे में गाड़ियों का देर से आना-जाना २८४८
२७३६ भिलाई स्टेशन ... ... ... २८४८–४९
२७३७ सहायक शिकायत पदाधिकारी २८४९
२७३८ विशेष डाकघर ... ... २८४९
२७३९ मद्रास-रंगून यात्री वाष्प-नौका सेवा २८४९–५०

**अतारांकित**
**प्रश्न संख्या**

२४१५ रामगंगा पर सड़क का पुल २८५०
२४१६ ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में भोजन व्यवस्था २८५०
२४१७ जबलपुर-इटारसी रेलवे लाइन २८५१
२४१८ कपास ... ... २८५१
२४१९ दिल्ली सुधार प्रन्यास ... ... ... २८५१
२४२० डाक और तार विभाग की द्वितीय पंचवर्षीय योजना ... २८५२
२४२१ पेराम्बूर का सम्पूर्ण डिब्बे बनाने का कारखाना ... २८५२–५३
२४२२ चाय बागान के श्रमिक ... ... २८५३
२४२२-क प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थायें ... २८५३–५४

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः) | |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| २४२३ | उड़ीसा की खाद्य-स्थिति ... ... | २८५४ |
| २४२४ | ग्वालियर में पोस्ट-मास्टर जनरल का कार्यालय | २८५४ |
| २४२५ | रेलवे स्टेशनों पर शिकायतें ... ... | २८५४–५५ |
| २४२६ | माल गाड़ी पर आग दुर्घटना ... ... | २८५५ |
| २४२७ | रेल-दुर्घटना ... ... ... | २८५५ |
| २४२८ | केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली | २८५५–५६ |
| २४२९ | अस्पताल | २८५६ |
| २४३० | फसल प्रतियोगिता ... | २८५६ |
| २४३१ | राष्ट्रीय राजपथ ... ... | २८५६ |
| २४३२ | बसों के अड्डे ... | २८५७ |
| २४३३ | करनाल के फार्म में नलकूप ... ... | २८५७ |
| २५३२ | प्रशिक्षण केन्द्र ... ... | २८५७–५८ |
| २५३३ | बैरकपुर प्रधान डाकघर | २८५८ |
| २५३४ | बैरकपुर डिवीज़न डाकघर | २८५८ |
| २५३५ | सल्फेट आफ एमोनिया | २८५९ |
| २५३६ | आंध्र में डाकघर ... | २८५९ |
| २५३७ | कड़पा में डाकघर ... | २८५९–६० |
| २५३८ | नारियल और सुपारी ... | २८६० |
| २५३९ | पल्लेदार ... ... | २८६० |
| २५४० | आसाम में माल का यातायात ... | २८६०–६१ |
| २५४१ | रेलवे कर्मचारी ... ... | २८६१ |
| २५४२ | बिलासपुर रेलवे अस्पताल ... | २८६१–६२ |
| २५४३ | अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन ... | २८६२ |
| २५४४ | रेल दुर्घटनायें ... ... ... | २८६३ |
| २५४५ | प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई ... | २८६३ |
| २५४६ | काम दिलाऊ दफ्तर ... ... | २८६३ |
| २५४७ | छूत से फैलने वाला चर्म रोग (यॉज़) ... | २८६३–६४ |
| २५४८ | उत्तर रेलवे पर पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बे | २८६४ |
| २५४९ | रेल के फाटक ... ... | २८६४–६५ |
| २५५० | अरांव और कोसमा के बीच फ्लैग स्टेशन ... | २८६५ |
| २५५१ | रेलवे निरीक्षकालय ... | २८६५ |
| २५५२ | भारतीय डेरी (गव्य) गवेषणा संस्था | २८६५ |
| २५५३ | नयी रेलवे लाइनें | २८६५–६६ |
| २५५४ | डुंगुआपोश स्थित लोकोशेड ... | २८६६ |
| २५५५ | पटसन कृषि-गवेषणा संस्था ... | २८६६ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमश:) | | |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| २५५६ | मलेरिया रोक-थाम योजना ... | २८६६ |
| २५५७ | होम्योपैथी ... ... | २८६६ |
| २५५८ | बिरूर-तलगुप्पा मेलगाड़ी ... ... | २८६७ |
| २५५९ | समुद्रपार के देशों को विमानों की उड़ान ... | २८६७ |
| २५६० | औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोनी | २८६८ |
| २५६१ | हरिजनों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र | २८६८ |
| २५६२ | राष्ट्रीय राजपथ ... | २८६८ |
| २५६३ | अहमदाबाद से हावड़ा के लिये डाकगाड़ी ... | २८६९ |


M70LSD—190—5-9-57—GIPF

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग--२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ५, १९५६

(९ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

( खण्ड ५ में अंक ६१ से ६७ तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

# विषय-सूची

[ वाद-विवाद; भाग २—खण्ड ५; ९ मई से ३० मई, १९५६ ]


| | पृष्ठ |
|---|---|
| **अंक ६१—बुधवार, ९ मई, १९५६** | |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | ३२७९ |
| कार्य मंत्रणा समिति— | |
| पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन ... ... | ३२८० |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति | |
| बावनवां प्रतिवेदन | ३२८० |
| अनुपस्थिति की अनुमति ... | ३२८०–८१ |
| तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि | ३२८१ |
| कार्य मंत्रणा समिति— | |
| चौतीसवां प्रतिवेदन | ३२८१–८२ |
| सभा का कार्य ... ... | ३२८२–८४ |
| भारतीय टंक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई | |
| प्रारूप अधिसूचनाओं के बारे में प्रस्ताव | ३२८४–९० |
| संविधान (दसवां संशोधन)— | |
| संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... ... | ३२८४–९० |
| कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव | ३३१७–२५ |
| दैनिक संक्षेपिका ... | ३३२६ |
| **अंक ६२—गुरुवार, १० मई, १९५६** | |
| सभा-पटल पर रखा गया पत्र | ३३२७ |
| सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध ... | ३३२७–२८ |
| भारतीय रड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ... | ३३२८–२९ |
| कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव | ३३२९–८५ |
| दैनिक संक्षेपिका ... | ३३८६ |
| **अंक ६३—शुक्रवार, ११ मई, १९५६** | |
| राज्य-सभा से सन्देश ... ... ... ... | ३३८७ |
| मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक | ३३८७ |
| समितियों के लिये निर्वाचन— | |
| प्राक्कलन समिति | ३३८८ |
| लोक लेखा समिति ... ... ... ... | ३३८८ |
| राज्य-सभा के सदस्यों का लोक लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के | |
| बारे में प्रस्ताव | ३३८८ |
| कार्य मंत्रणा समिति— | |
| पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन ... | ३३८९–९१ |

पृष्ठ

सभा का कार्य ... ... ... ३३९१–९२

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९२–३४२७

खण्ड २ से ५५ और १ तथा अनुसूची ३३९९–३४२५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ३४२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

बावनवां प्रतिवेदन ... ... ३४२७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प ३४२७–५०

दैनिक संक्षेपिका ३४५१

**अंक ६४––सोमवार १४ मई, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४५३–५४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३४५४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन ३४५४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... ३४४४–५६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ३४५६

जीवन बीमा निगम विधेयक ३४५६

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक––

सामान्य चर्चा ३४५७–३५००

अनुदानों की मांगें ... ३५००–३२

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ३५४७–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३५४९

**अंक ६५––मंगलवार, १५ मई, १९५६**

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वक्तव्य ३५५१–५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५५४

राज्य-सभा से सन्देश ... ... ३५५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३५५४–३६०२

दैनिक संक्षेपिका ... ३६०३

**अंक ६६––बुधवार, १६ मई, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... ३६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

त्रेपनवां प्रतिवेदन ३६०५

सभा का कार्य––

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा ३६०६–१०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ३६१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा

प्रतिवेदित रूप में ३६११–६१

पृष्ठ

खण्डों पर विचार--

खण्ड ४, ५ और ७ ... ३६१४–२९

खण्ड २, ३, ६ और ८ से ४० ३६२९–५४

खण्ड ४१, ४२ और ४७ ३६५४–६१

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

दैनिक संक्षेपिका ३६६३

**अंक ६७--गुरुवार, १७ मई, १९५६**

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ... ... ... ३६६५–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३६६६–३७१६

खण्ड ४१ से ८३ तक ... ३६६६–३७१५

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में ३७१६

दैनिक संक्षेपिका ... ३७१७

**अंक ६८--शुक्रवार, १८ मई, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७१९

राज्य-सभा से संदेश ... ३७१९–२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ... ३७२०

प्राक्कलन समिति--

सत्ताईसवां प्रतिवेदन ... ... ३७२०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर) विधेयक ... ... ३७२०

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ३७२१–२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ३७२२–३५

पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में ३७२२

जीवन बीमा निगम विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ... ३७३५–५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--तिरपनवां प्रतिवेदन ३७५४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) ... ३७५४

खान संशोधन, विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) ३७५४–६२

विचार करने का प्रस्ताव ३७५४

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहणन विधेयक ३७६३–६४, ३७६५–७३

विचार करने का प्रस्ताव ३७६३

सभा का कार्य ३७६४–६५

नियम समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३७६५

दैनिक संक्षेपिका ३७७४–७५

**अंक ६९--सोमवार, २१ मई, १९५६** **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव ३७७७–७८
सभा का कार्य ... ३७७८–७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७९–८०
राज्य-सभा से सन्देश ३७८०–८६
प्राक्कलन समिति--
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ... ३७८६
जीवन बीमा निगम विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७८६–३८३५
खण्डों पर विचार--
खण्ड २ ३८३१--३५
दैनिक संक्षेपिका ३८३६

**अंक ७०--मंगलवार, २२ मई, १९५६**

स्थगन-प्रस्ताव--
भुखमरी के कारण कुछ नागाओं की कथित मृत्यु ३८३७–३९
सदस्यों की रिहाई ... ... ... ३८३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
अल्जीरिया के सम्बन्ध में सरकार की नीति ... ३८३९–४२
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--
खण्ड ४, १९ और २२ ३८४३–५८
खण्ड ११ और १२ ३८५८–६८
खण्ड १४ ३८६८–७०
खण्ड २५ और २९क ... ३८७०–८५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८८५
दैनिक संक्षेपिका ३८८६

**अंक ७१--बुधवार, २३ मई, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
खडगपुर और काजीपेट जंकशनों पर रेलवे श्रमिकों की हड़ताल ... ३८८७–९३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३–९४
राज्य-सभा से सन्देश ... ... ... ३८९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौवनवां प्रतिवेदन ... ... ... ३८९४
भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ३८९४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ... ... ३८९४
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में वक्तव्य ३८९४–९८
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३८९८–३९४१
खण्ड ४३ ३८९८–३९०५

पृष्ठ

खण्ड १६, ३५, ३६ और अनुसूचियां ... ... ... ३९०६–३०

खण्ड ५ से १०, १३, १५, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४९ और १ ... ३९३०–४१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३९४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ३९४१–६०

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३९६०

दैनिक संक्षेपिका ३९६१–६२

**अंक ७२––शुक्रवार, २५ मई, १९५६**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

काजू के कारखानों में तालाबन्दी ३९६३–६४

द्वितीय पंचवषीय योजना के बारे में संकल्प ३९६४–७०, ३९७१–९४

सभा का कार्य ... ... ३९७०–७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौवनवां प्रतिवेदन ... ३९९४

व्यक्ति की आय पर उच्चतम सीमा सम्बन्धी संकल्प ३९९४–४००७

आयकर विभाग के कार्य की जांच के बारे में संकल्प ४००८–१३

गन्ने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ४०१३–२०

दैनिक संक्षेपिका ४०२१

**अंक ७३––शनिवार, २६ मई १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०२३, ४०२५–२६

प्राक्कलन समिति––

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन ... ४०२३

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ४०२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना––

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि ... ४०२४

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगातार गोलीबारी ... ४०२४–२५

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ... ... ... ४०२६–२७

मालिक-मजदूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय ४०२७–२८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ४०२८–७२

राज्य-सभा से संदेश ... ४०७२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ४०७४

दैनिक संक्षेपिका ४०७५–७६

पृष्ठ

**अंक ७४—सोमवार, २८ मई, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०७७–७९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४०७९
प्राक्कलन समिति—
इक्तीसवां प्रतिवेदन ... ४०७९
सभा का कार्य ... ... ... ४०८०–८१
त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)
विधेयक ... ... ४०७९, ४०८१–४१०१
विचार करने का प्रस्ताव ४०७९
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४०९३–४१०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४१०१
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ४१०२–०७
विचार करने का प्रस्ताव ४१०२
खण्ड १ और २ ... ४१०७
पारित करने का प्रस्ताव ... ४१०७
खड्गपुर में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा ४१०८–३३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में आध घंटे की चर्चा ... ४१३४–३९
दैनिक संक्षेपिका ... ४१४०–४१

**अंक ७५—मंगलवार, २९ मई, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१४३–४४
प्राक्कलन समिति—
बत्तीसवां प्रतिवेदन ... ४१४४
लोक लेखा समिति—
सोलहवां प्रतिवेदन ... ... ४१४४
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
पन्द्रहवां प्रतिवेदन ... ... ४१४४
काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य ४१४४–४५
सदस्यों का बन्दीकरण और रिहाई ४१४५
सभा का कार्य ४१४५–४६
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४१४६–८६
खण्ड २ से ४ और १ ... ... ४१८०–८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१८६
निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४१८७–९३
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आधे घंटे
की चर्चा ... ४१९३–९८
राज्य-सभा से संदेश ४१९८
दैनिक संक्षेपिका ४१९९–४२००

पृष्ठ

**अंक ७६—बुधवार, ३० मई, १९५६**


अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा स्थगन प्रस्ताव—

कालका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव ४२०१–०८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२०८–०९

प्राक्कलन समिति—

तैंतीसवां प्रतिवेदन ४२०९

याचिका समिति—

नवां प्रतिवेदन ४२१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ४२१०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ... ... ४२१०

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक ... ४२१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति ४२११–१६

सभा का कार्य ... ... ४२१६–१७

निवारक निरोध अधिनियम का कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४२१७–४५

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत की ओर सामुहिक निष्क्रमण के बारे में चर्चा ४२४५–६३

राज्य-सभा से संदेश ... ... ... ... ४२६३

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती के बारे में नियमों पर चर्चा ... ... ४२६३–७३

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४२७३–७६

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक ४२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ४२७७–७९

बारहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश ४२८०–८१




M148LSD—190—8-4-58—GIPF.

# लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)


# लोक-सभा

सोमवार, २८ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

**११.५० म० पू०**

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

### कतिपय फ्रांसीसी बस्तियों के अभ्यर्पण सम्बन्धी संधि

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह दस बजे भारत सरकार और फ्रांस सरकार के प्रतिनिधियों ने कुछ फ्रांसीसी बस्तियों के अभ्यर्पण सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर किये। मैं इस संधि की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—२००/५६ और एस—२०१/५६]**

सभा को स्मरण होगा कि लगभग १९ माह पूर्व, २१ अक्टूबर, १९५४ को पांडिचेरी तथा अन्य फ्रांसीसी बस्तियों का यथार्थ में हस्तान्तरण हुआ था और उन्हें भारत सरकार के नियन्त्रण में रख दिया गया था। उसके पश्चात् विधि अनुसार हस्तान्तरण को सम्पन्न करने के लिये अभ्यर्पण सम्बन्धी एक संधि के बारे में वार्तायें होती रही हैं। यद्यपि इसमें समय अवश्य लगा है, तथापि मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि इस पूरी अवधि में हमारी यानी भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच हुई वार्तायें मैत्रीपूर्ण और सहकारी रही हैं और मुझे इस बात पर अत्यन्त प्रसन्नता है कि आज संधि पर हस्ताक्षर होने पर उनकी सफल परिणति हुई है। मैं यह माने लेता हूं कि दोनों देशों के संविधान के अनुसार जो अनुसमर्थन आवश्यक है वह भी शीघ्र ही किया जायेगा। जहां तक हमारा सम्बन्ध है इसमें बहुत देर नहीं लगेगी। जहां तक फ्रांस की सरकार का सम्बन्ध है, उसे भी अपनी संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा और इसमें अधिक समय लगने की प्रत्याशा नहीं है। यद्यपि किसी अर्थ में यह कार्य केवल कुछ विधि अनुसार का सा है और लगभग १९ माह पूर्व जो कुछ यथार्थ में हुआ उसी की इससे पुष्टि हुई है, किन्तु तो भी इसका कुछ महत्व है और मुझे विश्वास है कि इस सभा

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह प्रकरण अब सफलता पूर्वक समाप्त हो गया है और इसके परिणामस्वरूप इन बस्तियों को औपचारिक तौर पर तथा यथार्थ रूप से भारत में विलीन कर दिया गया है। जैसा कि सभा को ज्ञात है, हमने पिछले आठ या नौ वर्षों में इस देश में स्थित कुछ विदेशी बस्तियों के बारे में कार्यवाही करने में अत्यन्त धैर्य से काम लिया है। उसी धैर्य का फल फ्रांसीसी बस्तियों का भारत में विलय है।

पुर्तगाली बस्तियों के बारे में हमें अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। किन्तु भारत की राजनैतिक एकता को पूर्ण करने की प्रक्रिया जारी है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह समय आयेगा जबकि इस सभा को मुझे यह बताने का अवसर मिलेगा कि पुर्तगाली बस्तियों को भी भारत को हस्तांतरित कर दिया गया है। मैं इस मामले में फ्रांस की सरकार की सराहना करता हूं। अतीत में फ्रांस की सरकार को बड़े-बड़े प्रश्नों का सामना करना पड़ा था और स्वाभाविकत: इनके फलस्वरूप इस मामले पर विचार किये जाने में विलम्ब हुआ। किन्तु उसने इस बात के लिये समय निकाल कर अन्ततोगत्वा इस प्रश्न को हल कर दिया है।

इन पत्रों को मैं लोक-सभा पटल पर रख रहा हूं। इस संधि की दो प्रतियां अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों ही भाषा में हैं। सामान्यत: हम हिन्दी में भी संधियों को सूचित करने का प्रयास करते हैं, किन्तु इस अवसर पर यह कुछ कठिन हो गया है। इससे मामले में विलम्ब होता क्योंकि प्रत्येक शब्द, अल्प-विराम और पूर्ण-विराम के बारे में दिल्ली और पेरिस के बीच लगातार निर्देश होता रहता और हम इस मामले में और देर नहीं करना चाहते थे। इसलिये मूल संधि की अंग्रेजी और फ्रेंच प्रतियों पर आज सुबह हस्ताक्षर किये गये।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस संधि के हो जाने से क्या पांडिचेरी के लोग अगले आम चुनावों में भारत के नागरिकों की हैसियत से भाग ले सकेंगे ? दूसरे, राज्य पुनर्गठन योजना में पांडिचेरी की स्थिति क्या होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रथम तो इनके लागू होने से पहले इनका अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। संभव है कि अनुसमर्थन एक महीने में या कुछ हफ्तों में हो जाये। उसके बाद स्वयं संधि के अनुसार और स्वयं हमारी सहमति से पांडिचेरी और अन्य बस्तियों का पृथक् अस्तित्व बना रहेगा। हम उनकी स्थिति में, उनकी, याने जनता की, सम्मति के अभाव में, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिये इस अवस्था में कोई परिवर्तन करने की प्रस्थापना नहीं है। उनका पृथक् अस्तित्व रहेगा और उन्हें किसी अन्य राज्य में विलीन नहीं किया जायेगा। मैं अधिकांश हिस्सों अथवा प्रदेशों के बारे में कह रहा हूं। अन्य प्रदेशों के बारे में क्या किया जायेगा यह तो मैं नहीं बता सकता। हो सकता है कि कोई भाग इतना छोटा हो कि उसे बनाये रखना कठिन हो। वहां किस प्रकार की सरकार स्थापित की जायेगी इस मामल पर अलग से विचार किया जायेगा।

†**श्री गाडगील** (पूना—मध्य) : स्थानीय प्रशासन के अतिरिक्त उन क्षेत्रों के लोक-सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये ऐसे मामले हैं जिन पर निश्चय ही विचार किया जाना चाहिये। जनसंख्या की दृष्टि से, ये क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे हैं, किन्तु निश्चय ही वे कुछ महत्व रखते हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह विचार करने योग्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

### गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों के विवरण

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं बारहवें सत्र के दौरान में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों (सैंतालीसवीं से उनसठवीं तक) के विवरण लोक-सभा पटल पर रखता हूं ।

### भारत का रक्षित बैंक (नोटों की वापसी) नियमों का संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : मैं श्री एस० सी० गुह की ओर से रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया (भारत का रक्षित बैंक) अधिनियम, १९३४ की धारा २८ के परन्तुक के अन्तर्गत दिनांक २८ अप्रैल, १९५६ को प्रकाशित रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की अधिसूचना संख्या ७ की एक प्रति को, जो रिज़र्व बैंक आफ इंडिया (नोटों की वापसी) नियम, १९३५ में संशोधन करती है, और एक ऐसे विवरण को, जिसमें रिज़र्व बैंक आफ इंडिया (नोटों की वापसी), नियम, १९३५ के वे सम्बन्धित नियम दिये गये हैं जिनमें उक्त सूचना द्वारा संशोधन किया गया है, लोक-सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—२०३/५६]**

---

## विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि इन विधेयकों को, जिन्हें संसद् की सभाओं द्वारा इसी सत्र में पारित किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दे दी गई है :

(१) सेन्ट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन (भारत) निधियों का स्थानान्तरण विधेयक, १९५५ ।

(२) भारतीय रेड-क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(३) त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक, १९५६ ।

---

## प्राक्कलन समिति

### इक्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बी० जी० मेहता** (गोहिलवाड) : श्रीमान्, मैं रेलवे मंत्रालय के सम्बन्ध में एस्टीमेट्स (प्राक्कलन) समिति की इकतीसवीं रिपोर्ट (प्रतिवेदन) पेश करता हूं ।

---

## त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति को त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रजी में ।

## सभा का कार्य

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़––पश्चिम व जिला रायबरेली––पूर्व) : खड़गपुर में परसों हुई घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिये मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है। मैंने उसके लिये आज डेढ़ घंटे का समय मांगा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस मामले का निर्देश रेलवे मंत्री से करना होगा और उनकी सुविधा ज्ञात करनी होगी।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खड़गपुर की स्थिति काफी गंभीर है और उस प्रश्न पर इस सभा में चर्चा किये जाने का मैं स्वागत करूंगा। यदि आज कोई चर्चा हो सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री गाडगील** (पूना—मध्य) : श्रीमान्, इस मामले के दो पहलू हैं। एक तो आज जो स्थिति है और दूसरे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आधे घंटे का समय और आवंटित करें।

† **श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व हमें तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये। क्या माननीय मंत्री के लिये इस मामले के सम्बन्धित तथा वास्तविक तथ्यों का विवरण हमें देना संभव होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री कोई वक्तव्य देने का इरादा रखते हैं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : श्रीमान्, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो चर्चा प्रारम्भ होने से पहले मैं तथ्य बता सकता हूं। मैं केवल तथ्य बता दूंगा या यदि आप चाहें तो एक वक्तव्य को पढ़ कर सुना दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हमें त्रावनकोर-कोचीन सम्बन्धी विधेयक को लेना चाहिये। उसके लिय दो घंटे का समय आवंटित किया गया है। इसके अतरिक्त आय-कर (संशोधन) विधेयक है, जिसके लिये एक घंटे का समय आवंटित किया गया है। इसके बाद हमें निवारक-निरोध अधिनियम के कार्यकरण के सम्बन्ध में चर्चा करनी है। क्या सभा चाहती है कि निवारक-निरोध अधिनियम पर चर्चा करने से पूर्व इस पर चर्चा की जाये।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : हम चर्चा ढाई बजे प्रारम्भ करेंगे। क्या माननीय सदस्य अब इसके लिये दो घंटे का समय चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : त्रावनकोर-कोचीन विधेयक पर हम १२ बजे चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं और वह दो बजे तक चलेगी। उसके बाद आय-कर (संशोधन) विधेयक में एक घंटा लग जायेगा।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : तो तीन बजे तक इन दो विधेयकों पर विचार होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : तीन बजे हम निवारक-निरोध अधिनियम को लें या इस पर चर्चा करें ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मेरा ख्याल है कि यह चर्चा ३ बजे प्रारम्भ की जाये और दो घंटे बाद हम निवारक-निरोध अधिनियम को ले सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। श्री फीरोज़ गांधी द्वारा नियम २१२ के अन्तर्गत उठाई गई चर्चा तीन बजे प्रारम्भ होगी। क्या सभा इस चर्चा के लिये दो घंटे का समय देना चाहती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। चर्चा तीन बजे प्रारम्भ होगी और पांच बजे तक चलेगी और उसके बाद आज हम एक घंट तक और किसी अन्य दिन चार घंटे तक निवारक-निरोध अधिनियम पर चर्चा करेंगे ।

---

## त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दातार बोल सकते हैं ।

†**श्री दातार** : श्रीमान्, इस सभा को यह विदित है कि २३-३-५६ को एक उद्घोषणा जारी की गयी थी और राष्ट्रपति ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। इस उद्घोषणा के अन्तर्गत राज्य विधान-मंडल विघटित हो गया है, किन्तु अनुच्छेद ३५७ (१) के अन्तर्गत विधि बनाने की शक्तियां संसद् राष्ट्रपति को दे सकती है। उन उपबन्धों के अनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

श्रीमान्, जैसा कि आप जानते हैं, संसद् में काफी कार्य निबटाया जाना है। जब त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मंडल विघटित किया गया और राष्ट्रपति ने राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लिया, उस समय राज्य विधान-मंडल के समक्ष कोई २३ विधेयक लम्बित थे। इनमें से पांच विधेयकों के सम्बन्ध में प्रवर समितियों से प्रतिवेदन प्राप्त हो गये थे और विधेयकों पर अन्तिम रूप से चर्चा की जानी शेष थी। जहां तक नौ सरकारी विधेयकों का सम्बन्ध था वह प्रवर समितियों के विचाराधीन थे। जहां तक दो विधेयकों का सम्बन्ध है, विधान-मंडल के विघटन के समय उन पर विचार किया जा रहा था। इसलिये, जहां तक सरकारी कार्य का सम्बन्ध था, १६ विधेयकों को निबटाया जाना था, अथवा अन्य शब्दों में उन्हें कानून का रूप दिया जाना था। जहां तक गैर-सरकारी विधेयकों का सम्बन्ध था, राज्य विधान सभा के समक्ष सात विधेयक लम्बित थे, इनमें से तीन प्रवर समिति के विचाराधीन थे तथा चार विधेयक तभी पुरःस्थापित किये गये थे ।

इसलिये सभा यह देखेगी कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मंडल द्वारा अन्तिम विचार किये जाने के लिये (१६+७) २३ विधेयक लम्बित थे। इनमें से कुछ मामले ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की जानी है क्योंकि व अत्यन्त अविलम्बनीय हैं। दो विधेयक भारत सरकार से पहले ही निर्दिष्ट किये जा चुके हैं क्योंकि वह अत्यन्त ही अविलम्बनीय प्रकार के हैं। एक तो त्रावनकोर-कोचीन सिंचाई विधेयक है और दूसरा है त्रावनकोर-कोचीन राज्य द्वारा उद्योगों को सहायता विधेयक ।

जहां तक त्रावनकोर-कोचीन सिंचाई विधेयक का सम्बन्ध है, उसका उद्देश्य त्रावनकोर-कोचीन राज्य के क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों का निर्माण, देख भाल और उनकी मरम्मत तथा सिंचाई के प्रयोजनों के लिये जल का परिरक्षण और वितरण करने सम्बन्धी मौजूदा नियमों का एकीकरण करना है। उसमें एक सुधार-कर के आरोपण का उपबन्ध भी है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में अविलम्ब कार्यवाही की जानी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री दातार]

इस विषय पर पहले दो विधेयक थे। एक का नाम था त्रावनकोर-कोचीन सिंचाई (सुधार-कर आरोपण, योगदान और जल उपकर) विधेयक, और इसका उद्देश्य सुधार-कर लगाना था; और दूसरा विधेयक, त्रावनकोर-कोचीन सिंचाई विधेयक राज्य के त्रावनकोर और कोचीन वाले भागों में लागू सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के एकीकरण के लिये था। इन दोनों विधेयकों का निदश प्रवर समितियों को किया गया था और समितियों ने सुझाव दिये कि दोनों विधेयकों को मिलाकर एक विधेयक बना दिया जाये। अतः प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित इन दोनों विधेयकों को एक अन्य समिति को पुनः निर्दिष्ट किया गया और उस समिति ने संयुक्त विधेयक के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, इन विधेयकों का जहां तक सम्बन्ध है, उनको शीघ्रताशीघ्र अधिनियमित किया जाना है।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कोई २३ विधयक और भी हैं। इनमें से कुछ अविलम्बनीय महत्व के हैं। इसलिये एक ओर त्रावनकोर-कोचीन के नागरिकों के हित में अधिनियमन की अविलम्बनीयता है, और दूसरी ओर आप जानते हैं कि संसद् को कितना कार्य विधेयकों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में निबटाना है। इस सभा का सत्रावसान दो दिन के पश्चात् और राज्य सभा का सत्रावसान अगले तीन दिन के पश्चात् हो जायगा। इसके अतिरिक्त अगले सत्र में हमारे समक्ष राज्य-पुनर्गठन विधेयक है और हमें योजना आयोग के प्रतिवेदन पर भी चर्चा करनी है। इसलिये यह संभव है कि यदि सभी विधेयकों को इस सभा में विचार करने के बाद विधि का रूप दिया जाता है तो इन परिस्थितियों के कारण मामले में बहुत विलम्ब हो जाने की संभावना है। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि हम अनुच्छेद ३५७ (१) का प्रश्रय लेकर राष्ट्रपति को आवश्यक विधि-निर्माण के लिये शक्तियां प्रदान करें।

जहां तक इस विधेयक की योजना का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि दो परित्राणों का उपबन्ध किया गया है। प्रथम उपबन्ध तो यह है कि राष्ट्रपति किसी को अधिनियम बनाने से पूर्व एक मंत्रणा समिति से परामर्श लेगा जिसमें इस सभा के दस और राज्य सभा के पांच माननीय सदस्य रहेंगे। इसलिये केवल उन मामलों को छोड़ कर जहां राष्ट्रपति के विचारानुसार विलम्ब न किया जा सकता हो, शेष सभी मामलों में राष्ट्रपति परामर्शदात्री समिति से परामर्श करेंगे, और उसके विचार जान लेने क बाद, इसे अधिनियमित करेंगे। दूसरा परित्राण यह है, कि राष्ट्रपति द्वारा किसी अधिनियम के प्रख्यापित किये जाने के बाद उस अधिनियम को अल्प अवधि के पश्चात् लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि दोनों सभाओं में से कोई भी सभा अधिनियम में कोई परिवर्तन या संशोधन करती है, और उन संशोधनों को लोक-सभा या राज्य-सभा द्वारा, जैसी कि स्थिति हो, स्वीकार कर लिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति के लिये संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त इच्छाओं के अनुसार उन संशोधनों को सम्मिलित करना अनिवार्य है। इसीलिये, उन वर्तमान दशाओं और परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए जिनके अन्तर्गत संसद् के लिये अभी शीघ्रता से आवश्यक विधान बनाना सम्भव नहीं है, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का शासन होने पर भी संसद् का प्राधिकार सदा ही सर्वोच्च रहता है और इस विधेयक के उपबन्ध सम्बद्ध जनता के लिये यथासम्भव अधिकतम लाभदायक ढंग से प्रशासन चलाने के लिये नितांत अत्यावश्यक हैं। जनता के कल्याण के विचार से विचाराधीन विधेयकों पर विचार करना, या उनको पारित होने से रोकना उचित नहीं होगा। सरकार ने इसी उद्देश्य से उस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने दो परित्राण रखे हैं--एक तो प्रारम्भिक परित्राण है और दूसरा अन्तिम परित्राण। संसद् को सदा ही सभी अवस्थाओं पर अपने विचार प्रकट करने का

अधिकार है, और राष्ट्रपति उन विचारों का अनुसरण करेंग । एसी परिस्थितियों में, मैं इस विधेयक के उपबन्धों को लोक-सभा की स्वीकृति के लिये संस्तवित करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री एन० श्रीकांतन नायर** (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैं संशोधन संख्या १ का प्रस्ताव करता हूं :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th July, 1956."

["कि १५ जुलाई, १९५६ तक विधेयक पर राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये ।"]

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री वेलायुधन ने संशोधन संख्या १० की सूचना दी है । वे प्रवर समिति के सदस्यों के नामों को सत्यापित कर लें । उसके बाद उनका संशोधन प्रस्तुत हुआ मान लिया जायेगा ।

अब, श्री गोपालन भाषण दें ।

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्ननूर) : मैं त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५६ का विरोध करता ह । यह एक लोक-तन्त्र विरोधी कार्य है । संसद् को त्रावनकोर-कोचीन राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है ही । अब यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद ३५७ (१) के अन्तर्गत इन शक्तियों को राष्ट्रपति को प्रदान करना चाहता है जिससे कि राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझें एक समिति से परामर्श करके विधियों को अधिनियमित कर सकें । इसके लिये तर्क यह दिया गया है कि संसद् के पास समय का अभाव है ।

इस विधेयक में तीन व्यवस्थायें की गई हैं । एक यह है कि संसद् का सत्र न होने पर भी राष्ट्रपति विधियां अधिनियमित कर सकता है । दूसरी व्यवस्था यह है कि यदि राष्ट्रपति ठीक समझें तो इसके लिये समिति से परामर्श कर सकता हैं । परन्तु ऐसा करना अनिवार्य नहीं है । तीसरी व्यवस्था यह है कि राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार से अधिनियमित विधि को एक सप्ताह के अन्दर संसद् के सामने रखा जायेगा और यदि वह चाहें तो उसमें कुछ रूपभेद कर सकती है । लेकिन, उस एक सप्ताह की अवधि के अन्दर की गई प्रत्येक कार्यवाही वैध रहेगी । वह चाहे जनता के विरुद्ध ही क्यों न हो, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकेगी । संसद् सप्ताह भर की उस कार्यवाही में रूपभेद नहीं कर सकती है । इस प्रकार संसद् की शक्ति छीनी गई है ।

शक्ति के इस प्रत्यायोजन के कुछ पूर्व उदाहरण भी हैं । १९५१ में पंजाब विधान-मण्डल की शक्ति के प्रत्यायोजन का भी कड़ा विरोध किया गया था । १९५३ में पेप्सू की विधि, निर्माण शक्ति को राष्ट्रपति ने अपने हाथ में लिया था । लेकिन, तब एक मंत्रणा समिति नियुक्त की गई थी । आंध्र में भी यही किया गया था । लकिन, अब समय बदल गया है । संसद् का सत्र चलने के समय त्रावनकोर-कोचीन राज्य की जनता के लिये विधि बनाने की शक्ति संसद् को ही दी जानी चाहिये । हमें इन पूर्व-उदाहरण को दोहराना नहीं चाहिये । हम अब समाजवादी ढंग का समाज बनाने और लोकतंत्र के सम्बन्ध में एक नया प्रयोग करनें जा रहे हैं, इसलिये अब ऐसा करना उचित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ए० के० गोपालन]

मुझे दूसरी आपत्ति यह है कि इसमें राष्ट्रपति के लिये समिति से परामर्श करना अविनार्य नहीं बताया गया है। यह सिद्धांत का प्रश्न है। संविधान के अन्तर्गत संसद् का सत्र होते समय संसद् द्वारा विधान बनाने को ही लोकतंत्रात्मक राज्य का परमाधिकार बताया गया है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करने का अर्थ राज्य को प्रशासन की परम शक्ति प्रदान करना ही है। हम कहते हैं कि हमारी संसद् बालिग मताधिकार के आधार पर चुनी गई है। लेकिन हम इस विधेयक द्वारा तो त्रावनकोर-कोचीन की जनता को प्रत्येक अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

त्रावनकोर-कोचीन में आज क्या हो रहा है ? वहां का सारा कार्य राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि एक परामर्शदाता चला रहा है। पंचायतों और स्थानीय निकायों के होते हुए भी सभी शक्तियां कलक्टरों को दे दी गई हैं। श्रम, चिकित्सा, शिक्षा आदि सभी कुछ उन्हीं के अधीन हैं। नौकरशाही की जकड़ और मज़बूत हो गई है। हम त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर मिलता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। क्या वहां कोई अन्य विभाग है ही नहीं ? क्या वहां फोन द्वारा संदेश भेजने की सुविधायें हैं ही नहीं ? जब हम वहां हुई किसी हड़ताल के सम्बन्ध में लोक-सभा में कोई प्रश्न पूछते हैं, तो भी यही कहा जाता है कि हम सूचना मंगा रहे हैं। साधारण-सी सूचनायें भी नहीं दी जाती हैं। इन परिस्थितियों में, त्रावनकोर-कोचीन की जनता पर क्या गुज़रेगी ? वहां की विधान-सभा के सदस्यों की कोई आवाज़ ही नहीं है। वह भंग कर दी गई है। वहां की जनता को हर बात के लिये संसद् पर आश्रित रहना पड़ता है। हमें इसके लिये कुछ करना चाहिये।

इस विधेयक में सारी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर देने की बात की गई है। उसके लिये राष्ट्रपति को एक समिति गठित करनी चाहिये, जिससे कि वह सभी विषयों की जांच कर सके। कहा जाता है कि संसद् सर्वशक्तिमान है, पर हम देख रहे हैं, हमारे चाहने पर भी हमें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं। यदि सभी शक्ति संसद् से ले ली जायेगी, तो क्या होगा ? मैं संवैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में नहीं जानता। क्या राष्ट्रपति गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों को अधिनियमित कर सकता है ? इस विधेयक के पारित होने के बाद, क्या संसद् गैर-सरकरी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा कर सकेगी ? राष्ट्रपति किसी विधेयक को तो अधिनियमित कर सकता है पर मैं गृह-कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के अन्तर्गत त्रावनकोर-कोचीन की जनता को गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों को प्रस्तुत कर सकने के उसके अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है ? यदि यह ठीक है तो कुछ महीनों के लिये त्रावनकोर-कोचीन में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया है। इससे उसकी बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

प्रशासन बड़ी ही उपेक्षा और लापरवाही बरत रहा है। यह त्रावनकोर-कोचीन की जनता का अधिकार है कि उसके साथ न्याय किया जाये, और यह न्याय तभी किया जा सकता है जब हमें यहां प्रश्न पूछने पर और गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों के रूप में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का अधिकार दिया जाये। समय के अभाव का तर्क उचित नहीं है। हम इन पर चर्चा करने के लिये कुछ और समय तक भी बैठ सकते हैं। कुल मिला कर २४ सरकारी और सात गैर-सरकारी विधेयक हैं। कुछ का तो केवल तृतीय वाचन ही शेष रह गया है। यदि हमें इस पर अभी तक हुई समस्त चर्चा की प्रतियां मिल जायें, तो संसद् इन विधेयकों पर चार-पांच दिन में अपनी चर्चा समाप्त कर सकती है। संसद् में उद्घोषणा पर हुई चर्चा के समय कहा गया था कि सारे देश की जनता और संसद् त्रावनकोर-कोचीन की जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य इतने महत्वपूर्ण विषय के लिये चार-पांच दिन और बैठने को तैयार हो जायेंगे।

कहा गया है कि एक समिति बनाई जायेगी। इस समिति के क्या कृत्य होंगे ? विधेयक में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति इस समिति से परामर्श करने के लिये बाध्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति किसी अधिनियम को अधिनियमित करके उसे कार्यान्वित भी करा सकता है। कार्यान्विति के बाद ही उसे संसद् के समक्ष लाया जायेगा। संसद् उसे संशोधित कर सकती है; लेकिन उस संशोधन से पहले, सप्ताह भर में, जो कुछ भी है कार्यवाही की गई हो उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। यह संसद् को उसके रूपभेद करने के अधिकार से वंचित करता है। यदि ऐसा न किया जाये तो जनता के लिये अच्छा होगा। समय के अभाव के कारण, संसद् की शक्ति कम नहीं की जानी चाहिये।

इस विधेयक के पारित होने पर है, तो गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों को भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। क्या यही लोकतंत्र है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री एन० श्रीकान्तन नायर।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : माननीय उपमंत्री के तर्क विश्वासोत्पादक नहीं थे।

त्रावनकोर-कोचीन में हम राष्ट्रपति के शासन से प्रसन्न नहीं हैं। राज्य में कांग्रेस बहुमत में नहीं थी। इसलिये कांग्रेस को एक संयुक्त मंत्रिमंडल बनाना पड़ा था। त्रावनकोर-कोचीन में ही प्रथम बार विरोधी दल को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला था। इसलिये त्रावनकोर-कोचीन की स्थिति उन तीनों राज्यों की परिस्थितियों से भिन्न है जिनमें कि पहले राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया गया था। हमें इस अन्तर को देखना चाहिये।

यदि आज त्रावनकोर-कोचीन का अपना विधान-मण्डल होता तो वह इन विधेयकों को अधिक प्रगतिशील रूप में पारित करता। यह इसलिये कि वहां कांग्रेस बहुमत में नहीं थी और वह हर किसी विधेयक को मनमाने ढंग से पारित नहीं करा सकती थी। यह प्रश्न का एक पक्ष है।

प्रश्न का दूसरा पक्ष यह है कि यहां पारित होने वाले ये विधेयक अस्थायी ही हैं। वे राष्ट्रपति के शासन के समाप्त होने के बाद अधिक से अधिक एक वर्ष तक जारी रह सकते हैं। इसलिये भूमि कानून जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में ऐसे अस्थायी उपाय करना खतरे से खाली नहीं है। फिर त्रावनकोर-कोचीन की भूमि समस्यायें कुछ हैं भी इस प्रकार की कि प्रशासक तो क्या, उत्तर के अधिकांश लोग उन्हें समझने में असमर्थ हैं।

उदाहरण के लिये, १,६०० रुपये की आमदनी को एक परिवार की जोत का आधार मान कर चलने वाला मानदण्ड हमारे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। उससे वहां भ्रष्टाचार फैल जायेगा। इसे मानने पर वहां भूमि चाहने वाले किसानों को वितरित करने के लिये कोई भूमि ही नहीं बचेगी। इसलिये, हमें वहां अनुर्वर भूमि के मामले में २० एकड़ और अन्य प्रकार की भूमि के मामले में १० से १२ एकड़ तक की सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। ऐसे विधयक को संसद् में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य विधान-मण्डल में उसे प्रस्तुत किया गया था; और केवल योजना आयोग के कहने पर ही उसे रोक दिया गया था। इसीलिय, राष्ट्रपति द्वारा पारित भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक को हमें राज्य विधान-मण्डल गठित होने पर रद्द करना पड़ेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

ऐसे अस्थायी उपाय करके आप सभी तरह की जटिलताओं को जन्म दे रहे हैं।

केवल दो ही महत्वपूर्ण विधेयक हैं। सुधार-कर आरोपण विधेयक को अभी कुछ दिन तक रोका जा सकता है। दूसरा विधेयक उद्योगों को राज्य द्वारा सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है। म

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

इस प्रकार से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने के पक्ष में नहीं हूं। इसे भी कुछ समय तक रोक रखने से कोई हानि नहीं होगी। लोक-सभा इन विधयकों की जांच कर सकती है, पर राष्ट्रपति को इनके सम्बन्ध में शक्ति प्रदान करना एक गम्भीर बात है। हमें इस सम्बन्ध में अपने निर्वाचकों से परामर्श करने का अवसर नहीं मिला है; इसलिये, इस विधेयक को त्रावनकोर-कोचीन की जनता में परिचालित किया जाय और संसद् के अगले सत्र से पहले उनका मत जान लिया जाये।

फिर, एक बात यह भी है कि विधेयक के उपबन्धों में एक सप्ताह के अन्दर संशोधन करना पड़ेगा और इस समय कार्याधिक्य के कारण हम इन उपबन्धों की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पायेंगे। हमें शायद उनमें संशोधन प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं मिल पायेगा। और हो सकता है कि इसके कुछ बेदखली जैसे उपबन्धों पर त्रावनकोर-कोचीन की जनता को बहुत आपत्ति हो। हमारे संशोधन प्रस्तुत करने पर लोक-सभा के अन्य कार्यों में बाधा पड़ेगी और फिर इस लोक-सभा में कांग्रेस का भारी बहुमत के कारण इन संशोधनों का कोई परिणाम भी निकलने की आशा नहीं है। वह उस राज्य में नहीं रहा और न भविष्य में रहेगा। इसलिये इस विधान से हमें निश्चित ही हानि होगी। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

यह समिति भी इस प्रकार बनायी जान वाली है कि त्रावनकोर-कोचीन से इस सभा में बारह सदस्यों में से केवल दस सदस्य ही उसमें रहेंगे। मैं पूछता हूं कि किन लोगों को लिया जायगा और किन्हें छोड़ दिया जायगा और ऐसा क्यों ? वह इस सभा की समिति नहीं है। इसलिये हम वहां जाते हैं और कुछ भी कहते हैं और वे घोषणा करेंगे कि उन्हें समिति का समर्थन प्राप्त था। लोकतंत्र का ऐसा उपहास नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वेलायुधन** : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के लिये इस सभा के समक्ष रखा है। यह एक ऐसा विधेयक है जिसका विरोध न केवल इस ओर के सदस्यों द्वारा वरन् सम्पूर्ण सभा द्वारा किया जाना चाहिये। मंत्रिगण यह कह सकते हैं कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण विधान सामने रखने हैं और इसीलिये उन्होंने यह विधेयक सामने रखा है। त्रावनकोर-कोचीन विधान-मंडल में अनेक उपयोगी और महत्वपूर्ण विधेयक पड़े हुए थे किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि कुछ विधान सामने रखने के लिये हमारे पास पर्याप्त समय था, फिर भी अभी तक एक भी विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित नहीं किया गया है।

मंत्री यह कह रहे थे कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं। मैं नहीं जानता कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में त्रावनकोर-कोचीन में प्रवर समिति के सामने पड़ा हुआ विधेयक सूची में सम्मिलित किया गया है या नहीं। मैं नहीं समझता कि वह विधेयक इस संसद् के सामन लाया जायेगा क्योंकि न केवल अधिकतर सदस्य बल्कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के कांग्रस सदस्य भी भूमि पर किसी उच्चतम सीमा के विरुद्ध हैं। अभी एक दिन प्रधान मंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय की पूरी तौर से टाल-मटोल की है। अतः मुझे विश्वास है कि इस सभा के समक्ष कोई भूमि विधान नहीं लाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक वाहियात विधान है। लोकतंत्र की संसदीय पद्धति यह है कि कोई विधान अधिनियमित किये जाने के पूर्व वह विधेयक संसद् के सामने लाया जाना चाहिये। किन्तु यहां एक अजीबढंग का लोकतंत्र है जिसमें एक प्रकार की तानाशाही की झलक है।

बनायी जाने वाली समितियों के बारे में सरकार बिलकुल मौन या अस्पष्ट है कि उनके सदस्य केवल त्रावनकोर-कोचीन राज्य के ही होंगे या अन्य राज्यों से भी लिये जायेंग। मेरी अपनी धारणा यह है कि इस प्रकार की समिति केवल एक दिखावा होगी। हमने कई बार कहा है कि विधान मंडल पुनःस्थापित कर दिया जाये किन्तु वह निरर्थक ही रहा।

किन्तु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस समिति से त्रावनकोर-कोचीन की जनता को संतोष न होगा। उन्हें तो तभी संतोष होगा जब कि राज्य में उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाये। इसलिये इस प्रकार का विधान त्रावनकोर-कोचीन राज्य की जनता को स्वीकार न होगा।

आप चाहें जिस तरह के अध्यादेश जारी कर और निर्वाचनों के बाद भी त्रावनकोर-कोचीन राज्य राष्ट्रपति के शासन के अधीन रखें किन्तु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केन्द्र की ओर से ऐसी किसी कार्यवाही को उस राज्य का समर्थन प्राप्त न होगा।

अनुसूचित जातियों हितों के प्रतिनिधित्व के बारे में मैं नहीं जानता कि सरकार विभिन्न अल्प-संख्यक हितों के बारे में कभी सोचेगी भी या नहीं। पिछली बार जब हम परिसीमन आयोग के बारे में विधान बना रहे थे तब मैंने यह देखा कि यद्यपि सभी अन्य हितों के प्रतिनिधि थे, फिर भी उस राज्य के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों का एक भी प्रतिनिधि नहीं था। मालूम नहीं कि क्या सरकार अब भी इस नयी व्यवस्था में वही प्रथा अपनायेगी।

मंत्रणा परिषद् के कार्यों के बारे में मैं सरकार की नीति बहुत अस्पष्ट है। खंड से यह मालूम होता है कि केवल विधान सम्बन्धी विषयों में ही इस मंत्रणा परिषद् से परामर्श लिया जायगा। मालूम नहीं कि क्या सरकार का यही मुख्य आशय है। पेप्सू और आंध्र के सम्बन्ध में हमने इसी प्रकार के विधान पारित किये थे। वहां भी कुछ मंत्रणा परिषदें थीं और उनसे न केवल विधान बनाने के विषय में बल्कि अन्य विषयों के बारे में भी परामर्श लिया गया था। मैं नहीं जानता कि वही नीति इस मामले में भी अपनायी जायगी या नहीं। जो भी हो, हमें सरकार से अधिक आशा नहीं है। मेरी धारणा यह है कि यह विधान त्रावनकोर-कोचीन की जनता को कदापि स्वीकार न होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति द्वारा भी कोई प्रगतिशील विधान शामिल किया जायगा या नहीं। मेरी समझ से ऐसा नहीं होने जा रहा है।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरनाकुलम्) : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और श्री वेलायुधन के प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। श्री वेलायुधन विधेयक के सिद्धांतों से तो सहमत हैं किन्तु वह उसे स्वीकार नहीं करते फिर भी उन्होंने विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। जब-जब इस प्रकार का विधान सभा के सामने आया है यह आलोचना की गयी है कि वह लोकतंत्र के विरुद्ध है। संविधान सभा में संविधान के अनुच्छेद ३५७ जब पारित किया गया उस समय ऐसे विधेयक की वांछनीयता और उसके औचित्य पर वाद-विवाद किया गया था। उसके बाद पंजाब, पेप्सू और आंध्र सम्बन्धी तीन विधेयकों पर इस सभा में वाद-विवाद हुआ। संविधान सभा में श्री कामत ने अनुच्छेद ३५६ और ३५७ के उपबन्ध का विरोध किया था फिर भी वे अनुच्छेद पारित किये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ए० एम० थामस]

संविधान सभा में वाद-विवाद का एक दूसरा पहलू है। अनुच्छेद ३५६ में उल्लिखित दशाओं के अधीन किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के विषय का कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत गहरा विरोध किया था किन्तु दूसरी कार्यवाही अर्थात् नियंत्रण एकबार राष्ट्रपति के हाथ में आ जाने पर क्या विधायिनी शक्तियां संसद् द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित की जायें या नहीं इस पर कोई गहरा विवाद नहीं हुआ था। उन अनुच्छेदों पर विचार-प्रस्ताव के समय डा० अम्बेडकर ने कहा था :

> "प्रारम्भ में विधान-मंडल का अधिकार और उसकी शक्तियों का उपयोग केवल संसद् ही कर सकती थी। अब यह उपबन्ध रखा जाता है कि कीई भी जिसे संसद् अपना अधिकार प्रत्यायोजित करे, उसका उपयोग कर सकेगा। .... अतः विधान की सुविधा के लिये यह उपबन्ध रखा जाता है कि संसद् विधान बनान के लिये किसी अन्य प्राधिकार को कतिपय दशाओं, शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन अधिकृत कर सकती है।"

संविधान सभा में इस तर्क का खंडन नहीं किया गया था। मैं यह केवल इसलिये बता रहा हूं कि एक बार राष्ट्रपति का शासन लागू होने पर अगली कार्यवाही अपने आप हो जाती है। पंजाब, पेप्सू और आंध्र के सम्बन्ध में हमारा यही अनुभव रहा है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि विधेयक का वर्तमान स्वरूप इसी विषय पर पहले तीन बार की चर्चाओं का फल है और वह एक नमूना है।

इस प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए श्री ए० के० गोपालन ने कहा कि इस सभा में पंजाब सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा के समय पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इन उपबन्धों का विरोध किया था। कुछ आपत्तिजनक बातें अवश्य थीं जिनके विरुद्ध पंडित ठाकुर दास भार्गव ने आवाज़ उठायी थी और उनके लिये वे संरक्षण चाहते थे। किन्तु अनुच्छेद ३५७ (१) (क) के अधीन कल्पित शक्तियों के सम्बन्ध में पंजाब विधेयक में और इस विधेयक म काफी अंतर है। वर्तमान विधेयक पंजाब, पेप्सू और आंध्र सम्बन्धी विधेयकों के बारे में प्राप्त अनुभव के आधार पर बनाया गया है।

श्री ए० के० गोपालन और श्री एन० श्रीकान्तन नायर ने यह कहा था कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तब भी हम राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां दे रहे हैं। वह तर्क तो तब ठीक होता यदि विधान की शक्तियां हम प्रत्यायोजित न करते। जब अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है तो राष्ट्रपति प्रत्यायोजन की शक्तियों के अधीन काम नहीं करता। जब सभा का सत्र न चल रहा हो तभी अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है और निश्चित अवधि के भीतर ही उसे सभा के सामने रखना होता है। अतः वह तर्क इस मामले में कदापि लागू नहीं किया जा सकता।

इस विधेयक में दो संरक्षण रखे गये हैं। एक यह कि कोई विधेयक पारित करने के पूर्व, इस सदन के दस सदस्यों और दूसरे सदन के पांच सदस्यों की एक समिति से परामर्श किया जायगा। मैंने उस उपबंन्ध में एक संशोधन रखा है। मैं चाहता हूं कि दोनों सदनों में त्रावनकोर-कोचीन के सभी सदस्य उस समिति में शामिल किये जायें।

आगे दूसरा संरक्षण यह होगा। यदि कोई विधान हम पारित करते हैं तो यह सभा एक निश्चित अवधि के अन्दर उसे बदल सकती है। यदि सभा सहमत हो तो राष्ट्रपति उस परिवर्तन के लिये अग्रेतर अधिनियम अधिनियमित करे। मैं यह कहूंगा कि मेरे राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों में यह विधेयक नितान्त आवश्यक है।

गृह-मंत्री ने सिंचाई विधेयक का निर्देश किया था जिसे पारित करना नितान्तत आवश्यक है। यह बहुत आवश्यक है कि राजस्व प्राक्कलन यथाशीघ्र त्रावनकोर-कोचीन की संविधि पुस्तक में शामिल

किया जाये। फिर उच्चतम सीमा विधेयक और वेरुपट्टम विधेयक पर प्रवर समिति विचार कर रही थी। उस समिति के अधिकतम सदस्य गैर-कांग्रेसी सदस्य थे और विलम्ब के लिये कांग्रेस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिर "काश्तकार निष्कासन रोक अधिनियम" भी है। ये आवश्यक विधेयक यथा-शीघ्र पारित करने हैं। मंत्रणा समिति को इन पर विचार करना है और राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक अधिनियम पारित होने हैं। अतः वे यथाशीघ्र पारित किये जायें और केवल उसी तरह जनता को लाभ होगा।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। संविधान के अनुच्छेद ३५२ और ३६० के सबन्ध में १९४९ में हुए वाद-विवाद का अध्ययन करने पर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि पुराने दृष्टिकोण हमारे लिये लाभदायक न होंगे। आपात की स्थिति में राष्ट्रपति को न केवल प्रशासन की, किन्तु देश की प्रतिरक्षा की शक्तियां भी दी जाती हैं। भारत में लोकतंत्रात्मक पद्धति है और यह आशा करना कि राष्ट्रपति निरंकुश या तानाशाह हो जायेंगे, हितावह न होगा। केवल छोटे-छोटे मामलों में ही ऐसा होता है कि विधान-मंडल कार्य करने में असमर्थ हो जाये और तभी राष्ट्रपति को उस राज्य के प्रशासन की शक्ति दी जाती है और संसद् को विधान की शक्ति सौंपी जाती है। किन्तु संसद् साधारण संस्था नहीं है। अभी हाल के वर्षों में संसद् का कार्य और क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और समस्यायें बहुत पेचीदा हो गयी हैं। डा० अम्बेडकर तथा अन्य सदस्यों ने जिन्होंने १९४९ में वाद-विवाद में दिलचस्पी ली थी, पहले ही इन बातों की कल्पना कर ली थी।

अनुच्छेद ३५७ के खंड (१) (क) में स्पष्टतः वर्णित है कि संसद् राष्ट्रपति को विधान बनाने की शक्ति दे सकती है। वास्तव में संसद् आवश्यकता पड़ने पर किसी को भी विधान बनाने की शक्ति सौंप सकती है। किन्तु यह शक्ति बिना किसी शर्त के नहीं सौंपी जाती है। इसे प्रत्येक स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि क्या राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाये अथवा नहीं। और जब-जब भी राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाती है तो यह आवश्यक होता है कि वह किसी अन्य सक्षम अधिकारी को यह शक्ति सौंप सकते हैं। इस पर एक अन्य माननीय सदस्य ने यह कहा था कि वह किसी सिपाही अथवा पुलिस इंस्पेक्टर को भी यह शक्ति सौंप सकते हैं। मगर उन्हें पता होना चाहिये कि आज के युग में ऐसी ऊटपटांग बातें नहीं हो सकती हैं। प्रशासन में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर हमारा दृढ़ नियंत्रण रहता है।

पिछले कुछ वर्षों में हमने बड़ी प्रगति की है। आज कई राज्यों में सामान्य स्थिति बनती बिगड़ती रहती है। हमें कई राज्यों में परामर्शदाता का शासन लागू करना पड़ता है ; आज राष्ट्रपति के कार्य भी बड़े जटिल और व्यापक हो गये हैं। कई मामलों में वह राजप्रमुख अथवा परामर्शदाता को अपनी शक्तियां दे देते हैं। किन्तु इस सब में भी एक परित्राण रहता है। जब तक संसद् किसी विधि का अनुमोदन कर देती है तब तक उसका प्रवर्त्तन नहीं हो सकता है चाहे उसको किसी ने भी क्यों न बनाया हो। इसी विचार से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रपति को भी दूसरों को यह शक्ति सौंपने के अधिकार दिये जायें।

इस विधेयक में एक उपबन्ध यह भी है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विधेयक संसद् के विचार करने से पूर्व भी लागू हो सकता है। यह ठीक नहीं है। आपात में अग्रेतर आपात नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि कानून बनाने में जल्दबाज़ी न हो। संसद् को किसी भी व्यक्ति को परम अधिकार नहीं देना चाहिये क्योंकि इसके बड़े बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। मेरा यह संशोधन है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये विधेयक भी संसद् के विचार के पश्चात् ही लागू होने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वल्लाथरास]

सामान्यतः संविधान के अनुसार संसद् राष्ट्रपति को अपनी शक्तियां सौंप सकती है। किन्तु राष्ट्रपति मंत्रियों की मंत्रणा के पश्चात् ही कोई कार्य करता है। वह बिना परामर्श के कोई कार्य नहीं करता है। अतः हमें उसे यह शक्ति सौंपने में साहस दिखाना चाहिये।

एक बात और है इस कार्य को देखने के लिये जो १५ सदस्यों की समिति बनाई गई है वह अपर्याप्त है। इस समिति की संख्या कम से कम ३० होनी चाहिये। यह समिति राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है, वह उसे माने या न मानें यह दूसरी बात है। दूसरे कुछ सदस्यों ने कहा है कि इसमें त्रावणकोर-कोचीन के अधिक सदस्य होने चाहियें यह बात ठीक नहीं है। कोई स्थानों पर एक साथ आपात की स्थिति हो सकती है। अतः यह समिति सारे देश की प्रतिनिधि होनी चाहिये। इसमें सभी राज्यों के सदस्य अनुपात से लिये जाने चाहियें। हमें ऐसी समिति के लिये सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिये।

†**श्री अच्युतन** (कैंगनूर) : गृह-मंत्रालय ने त्रावणकोर-कोचीन में राष्ट्रपति का शासन हो जाने के थोड़े ही दिन बाद यह विधेयक इसलिये रखा है कि वहां पर शीघ्र सुधार हो सके। यह बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि जब राष्ट्रपति ने वहां का प्रशासन अपने हाथ में लिया था उस समय वहां पर कई विधेयक लम्बित थे।

श्री गोपालन को संविधान के अनुच्छेद ३५६ और ३५७ पर आपत्ति हो सकती है। किन्तु यह केवल त्रावनकोर-कोचीन के लिये ही नहीं है। यह तो सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। आखिर संसद् सब कार्य स्वयं नहीं कर सकती है। चाहे वह सारा वर्ष भी क्यों न काम करती रहे। फिर हम सारा वर्ष तो यहां कार्य भी नहीं कर सकते हैं।

राष्ट्रपति को यह शक्तियां देने में कुछ भी असंवैधानिक बात नहीं है। क्योंकि वह संसद् सदस्यों की समिति से परामर्श करके ही सब कार्य करता है। फिर बाद में भी अगर दोनों सभायें चाहें कि अमुक बात में सुधार होना चाहिये तो राष्ट्रपति को वैसा सुधार करना पड़ता है। इसलिये मैं इस विधेयक में कुछ भी खराबी नहीं देखता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

मेरे विचार में इस विधेयक में इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है कि "जब कभी वह ऐसा करना व्यवहार्य समझता हो"। क्योंकि वहां पर केवल ९ महीने ही तो राष्ट्रपति का शासन रहेगा। मार्च, १९५७ में सामान्य चुनाव के अवसर पर वहां फिर विधिवत् सरकार बन जायेगी और इस बीच में भी अगस्त-सितम्बर, नवम्बर-दिसम्बर तथा फरवरी-मार्च में संसद् का अधिवेशन चलता रहेगा। अतः इस खंड की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इससे लोगों के दिलों में व्यर्थ का भ्रम उत्पन्न होता है।

दूसरे यदि इस सम्बन्ध में कोई समिति बनाई जाती है तो उसमें उस राज्य के सभी सदस्य होने चाहियें। और यदि राष्ट्रपति समिति से सहमत नहीं होता है और उनसे भिन्न विचार रखता है तो तब भी वह विधि संसद् की दोनों सभाओं के सामने आनी चाहिये। इस प्रकार अन्ततः उस पर संसद् का ही नियन्त्रण रहेगा। और जब संसद् कोई विचार व्यक्त करती है तो सामान्यतः सरकार उसी पर आचरण करती है।

श्री वेलायुधन ने यह कहा है कि कांग्रेस राज्य ने त्रावनकोर-कोचीन में कुछ नहीं किया है। किन्तु मैं कहता हूं कि पिछले १५ वर्ष में हमने वहां पर बहुत-सी भूमि सम्बन्धी विधियां बनाई हैं।

किन्तु जब इसमें केरल शामिल होगा तब हमें समिति में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसमें मालाबार के कुछ व्यक्ति और लेने पड़ेंगे और शायद कुछ सदस्यों को जाना भी पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मेरे पास खंड ३ के सम्बन्ध में भी एक और संशोधन है किन्तु वह मैं उसकी चर्चा के समय ही रखूंगा ।

†**श्री दातार** : कुछ सदस्यों ने श्री गोपालन के प्रश्नों का उत्तर देकर मेरा कार्य बहुत सरल कर दिया है । श्री थामस ने कई प्रश्नों का उत्तर दे दिया है । इसी प्रकार श्री वल्लाथरास ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो कुछ भी किया गया है वर्तमान परिस्थिति में वही एकमात्र ठीक मार्ग था ।

यह कहा गया है कि यह विधेयक अप्रजातांत्रिक है क्योंकि इससे राष्ट्रपति को तो शक्तियां दी जा रही हैं और संसद् को उन शक्तियों से वंचित किया जा रहा है । किन्तु यह बात ठीक नहीं है । जैसा कि मैंने पहले कहा है वहां पर कई ऐसे विधेयक थे जिनको हमने अपने हाथ में लिया है । मैं इस सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम वहां पर बाकी बचे २३ विधेयकों की छानबीन कर रहे हैं और हम उनमें से जितने विधेयकों को सम्भव हो सका, पास करने की कोशिश करेंगे । क्योंकि वहां की प्रगति के लिये ये विधेयक बड़े आवश्यक हैं । हम वहां के प्रशासन को यथासम्भव प्रगतिशील ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे ।

एक सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि त्रावनकोर-कोचीन की विधान-सभा में जो गैर-सरकारी विधेयक लम्बित थे उनका क्या होगा ? जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है यह राष्ट्रपति को विधान बनाने की शक्ति देने से सम्बन्धित है । और राष्ट्रपति इस शक्ति के अनुसार वहां के सभी विधेयकों की छानबीन कर सकते हैं । वह अपने आपको केवल सरकारी बिलों तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि वह वहां के गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की भी जांच पड़ताल करेंगे ।

†**श्री ए० एम० थामस** : तथा अन्य बातों की भी ।

†**श्री दातार** : जी हां, वह अन्य किसी बात की भी पड़ताल कर सकते हैं क्योंकि उनकी शक्ति सीमित नहीं होगी ।

†**श्री ए० के० गोपालन** : मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या हम त्रावनकोर-कोचीन की विधान-सभा में लम्बित गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों को यहां लोक-सभा में प्रस्थापित कर सकते हैं ।

†**श्री दातार** : निश्चय ही हम इस प्रश्न पर गौर करेंगे । मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की संख्या के बारे में श्री थामस का संशोधन स्वीकार कर लिया है । हम अब त्रावनकोर-कोचीन के लगभग सभी सदस्यों को उसमें ले सकेंगे । किन्तु हम यह भी चाहते हैं कि उसमें अन्य राज्यों के सदस्य भी होने चाहियें । त्रावणकोर-कोचीन हिन्दुस्तान का महत्वपूर्ण भाग होने के नाते अन्य राज्य भी उसमें रुचि रख सकते हैं । दूसरे, राष्ट्रपति जो कुछ भी करता है वह संसद् के प्राधिकार से करता है । क्योंकि अंततोगत्वा ससंद् को ही ऐसे सभी राज्यों के सम्बन्ध में विधान बनाने का अधिकार होता है जो कि राष्ट्रपति के प्रशासन के अन्तर्गत चले जाते हैं । इसलिये मैं अपने मित्रों को बता देना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में कुछ भी अप्रजातान्त्रिक बात नहीं है । इसमें प्रजातंत्र का गला घोंटने की कोई बात नहीं है । मेरे विचार में श्री वेलायुधन को इस संसद् के विषय में ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये थे । हम जहां तक हो सकता है प्रत्येक काम प्रजातांत्रिक ढंग से ही कर रहे हैं । ऐसी परिस्थितियों में मैं कोई भी ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये अथवा मैं इस प्रकार का कोई भी विलम्बकारी प्रस्ताव नहीं स्वीकार करूंगा । इस प्रकार की कटुआलोचना में श्री वेलायुधन ने सरकार के साथ न्याय नहीं किया है । इन्हें दूसरे दल का अर्थात् सरकार की कठिनाइयों का भी ध्यान करना चाहिये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या सरकार इसको स्वीकार करती है ?

†**श्री दातार :** यदि कोई सदस्य प्रस्ताव रखना चाहता हो तो उसे इस ढंग से प्रस्ताव रखना चाहिये कि दूसरे पक्ष के लोग भी उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : आप इनका त्याग देखिये । उन्होंने प्रवर समिति के सदस्यों की जो सूची पढ़ कर सुनाई है उसमें उन्होंने अपना नाम तक नहीं रखा है ।

†**श्री दातार :** काश ! माननीय सदस्य ने इस पर अधिक गम्भीरता से विचार किया होता ।

जैसा कि अभी-अभी श्री वल्लाथरास ने कहा है यह एक बड़ा आवश्यक विधेयक है । श्री गोपालन को यह जान लेना चाहिये कि इसमें सरकार का संसद् को अपने अधिकारों से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है । इसके लिये हमने इसके दो परित्राण भी रख दिये हैं ।

एक बात और भी है । अनुच्छेद ३५७ के अनुसार संसद् अपनी विधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती है और राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दे सकती है कि वह चाहे उस शक्ति को आगे किसी और को सौंप दे । हमने कोई ऐसी वस्तु नहीं मांगी है । हमने तो केवल इस कार्य के लिये आवश्यक शक्ति ही मांगी है । हम किसी भी प्रकार से इस सभा की शक्तियां नहीं छीनना चाहते हैं ।

कुछ सदस्यों ने इन शक्तियों के सौंपे जाने से सम्बन्धित कुछ अन्य प्रश्न भी उठाये हैं । मैं इस सभा के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम यहां-वहां चाहे कुछ भी कह लें लोगों ने राष्ट्रपति के शासन का बड़ा स्वागत किया है ।

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरयिन्कील) : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मतदान लिया है ?

†**श्री वेलायुधन :** आप यह जानने के लिये चुनाव लड़ सकते हैं । मैं सरकार को इस वक्तव्य के सम्बन्ध में चुनौती देता हूं ।

†**श्री ए० के० गोपालन** : क्या गृह मंत्री बता सकते हैं कि पन्द्रह दिन पहले प्रश्नों की सूचना मिलने पर भी उनके उत्तर क्यों नहीं प्राप्त होते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले तो मुझे इस औचित्य प्रश्न का उत्तर देना है कि सभा में टेबिल बजाना संसदोचित है या नहीं । वैसे तो यह काम अच्छा नहीं लगता फिर भी कभी कोई व्यक्ति यदि स्वभाव वश ऐसा कर दे तो हमें सहन करना चाहिये ।

†**श्री दातार** : श्री गोपालन के प्रश्न का मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी मैं उसके बारे में पूछताछ करूंगा । कभी-कभी समय पर सूचना प्राप्त करना कठिन हो जाता है ।

†**श्री ए० के० गोपालन** : जब एक विश्वविद्यालय और एक लोकशिक्षा संचालक मौजूद है, तो क्या उससे यह सूचना नहीं मिल सकती कि कौन-कौन से विद्यालय उससे सम्बद्ध हैं ?

†**श्री दातार** : केवल एक उदाहरण से हम सरकार की कार्यवाहियों के बारे में कोई सर्वसामान्य बात नहीं कह सकते ।

†**श्री ए० के० गोपालन** : एक नहीं अनेक उदाहरण हैं ।

†**श्री दातार** : जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है हमने वे ही शब्द इस्तेमाल किये हैं । पंजाब के बारे में हमने विधेयक में सुधार किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वहां पर राष्ट्रपति द्वारा शक्ति अपने हाथ में ली जा रही थी अथवा राष्ट्रपति उसे किसी और को सौंप सकते थे । अत: पंजाब, आंध्र और पेप्सू के सम्बन्ध में ऐसा विधेयक पारित किया गया था । इन सब मामलों में सरकार ने सदैव मंत्रणा समिति की मंत्रणा पर काम किया है । (**अन्तर्बाधा**) कृपया माननीय सदस्य मेरी बात को सुनें । जब हम ने सब बातें सुनी हैं तो उन्हें केवल एक बात पर चिढ़ना नहीं चाहिये ।

मैं इस बार भी सभा को आश्वासन देता हूं कि जब तक कोई विशेष आवश्यकता न हो, तब तक हम मंत्रणा समिति से सदैव परामर्श करेंगे । हम त्रावनकोर-कोचीन की भूतपूर्व विधान सभा तथा प्रवर समिति के विचारों का भी ध्यान रखेंगे । हम ऐसी सब बातों का उत्तर दे चुके ह और अब मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** ने श्री एन० श्रीकान्तन नायर का संशोधन संख्या १ मतादन के लिये रखा जो अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या १० को रखता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** ने संशोधन संख्या १० मतदान के लिये रखा जो अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड २**—(परिभाषा)

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : सब खण्डों के संशोधन एक साथ लिये जायें तो अच्छा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यही ठीक है । उन सबको एक साथ प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा । माननीय सदस्य उन पर चर्चा में कम से कम समय लेने का प्रयत्न करें ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इसी उद्देश्य से मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव अभी पारित किया है, अत: आपका यह कथन अनुचित है । आप यदि चाहें तो तृतीय वाचन के समय ऐसा कह सकते हैं । अब मैं खण्ड २ को मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया**

**खण्ड ३**—(राष्ट्रपति को राज्य विधान-मण्डल की शक्ति का दिया जाना)

†**श्री ए० एम० थामस** : मैं संशोधन संख्या २ और ३० का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या ३, ५, ८ और २७ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं संशोधन संख्या ४, ६, ७, ९ और १२ का प्रस्ताव करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अच्युतन** : मैं संशोधन संख्या ११ और १३ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : मैं संशोधन संख्या १४ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री वेलायुधन** : मैं संशोधन संख्या १६ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री वल्लाथरास** : मैं संशोधन संख्या १७, १८, २१, २२, २३, २४, २५, और २९ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि** (त्रिचूर) : मैं संशोधन संख्या १९, २०, २६, और २८ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री अच्युतन** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ९ में—

"before it" ["इस से पहले"] शब्दों के बाद "Or the session succeeding" ["या इसके बाद के सत्र में"] शब्द रखे जायें।

†**श्री ए० एम० थामस** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १,—

(१) पंक्ति १८ में "ten members" ["दस सदस्य"] के स्थान पर "fourteen members" ["चौदह सदस्य"] शब्द रखे जायें; और

(२) पंक्ति १९ में "five members" ["पांच सदस्य"] के स्थान पर "seven members" ["सात सदस्य"] शब्द रखे जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सब संशोधन सभा के समने हैं।

†**श्री वी० पी० नायर** : जैसा मैंने अभी कहा है, मेरे संशोधन इस विधेयक के विरोध में हैं क्योंकि मैं त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं। इस विधेयक के अधीन राष्ट्रपति को बहुत अधिकार दिये जा रहे हैं। जब तक किसी मूलभूत सिद्धान्त का उल्लंघन न हो तब तक राष्ट्रपति के किसी कार्य को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

मैं त्रावनकोर-कोचीन की दशा को खूब समझता हूं, इसीलिये मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। राष्ट्रपति का तो केवल नाम रहता है और शासन करने वाले लोग दूसरे होते हैं। वहां एक-दो परामर्शदाता नियुक्त किये जाते हैं और वे ही वहां के सर्वेसर्वा होते हैं। मैंने त्रावनकोर-कोचीन के बारे में इस सत्र में १२ प्रश्नों की सूचना दी थी, जिनका उत्तर यह मिला कि जानकारी प्राप्त नहीं है। उदाहरण के लिये मैंने वहां के एक आयुर्वेदिक विद्यालय के बारे में प्रश्न किया था। यह विद्यालय वहां के सचिवालय से केवल आधे फर्लांग के फासले पर है और उसमें टेलीफोन लगा हुआ है। उनसे केवल यह पूछना था कि विद्यालय में कोई हड़ताल हुई थी या नहीं, फिर भी मुझे यह उत्तर दिया गया है कि सूचना प्राप्त नहीं है। ऐसी दशा में हम राष्ट्रपति के शासन की कैसे प्रशंसा कर सकते हैं। वहां पर इस समय जो परामर्शदाता नियुक्त किया गया है वह राजनैतिक दल की एक कठपुतली मात्र है।

न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के लिये वहां १२ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई है जिसमें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ९ स्थान दिये गये हैं, जब कि उसकी सदस्यता आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से बहुत कम है और आश्चर्य इस बात का है कि आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को केवल दो स्थान दिये गये हैं। इसी प्रकार पर्यटक मंत्रणा समिति में विरोधी दलों को एक भी स्थान नहीं दिया गया है। क्या ऐसे शासन को हम पक्षपात रहित कह सकते हैं ? इस पर भी माननीय

†मूल अंग्रेजी में।

गृह मंत्री कहते हैं कि त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति का शासन बहुत लोकप्रिय है। मैं उनके इस कथन को चुनौती देता हूं और उनसे कहता हूं कि वे वहां जाकर स्वयं देखें कि वहां की एक प्रतिशत जनता भी इस शासन से सन्तुष्ट है या नहीं।

वहां के निरंकुश शासन को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय यही है कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। मैं चाहता हूं कि वहां का शासन किसी परामर्शदाता को न सौंपा जाये और राष्ट्रपति स्वयं उसका प्रबन्ध करें।

जब राष्ट्रपति का शासन वहां लागू किया गया था तो वहां की जनता यह समझे हुए थी कि संसद् में यदि त्रावनकोर-कोचीन के बारे में कोई एतराज़ उठाया गया तो त्रावनकोर-कीचीन के शासन में तहलका मच जायेगा परन्तु हम देखते हैं कि यहां तहलका मचने पर भी वहां के शासकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है और जनता की आवाज़ को कोई नहीं सुनता। ९३ लाख लोगों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था से वंचित रखा जा रहा है।

हाल ही में मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है जल के विषय में परामर्शदाता ने तामिलनाड से वार्ता आरम्भ की है। मैं पूछता हूं कि यह अधिकार उन्हें किसने दिया है। माननीय गृह मंत्री को स्मरण रखना चाहिये कि यदि तामिलनाड को पानी देने से हमारे यहां पानी की कोई भी असुविधा पैदा हुई तो हम उसका विरोध करेंगे।

अत: मैं एक बार फिर इस बात को दोहराता हूं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया जाये कि वह अपने मंत्रणादाताओं के द्वारा शासन चला सकते हैं।

†**श्री कामत** : जिन स्थितियों में तथा जिस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा यह उद्घोषणा जारी की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक के मुख्य खंड ३ का विरोध करता हूं। वस्तुत: यह उद्घोषणा उस प्रकार की नहीं है जैसी कि पंजाब, पेप्सू या आंध्र के मामले में की गई थी। बल्कि इससे त्रावनकोर-कोचीन में लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा और मद्रास राज्य के मालाबार ज़िले के सारे विधानसभाई सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन संख्या ३ और ५ को प्रस्तावित किया गया मान लिया जाय। मैं संशोधन संख्या ८ और २७ को प्रस्तावित नहीं कर रहा हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जिन संशोधनों को प्रस्तावित करना चाहते हैं उनकी संख्या लिखकर चिटें मेरे पास भेज सकते हैं।

†**श्री कामत** : उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह बताया गया है कि समयाभाव के कारण, सभा में त्रावनकोर-कोचीन सम्बन्धी अन्य विधेयकों पर चर्चा नहीं की जा सकी, इस कारण यह विधेयक पारित किया जा रहा है। वस्तुत: यह बहुत दु:ख की बात है कि यद्यपि कई सदस्य वहां की सरकार का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहते हैं तथापि राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा जारी कर दी है। मेरा विचार है अगले सत्र में त्रावनकोर-कोचीन सम्बन्धी चर्चा के लिये प्रतिदिन आधे घंटे का समय दिया जाये।

मैं आपको वहां के हाल बताना चाहूंगा। समयाभाव के कारण मैं एक ही उदाहरण दूंगा। हाल ही में वहां एक नौ साल पुरानी साइकल की बिक्री के लिये विज्ञापन निकाला गया। इस सम्बन्ध में मंत्रालय का उत्तर इस प्रकार है कि राज्य के परिवहन विभाग ने कुछ समाचारपत्रों यथा हिन्दू, इण्डियन एक्सप्रेस, कौमुदी इत्यादि के साथ यह करार किया है कि परिवहन विभाग की बसें उन समाचार-पत्रों को विभिन्न स्थानों में पहुंचायेंगी, इसके बदले में वे उनके विज्ञापन मुफ्त प्रकाशित करेंगे। जब तक लोक-सभा वहां के प्रशासन में सख्ती नहीं करेगी, तब तक इस प्रकार की बातें वहां हुआ करेंगी। अत: मेरे संशोधन संख्या ३ का अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति को कोई अधिनियम या विधान बनाते

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कामत]

समय समिति की सलाह लेना अनिवार्य होना चाहिये। मैं इस समय भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि पुरानी विधान सभा, जो अब भंग कर दी गई है, के विभिन्न दलों के सदस्यों को इस समिति में लिया जाय। भूतपूर्व विधान सभा में पांच दल थे। इन सभी को उस समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। तभी मेरे विचार से सरकार द्वारा किये गये अत्याचार का प्रायश्चित हो सकता है।

मेरा दूसरा संशोधन संसद् के सम्मुख रखे जाने वाले विधानों के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रपति जो कुछ भी विधान बनायें उन्हें उन विधानों को अधिनियमित करने के तीन दिनों के अन्दर और यदि संसद् का अधिवेशन हो रहा हो तो उसे अधिवेशन के प्रारम्भ होने के तीन दिन के भीतर संसद् के सम्मुख प्रस्तुत हो जाना चाहिये। अन्यथा वर्तमान उपबन्धों से अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं होगा।

इस खंड पर मेरा अंतिम संशोधन संख्या २७ है। इसका उद्देश्य यह है कि संसद् को राष्ट्रपति द्वारा बनाये हुए अधिनियम को उसी सत्र में, और यदि सत्रावसान हो गया है अगले सत्र में, संशोधन करने का अधिकार दिया है।

यदि इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया तो इस विधेयक से बहुत अंशों तक जनता का हित हो सकेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा संशोधन संख्या ३० श्री कामत के संशोधन संख्या ३ की तरह ही है। हमने उद्घोषणा से सम्बन्धित विधेयक पारित कर दिया है अतः अब राष्ट्रपति के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ भी कहना निरर्थक है।

अब मैं वर्तमान विधेयक को लूंगा। प्रश्न यह है कि समिति से परामर्श लेना राष्ट्रपति या सरकार के लिये अनिवार्य होना चाहिये या नहीं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि समिति राष्ट्रपति द्वारा पारित किये जाने वाले अधिनियमों के लिये निर्मित हुई है। क्योंकि संसद् के पास इन्हें पारित करने का समय नहीं है। वस्तुतः केवल संसद् ही विधान सभाओं की विधियों का संशोधन कर सकती है। इसलिये सिवाय राष्ट्रपति को यह अधिकार देने के अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः प्रस्तावक महोदय ने इन प्राधिकारों को राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित कर ठीक ही किया है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि वस्तुतः यह अधिकार असाधारण प्रकार का है। कुछ लोग राष्ट्रपति को यह भी अधिकार देना चाहते थे कि वह इन प्राधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकें। लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर ठीक ही किया है।

निस्संदेह सरकार को यह अधिकार दे दिये गये हैं, तथापि मैं चाहूंगा कि सरकार बिना समिति से परामर्श किये हुए कोई अधिनियम न बनाये। सरकार को सदैव इस समिति से परामर्श लेना चाहिये। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि यदि सभा की बैठक न हो रही हो, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनके लिये समिति का परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। सरकार को प्रत्येक मामले में इस समिति से अनिवार्य रूप से, परामर्श लेना चाहिये।

मैं श्री कामत के संशोधन से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि अधिकारों का दुरुपयोग किया जा सकता है। किन्तु मुझे एसी आशंका नहीं है क्योंकि विधेयक से यह ज्ञात होता है कि सरकार स्वयं यह चाहती है कि अधिनियम को सभा पटल पर रखने के सात दिन के भीतर ही उसमें संशोधन कर लिये जायें। सरकार स्वयं अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये उसे यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखेगी और सात दिन के भीतर उसमें परिवर्तन किये जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का सम्बन्ध है, प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि वह इसे स्वीकार कर लेंगे। दूसरे मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन लेना चाहता हूं कि हर सम्भव अवसर पर समिति से परामर्श लिया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक की चर्चा के लिये निर्धारित समय समाप्त हो गया है। अगले विधेयक, नामतः आयकर (संशोधन) विधेयक, को एक घंटे का समय दिया गया है लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरे विचार से उस विधेयक में से कुछ समय लेकर इस विधेयक को दे दिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि सभा सहमत है तो इस विधेयक को कुछ समय और दिया जा सकता है।

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि** : मेरा पहला संशोधन विधेयक की शब्दावलि में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में है। मैं उस पर आग्रह नहीं करता हूं।

मेरा दूसरा संशोधन विधेयक के उस परन्तुक के सम्बन्ध में है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति यदि अधिनियम बनाना अत्यावश्यक समझें तो वह परामर्श लिये बिना भी उसे अधिनियमित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि राष्ट्रपति को स्वयं इस बात पर विचार करना चाहिये कि स्थिति अत्यावश्यकीय है या नहीं। और क्या वस्तुतः समिति से परामर्श कर सकना संभव नहीं है। और केवल अत्यावश्यक होने पर ही परामर्श के बिना काम करें अन्यथा नहीं।

दिनों की संख्या के सम्बन्ध में वर्तमान विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि सभा-पटल पर रखे जाने के सात दिन के भीतर उसमें संशोधन हो जाना चाहिये। मेरे विचार से ७ दिन बहुत कम हैं। अतः कम से कम इस अवधि को बढ़ा कर १४ दिन कर दिया जाय जिससे सदस्य उन अधिनियमों पर भलीभांति विचार कर सकें।

संसद् के सारे सदस्यों को समिति में शामिल किया जाना चाहिये और यदि संभव हो तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये। यदि सभी सदस्यों को समिति में स्थान न मिल सके तो त्रावनकोर-कोचीन के प्रत्येक भाग से एक सदस्य लिया जाय जिसे राष्ट्रपति को वहां की स्थिति का सही ज्ञान हो सके। राष्ट्रपति के द्वारा इस बात का निश्चित रूप से निर्णय किये जाने पर ही कि स्थिति अत्यावश्यकीय है, समिति से परामर्श किये बिना ही कार्य करना चाहिये अन्यथा नहीं।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम्) : मैं यह प्रश्न नहीं लेना चाहता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति का प्रशासन क्यों लागू किया गया है। वस्तुतः स्थिति बहुत चिन्तनीय थी। कोई दल सरकार बनाने में समर्थ नहीं था, ऐसी अवस्था में केवल एक ही मार्ग रह गया था कि वहां राष्ट्रपति का प्रशासन जारी किया जाता।

जहां तक सरकारी सहलाकार के शासन का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करूंगा कि हमें तुरन्त किन्हीं परिणामों पर नहीं पहुंचना चाहिये। उदाहणस्वरूप, यह कहा गया है कि सभा में कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये गये और यह कह दिया गया कि जानकारी एकत्र की जा रही है। मेरे प्रश्न का ज़िक्र किया गया था। वस्तुतः इस सम्बन्ध में कुछ भ्रांति हो गई है। मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा था कि हड़ताल हो रही है या नहीं। मेरा प्रश्न यह था कि हड़ताल के क्या कारण थे? यह प्रश्न ज़रा जटिल है। इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं है क्योंकि स्थिति जटिल हो सकती है। विद्यार्थियों ने कुछ

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मैथ्यू]

मांगें रखीं। उन्हें विश्वविद्यालय और सरकार ने स्वीकार नहीं किया बातों का संतोषजनक उत्तर देना होगा।

समितियों के सम्बन्ध में यह कहा गया है, कि वे एकांगी समितियां हैं। मैं राज्य योजना परामर्शदात्री बोर्ड की एक समिति में उपस्थित था, उसमें सभी पक्षों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि यह बोर्ड सलाहकार के प्रशासन लेने के पूर्व ही बन गया था, अन्य समितियों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है।

अब मैं इस विधेयक में निर्देशित समिति के सम्बन्ध में जिक्र करूंगा। निस्संदेह, इसमें त्रावनकोर-कोचीन के सभी सदस्यों को लिया जाना चाहिये। इसके सिवाय इसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम-निर्देशित अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिये। कम से कम इस सम्बन्ध में गृह मंत्री को हमें निश्चित आश्वासन देना चाहिये।

जहां तक राष्ट्रपति के द्वारा समिति से परामर्श लेने का सम्बन्ध है, गृह मंत्री को हमें निश्चित आश्वासन देना चाहिये कि जब तक ऐसी असम्भाव्य स्थिति न हो तब तक राष्ट्रपति सदैव इस समिति से परामर्श लेगें।

†**श्री ए० एम० थामस** : मैं अपने संशोधन संख्या २ और ३१ प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे नाम में और पण्डित ठाकुर दास भार्गव के नाम में एक संयुक्त संशोधन था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नियम यह है कि यदि कई व्यक्तियों के नाम में एक संशोधन हो, तो अध्यक्ष एक सदस्य को चुनता है जो संशोधन को प्रस्तुत करता है। अन्य सदस्य उसका समर्थन करते हैं।

†**श्री ए० एम० थामस** : मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। क्या गृह-कार्य मंत्री संशोधन संख्या २ या ३१ को स्वीकार कर रहे हैं?

†**श्री दातार** : मैं ३१ को स्वीकार कर रहा हूं।

†**श्री ए० एम० थामस** : यदि माननीय मंत्री ३१ को स्वीकार कर रहे हैं तो मेरी उनसे एक विनती यह है कि त्रावनकोर-कोचीन के १२ प्रतिनिधि इस सभा में हैं और ६ राज्य-सभा में, इन सबको इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये, क्योंकि स्थानीय महत्व का विधान बनाने के लिये ये सदस्य सर्वाधिक उपयुक्त हैं। श्री श्रीकान्तन नायर ने ठीक कहा है कि अन्य राज्यों के सदस्य इस राज्य विशेष की समस्याओं को अच्छी तरह नहीं जानते।

परामर्शदाता के शासन की निन्दा की जाती है और कहा जाता है कि वह कांग्रेस दल की कठ-पुतली है। परन्तु वास्तविकता यह है कि परामर्शदाता ने राज्य पुनर्गठन के बारे में जो सम्मेलन बुलाया था उसमें सब दलों के लोग थे और कांग्रेस के बहुत कम लोग थे। राज्य के आयोजना आयोग की बैठक में भी सब दलों के लोग आमंत्रित किये गये थे। अतः सलाहकार के विरुद्ध ये आरोप लगाना उचित नहीं है।

†**श्री ए० के० गोपालन** : मैं संशोधन संख्या ३ और ४ का समर्थन करता हूं।

यह संसद् की प्रतिनिधि होनी चाहिये। परन्तु त्रावनकोर-कोचीन के सभी सदस्य इसमें होने चाहियें। मलाबार का मैंने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि मैं वहां का हूं। अक्तूबर में केरल राज्य बन जाने पर, मद्रास विधान सभा में से मलाबार के कुछ सदस्य निकाल दिये जायेंगे। उनका भविष्य क्या होगा? क्या राष्ट्रपति का शासन समाप्त होने पर वहां नई विधान सभा बनाई जायेगी? क्या मलाबार के

†मूल अंग्रेजी में।

इन २१ सदस्यों की छोटी सभा बनेगी ? कम से कम वे सदस्य भी इस समिति के सदस्य होने चाहियें। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मलावार के उन सदस्यों का भविष्य क्या होगा।

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बड़े प्रश्नों में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह समिति संसदीय समिति है। इसमें इस सभा के और दूसरी सभा के सदस्य रखे गये हैं, और दूसरे लोग नहीं। जब कभी आवश्यक होगा सरकार उनका परामर्श लेगी।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि "जब कभी वह ऐसा करना व्यवहारिक समझते हैं" शब्द हटा दिये जायें। मैं इस सभा को बताऊंगा कि तीनों अवसरों पर जब कभी राष्ट्रपति का शासन हुआ, शक्ति का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं हुआ। शब्द ये हैं जब यह व्यवहारिक हो, और ये नहीं कि जब राष्ट्रपति इसे आवश्यक समझे। संभव है कि यदि इस समिति की बैठक समवेत की गई, तो इस सभा के जो सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे, बहुत दूर होंगे और दस दिन के अन्दर उनकी बैठक समवेत करना संभव नहीं होगा। इसीलिये "व्यवहारिक" शब्द रखा गया है।

†**श्री कामत** : परन्तु राज्य पुनर्गठन विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठक शिमला में हो रही है।

†**श्री दातार** : यदि राज्य का शासन चलाते हुए यह आवश्यक हो जाता है, तब तुरन्त अर्थात् एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर विधि बनाना आवश्यक होता है, और ऐसी समिति की बैठक बुलाना अव्यवहारिक होगा। परन्तु मैं पण्डित भार्गव को और अन्य सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक संभव होगा, इस सुरक्षण का सहारा नहीं लिया जायेगा और हम इस मंत्रणा समिति के सदस्यों का परामर्श लेते रहेंगे, जब तक कि ऐसा करना अव्यवहारिक न हो।

इन सब मामलों में, सभा को राष्ट्रपति पर विश्वास रखना चाहिये, और राष्ट्रपति सांविधानिक मुखिया होता है, वह सरकार की मंत्रणा पर कार्य करता है। श्री वी० पी० नायर ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति को अपनी निजी हैसियत में काम करना चाहिये, और स्वयं इन संब मामलों की देखभाल करनी चाहिये। किन्तु संविधान का यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति सांविधानिक मुखिया होता है और वह सरकार की मंत्रणा पर काम करता है। इसलिये राष्ट्रपति पर संघ के सांविधानिक मुखिया के उत्तरदायित्व से अधिक भार डालना उचित है। यह भी कहा गया है कि दूसरे दलों का भी परामर्श लिया जाना चाहिये। मैं दूसरे दिलचस्प प्रश्न में नहीं जाना चाहता कि उस राज्य में सलाहकार का शासन कैसे चल रहा है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर श्री ए० एम० थामस दे चुके हैं। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि जब भी आवश्यकता हुई है, सलाहकार विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रधानों से परामर्श करते रहे हैं, और इसलिये, यह कहना बिल्कुल ग़लत होगा कि वह किसी दल विषेश के गुर्गे हैं।

मैं इसका उद्धरण तो नहीं पढ़ना चाहता हूं परन्तु मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान २५ तारीख के **हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड** की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें एक संवाददाता ने जिसने वहां जाकर स्वयं वहां की स्थिति को देखा है, यह लिखा है कि राष्ट्रपति के शासन का वहां केवल स्वागत ही नहीं किया गया है, वरन् उसने सभी प्रकार के सुधारों को भी लागू कर दिया है और वहां के सरकारी तथा गैर-सरकारी, सभी प्रकार के व्यक्तियों का मत है कि राष्ट्रपति और उनके सलाहकार अत्यन्त ही संतोषप्रद ढंग से शासन चला रहे हैं। (**अन्तर्वाधायें**)

फिर, मेरे माननीय मित्रों ने कुछ छुटफुट आन्दोलनों का जिक्र किया है। हम इन सभी आन्दोलनों के अभ्यस्त हो गये हैं। कभी-कभी तो यह आन्दोलन इस प्रकार के होते हैं जिन्हें चाय के

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

प्याले में तूफान की संज्ञा दी जा सकती है, और कभी-कभी तो उससे भी छोटे होते हैं। इसलिये इन सब की तीव्रता अथवा तीव्रता के अभाव की बात ठीक ढंग से समझी जानी चाहिये। इतनी उदारता-पूर्वक इन शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। हमें पूर्णतया अपना उत्तरदायित्व समझने का प्रयास करना चाहिये। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम विरोधी पक्ष की बातें सुनने और स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। जहां कहीं भी किसी कठिनाई का उल्लेख किया जाता है अथवा कोई शिकायत बताई जाती है, हम उसकी जांच करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह वचन देता हूं कि जब भी किसी विशिष्ट शिकायत की ओर मेरा ध्यान दिलाया जायेगा, और मैं देखूंगा कि उसमें कुछ सार है, तो मैं निश्चय ही उस मामले की जांच करूंगा। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इसीलिये, कि कुछ आरोप लगाये गये हैं और कुछ अतिश्योक्तिपूर्ण वक्तव्य दिये गये हैं, हम इन छुटफुट आदोलनों अथवा किसी भी चीज़ के सामने झुकेंगे नहीं।

मैं एक बात की ओर यह संकेत करना चाहता हूं कि सरकार दो संशोधनों को स्वीकार कर रही है। इनमें से एक तो, जहां तक मन्त्रणा-समिति की सदस्य संख्या बढ़ाने का प्रश्न है, संशोधन संख्या ३१ है और दूसरा श्री अच्युतन का संशोधन संख्या १५ है।

†**श्री वल्लाथरास** : मैंने सदस्य-संख्या को तीस कर देने का सुझाव दिया है। मंत्री महोदय उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ?

†**श्री दातार** : वास्तव में मुझे यह बताया गया है कि अन्य सब अवसरों पर हमने केवल दस धन पांच की सदस्यता स्वीकार की थी। परन्तु यहां, त्रावनकोर-कोचीन के सभी सदस्यों को स्थान देने के लिये हमने सदस्य संख्या बढ़ा दी है और हम तो इस बात के लिये भी अत्यन्त उत्सुक हैं कि अन्य राज्यों के सदस्य भी त्रावनकोर-कोचीन के मामलों में अभिरुचि लें। यही कारण है कि हम उस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं जिसके अनुसार इस सभा को १४ और अन्य सभा के ७ सदस्य रहेंगे जिससे कि इस सभा के कम से कम दो और अन्य सभा का एक सदस्य ऐसा हो जो त्रावनकोर-कोचीन के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य का हो। यह बात अत्यन्त ही आवश्यक है क्योंकि आज जो प्रश्न हमारे सामने है वह किसी एक राज्य की दिलचस्पी का ही विषय नहीं है, वरन् यह समस्त राष्ट्र की दिलचस्पी का विषय है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन को मतदान के लिये रखूंगा।

†**श्री वल्लाथरास** : मैं अपने संशोधन संख्या २२ और २३ को वापस लेना चाहता हूं।

**संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले मैं संशोधन संख्या ३१ और १५ को, जिनको सरकार ने स्वीकार कर लिया है, मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ (१) पंक्ति १८ में "ten members" ["दस सदस्य"] के स्थान पर "fourteen members" ["चौदह सदस्य"] शब्द रखे जायें, और

(२) पंक्ति १९ में "five members" ["पांच सदस्य"] के स्थान पर "Seven members" ["सात सदस्य"] शब्द रखे जायें।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २ पंक्ति ९ में "before it" ["इससे पहले"] शब्दों के बाद "Or the Session succeeding" ["या इसके बाद के सत्र में"] शब्द रखे जायें ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया जो अस्वीकृत हुआ तथा निम्नलिखित २६ माननीय सदस्यों ने इसके पक्ष में मत दिया :**

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व), श्री ए० के० गोपालन, श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली), श्री एस० एस० मोरे, (शोलापुर), श्री वी० पी० नायर, श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व), श्री कामत, श्री सारंगधर दास (देंकानाल—पश्चिम कटक), बाबू रामनारायण सिंह, (हज़ारीबाग—पश्चिम), श्री नम्बियार (मयूरम्), श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट), श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर), श्री वेलायुधन, श्री टी० बी० विट्ठलराव, (खम्मम्), श्री एन० श्रीकान्तन नायर, श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल) श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट), श्री एन० बी० चौधरी (घाटल), श्री वल्लाथरास, श्री रामजी वर्मा (ज़िला देवरिया—पूर्व), श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां), श्री पी० आर० राव (वारंगल), श्री तुषार चटर्जी (श्रीराम पुर), श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा—पश्चिम), श्री दशरथ देब (त्रिपुरा—पूर्व), और वी० मिश्र (गया—उत्तर) ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष संशोधन संख्या २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२, १३, १४, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २४, २५, २६, २७, २८, २९ और ३० मतदान के लिये रखे गये जो अस्वीकृत हुए ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया । खण्ड १ अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधयक में जोड़ दिये गये ।**

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में , पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

†मूल अंग्रजी में ।

# भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक बहुत ही छोटा और साधारण-सा विधेयक है । अभी हाल ही में एक मामले के सम्बन्ध में उच्चत्तम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, कि धारा ५(७क) के अधीन समय की सीमा निश्चित किये बिना और किसी विशेष वर्ष का उल्लेख किये बिना केन्द्रीय राजस्व बोर्ड और आयकर आयुक्त ने एक निर्धार्य के मामले को स्थानान्तरित करने के लिये जो आदेश जारी किया है, वह उनके प्राधिकार से बाहर है और इसलिये अवैध है, इस निर्णय से पैदा होने वाली कठिनाई को दूर करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है ।

आयकर अधिनियम के अधीन जिस आधार पर आयकर पदाधिकारियों को निर्धारण इत्यादि करने का अधिकार दिया जाता है, उसको यदि मैं संक्षेप में बताऊं, तो इस कठिनाई को अच्छी तरह समझा जा सकेगा । धारा ५(२) के अधीन केन्द्रीय सरकार आयकर आयुक्त नियुक्त करती है और वे केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये क्षेत्राधिकारों में काम करते हैं । धारा ५ (५) के अनुसार आयकर आयुक्त उस काम को, जो उसके क्षेत्र में होते हैं, आयकर पदाधिकारियों के बीच क्षेत्रवार, आय-वार अथवा व्यक्तिवार बांट देता है । आयकर विभाग के प्रशासन में कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि उन मामलों को, जो या तो उसी आयुक्त के प्रभार में है अथवा किसी अन्य के, एक पदाधि-कारी से दूसरे पदाधिकारी को हस्तान्तरित किये जायें । उदाहरणत: सुविधा के लिये निर्धार्यों के कहने पर ही मामलों का स्थानान्तरण किया जाता है । जटिल और धोखे के मामलों को, जिनमें काफी लम्बी और विस्तृत जांच करनी पड़ती है, मूल क्षेत्राधिकार से निकाल कर विशेष पदाधिकारियों को देना पड़ता है । कभी-कभी निर्धारणों को निबटाने के लिये एक विशेष वर्ग के सारे मामले अथवा एक ही व्यापार या उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों के सारे मामले एक ही विशेष पदाधिकारी को सौंपे जाते हैं, इस कारण भी मामलों का स्थानान्तरण आवश्यक हो जाता है । ऐसा आकस्मिकताओं को देखते हुए ही १९४० में धारा ५ में उपधारा (७क) निवष्टि की गई थी । इस उपबन्ध के अनुसार आयकर आयुक्त को यह अधिकार है कि वह किसी मामले को एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को हस्तान्तरित कर दे । इसी प्रकार केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को भी यह अधिकार है कि चाहे मामला उसी आयुक्त के प्रभार में हो अथवा अन्य आयुक्तों के, वह उसको एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है ।

यद्यपि हस्तान्तरण सम्बन्धी आदेश देते समय प्राधिकारी निर्धार्य की सुविधाओं का उचित ध्यान रखते हैं, तथापि सरकार इस आधार पर काम करती आ रही है कि यदि एक बार एक निर्धार्य का मामला एक आयकर पदाधिकारी से दूसरे के पास भेज दिया जाता है, तो उस मामले से सम्बन्धित सारे अधिकार भी दूसरे के पास चले जायेंगे । संक्षेप में, बाद वाला पदाधिकारी उस व्यक्ति के विषय में, जिसका मामला उसके पास आया है, पहले अधिकारी का स्थान ले लेगा और अधिनियम के अधीन निर्धारण सम्बन्धी सारी कार्यवाही तथा अन्य कार्यवाही, उन सालों को ध्यान में न रखते हुए जिनसे उसका सम्बन्ध है, हस्तान्तरण की तारीख के बाद उसी पदाधिकारी द्वारा की जायेगी । इस प्रकार १९४० से मूल क्षेत्राधिकारों से बहुत बड़ी संख्या में मामलों का स्थानान्तरण किया गया है । नये सर्कल बनाये जा चुके हैं और कुछ समवाय के सर्कल भी हैं । कुछ कठिन तथा जटिल मामलों

†मूल अंग्रेजी में ।

को कुछ ऐसे पदाधिकारियों के पास हस्तान्तरित किया गया है, जिन्हें ऐसे मामलों का विशेष अनुभव है, ताकि उनके इस अनुभव से लाभ उठाया जा सके।

इसी प्रकार धारा ५ (७क) के अधीन हस्तान्तरित एक मामला निर्धार्य द्वारा उच्चतम न्यायालय तक ले जाया गया था और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उस उपधारा में 'मामला' शब्द का जो उल्लेख किया गया है, उसका अभिप्राय उस मामले के एक विशेष निर्धारण वर्ष को लम्बित कार्यवाही से दी है। अतः जब कभी किसी मामले के तदर्थ हस्तान्तरण का सामान्य आदेश दिया जायेगा, तो उस आदेश के अधीन की गई कार्यवाही अवैध होगी। अतः हमने धारा ५ (७क) के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जिससे यह मालूम हो जाये कि सरकार का क्या तात्पर्य था और धारा ५ (७क) का क्या अभिप्राय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ऐसा करना आवश्यक हो गया है। यदि वे सारे आदेश अवैध घोषित किये जायें तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। बहुत से मामले निबटाये जा चुके हैं और कर इकट्ठे किये जा चुके हैं और हजारों मामले विचाराधीन हैं। जब उच्चतम न्यायालय ने आयकर जांच आयोग अधिनियम की धारा ५ (१) और ५ (४) के सम्बन्ध में सरकार के खिलाफ निर्णय दिया, तो सारे मामले, जो विचाराधीन थे, उसी समय बनाये गये एक विशेष अभिकरण को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। वह अभिकरण तीन वरिष्ट आयुक्तों का एक विशेष निदेशालय है और उनमें से अधिकांश मामले अब भी विचाराधीन हैं। कुछ तय हो चुके हैं और कर इकट्ठा किया जा चुका है। एक विशेष वर्ग के मामलों को एक ही विशेष पदाधिकारी द्वारा निबटाये जाने के लिये यह आवश्यक है कि हम उन को एक के प्रभार में रखें। अतः यदि हम धारा ५ (७क) का संशोधन न करें तो उसका परिणाम यह होगा कि इस धारा के अधीन किये गये सारे निर्धारण अवैध घोषित कर दिये जायेंगे और बड़ी रकम लौटानी पड़ेगी और जो कार्यवाही अभी होनी बाकी है, वह भी अवैध घोषित कर दी जायेगी। अतः हमने महान्यायवादी की सलाह से यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी, क्योंकि यह करोड़ों रुपयों का मामला है और साथ ही सदस्य स्वयं इसके लिये उत्सुक हैं कि इन मामलों की पूरी तरह से जांच की जाये। अतः इसके लिये जांच सम्बन्धी विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। सामान्य आयकर पदाधिकारियों से उस विशेष ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। अतः हमने कुछ विशेष सर्किल और कुछ समवाय के सर्किल बनाये हैं। उदाहरणतः हमने कलकत्ता और बम्बई में अनेक समवाय सर्किल बनाये हैं, जहां उन क्षेत्रों में स्थित समवायों के सारे निर्धारण समवाय के सर्किल पदाधिकारियों द्वारा किये जा सकते हैं। यदि हम धारा में संशोधन नहीं करेंगे, तो हम उन जटिल और उलझे हुए मामलों को निबटाने के लिये, जिनमें लाखों नहीं अपितु करोड़ों रुपये के राजस्व का प्रश्न है, अनुभवी पदाधिकारियों की सहायता नहीं पा सकेंगे ? आयकर विभाग के प्रशासनिक काम को सुविधाजनक बनाने के लिये और साथ ही इन मामलों की पूरी जांच के लिये यह संशोधन किया गया है, जिसका भूतलक्षी प्रभाव भी होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, उन मामलों में जो निबटाये जा चुके हैं, जहां कर इकट्ठा किया जा चुका है और जहां आदेश जारी किये जा चुके हैं, सरकार को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। उन विशेष सर्किलों के पदाधिकारियों के पास हजारों मामले जमा हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : माननीय मंत्री ने २० मार्च, १९५६ को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिये गये निर्णय का उल्लेख किया है। बीड़ी संभरण समवाय के नाम से कलकत्ता में अपना कारोबार चलाने वाले एक बीड़ी व्यापारी पर लगाये जाने वाले कर का निर्धारण सदा वहां

†मूल अंग्रजी में।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

क आयकर पदाधिकारी ने किया था। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने यकायक उसके मामले को कलकत्ता से रांची स्थानांतरित कर दिया, और इस स्थानांतरण पर आपत्ति उठायी गई थी।

मुख्य न्यायाधिपति ने अपने निर्णय में कहा है कि स्थानांतरण का आदेश सामान्य रूप में दिया गया था और उसमें किसी विशेष मामले का अर्थात् निर्धारण के वर्ष का तथा समय की सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया था और धारा ५ (७क) के अनुसार, ऐसा करना केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की शक्ति के बाहर है? उच्च न्यायाधिपति ने यह कभी नहीं कहा कि किसी मामले का स्थानान्तरण कभी किया नहीं जा सकता। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि काफी सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि स्थानान्तरण का सामान्य व्यापक आदेश न दिया जा सके। उदाहरणतः एक सार्थ का मामला, जिसका कारोबार दिल्ली में चल रहा है, त्रावनकोर-कोचीन नहीं भेजा जाना चाहिये, क्योंकि उससे उस सार्थ को बहुत परेशानी होगी। आयकर अधिनियम की धारा ६४ में बताया गया है कि जहां निर्धार्य अपना कारोबार अथवा व्यवसाय करता हो, वहीं के आयकर पदाधिकारी द्वारा ही उसके कर का निर्धारण होना चाहिये। दूसरे मामलों में धारा ६४ (२) के अधीन निर्धार्य के कर निर्धारण उस क्षेत्र के आयकर पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जहां का वह रहने वाला है। मुख्य न्यायाधिपति ने अपने निर्णय में बताया है कि निर्धार्य को इन धाराओं का लाभ उठाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने आगे बताया है कि इस आदेश से याची को काफी परेशानी हुई है। कलकत्ते से सैकड़ों मील दूर खातों को भेजने तथा सार्थ के मुख्य पदाधिकारियों के आने जाने में काफी खर्च करना पड़ेगा। ऐसा आदेश गैर-कानूनी है और संविधान के अनुच्छेद १४ में दिये गये नागरिक के मूल अधिकार के प्रतिकूल है।

यदि आप निर्णय को सावधानी पूर्वक पढ़ें, तो आप देखेंगे कि निर्णय में यह नहीं कहा गया कि स्थानान्तरण कभी नहीं हो सकता, बल्कि यह कहा गया है कि हस्तान्तरण करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिये। आयकर आयुक्त अथवा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को किसी मामले को तभी स्थानांतरित करना चाहिये, जब वे सोच विचार करके यह देख लें कि इस मामले का स्थानान्तरण आवश्यक है। स्थानान्तरण का आदेश इस प्रकार से सामान्य नहीं होना चाहिये। उच्चत्तम न्यायालय के, जो कि देश का सर्वोच्च न्यायाधिकरण है, निर्णय को शून्य करने की शक्ति प्राप्त करने के कार्यपालिका के प्रयत्न को मैं हमेशा बुरा मानता आया हूं। न्यायाधिपति बोस ने कहा है कि यह धारा ही ग़ैर-कानूनी है, किन्तु अन्य न्यायाधिपतियों ने निर्णय दिया है कि यदि यह धारा वैध भी हो तो भी संविधान के अनुच्छेद १४ की सहायता ली जा सकती है। यदि एक परिनियम प्रत्यक्षतः गैर-कानूनी है, तो उसको वैसे ही हटाया जा सकता है किन्तु यदि वह प्रत्यक्षतः से ग़ैर-कानूनी नहीं है किन्तु पदाधिकारी उसको लागू करते समय विभेद करता है, तो वह कार्यवाही गैर-कानूनी है। धारा ६४ के रहते हुए निर्धार्य को यह अधिकार है कि उस पर स्थानीय रूप से ही कर लेंगे अथवा स्थानीय रूप से उसके खातों की जांच की जाये और मैं समझता हूं कि ऐसी अवस्था में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को शून्य करना ठीक नहीं है। मैं फिर पूछता हूं कि क्या आप संविधान के अनुच्छेद १४ को शून्य कर देंगे और क्या उस अनुच्छेद के रहते हुए निर्धार्य न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा। अतः मेरा निवेदन है कि आप सभा को स्पष्ट आश्वासन दें कि निर्णय को माना जायेगा और इस अधिकार का तब तक उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक निर्धार्य स्वयं अपने मामले को स्थानान्तरित करने की इच्छा प्रकट न करे। कार्यपालिका को स्थानान्तरण को अधिकार बिना कोई प्रतिबन्ध लगाने नहीं देना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो वह अपनी मनमानी करेगी और निर्धार्य से पूछे बिना और उसे सूचना दिये बिना उसके मामले को उसके कारबार के स्थान से एक ऐसे स्थान पर स्थानान्तरित कर देगी, जो सैकड़ों मील दूर है।

सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह राजस्व पदाधिकारियों को सहयोग दें। पर धारा ६४ के होते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि अमुक निर्णय अनुचित है। अतः मै समझता हूं कि इससे हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी।

सरकार को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिये और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री तथा प्राधिकारियों को चाहिये कि वह यह आश्वासन दें कि ऐसा करने से पहले करदाता को नोटिस दिया जाना चाहिये और उसके अभ्यावेदन की सुनवाई की जानी चाहिये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : सभा के सम्मुख जो संशोधन है उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो निर्णय इस सम्बन्ध में दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उस पर ध्यान दें। इस धारा के सम्बन्ध में उन्होंने अपने निर्णय में कहा है कि भारतीय आयकर की धारा ५ (७) (क) और ६४ (५) (ख) संविधान के अनुच्छेद १४ के शक्तिपरस्तात् हैं। आगे उन्होंने यह भी बताया है कि बिना किसी सुनवाई या कारण के मामलों को दूसरे न्यायालयों को भेज देना उचित नहीं है। भूतलक्षिता को लगभग सभी न्यायालयों ने अनुचित ठहराया है पर आप इस संशोधन द्वारा मामले की परिभाषा में मामले की उस कार्यवाही को भी सम्मिलित कर रहे हैं जो उसके स्थानान्तरण के बाद आरम्भ होगी। यह बात समझ में नहीं आती।

फिर, इन मामलों में उन लोगों के लिये जिन पर मुकदमा चलाया जाता है "कोई व्यक्ति" शब्द आपने रखा है पर चूंकि मुकदमें के पक्ष आयकर विभाग और निर्धार्य होते हैं अतः "कोई व्यक्ति" के स्थान पर, "निर्धार्य" शब्द रखना अधिक उचित होगा। परन्तु उन कारणों को ध्यान में रखते हुए जिन पर बोड़ी सम्बन्धी मुकदमे का निर्णय आधारित है, मैं चाहता हूं कि संशोधन वास्तविक हो और केवल इसकी भाषा पर ही नहीं बल्कि इस की भावना पर भी ध्यान दिया जाये और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को बनाये रखा जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : जब कोई निर्धार्य यह समझता है कि उसके मामले में अमुक आयकर पदाधिकारी या उच्च अधिकारी न्याय नहीं करेंगे तो वह अपने मामले के स्थानान्तरण के लिये आवेदन पत्र देता है। यहां तक तो ठीक है पर धारा ६४ के अन्तर्गत निर्धार्य पर कर निर्धारण समान्यतया उस स्थान पर किया जायेगा, जहां वह रहता है या जहां उसका कारबार है। निर्धार्य के मामले का निर्णय केवल वे पदाधिकारी करेंगे, जिनके क्षेत्राधिकार में उसका निवास-स्थान है। परन्तु अब क्या उपबन्ध किया जा रहा है ? उच्चतम पदाधिकारी को मामले स्थानातरित करने का अधिकार दिया जा रहा है। करोड़ों ऐसे मामलों को, जिनमें करोड़ों रुपये का प्रश्न होता है, स्थानान्तरित करने की बात तो समझ में आ सकती है। छोटे-छोटे निर्धार्यों के मामलों में ऐसा करने से उन्हें बहुत परेशानी होगी।

माननीय मंत्री की बात को सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक बार किसी मामले का स्थानान्तरण हो जाने के बाद क्षेत्राधिकार हमेशा के लिये बदल जाता है। और उस निर्धार्य के सभी मामलों का निर्णय बाद में नये स्थान पर किया जायेगा इस प्रकार धारा ६४ का उल्लंघन होता है। यह उचित नहीं है।

जहां तक केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का सम्बन्ध है, यदि वह सभी विचाराधीन मामलों के बारे में आदेश दे दें तो कठिनाई दूर हो जायेगी। परन्तु निर्धार्य को धारा ६४ के अनुसार इस बात का

†मूल अंग्रेजी में।

[ पंडित ठाकुर दास ]

अधिकार होना चाहिये कि उसका कर निर्धारण कहां किया जाये। कुछ लोगों के मामलों को दूसरे स्थानों पर भेजने का अर्थ यही है कि हम धारा ६४ का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

†**श्री एम० सी० शाह** : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों को गलतफहमी हुई है। केन्द्रीय सरकार का यह इरादा नहीं है कि निवास स्थान या व्यापार स्थान पर निर्धारित किये जाने वाले सभी मामलों को स्थानान्तरित कर दिया जाय। मैं बता चुका हूं कि निर्धार्य की सुविधा का ध्यान हमेशा रखा जायेगा। परन्तु जब एक ही पक्ष का व्यापार कई स्थानों पर फैला हुआ हो और उसके मामले भी कई स्थानों पर होते हैं तो उनको एक स्थान पर भेजना आवश्यक हो जाता है। अतः केन्द्रीय राजस्व बोर्ड जटिल मामलों को ऐसे पदाधिकारी के पास भेजता है जिसको काफी अनुभव हो। विधेयक को पेश करते समय मैंने बताया था कि उच्चतम न्यायालय ने आयकर जांच आयोग अधिनियम की धारा ५ (१) को और धारा ५(४) को शक्तिपरस्तात् घोषित किया था। लगभग १,२०० मामले अनिर्णीत पड़े थे। कुछ मामले निबटाये जा चुके थे और कर भी इकट्ठा किया जा चुका था पर २६ जनवरी, १९५० के बाद आयकर जांच आयोग द्वारा निर्णीत सभी मामलों को नियम विरुद्ध घोषित कर दिया गया। इसीलिये हमें आयकर संशोधन विधेयक में ३४ (१) क जोड़ना पड़ा। उन सभी मामलों को एक विशेष निदेशालय के सुपुर्द कर दिया गया है जिसमें तीन वरिष्ट आयकर आयुक्त हैं। हम उन मामलों के सम्बन्ध में क्या करेंगे। यदि हम निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं तो वह सभी आदेश अवैध हो जायेंगे। अतः आयकर अधिनियम में ३४ (१) क जोड़ कर किये गये संशोधन के बाद निवटाये गये सभी मामले में ऐसे आदेश अवैध हो जायेंगे क्योंकि वह मामले केवल एक ही वर्ष के नहीं है बल्कि कई वर्षों के हैं और उनके बारे में और कई कार्यवाहियां अभी की जा रही है। कई ऐसे व्यापारी या व्यापार कम्पनियां हैं जिनके व्यापार केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कानपुर में ही नहीं फैले हुए बल्कि देश के अन्य स्थानों पर भी हैं। वह सभी अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। साथ ही इन मामलों में आयकर पदाधिकारियों को करापवंचन का पता लगाना होता है और यह जांच करनी होती है कि आयकर के विवरण सही हैं। बताया गया है कि करोड़ों रुपयों के आयकर का अपवंचन किया गया है। इस प्रकार के अपवंचन या छिपाई गई राशियों के बारे में पता लगाने का काम हमें उन पदाधिकारियों को सौंपना पड़ेगा जिनको ऐसे मामलों के बारे में विशेष ज्ञान है। अतः केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऐसे मामलों को विशेष सर्कल में भेजे।

हमने कलकत्ता और बम्बई तथा अन्य व्यापारिक स्थानों पर ऐसे विशेष सर्कल स्थापित किये हैं। अतः सरकार के लिये यह परम आवश्यक है कि आयकर विभाग के प्रशासन की सुविधा के लिये वह ऐसे मामलों को ऐसे विशेष स्थानों पर भेजे। इस कारण इस विधेयक में यह स्पष्टीकरण रखना उचित है।

फिर, समवायों के लेखों की जांच करने, उसमें अपवंचन का पता लगाने और यह देखने के लिये कि आय के विवरण सही हैं या नहीं या उनकी आय के अन्य कौन से मदों पर कर लगाया जा सकता है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इसी कारण हमें समवाय सर्कल बनाने पड़े हैं। यह प्रक्रिया १९४० से जारी है। १९४० में एक संशोधन किया गया था कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को अधिकार दिया जाये कि वह ऐसे जटिल मामलों को कुछ विशेष सर्कल में भेज दिया करें। उसके बाद हमने एक निरीक्षण तथा जांच निदेशालय खोला है। उसमें भी कई सर्कल हैं। जब किसी बड़ी राशि के अपवंचन का मामला होता है तो हम उसे विशेष निदेशालय को भेज देते हैं। अतः ७ (क) के अन्तर्गत इन

†मूल अंग्रेजी में।

शक्तियों के लिये उपबन्ध करना परम आवश्यक है पर निर्णय में कहा गया है कि यह शक्तियां केवल एक विधीरण वर्ष के लिये ली जा सकती हैं। हम जानते हैं कि ऐसे मामलों में कई वर्ष लग जाते हैं। एक वर्ष का निर्धारण करने में दो, तीन या चार वर्ष तक लग जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह समवाय या व्यापारी लोग अपने विवरण उस समय पेश करते हैं जब समय लगभग समाप्त होने लगता है ।

वे सब इस कारण धोखा दे रहे हैं कि कार्यवाही लम्बी होती जाये—और इसी कारण १९४० से यह आवश्यक समझा गया है कि ये समस्त विशेष केन्द्र विद्यमान रहें और तमाम महत्वपूर्ण और उलझे हुए मामले उनको सौंपे जायें जहां हमारे बहुत ही अनुभवी पदाधिकारी हैं जो कि इन मामलों पर गहन विचार कर सकते हैं और अपवंचित आय का पता लगा सकते हैं।

श्री टेक चन्द ने न्यायाधीश विवियन बोस के एक अल्पमतीय निर्णय का उल्लेख किया है ।

†**श्री टेक चन्द :** यह अल्पमतीय निर्णय नहीं था—बल्कि पृथक् निर्णय था ।

†**श्री एम० सी० शाह :** अच्छा यह प्रथक् निर्णय था । शब्दों में कोई विरोधाभास नहीं है । जब एक बार इस प्रकार के मामले का तबादला किया जाता है, तब स्वाभाविक रूप से ही उसके बाद होने वाली तमाम कार्यवाही उसी पदाधिकारी द्वारा की जाती है जिसे वह मामला हस्तान्तरित किया गया है । मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव को सामान्य आयकरदाताओं के बारे में कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये । आयकर आयुक्तों तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को अपने साधारण मामले बदलने में कोई प्रसन्नता नहीं होती । यह केवल तभी होता है जब मामले बहुत ही उलझे हुए होते हैं और उनमें पूर्ण अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है और तभी मामले उन विशेष केन्द्रों को सौंपे जाते हैं । इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि इस विधि को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संशोधित किया जाये जिसमें उन्होंने कहा है कि हस्तान्तरण एक विशिष्ट निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित है । इस लिये हमने बहुत ध्यानपूर्वक ही "proceedings" (कार्यवाहियां) शब्द प्रयोग किया है । शब्द "person" (व्यक्ति) का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि बहुत से करदाता तथा वर्ग होंगे । इसलिये लोक हित में यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इस अधिनियम को उसी प्रकार संशोधित करें जैसा हमने सुझाव दिया है । मुझे आशा है कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी और विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

†**एम० सी० शाह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

# खड़गपुर में हड़ताल की स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा खड़गपुर के हड़ताल की स्थिति के बारें में चर्चा करेगी जिसकी सूचना श्री फीरोज गांधी द्वारा नियम २१२ के अन्तर्गत दी गई थी। रेलवे मंत्री ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** २३ मई, १९५६ को दिये गये अपने वक्तव्य में मैंने बताया था कि खड़गपुर वर्कशाप में कामबन्दी की हड़ताल ८–५–५६ को आरम्भ हुई और कर्मचारियों ने हड़ताल करने से पूर्व अथवा तुरन्त बाद में हड़ताल करने के कोई कारण नहीं बताये और न ही उन्होंने प्रशासन को कोई सूचना दी।

खड़गपुर वर्कशाप की कामबन्दी की हड़ताल तत्पश्चात् विद्युत्शॉप, जनरल स्टोर, सिगनल शॉप और लोको शैड में फैल गई। हड़ताल की चरम सीमा उस समय हुई जबकि वर्कशॉप, विद्युत-शॉप तथा जनरल स्टोर में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग ४७६ रह गई जहां कि उनकी सामान्य कुल हाजरी की संख्या १२,००० थी।

ऐसा कहा जाता था कि यह हड़ताल उसी वर्कशाप के ब्रश-हैंड पेंटरो से सहानुभूति प्रकट करने के लिये थी जो कि १ मार्च, १९५६ से हड़ताल पर थे। यह ब्रश-हैंड पेंटर जिनकी संख्या लगभग १०० थी बिना नोटिस के हड़ताल कर चुके थे, उनकी मांग यह थी कि उनका स्टैंसिलों से इंजन, डिब्बों आदि को अंकित करने का काम "दक्ष कार्य" माना जाये। यह मांग अनुचित थी और मानी नहीं जा सकती थी।

इस हड़ताल के आरम्भ से ही, ऐसे श्रमिकों को जो काम पर उपस्थित होना चाहते थे, हड़ता-लियों द्वारा पुलिस संरक्षण के होते हुए भी डराया, धमकाया तथा तंग किया जाता था। आक्रमण करने के बहुत से मामले हुए जिनमें श्रमिकों को छोटे-मोटे घावों से लेकर गंभीर घाव भी लगे। जिसमें ५ श्रमिकों की हड्डियां टूट गई और एक श्रमिक को छुरा घोंका गया। ११ मई, और २७ मई के बीच ऐसे मामलों की संख्या ८७ थी। केवल ऐसे ही कर्मचारियों पर जो काम करना चाहते थे लाठियों, पत्थरों से हमले नहीं किये गये बल्कि पश्चिमी बंगाल सशस्त्र पुलिस स्टॉफ के सहायक कमांडैंट के तथा १० अन्य पुलिस कर्मचारियों को गहरी चोटें आईं, और भी यहां तक हुआ कि वफादार श्रमिकों के परिवारों को जब वे काम पर होते थे धमकियां दी गईं, यहां तक कि एक दिन आदमियों को काम छोड़ना पड़ा और उन्हें अपने परिवारों की देखभाल करने के लिये अपने घर जाने की आज्ञा दी गई।

जबकि श्रमिकों की उपस्थिति २३ मई से ७२९ से बढ़कर २५ मई तक ३,३६२ हो गई, तो हड़-तालियों ने अधिक हिंसात्मक कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया जैसे कि धरना देना और धमकियां देना। और अपने आपको अप्रत्यक्ष रखने की दृष्टि से २६ तारीख को प्रातः बहुत-सी स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य शरारत करने वाले लोग श्रमिकों द्वारा भेजे गये जोकि दफ्तर के समय बाहर वाले द्वार के सामने एकत्रित हो गये और उन्होंने वर्कशॉप में प्रवेश करने का यत्न करने वाले श्रमिकों पर पत्थर फेंकना आरम्भ किया। उसी दिन प्रातः ६·४० पर मिदनापुर की गाड़ी खडगपुर के बाहर वाले सिगनल पर कर्मचारियों को लेने के लिये रुकी तो हड़तालियों ने इंजन के कर्मचारियों को बलपूर्वक बाहर खींच लिया, उन्हें पीटा और स्टीम रेग्यूलेटर खोल दिया गया और गाड़ी को बगैर ड्राइवर और अन्य चालकों के चला दिया। परिणामस्वरूप गाड़ी प्लेटफार्म में दाखिल हुई, प्रत्यारोध से टकरा गई और प्लेटफार्म पर चढ़ गई जिससे स्टेशन की बिल्डिंग को हानि पहुंची। मुझे सभा को यह बताते हुए खेद होता है कि ६३ व्यक्ति घायल हुए जिनमें १४ की स्थिति गम्भीर बताई जाती है। इस मामले में सौभाग्य

†मूल अंग्रेजी में।

की बात यह हुई कि स्टेशन समीप ही था और गाड़ी ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी जब कि यह प्रत्यारोध से टकराई, अन्यथा यह दुर्घटना बड़ी भयानक होती।

दक्षिण-उत्तर रेलवे संघ ने श्रमिकों को हड़ताल बन्द करने की सलाह दी है।

मैं यहां पर प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करूंगा, किन्तु यह बहुत दुःख की बात है कि उनके लम्बे प्रस्ताव में खेद प्रकट करने के बारे में एक भी शब्द नहीं है, जबकि हिंसात्मक कार्यवाही से जनता को तथा उनके साथी श्रमिकों को इतने कष्ट हुए हैं।

आज कुल १४,००० श्रमिकों में से ११,९४२ श्रमिक काम पर उपस्थित हुए हैं। इस समय मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। यदि कुछ आवश्यक हुआ तो अन्त में मैं कुछ शब्द कहूंगा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : क्या मैं दो बातों का स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महादय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य होने वाली चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : जी हां, किन्तु दो बातों का स्पष्टीकरण कराना अभी उचित समझता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : माननीय मंत्री ने बताया कि १२,००० में केवल ४७६ श्रमिक गंभीर हड़ताल के समय उपस्थित थे। क्या वह बता सकते हैं कि उनमें से चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी थे और तृतीय श्रेणी के कितने ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मैं इस प्रकार के आंकड़े नहीं दे सकता। बहुत से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के थे। किन्तु अधिकतर वर्कशाप के कर्मचारी ही थे। निस्संदेह, उनमें से तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी थे किन्तु मैं ठीक-ठीक आंकड़े नहीं दे सकता।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे संघ मान्य संघ है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : जी नहीं, वह मान्य संघ नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय के बारे में हमारे पास दो घंटे का समय है। श्री फीरोज गांधी को मैं १५ मिनट दूंगा—माननीय मंत्री भी फिर उत्तर देंगे—इसलिये अन्य माननीय सदस्यों को केवल ५ से ७ मिनट ही मिलेंगे। विशिष्ट दलों के प्रवक्ताओं को १० मिनट मिलेंगे।

†**श्री फिरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम या जिला रायबरेली—पूर्व) : इस चर्चा को उठाने का मेरा उद्देश्य यह है कि सभा का और विशेषतः सरकार का ध्यान खडगपुर में फैली हुए उपद्रव की स्थिति की ओर दिलाया जाये।

शनिवार को वहां जो गड़बड़ हुई उसे समाचारपत्र में पढ़कर मैं स्तम्भित रह गया। रेलवे के इतिहास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई।

रेलवे में १० लाख लोग नियुक्त हैं। समय-समय पर उनमें शिकायतें पैदा होने की सम्भावना है। नीचे से ऊपर तक ऐसे विवादों को सुलझाने के लिये एक व्यवस्था-तन्त्र विद्यमान है। माननीय मंत्री ने बताया है कि रेलवे प्रशासन को कुछ भी पता नहीं था कि यह हड़ताल क्यों हुई थी। इलाहाबाद में भी ऐसा ही हुआ और श्रमिक जाकर रेलवे लाइन पर बैठ गये। कानपुर के लोको शैड में भी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री फीरोज गांधी]

गड़बड़ है। सभा को चाहिये कि वह सरकार को निर्देश दे कि वे ऐसी शरारत और गुंडागर्दी के विरुद्ध यथासम्भव सख्त उपायों से काम लें।

इस प्रकार की घटनाओं से लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ जायेगा और वे समझेंगे कि सरकार यात्रा और सामान के यातायात को सुरक्षित नहीं रख सकती। सरकार को एसे आतंकपूर्ण कार्य करने वाले को सख्त दण्ड देना चाहिये। चौदह व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुए हैं। एक इंजन तोड़ फोड़ दिया गया है। डिब्बे तोड़े गये हैं और स्टेशन को नुकसान पहुचाया गया है। सरकार को तुरन्त सामूहिक जुर्माना लगाना चाहिये और क्षतिपूर्ति करनी चाहिये और उन लोगों को बता देना चाहिये कि जब तक वे बिना शर्त के इस अवैध हड़ताल को बन्द नहीं कर देते उनके साथ वार्त्ता नहीं होगी और उन्हें कोई आश्वासन नहीं किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि रेलवे प्रशासन को सख्त कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि जो कार्यवाही उन्होंने की है वह सफल नहीं हुई।

रेलें राष्ट्र की हैं और संसद् सरकार से इस आश्वासन की मांग कर सकती है कि राष्ट्र की सम्पत्ति की रक्षा के लिये वह भरसक प्रयत्न करेगी। श्रम सम्बन्धी गड़बड़ें हुआ करती हैं, परन्तु यह तो अति है। अब वह अवसर आ गया है कि सभी विचारधारा के लोगों को इस बात पर अपने मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिये कि वे लोकतन्त्रीय तरीके से प्रगति करना चाहते हैं अथवा उपद्रव और अराजकता फैलाना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि जब तक दक्षिण-पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ इस घटना के लिये खेद प्रकट न करे, उससे कोई वार्ता नहीं होनी चाहिये, और यदि वह मान्यता प्राप्त संघ हो तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाये। जिन लोगों ने इस उपद्रव में भाग लिया है और जिन्होंने यह आन्दोलन चलाया है उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री वेंकटरामन** (तंजोर) : मेरा विचार है कि मैं श्री नम्बियार के पश्चात् बोलूं। यदि आप आज्ञा दें तो हम दूसरी ओर की बात भी सुन लें।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : हम सबको खड़गपुर की दुःखद घटना सुनकर दुःख हुआ है। सभा को इस पर बिना पक्षपात के विचार करना चाहिये। रेलवे कर्मचारियों की ही सर्वथा निन्दा करने से लाभ नहीं होगा।

मेरे पास विश्वस्त समाचार हैं कि हड़ताल किन कारणों से हुई और यह घटना क्यों हुई। दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ के महासचिव ने जो प्रार्थनापत्र औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन भेजा था उसमें हड़ताल के कारण बताये गये थे। उसमें कहा गया है कि के प्रशासन के पेंटरों को स्टेंसलों का कार्य करने के लिये बाध्य किया गया था। यह कार्य भिन्न प्रकार का होने के कारण वे लोग इसे करने के लिय तैयार नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने विवाद के फैसले के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये हैं। यह कहना गलत है कि हड़ताल करने वालों अथवा संघ ने रेलवे मंत्रालय को अपनी शिकायतें नहीं बताईं।

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : क्या माननीय सदस्य इस प्रार्थनापत्र की तिथि बतायेंगे।

†**श्री नम्बियार** : यह १० तारीख का है।

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : यह हड़ताल के बाद की तिथि है।

†**श्री नम्बियार** : रेलवे मंत्री ने कहा था कि हड़ताल के पूर्व अथवा तुरन्त पश्चात् शिकायतों का विवरण उन्हें नहीं दिया गया।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री फीरोज गांधी :** क्या रेलवे प्रशासन को हड़ताल की सूचना दी गई थी ?

†**श्री नम्बियार :** यह स्पष्ट है। संघ अथवा श्रमिकों ने सूचना देकर हड़ताल आरम्भ नहीं की थी। वरन् यह हड़ताल स्वतः ही हो गई थी। कार्मिक संघ के इतिहास में यह कोई नई बात नहीं है। संघ की कार्यकारिणी समिति के २१ मई के संकल्प में कहा गया है कि खडगपुर में काम बन्द करने और न्याय की मांग करने का कारण उचित है। उसमें राष्ट्रपति से प्रार्थना की गई है कि रेलवे तथा श्रम मंत्रालय इस विवाद के सम्बन्ध में निर्णय करें ताकि हड़ताल करने वालों को उचित परामर्श दिया जा सके। इससे पता चलता है कि हड़ताल करने वाले गड़बड़ नहीं करना चाहते थे। वे रेलवे परिवहन को बन्द नहीं करना चाहते थे।

तत्पश्चात् संघ के महासचिव और अन्य पदाधिकारियों और विख्यात सदस्यों को जो १५० थे गिरफ्तार कर लया जिया था। २३ मई को महासचिव ने लोक-सभा के अध्यक्ष को पुलिस के अत्याचारों के सम्बन्ध में एक तार भेजा था और प्रार्थना की थी कि श्रमिक विवाद का निर्णय किया जाय। यह तार घटना से तीन दिन पूर्व भेजा गया था।

विषय न्याय के लिये प्रस्तुत करने के पश्चात् मैंने सभा में इस आश्वासन की मांग की थी कि हड़तालियों पर अत्याचार न किया जाए परन्तु इसे अस्वीकार कर दिया गया। मैंने यह प्रार्थना माननीय मंत्री से भी की थी और कहा था कि वे इस तरह विषय का निबटारा करने वालों की सहायता करें, परन्तु वे अपने विचार पर दृढ़ रहे। श्रम मंत्री के अत्याचार न करने का आश्वासन देने में भी, असमर्थता प्रकट की थी।

संघ के अध्यक्ष श्री गुरुस्वामी श्री लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे। वे इस सम्बन्ध में कलकत्ता में महाप्रबन्धक से भी मिले थे, परन्तु कुछ फैसला नहीं हुआ। संघ के नेताओं की अनुपस्थिति में शरारत करने वालों ने अवसर से लाभ उठाया और हालात खराब हो गयी।

इन तथ्यों से पता चलता है कि श्रमिकों के हड़ताल करने के लिये काफी कारण थे। गड़बड़ तब आरम्भ हुई जब ११२ पेन्टरों को काम करने से बन्द कर दिया गया। संघ ने निबटारे के लिये भरसक प्रयत्न किया, परन्तु हड़ताल के जारी रहने के लिये रेलवे मंत्री और प्राधिकारियों की उपेक्षा उत्तरदायी है। रेलवे कर्मचायिों, महिलाओं और बच्चों पर, पुलिस जुल्म के कारण उनमें रोष पैदा हो गया था। अतः इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये ताकि संसद् और देश को पता लगे कि इस घटना के लिये कौन उत्तरादायी है।

यह साधारण बात नहीं है कि १५,००० श्रमिक एकदम हड़ताल कर दें और २० दिन तक जारी रखें। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि बिना उचित कारणों के ऐसी बात हो सकती है। देश यह जानने के लिये उत्सुक है कि किन कारणों से यह हड़ताल हुई है।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी :** उन्होंने हिंसात्मक कार्यवाही कब आरम्भ की थी ? यह नोटिस तो १० तारीख को दिया गया था।

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** मेरा विचार है कि हड़ताल के आरम्भ होने के तुरन्त पश्चात्, अधिकाधिक एक दिन पश्चात्, हिंसात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में हमें समाचार मिले थे अथवा मिलने आरम्भ हो गये थे। मैं ठीक नहीं बता सकता, परन्तु सम्भवतः एक दिन पश्चात्।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी :** ९ तारीख को ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** जी हां, ९ को। वहां कुछ अहिंसात्मक कार्य हुए थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि ४७६ की जो संख्या मैंने बतायी है उसमें श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के श्रमिक भी थे, परन्तु निरीक्षक नहीं थे, जिनकी संख्या लगभग ५२८ है और जो बराबर उपस्थित थे ।

मैंने कुल अभिलिखित मामलों के बारे में जो पहले कहा था उसमें शोधन करना चाहता हूं । जख्मी हुओं की कुल संख्या निम्नलिखित है :

| | |
|---|---|
| ११ मई | ५ |
| १४ मई | १ |
| १७ मई | २ |
| २२ मई | ८ |
| २४ मई | १ |
| २५ मई | १ |
| २६ मई | ६८ |
| २७ मई | १ |

†**श्री वेंकटरामन :** मुझे खेद है श्री नम्बियार ने हड़ताल को उचित बताते हुए रेलवे कर्मचारियों को और उनकी समस्याओं के शान्तिपूर्ण निबटारे को हानि पहुंचाई है । कुछ लोगों की गुंडागर्दी की निन्दा करते हुए हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि मालिकों और कर्मचारियों का सम्बन्ध शान्तिपूर्ण हो ।

मेरे मित्र श्री नम्बियार ने बताया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १० (२) के अधीन एक प्रार्थनापत्र दिया गया था, परन्तु उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि वह प्रार्थनापत्र मालिक और कर्मचारी दोनों का संयुक्त प्रार्थनापत्र होना चाहिये ।

धारा १०(१) के अधीन एक पक्ष विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज सकता है । अतः श्री नम्बियार का कथन भ्रमपूर्ण है ।

धारा २२ के अधीन किसी संघ द्वारा बिना सूचना हड़ताल करना अवैध है । निश्चय ही कुछ लोगों ने यह अवैध हड़ताल आरम्भ की है और वे अब उसका उत्तरदायित्व लेने के लिये तैयार नहीं हैं ।

क्या कुछ सौ पेन्टरों के लिये केवल इस कारण, ६०–७० जीवनों का बलिदान ठीक है कि उन्हें प्रवीण श्रमिक घोषित नहीं किया गया । १९४८ के न्यायाधिकरण ने जिसमें अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि भी थे इन्हें अर्ध प्रवीण घोषित किया था ।

जिस विषय का निबटारा न्यायाधिकरण ने किया था उसे अब उठाया जा रहा है । ऐसी शिकायत के लिये इतने अधिक लोगों की गुंडागर्दी उचित नहीं थी ।

श्री नम्बियार इसे महान् हड़ताल कहते हैं । परन्तु क्या पत्थर फेंकना और रेलवे लाइन पर बैठना हड़ताल है । मेरे माननीय मित्र एक बात को छिपा गये हैं कि इस विवाद का वास्तविक कारण रेलवे कर्मचारियों के संघों की यह उत्सुकता थी कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें । यह कार्मिक संघवाद की भावना के विरुद्ध है । कार्मिक संघ सदा निबटारे के लिये प्रयत्न करता है और उसके असफल होने पर हड़ताल की सूचना देता है कोई यह नहीं कहता कि हड़ताल का अधिकार छीन लेना चाहिये । प्रत्येक कार्मिक संघकर्त्ता को यह स्वीकार करना होगा कि हड़ताल सभी उपचार समाप्त करने के पश्चात् करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इस हड़ताल में सर्वथा कोई औचित्य नहीं है। वस्तुतः एक प्रदर्शन करने के लिये और प्रशासन का सम्मान गिराने के लिये पेन्टरों का प्रयोग किया गया है। एक कार्मिक संघ जो मान्यता प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा है वह अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ पर कब्जा करने के लिये देश भर में ऐसे कार्य कर रहा है। इसका सर्वथा विरोध होना चाहिये।

इसके साथ ही मैं श्रम मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार होना चाहिये। वे पथभ्रष्ट हैं। उन्होंने स्वयं अहिंसापूर्ण कार्यों का संगठन नहीं किया। यह तथा-कथित नेताओं का कार्य है जो आन्दोलन में कूद पड़ते हैं और फिर अकस्मात् छिप जाते हैं। रेलवे कर्मचारी को श्रमिक कार्यकर्त्ताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिये। मैं सामूहिक जुर्माने का समर्थन नहीं करता।

†**श्री गाडगील :** मैं इस महान् गणतन्त्र का नागरिक होने के नाते इन सब चीज में दिलचस्पी रखता हूं। श्री फीरोज गांधी के साथ चर्चा करने के पश्चात् मैंने विचार किया था कि एक पक्ष नहीं वरन् सारे सदन द्वारा इस सभा में मूल सिद्धान्त सम्बन्धी एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला यह है कि वर्तमान स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और दूसरा ऐसी दुर्घटनायें भविष्य में कैसे रोकी जायें। मैं माननीय मंत्री को आश्वासन देता हूं कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जो कार्यवाही वे करेंगे उनका समर्थन सभा करेगी। पिछले ४ वर्षों से बहुत दुर्घटनायें हो रही हैं और उन्हें रोकने में यदि रेलवे मंत्री को सफलता नहीं मिली है तो यह उनका दोष नहीं है। जब लोग इंजिन में से चालकों को निकाल दें तो यह विश्वास करना कठिन है कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनके कृत्यों का क्या परिणाम होगा।

विवादों को मिटाने के लिये मध्यस्थ निर्णय होना आवश्यक है, परन्तु यह और भी आवश्यक है कि लोगों को नागरिक के कर्तव्य सिखाये जायें। हमें यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि सभा ऐसी बातों को नहीं सहेगी जिनसे कुछ लोग समाज को कष्ट में डालकर लाभ उठाना चाहते हैं।

हैदराबाद में फायरमैनों की हड़ताल के बारे में रेलवे मंत्री जैसे सीधे व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उससे पता चलता है कि स्थिति बहुत खराब है। वहां व्यवस्था लाने के लिये वे जो कार्यवाही करेंगे उसका सभा समर्थन करेगी। जिन लोगों को शिकायत हो वे उसे विधिक तथा संवैधानिक रीति से व्यक्त कर सकते हैं। परन्तु यदि वे किसी अन्य प्रकार से कार्यवाही करेंगे तो सरकार उसको नहीं सह सकेगी।

हम सब चाहते हैं कि देश में शांति के उपायों से प्रगति हो। यदि ऐसे समय में रेलवे आदि सहायता न करें तो हमारी आर्थिक प्रगति न होगी। मैं प्रत्येक सदस्य से अपील करता हूं कि वह रेलवे मंत्री को सुझाव दे कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थितियां कैसे काबू में लायें।

स्वतन्त्रता से पहले राजनीतिक प्रगति के लिये प्रत्येक दल ने मजदूर संघों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। अब यह आवश्यक नही है कि क्योंकि प्रत्येक को लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये।

हमें इस प्रश्न पर किसी दल के सदस्य के रूप में नहीं अपितु सामान्य नागरिक के रूप में विचार करना चाहिये जिससे कि न केवल मजदूरों का ही भला हो अपितु सारे समाज को सुरक्षापूर्वक यात्रा करने की सुविधा प्राप्त हो।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : खड़गपुर में जो दुर्घटनायें हुई हैं हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं। जो व्यक्ति इसके लिये उत्तरदायी हैं वे मजदूर वर्ग के आन्दोलन के शत्रु हैं। मैं

†मूल अंग्रजी में।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

समझता हूं कि मालिकों ने श्रमिकों के बीच के कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति रख दिये हैं जिन्होंने यह दुर्घटना की और मजदूरों के हितों को हानि पहुंचाई।

†**श्री फीरोज गांधी** : जब गाड़ी रोकी गई थी तो वहां हजारों श्रमिक उपस्थित थे।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : इस दुर्घटना में हमें कुछ शंकायें हैं इसलिये हम चाहते हैं कि इन परिस्थितियों की जांच की जाये जिनमें कि यह दुर्घटना हुई। हमें बिना सोचे समझे परिणाम पर नहीं पहुंचना चाहिये।

जब हमें जनता से मुकाबला करना पड़े तो मनोवैज्ञानिक ढंग से काम करना चाहिये हमें खेद है कि इस ढंग से काम नहीं किया गया।

पिछले मास की २३ तारीख की कार्यवाही को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा। उनसे प्रतीत होता है कि रेलवे मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा था कि वे श्रमिकों की मांगों पर तनिक भी विचार नहीं करेंगे।

विधि के अनुसार आपका कहना ठीक है। परन्तु यह हड़ताल अवैध तथा मज़दूर संघों द्वारा अनधिकृत थी। समय-समय पर ऐसी हड़तालें हुआ ही करती हैं। और बाद में मजदूर संघों को बीच में पड़ना ही पड़ता है। इस समय ऐसी हड़ताल हुई जिसमें कि १२ हजार श्रमिकों में से केवल एक हजार श्रमिक काम पर आये।

यह कहा गया है कि मजदूरों ने विभिन्न प्रकार के खराब काम किये। परन्तु मजदूरों को भी बहुत क्षति पहुंचाई गई जिनकी श्री लाल बहादुर ने चर्चा नहीं की है। भूख और क्रोध में बहुत कम अन्तर होता है और कभी-कभी इसके कारण ऐसी घटनायें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिये। यह कहने से कि आप उनकी मांगों पर तनिक भी विचार नहीं करेंगे स्थिति नहीं सुधरेगी। इस दुर्घटना के होने से पूर्व मजदूर संघ की कार्यकारिणी ने हड़ताल बन्द करने का उत्तरदायित्व लिया था और उन्हें आशा थी कि ऐसा करने से श्री लाल बहादुर का हृदय पिघल जायगा। परन्तु अब आप सारे मजदूर संघ की भर्त्सना कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मजदूर संघ हैं और उनमें स्पर्द्धा होने के कारण यह दुर्घटना हुई। कौनसा मजदूर संघ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, इसका पता इस बात से चल सकता है कि बारह हजार में जो ग्यारह हजार श्रमिक नहीं आये थे वे किस संघ के थे। खड़गपुर में यह स्थिति इसलिये उत्पन्न हुई कि रेलवे मंत्रालय ने स्थिति का ठीक तरह से मुकाबला नहीं किया। हम सब चाहते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल हो। परन्तु लाखों रेलवे श्रमिकों की भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। रेलवे मंत्री को चाहिये कि वे रेलवे कर्मचारियों को समझें और जानें कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। द्वितीय वेतन आयोग बनाने सम्बन्धी उनकी मांगों पर विचार किया जाये। इस दुर्घटना को अलग से न देख कर समस्त मजदूरों की मांगों के अंग के रूप में देखना चाहिये और जैसा कि श्री फीरोज गांधी ने सुझाव दिया है समस्त मजदूरों की भर्त्सना नहीं करनी चाहिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे खुशी है कि यह विषय सभा के सामने चर्चा के लिये आया क्योंकि यह घटना भीषण ही नहीं है अपितु उन बातों की द्योतक है जो देश में हो रही हैं। माननीय सदस्य ने, जिन्होंने अभी भाषण दिया है, कहा है कि हमें मजदूरों और श्रम आन्दोलनों की भर्त्सना नहीं करनी चाहिये। मैं उनसे सर्वथा सहमत हूं। परन्तु इस दुर्घटना में इस बात का उपेक्षा की गई है कि इससे जिन लोगों को हानि पहुंची वे मजदूर थे। जिस इंजन चालक और फायरमैनों को रेलवे इंजिन से निकाला गया वे क्या थे ? रेलगाड़ी में पीछे जो

†मूल अंग्रेजी में।

व्यक्ति बैठे थे और जिन्हें क्षति पहुंची वे कौन थे ? वे सब श्रमिक थे। अतः यह कहना व्यर्थ है कि मजदूरों के विरुद्ध कुछ किया गया है। मुझे इस विषय मे वास्तव में जो दुःख हुआ है वह इस बात का है कि इस देश में मजदूरों और श्रम आंदोलनों को किस प्रकार क्षति पहुंचाई जा रही है। मैं चाहता हूं कि देश में मजदूर संघ आंदोलन फैले। यह आवश्यक है कि मजदूर संघ आन्दोलन का अच्छे ढंग से विकास हो वह शक्तिशाली बने और जब आवश्यक हो तब हड़ताल भी करे। मैं हड़ताल के विरुद्ध नहीं हूं, यद्यपि मैं सोचता हूं कि आधुनिक युग में हड़तालों और तालाबन्दी का होना महान् अव्यवस्था का द्योतक है। परन्तु मैं नहीं चाहता कि मजदूरों को हड़ताल करने के अन्तिम शस्त्र से वंचित किया जाय जब तक कि कुछ अच्छी रीति का पता न चल सके जिससे उनके सारे विवादों को तै किया जा सके। मुझे यह देख कर बड़ी चिंता और दुःख होता है कि मजदूरों के आन्दोलन और मजदूर संघों को किस तरह गलत दिशा में खींचा जाता है, जिससे उन पर दोष लगता है। मुझे ठीक ज्ञान नहीं है, परन्तु मैं सोचता हूं कि देश में संगठित रूप से मजदूर संघ लगभग ४० वर्ष पूर्व आरम्भ हुए थे, अर्थात् लगभग प्रथम विश्वयुद्ध के आस पास। इसके बाद उनका विकास हुआ। ऐसे मजदूर संघों को बढ़ने, संगठित होने, और शांतिमय काम करने में समय लगता ही है। यदि वे प्रारंभिक काल में असंगठित हों और बहुत जल्दी हड़तालें करें तो उसकी उपेक्षा की जा सकती है। वास्तव में प्रारंभिक काल के मजदूर संघों ने मजदूर संघों के रूप में काम किया ही नहीं। लोग हड़ताल करने के लिये संघ बनाते थे जिन्हें वे संगठित नियमित मजदूर संघ कहते थे। प्रारंभिक काल में ऐसी बात का होना समझा जा सकता है। धीरे-धीरे देश में मजदूर संघ आन्दोलन बढ़ा और बहुत कुछ हद तक परिपक्व हुआ। कुछ हद तक यह परिपक्व नहीं हुआ और उसके लिये मैं श्रमिकों को दोष नहीं देता। जिन लोगों ने इन मजदूर संघों का नेतृत्व किया उनमें से कुछों ने इन्हें गलत रास्ते पर चलाया और हड़तालें करायीं तथा हिंसात्मक कार्य कराये जिसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि उन्हें कभी-कभी लाभ हुआ फिर भी बहुधा उन्हें हानि पहुंची। ऐसा होना स्वाभाविक ही था।

मैं जीवन के इस नियम में विश्वास करता हूं कि यदि कोई गलत कार्य करेगा तो उसका परिणाम गलत निकलेगा। इस विषय में मुझे कोई संशय नहीं है यह तो प्रकृति का नियम है। ये होने वाले परिणामों के द्योतक हैं जो भविष्य में होंगे और वे परिणाम आप भारत में आज भी देखते हैं। मैं संघों अथवा संगठनों के किसी दल विशेष की ओर निर्देश नहीं कर रहा हूं। परन्तु विकसित कार्मिक संघ, शक्तिशाली कार्मिक संघ और ऐसे कार्मिक संघ दिखाई देते हैं जिन्होंने श्रमिकों के हितों की रक्षा की है और उन्हें आगे बढ़ाया है और सामूहिक प्रयत्न द्वारा अपनी प्रगति की है और अपने सदस्यों को सुविधायें दी हैं, उनकी शान्तिपूर्ण शक्ति और संगठन का आदर किया जाता है और उनके शब्दों को महत्व दिया जाता है। दूसरी ओर इस प्रकार का भी संघ है जो अकस्मात् हड़तालें कराने में लगा रहता है। हम क्या देखते हैं ? अकस्मात् बिना पहले बताये अथवा पूर्व सूचना दिये समाचार पत्रों में देखते हैं कि एक हड़ताल भड़क उठी है। फिर कुछ बाद में कुछ लोग दूसरों को काम करने से रोकते हैं। वे उनपर पत्थर फैंकते हैं। पुलिस आती है। फिर विरोधी पक्ष के सदस्यों को पुलिस के अत्याचारों सम्बन्धी तार प्राप्त होते हैं। यह बराबर होता रहता है। माननीय सदस्य श्री नम्बियार ने तारों का पुलंदा दिखाया है। तार भेजना बहुत सुगम है परन्तु उसमें सच्चाई है अथवा नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। परन्तु बराबर होने वाली घटनायें हम देखते हैं। हड़ताल भड़क उठती है, कुछ श्रमिक दूसरों को काम करने से रोकते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं और कभी-कभी उन्हें काम करने से बिल्कुल रोक देते हैं। जब पुलिस लोगों की रक्षा के लिये आती है तो उसे पुलिस अत्याचार कहा जाता है। यदि पुलिस नहीं आती तो हड़ताल को रोका नहीं जा सकता। यदि वह आकर कुछ करना चाहती है तो भी इस पर आरोप लगाया जाता है। मैंने पत्थर आदि फैंकने के अहिंसापूर्ण कार्यों पर जो कि देश में एक सामान्य बात हो गयी है, किसी को स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए नहीं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सुना। मैं केवल श्रमिकों की बात नहीं कहता वरन् सार्वजनिक बैठकों आदि में भी निरन्तर ऐसा हो रहा है कि पत्थर फैंके जाते हैं पुलिस के लोगों को जख्मी किया जाता है और बुरी तरह जख्मी कर दिया जाता है और साथ ही आम लोगों को जख्मी कर दिया जाता है। हम किधर जा रहे हैं? यह चाहे जो भी हो किन्तु लोकतन्त्रात्मक ढंग नहीं है और निश्चय ही इसका उस चीज से कुछ सम्बन्ध नहीं है जिसे हम काम करने का भारतीय ढंग कहते हैं, हमें भारतीय ढंग से शान्तिपूर्वक निबटारा करना है। हम वस्तुतः क्या कर रहे हैं? मुझे इसकी चिन्ता है, मुझे इसका अत्यधिक दुःख है।

मेरा निवेदन है कि इस विषय का दावे के गुणावगुणों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसकी अलग जांच की जा सकती है, निश्चय ही इसकी जांच होनी चाहिये। यह बुरा ढंग है और मैं कहता हूं कि यदि १०० प्रतिशत ठीक मांग के साथ भी ऐसा ढंग अपनाया जाये, जो कि बुरा ढंग है, पापपूर्ण ढंग है तो ऐसे ढंग को सहन नहीं करना चाहिये और इसको अवश्य दबा दिया जाना चाहिये। मैं इस समय प्रश्न के गुणावगुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मुझे इस विशेष विषय के गुणावगुणों के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है।

मैंने श्री नम्बियार को सुना है। एक हड़ताल हुई है। इसे भड़काई गई हड़ताल कहा जा सकता है। यह छोटी-सी हड़ताल है और जैसा दिखाई देता है एक साधारण कारण से हुई है। उन्होंने कतिपय तिथियां बताई हैं। मैं नहीं जानता कि रेलवे मंत्री क्या तिथियां बतायेंगे। दो दिन पश्चात् उन लोगों ने बैठक की और एक प्रकार का लम्बा पत्र भेजा जो अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा है। उन्होंने भेज दिया है यहां आया नहीं। संभवतः यह कलकत्ता के मुख्यालय में पहुंचा हो। वक्तव्य दिये गये और मांगें इत्यादि की गईं। निस्संदेह उसमें पुलिस जुल्म की ओर निर्देश था। यह बात निरन्तर सब जगह कही जाती है क्योंकि आशा की जाती है क्योंकि पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप को तुरन्त स्वीकार कर लिया जायेगा। बेचारी पुलिस को मारा पीटा जाता है और उस पर सदा आरोप लगाये जाते हैं। पुलिस के विरुद्ध आरोप लगाना सुगम है।

मैं यहां पुलिस का पक्ष नहीं ले रहा किन्तु यह बात मैं जानता हूं। बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए भी पुलिस वालों की निन्दा करना उनके लिये असहनशील होता जा रहा है। जब पुलिस वाला अपराधी हो तो उसे दण्ड मिलना चाहिये और जब अन्य व्यक्ति अपराधी हो तो उसे दण्ड मिलना चाहिये। परन्तु पत्थर फैंकने वाला वीर माना जाता है और उसका जलूस निकाला जाता है और पुलिस का आदमी जिसके सिर पर पत्थर लगता है वह जुल्म और अत्याचार का अपराधी है। मैं इसे रहने देता हूं। हमें अधिक बड़े प्रश्न पर विचार करना है। साथ के बड़े दो या तीन प्रश्नों पर विचार करना चाहिये। हमें अपने सार्वजनिक कार्यों में न केवल हड़तालों अथवा ऐसे कार्यों में वरन् दूसरे कार्यों में भी हिंसा को घुसने से रोकना चाहिये।

हाल ही में पंजाब में क्या हुआ है। यह आश्चर्य की बात है कि एक संगठन जो संगठन कहलाने का दावा करता है वह न केवल इस बात का दावा करे वरन् जानबूझ कर सार्वजनिक बैठकों को संगठित रूप में भंग करे, पत्थर फैंके और घर की छतों से पुकारे कि "हम इन लोगों को बोलने नहीं देंगे। हमें इनके भाषण पसन्द नहीं।" जब दूसरी ओर यह समझा जाता है कि कुछ करना चाहिये और लोगों को पत्थर फैंकने से रोकने का प्रयत्न किया जाता तो तार भेजे जाते हैं कि पुलिस जुल्म और अन्य प्रकार के जुल्म हो रहे हैं। यह वस्तुतः आश्चर्यजनक है। क्या हम सब आदर्श खो चुके हैं? क्या शब्दों का कुछ अभिप्राय नहीं रहा? हम किधर को बह रहे हैं? मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार चाहे किसी भी दल की हो इस प्रकार की बात को चाहे वह किसी ओर से, भारत के किसी भी भाग से या किसी भी दल की ओर से हो, सहन नहीं कर सकती। मैं प्रत्येक दल और वर्ग को आमन्त्रित

करता हूं कि वे यहां अथवा कहीं भी खुल्लमखुल्ला बतायें कि उनका इस विषय के सम्बन्ध में क्या मत है और मेरा निवेदन है कि इसमें उनका और प्रत्येक व्यक्ति का हित है कि वे इस विषय में स्पष्ट कहें कि कोई हिंसात्मक कार्य होना चाहिये या नहीं।

हमें पूर्ण वाक्-स्वतन्त्रता होनी चाहिये। इस मूल बात पर हम सब को सहमत होना चाहिये। सिद्धान्त से हम सहमत हैं। व्यवहार से भी हमें सहमत होना चाहिये। उन लोगों का पक्ष लेना अच्छा नहीं है जिन्होंने हिंसात्मक कार्य किये हैं। उनके पक्ष में बहाने ढूंढने का प्रयत्न करना ठीक नहीं है। जो व्यक्ति हिंसात्मक कार्य करता है उसका कोई बहाना नहीं हो सकता। एक हत्यारे के लिये बहाना ढूंढा जा सकता है, परन्तु जो व्यक्ति पत्थर फैंकता है उसके लिये नहीं। एक व्यक्ति उत्तेजना में हत्या कर देता है। मैं जेल में बहुत से हत्यारों के साथ रहा हूं। मैं तो उन्हें पसन्द करने लगा था। पत्थर फैंकने वाले के लिये मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। मैं समझता हूं कि वह कमीना और घृणित व्यक्ति है और हमें उनसे कोई सहानुभूति नहीं है।

हमें इस विषय को स्पष्ट करना चाहिये यह और उपबन्ध करना चाहिये कि जहां भी पत्थर फैंके जायें उसे अवश्य रोकना चाहिये। हर दल को इसे रोकना चाहिये इसकी निन्दा करनी चाहिये और जो व्यक्ति या वर्ग पत्थर फैंकता है या दुर्व्यवहार करता है, उसे समाजच्युत कर देना चाहिये। ऐसा करना अपमानजनक, निन्दनीय और घृणित है। भारत में समाज इसे सहन नहीं कर सकता चाहे यह कहीं भी हो।

फिर हम विशेषत: हड़तालों आदि को लेते हैं। निस्संदेह इस बड़ी समस्या में वह बात भी आ जाती है। जैसा मैंने आरम्भ में ही कहा था मुझे श्रमिक वर्ग में और कार्मिक संघ बनाये जाने में अभिरुचि है क्योंकि शक्तिशाली कार्मिक संघों और ऐसे कार्मिक संघों की आवश्यकता है जो अनुशासित हों और शक्ति से कार्य करें और इस प्रकार के न हों। एक कार्मिक संघ कैसे इस प्रकार विकसित हो सकता है? वर्षों पूर्व कार्मिक संघ आन्दोलन ने इस देश में पूर्ण शक्ति से काम किया था। ऐसी बातें केवल इस कारण होती हैं कि देश के कुछ भागों में कार्मिक संघों के नेता तथाकथित भड़कीली हड़तालों के प्रोत्साहन देते हैं।

एक और स्थान है जहां कार्मिक संघ आन्दोलन सर्वथा और ही रूप में हुआ था। यह अहमदाबाद में गांधी जी के अधीन हुआ था और उसका परिणाम जैसा मैं कल्पना करता हूं यह हुआ कि उन क्षेत्रों में अत्यन्त शक्तिशाली और सब से अधिक संगठित संघ का विकास हुआ। इसने हड़तालें कीं, इसने हड़तालें खत्म नहीं कर दीं, परन्तु जहां तक मुझे पता है इसने कभी भी लोगों को भड़का कर हड़तालें नहीं कीं। सदैव जब कभी भी उनके और नियोक्ताओं के बीच विवाद पैदा हुआ उन्होंने शक्ति से काम लिया और उन्हें अपनी बात बतायी और सारी प्रक्रिया को पूरा करके बात का निबटारा करने का प्रयत्न किया। यदि निबटारा नहीं हुआ तो उन्होंन अंत में हड़ताल की और पूरी संगठित और अनुशासित हड़ताल की। परिणाम क्या हुआ? यदि आपके पास पंजियां हैं जो कि मेरे पास नहीं हैं—तो मेरा विचार है कि आपको पता लगेगा कि अहमदाबाद के श्रमिकों ने भली प्रकार विचार करके जो कार्य किया वह बहुत शक्तिपूर्ण कार्य था और उससे इन भड़कीली हड़तालों की अपेक्षा अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होने थे।

कभी भड़कीली हड़ताल भी सफल हो जाती है, विशेषत: जब इसका किसी ऐसी सेवा से सम्बन्ध होता है जो कि समाज के लिये आवश्यक होती है। आप सारे समाज को दाव पर लगा देते हैं। इसका तो यही अभिप्राय है। और क्या अभिप्राय हो सकता है? इसका यह अर्थ नहीं कि आप प्रश्न के गुणावगुणों को देखते हैं और न ही इसमें श्रमिकों के संगठन की शक्ति का पता लगता है। यह केवल समाज को दाव पर लगाना है, जिसके सिर पर एक भारी पिस्तौल रहती है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सारा कार्मिक संघ आन्दोलन उसकी गल्तियों और अपराध के बावजूद भी, धीरे-धीरे विकसित होना चाहिये । मुझे हर्ष है कि यह विकसित हो रहा है । मैं चाहता हूं कि भारत में इसका विकास हो । परन्तु, मैं चाहता हूं कि सभा--अन्य लोगों को छोड़ कर केवल श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए--इस बात पर विचार करे कि जिस प्रकार कार्मिक संघ आन्दोलन और अधिक विकसित हो सकता है और अपने व्यवहार में, शांतिपूर्ण कार्य के कतिपय आदर्शों, संगठित कार्य, पूर्ण विचार के पश्चात् कार्य-वाही, पूर्ण सूचना के साथ, और विवाद का निबटारा करने में पूर्णतः विकसित हो । यदि निबटारा न हो तो फिर हड़ताल हो सकती है । फिर अवश्य ही हड़ताल हो । परन्तु इस भड़कीली हड़ताल का क्या अभिप्राय है ?

मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि भारत में बहुत से स्थानों पर स्थिति असहनीय है । मुझे निश्चय है कि यदि मैं ऐसी स्थिति में होऊं तो मैं क्या करूंगा । यह अलग बात है । परन्तु मैं कहता हूं कि क्योंकि स्थिति असहनीय है, इसका यह अभिप्राय नहीं कि एक बुरा कार्य किया जाए, क्योंकि इससे वस्तुतः व्यक्ति और दल दोनों को हानि होती है । और आप एक पापपूर्ण बंधन में बंध जाते हैं जिसमें से आप निकल नहीं सकते । कार्मिक संघों और श्रमिक वर्ग के आन्दोलन के विकास का यह ढंग कदापि नहीं है । मैंने सामान्य सिद्धान्त सभा के समक्ष रखे हैं ।

परन्तु विशेष उदाहरण के सम्बन्ध में मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि श्रमिक वर्ग अथवा कार्मिक संघ आन्दोलन की निन्दा करने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि जिन लोगों को इस में हानि हुई है वे श्रमिक हैं । रेलवे श्रमिकों को ही हानि हुई है । उन्हें निकाल दिया गया वे जख्मी हुए । और कोई जख्मी नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि लोगों का ऐसा कार्य करना एक भयानक चीज है । यह तो अवसर की बात है कि ये ६३ या ६४ व्यक्ति मरे नहीं । जरा इस पर ध्यान दीजिये कि पहले घुस कर ड्राइवर और फायरमैन को बाहर फैंक दिया गया और फिर इंजन को चला कर बाहर निकल आये । मैं इससे भयानक और अपराध पूर्ण बात की कल्पना नहीं कर सकता । यह तो केवल हत्या अथवा हत्या का प्रयत्न है, इससे कम नहीं । यह केवल दैवयोग की बात है कि उनमें से कोई मरा नहीं, अब हस्पताल में कोई मर भी सकता है । और यह सब किस के विरुद्ध ? श्रमिकों के विरुद्ध ही है और किसी के विरुद्ध नहीं । यह उन श्रमिकों के विरुद्ध किया गया जो डराये-धमकाये जाने पर हड़ताल करने के लिये तैयार नहीं थे । इसे याद रखिये विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा था कि केवल १२०० श्रमिकों में से--आरम्भ में कुछ कम लोग काम पर गये--लगभग ४७६ काम पर गये थे । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यह जानना चाहिये कि लोग किस दबाव के कारण काम पर नहीं गये, क्योंकि लोगों को काम से रोकने के लिये बहुत अधिक दबाव था । इसका विचार किया जा सकता है कि उन पर काम पर जाने के लिये कितना दबाव था । परन्तु दूसरी ओर से भी दबाव डाला गया था । थोड़े से लोग जो डराने-धमकाने के लिये तैयार हों, दूसरों को काम पर जाने से रोक सकते हैं ।

अब अनुमान कीजिये कि ऐसी घटना हुई है ..... निस्संदेह इससे पूर्व पत्थर फैंके गये थे .... और फिर एक हड़ताल होती है, स्वभावतः लोगों को भय होगा या हो सकता है कि उन्हें कहीं मार न दिया जाए जबकि ऐसी घटना हो चुकी हैं । परिणाम यह है कि इच्छा अथवा अनिच्छा से, चाहे वे चाहें अथवा नहीं, उन्हें डराया-धमकाया जाता है कि वे काम पर न जायें । यदि वे जाने का प्रयत्न करें तो थोड़े से लोग उन पर पत्थर फैंक सकते ह । अतः थोड़ से लोग बहुसंख्यकों को डरा-धमका सकते हैं ।

निस्संदेह यह नहीं हो सकता यदि वे अच्छे संघों के रूप में संगठित हों । ऐसा तो वहीं होता है जहां संगठन का सर्वथा अभाव है और थोड़ से अनुत्तरदायी व्यक्ति श्रमिकों को जिधर चाहे घुमा सकते हैं । थोड़े से लोग ऐसी परिस्थितियों में कितना अन्तर पैदा कर सकते हैं ।

फिर इस प्रश्न को लीजिये। रेलवे में ऐसा कार्य क्यों हुआ? संभवतः—मेरा अनुमान है—क्योंकि लगभग ४,००० श्रमिक काम पर जा चुके थे इससे हड़ताल करवाने वालों को क्रोध आया और वे उन्हें और डराना चाहते थे। पत्थर फैंकना काफी नहीं था। वे पत्थरों का प्रयोग कर चुके थे। तब उन्होंने यह युक्ति निकाली कि रेलवे इंजन में घुस कर ड्राइवर और फायरमैन को बाहर फैंक दिया और इंजन को चला कर बाहर कूद पड़ें जबकि गाड़ी में वे श्रमिक थे जो कारखाने में काम पर जा रहे थे, उन्हें निश्चित तबाही की ओर भेज दिया। यह अत्यन्त भयानक बात है।

क्या आप अपने श्रमजीवी वर्ग आन्दोलन अथवा मज़दूर संघ आन्दोलन का निर्माण इसी प्रकार करना चाहते हैं? मैं उस संघ के बारे में कुछ नहीं जानता जो वहां कार्य कर रहा है। उस संघ के केवल दो स्पष्टीकरण हमारे पास हैं। या तो जो कुछ हुआ है उसके लिये वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है अथवा वह बिलकुल अयोग्य है, क्योंकि इसका कोई तीसरा स्पष्टीकरण नहीं है। तो फिर उसे शर्तों आदि के बारे में मेरे पास आने का कोई काम नहीं रह जाता। जब वह मज़दूरों पर नियंत्रण नहीं कर सकता तो फिर उसके बने रहने से कोई लाभ नहीं। मैं किससे बात करूं? यदि जो कुछ हुआ है उसके लिये वे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं तो फिर अन्य के साथ ही उन्हें भी दण्ड मिलना चाहिये। फिर भला उस संघ का महत्व ही क्या रह जाता है?

मैं मज़दूर संघ निर्माण के पक्ष में हूं, किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि भारत में मज़दूर संघ ऐसे लोगों के हाथों में पड़े जो ऐसी बुरी और शरारतपूर्ण कार्यवाहियां करके इससे लाभ उठा रहे हैं। चाहे वह मज़दूर संघ हो अथवा समाज का अन्य कोई वर्ग इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही और बल प्रयोग से कुछ भला नहीं हो सकता क्योंकि हिंसा से हिंसा बढ़ती है, इसमें कोई सन्देह नहीं। और इसका अन्ततोगत्वा परिणाम यह होता है कि सारे देश में सभी प्रकार के छोटे-बड़े हिंसात्मक कार्य होते हैं, झगड़े होते हैं, और यदि आप इसे विशद रूप में लें तो देश में गृह-युद्ध फैलता है क्योंकि समाज में बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो कुछ थोड़े समय के लिये थोड़ा-बहुत बल प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु जहां समाज में बल प्रयोग करने का यह तरीका बन जाता है तो समाज की इस पर प्रतिक्रिया होती है और कभी-कभी वह गलत काम भी कर जाता है। इस प्रकार मैं समझता हूं बुराई से बुराई फैलती जाती है, और हिंसा से हिंसा फैलती जाती है जब तक कि पूर्ण निराशा के कारण अथवा शक्ति ह्रास के कारण यह रुक न जाये।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की चीज़ पर कुछ अधिक विस्तार में विचार करना चाहिये। मुझे बेचारे उन ग़रीब लोगों की भर्त्सना करने से क्या लाभ होगा जिन्होंने यह अपराध किया है? किन्तु निश्चय ही यदि वे अपराधी सिद्ध होते हैं तो उन्हें अवश्य ही और भारी दण्ड मिलना चाहिये। फिर भी मैं उनसे अधिक नाराज़ नहीं हूं। वे बेचारे नासमझ लोग हैं। उनसे यह काम किसने करवाया? उन्हें इस मार्ग पर कौन घसीट लाया कि वे ऐसा काम करें। मेरा मतलब तो उन लोगों से है। हम ऐसी घटनायें क्यों होने देते हैं? हम ऐसा वातावरण क्यों उत्पन्न कर देते हैं कि ऐसी चीज़ें हों? मुझे ठीक से याद नहीं छः सप्ताह अथवा दो मास बीते जब मैं खड़गपुर में था। मैं वहां टेक्नालाजिकल इन्सटीट्यूट के किसी अन्य कार्य के सम्बन्ध में गया हुआ था। किन्तु आते और जाते में मैं दो बार खड़गपुर से होकर गुज़रा था। वहां बहुत बड़ी संख्या में रेल के मज़दूरों ने मेरा हृदय से अभिनन्दन किया था। वे अच्छे लोग थ। उनमें मैत्री भाव था। वे अच्छे लोग थे और मुझे यह सोचकर दुःख होता है कि इतने अच्छे लोग इस प्रकार गुमराह किये जायें।

सम्भवतः जैसा कि सभा को ज्ञात है, खड़गपुर में बहुत तरह के मिले-जुले मज़दूर हैं। 'मिले-जुले' से मेरा तात्पर्य यह है कि सारे भारत के लोग हैं। बंगालियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। आन्ध्र

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तथा अन्य स्थानों के लोग काफी संख्या में हैं। कोई संगठित मज़दूर संघ न बन पाने का एक कारण मुझे यही जान पड़ता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों के होने के कारण वे एक दूसरे के निकट आकर आसानी से एक संघ नहीं बना सकते जिससे जोश के आने पर उनसे एक ही काम करवाया जा सके। यह हमारा दुर्भाग्य है। किन्तु इसका तात्पर्य यह है कि जो भी संघ वहां बनने जा रहा है उसके नेताओं को अधिक सजग हो जाना चाहिये और इस प्रकार कार्य न कर अधिक उत्तरदायी तरीके से काम करना चाहिये।

मेरे सामने यह जो सत्याग्रह का नाम लिया जाता है। मैं इसको सुनते-सुनते कुछ उकता सा गया हूं और पहले भी अनेक भिन्न-भिन्न सन्दर्भों में मैं इसका नाम सुन चुका हूं। गांधी जी ने जब सर्व-प्रथम इसका इस्तेमाल किया और जब समय आया तो उन्होंने हमें बताया कि उनके अतिरिक्त भारत में कोई सत्याग्रही नहीं है। उन्होंने यह चीज़ हमें बिल्कुल ठीक बताई। किन्तु अब, हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी, भारत का प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रही है। प्रत्येक व्यक्ति जो विधि का उल्लंघन करता है, लोगों के सिर फोड़ता है, सत्याग्रही है। भारत में पत्थर फेंकने वाला प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रही कहलाता है। यह शब्दों का सबसे असाधारण दुरुपयोग है। यदि कोई व्यक्ति किसी का सिर फोड़ना चाहता है तो यदि मैं उसे रोक सकता हूं तो मुझे रोकना चाहिये। किन्तु मुझे आशा है कि 'सत्याग्रह' शब्द का उपयोग इस सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा।

†**श्री पी० सी० बोस** (मानभूम—उत्तर) : मैं भी काफी समय तक मज़दूरों के मामलों में भाग लेता रहा हूं और अन्य देशों से तुलना करने पर इस नतीजे पर पहुंचा था कि हमारे यहां के मज़दूरों का व्यवहार कहीं अच्छा है। किन्तु यह जो घटना घटी, उसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो, उन्हें इस प्रकार का व्यवहार किसी भी दशा में नहीं करना चाहिये था, जैसा कि उन्होंने किया। मैं माननीय मंत्री के इस कथन पर विश्वास नहीं कर सका कि रेलों के मज़दूरों ने जो हड़ताल की उसक बारे में उनका पहले से षड़यंत्र था। मैं पहले वाली बी० एन० रेलवे के मज़दूर संघ का कार्यकर्त्ता रह चुका हूं। वहां १९२७ में एक मास से अधिक की हड़ताल हुई थी किन्तु इस प्रकार की कोई हिंसात्मक घटना उसमें नहीं होने पाई थी। किन्तु आज उसी लाइन पर यह सब होते देखकर मुझे आश्चर्य होता है। मुझे उनमें अत्यधिक विश्वास है इस कारण खड़गपुर में जो कुछ हुआ है, उस पर मुझे बड़ा खेद है।

मैं कुछ मित्रों की इस बात से सहमत हूं कि इन घटनाओं के लिये ज़िम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड मिलना चाहिये, किन्तु साथ ही मैं श्री वेंकटरामन् की इस बात का भी समर्थक हूं कि बेचारे मज़दूरों को गुमराह किया गया था। अतः उनके साथ नर्मी का व्यवहार होना चाहिये। उन्होंने या तो डर से अथवा कुछ स्वार्थी लोगों के बहकाने से ऐसा किया है।

मैं यह सुझाव देता हूं कि इसकी पूरी जांच की जानी चाहिये। माननीय मंत्री ने घटना का कारण यह बताया था कि रांची के निकट टिकट कलेक्टर पर एक पुलिस कान्सटेबल द्वारा आक्रमण करने पर यह मांग की गयी कि उसे मुअत्तल कर दिया जाये। रेलवे अधिकारी इस पर तैयार नहीं हुए या ध्यान नहीं दिया। हड़ताल का कारण यही था। इसमें कुछ समस्यायें आगे चल कर और बढ़ा दी गईं। मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले की जांच करेंगे कि यह साधारण सी बात अधिकारियों ने क्यों नहीं तय कर दी जिसमे यह मामला वहीं समाप्त हो जाता। अन्त में मैं पुनः निवेदन करूंगा कि खड़गपुर में जो कुछ हुआ है, बेचारे अपढ़ मज़दूरों के साथ इसके बारे में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाये।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना—पूर्व) : इसी संसद् भवन में रेलवे कर्मचारियों की मांगों के बारे में सिफारिश करते हुए कितनी बार मैं यहां पर खड़ी हुई हूं और रेलवे के मंत्री महोदय

†मूल अंग्रेजी में।

से मैंने उनकी मांगों की सिफारिश की है और जो काम नहीं हुए, उनके प्रति असन्तोष ज़ाहिर किया है ।

आज इसी संसद् भवन में मुझे खड़े होकर यह कहना पड़ रहा है कि रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियन के नाम पर धब्बा लगाया है जिन्होंने कि इस तरह की करामात की है । उन्होंने ऐसा करके ट्रेड यूनियन और हिन्दुस्तान के नाम पर एक जबर्दस्त कंलक लगाया है और वह चीज आगे आने वाले इतिहास में कंलक बन कर लिखी रहेगी । जो कालिख उन्होंने लगाई है वह कभी मिट नहीं सकेगी । इस तरह से ट्रेड यूनियन के नाम पर ग़लत तरीके से स्ट्राइक (हड़ताल) करना, जबकि यहां के जितने संसद् के सदस्य हैं जो कि वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह इस बात को मान चुके हैं कि क़ानून और न्याय हमारे प्रजातंत्र की कसौटी है और उसी क़ानून और न्याय को प्रजातंत्र की कसौटी समझते हुए हमारे दो संसद् के सदस्यों ने श्री एच० एन० मुकर्जी और श्री नम्बियार ने एक बार भी यह नहीं कहा कि उन रेलवे कर्मचारियों ने ग़लत तरीक़े से काम किया और उनका यह काम ग़लत था और भविष्य में वे ऐसे कामों के होने देने में रुकावट डालेंगे और सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वह इस बात की तरफ़ बढ़ेंगे कि राष्ट्र की थातो का इस तरह से दुरुपयोग न होने पाये । मैं यहां पर यह सुनने के लिये बैठी हुई थी कि वे जो यहां पर उन ट्रेड यूनियन्स का या उन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे इस बारे में क्या कहते हैं । उन्होंने यह फ़रमाया कि वे बेचारे भूखे और गरीब मज़दूर हड़ताल करने पर तुल गये और उन्होंने यह मनमानी कर डाली पर उनके मुंह से यह कभी नहीं निकला, कि ज़िम्मेदार सदस्यों के नाते उनका यह फ़र्ज भी हो जाता है कि अगर जनता की आवाज़ को यहां पर वे रक्खा करें तो जनता को भी वह सही-सही रास्ता दिखला सकें और उनको ग़लत रास्ते पर जाने से रोकें । लेकिन मुझे श्री एच० एन० मुकर्जी के मुंह से यह सुनकर बड़ा ताज्जुब और अफ़सोस हुआ है जब उन्होंने यह फ़रमाया कि मालूम होता है कि सरकार की तरफ से कोई एजेंट इसमें काम कर रहा था । मैं समझती हूं कि उनका ऐसा कहना बड़ी शर्म और लज्जा की बात है । मैं चाहती हूं कि रेलवे मंत्री महोदय इस बात की तहकीक़ात करायें कि इस चीज़ की जड़ में कौन सी शक्ति है जिसने इस तरह की करामात करवाई है । यह आज की ही बात नहीं है । अगर आप ट्रेड यूनियन के इतिहास को देखें और रेलवे के विगत ३-४ वर्षों के इतिहास को देखें तो आपको मालूम होगा कि इस प्रकार के तत्वों ने हमेशा यही कोशिश की राष्ट्र की थाती खड़ी रह जाय, हमारा कोई काम ठीक तरह से सम्पन्न न हो सके और हमारा जो यातायात का रास्ता है वह रुका रह जाय । आज जो कुछ वहां पर हुआ है वह पिछले इतिहास को देखते हुए कोई अचम्भे की चीज़ नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि सन् १९४८ में जिस समय रेलवे वालों ने हड़ताल की थी तो उन्होंने यह नहीं सोचा था कि देश में इतना बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, इस देश में यहां पर इतने अन्न की कमी हो गई है कि लाखों आदमी भूख से तड़प-तड़प कर मर जायेंगे । यह सदस्य लोग जो यहां पर उनके बारे में वक़ालत करते हैं उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि राष्ट्र के आगे बढ़ने के रास्ते में उन्होंने कितनी रुकावटें डाली हैं । और कभी तो वह उन कर्मचारियों को अच्छा रास्ता दिखाते और अच्छी राय देते । उनको राष्ट्र के साथ कंधा से कंधा मिला कर राष्ट्र की उन्नति के कार्य में जुट पड़ने की सलाह देते । मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने कभी उन मज़दूरों को सही सलाह नहीं दीं । उन्होंने आज राजनीति के दामन में हमें बदनाम करने की सोची है । मैं इस चीज़ को चैलेंज के साथ कहना चाहती हूं कि उनकी राजनीति अगर अराजकता का दामन पकड़ती है तो वह राजनीति राष्ट्र का कलंक बन जाती है । मैं पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से छुपे रुस्तम की भांति उन्होंने उन गरीबों को भड़काया है, उसके लिये क्या कोई भी प्रजातांत्रिक देश या किसी भी देश की प्रजातांत्रिक सरकार उनको इसके लिये माफ़ कर सकती है ? मैं तो समझती हूं कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र और दुनिया की कोई भी हुकूमत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि ऐसी

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

हरकत उसके यहां हो और वह चुपचाप उसको सहन कर ले। मुझे यह देख कर बड़ी खुशी है, जो अपील उनकी तरफ से आई वह यहां पर जम नहीं पाई पर हमारे एक कांग्रेस के सदस्य ने यह अपील की है कि हम को उनके साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिये। मुझे इस अपील को सुन कर हैरानी भी है और खुशी भी है। इस सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कहूंगी कि मुझे भी कुछ अवसर रेलवे कर्मचारियों के बीच काम करने का मिला है, श्री वेंकटरामन् के बराबर तो उनके बीच काम करने का अवसर मुझे नहीं मिला है लेकिन मैं भी एक कार्यकर्त्ता की हैसियत से इस बात को ज़ोर देकर कहना चाहती हूं कि इन सब बातों में सरकार को बड़ा कड़ा से कड़ा रास्ता अपनाना चाहिये। क्योंकि आज तो इस प्रकार की शरारत करके उन्होंने १०० आदमियों को घायल किया तो कल को वह इससे भी बड़ी शरारत कर सकते हैं और मुसाफिरगाड़ियों के साथ उसी तरह की मनमानी कर सकते हैं। यह गुस्से को ज़ाहिर करने का हरगिज़ तरीक़ा नहीं हो सकता कि लोग इंसानियत को छोड़ दें और इस तरह लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करें और राष्ट्र की संपत्ति को नुक़सान पहुंचायें। यह कोई क़ानून का विरोध नहीं है और न ही यह स्ट्राइक करने का कोई तरीका है। हम ऐसे अमानुषिक तत्वों के खिलाफ अगर कड़ी कार्यवाही न करें तो दूसरे रेलवे मुलाज़िमों के दिल में यह शुबहा पैदा होगा कि सरकार डर के मारे उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करती है जोकि इस तरह की ग़लत हरकतें और गुंडागर्दी करते हैं इसलिये अगर ऐसे ग़लत और शरारत भरे काम करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कड़ा क़दम न उठाया जायेगा तो दूसरे रेलवे कार्यकर्त्ताओं पर बड़ा खराब असर पड़ेगा। आज अस्पतालों में बहुत से रेलवे कर्मचारी जो कि उन लोगों की गुंडागर्दी का शिकार हुए हैं और घायल अवस्था में पड़े हुए चोटों से कराह रहे हैं और पता नहीं उनमें से कितने शायद खत्म भी हो जायेंगे, वे सरकार के इस रुख को देख कर क्या कभी इस बात की हिम्मत कर सकेंगे कि ऐसे शरारती कर्मचारियों के विरुद्ध कोई क़दम भविष्य में उठायें और क़ानून का सहारा पकड़ करके देश के काम में कंधा से कंधा मिला कर आगे बढ़ सकें। मैं समझती हूं कि सरकार के इस नर्मी के रुख को देख कर उन बेचारे वर्कस की कभी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वे अस्पताल से ठीक होकर निकलने पर उन गुंडों के विरुद्ध कोई क़दम उठा सकें और क़ानून का सहारा ले सकें। आप यह न सोचिये कि चूंकि वे गरीब मज़दूर हैं इसलिये उन पर मेहरबानी दिखाई जाय। वे बालिग आदमी हैं एक वोटर हैं और एक गणतंत्र के वोटर की हैसियत से उनमें इतनी ज़िम्मेदारी होनी चाहिये कि कैसा किसके साथ सलूक़ किया जाय और इसलिये मेरा तो मत है कि अगर बालिग होकर उन्होंने कोई ज्यादती की है तो उसके लिये उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिये। मैं तो यह मानती हूं कि सरकार ऐसे शरारती लोगों के खिलाफ कड़ा रुख दिखा कर ट्रेड यूनियन के काम को आगे बढ़ायेगी क्योंकि सब पर यह साफ ज़ाहिर हो जायगा कि जो लोग ग़लत रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को ग़लत रास्ते पर चलाते हैं, उनके प्रति सरकार कड़ा से कड़ा क़दम उठाने में भी नहीं हिचकिचाती। मुझे तो क़तई ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने कि इस तरह से ट्रेन को उलटने की कार्यवाही की, यह तो ईश्वर की कृपा थी कि वह ट्रेन बहुत तेज़ रफ्तार में नहीं थी और कुछ ही लोगों को उसने घायल किया और स्टेशन की इमारत से जा टकराई वरना अगर वह ट्रेन कहीं उलट जाती तो पता नहीं क्या होता और कितने अधिक और आदमियों की जानें जातीं। उस ट्रेन को स्टेशन से टकराने से जो लोग घायल हुए और कुछ उनमें जो बहुत सख्त घायल हुए उनके खून से हमारी लोक-सभा तर है क्या इस तरह की बात को हम लोग ठंडे दिल से चुपचाप बर्दाशत कर लें, यह नामुमकिन है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कोई बहुत तूफान के साथ नहीं बोल रही हूं, मैं बहुत ठंडे तरीक़ से बोल रही हूं, परन्तु यह बात ऐसी नहीं है जिसमें इस तरह से बोला जा सके। मेरा दिल कहता है

कि यह जो बातें हुई हैं, वह सरासर ज्यादती है और वह इंसानियत के साथ और राष्ट्र के साथ ग़द्दारी है और मेरी अपील है कि उन राष्ट्र के गद्दारों को सही-सही रास्ता दिखाया जाय।

मेरी यह भी अपील है कि जो इसके पीछे हैं जैसे कि श्री नम्बियार साहब ने बड़े ज़ोर के साथ कहा कि इस मामले में इनक्वायरी होनी चाहिये, तो मैं भी कहती हूं कि इनक्वायरी जरूर होनी चाहिये ताकि यह मालूम हो सके कि दरअसल इसकी जड़ में क्या चीज़ है। हालांकि उधर की तरफ से इस बात से साफ इंकार किया गया है कि उनका उसमें कोई हाथ रहा है लेकिन मैं जानती हूं कि ऐसे लोगों का हाथ ऐसे कामों में बराबर रहा है और आगे भी रहेगा .....

†**श्री नम्बियार :** हम भी इससे सहमत हैं। जांच और पूछताछ कराई जाये।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं रेलवे मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहती हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में आपने अपना क़दम रक्खा है और अगर इस तरह की बातें होती गई और हमने उनको सख्ती से नहीं रोका तो हम कोई भी देश की तरक्की का काम पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर हमने इस प्रकार के शरारती तत्वों को सख्ती से नहीं दबाया तो यह हमें कोई राष्ट्र का कार्य नहीं करने देंगे और नतीजा होगा कि उधर लोग भूखे मरेंगे और जो हमने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है वह पूरा नहीं होगा और निराशा पल्ले पड़ेगी और यही लोग जाकर लोगों में कहेंगे कि देख लीजिये इस सरकार ने कौन-सा काम अभी तक जनता के हित में किया है। ये लोग आज उनको भड़काते हैं कि काम मत करो और राष्ट्र की उन्नति में साथ मत दो और कल यह ही लोग जनता को यह कह कर भड़कायेंगे कि यह सरकार वास्तव में सरकार होने के लायक़ नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिये यह कोई काम नहीं कर रही है इसलिये मैं मंत्री महोदय से अपील करती हूं कि आप इस बारे में पूरी तरह सावधानी बर्तें। उन बेचारे कर्मचारियों ने जिन्होंने आपके साथ अपनी वफ़ादारी दिखलाई है, उनको आप स्वयं समझ सकते हैं कि गुंडों से कितना खतरा होगा। उन्होंने इतना खतरा मोल लेकर अपना फर्ज अदा किया है इसलिये उनके लिये मैं आपसे अपील करूंगी कि वे बेचारे जो आज बेपनाह अस्पताल में पड़े हुए हैं और जो चंद लोग काम पर आये हैं उनको आप मुआवज़ा दीजिये। उनको आप सहायता या मुआवज़ा देकर एक तो उनको सहारा देंगे ताकि उनको आगे काम करने का बढ़ावा मिले और दूसरे कार्यकर्त्ताओं को भी काम करने का प्रोत्साहन मिले। जो वफ़ादारी उन्होंने दिखाई है और कर्त्तव्य पालन की भावना दिखाई है उसके लिये उन्हें कम्पेंसेशन की तौर पर कोई चीज़ अवश्य मिलनी चाहिये, यही मेरी आपसे छोटी-सी अपील है। इतना कह कर अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया। जहां तक इनक्वायरी करने का सम्बन्ध है आप ज़रूर इसकी इनक्वायरी (जांच) करायें। आप पूरी रिपोर्ट प्रकाशित करें कि इसके बीच में किस राजनैतिक पार्टी का हाथ है। और किस राजनैतिक दल के लोग इस तरह की खुराफात कर रहे हैं और जिनके द्वारा भविष्य में भी ऐसी तरह की बातें की जाने की सम्भावना है, जिससे लोगों को यह मौका मिल सके कि वह समझें और देखें कि वह कितने गहरे पानी में हैं और किन लोगों पर देश विश्वास कर सकता है तथा किन पर नहीं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** इस हड़ताल में जितनी हुल्लड़बाज़ी और गुण्डागर्दी हुई इसको सभी व्यक्ति हेय दृष्टि से देखत हैं। जितनी हिंसा आदि का प्रयोग इस हड़ताल में किया गया, पिछले २० वर्षों में रेलवे कर्मचारियों का कार्यकर्त्ता होने के नाते मैं उसकी निन्दा करता हूं। यह केवल निन्दा की ही बात न होकर शर्म की बात है। कि रेलवे कर्मचारी जिन्हें रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिये, इस प्रकार उसे बर्बाद करें यह उनके लिये कहां तक उचित है? अपने सहयोगियों के साथ हिंसापूर्ण

†मूल अंग्रजी में।

[श्री फ्रंक एन्थनी]

व्यवहार करना तो और भी लज्जा की बात है। रेलवे मंत्री की यह बात सुनकर मैं और घबड़ा गया कि हड़तालियों ने रेलवे कर्मचारियों के परिवार वालों को धमकी दी।

इसमें न केवल रेलवे सम्पत्ति की ही हानि हुई अपितु अपने साथियों के साथ भी हिंसात्मक कार्यवाही की गई। यह तो एक प्रकार की कायरता है जिसकी निन्दा करने के लिये मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं।

मैं श्री वेंकटरामन् के इस सुझाव से सहमत हूं कि रेलवे कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये। उनका नेतृत्व भी आसानी से किया जा सकता है और उन्हें गुमराह भी किया जा सकता है क्योंकि वे सीधे-सादे, ईमानदार और नासमझ लोग हैं। बहकाने में आकर ही उन्होंने हिंसात्मक कार्यवाही कर डाली होगी जिसके लिये उन्हें खेद है। मैं महसूस करता हूं कि उन लोगों को कड़ा दण्ड मिलना चाहिये जो दुर्घटना के लिये उत्तरदायी हैं।

मैं माननीय मंत्री से दक्षिण-पूर्व रेलवे की स्थिति की ठीक प्रकार से जांच करने के लिये भी कहना चाहता हूं। यदि हिंसा करने के लिये तथाकथित संगठन में जिन लोगों का हाथ है उन्हें उचित दण्ड न मिला तो इससे हिंसात्मक कार्यवाहियों को प्रोत्साहन मिलेगा। केवल कुछ लोगों को निकाल देने से काम नहीं चलेगा अपितु हड़ताल के लिये प्रोत्साहन देने वालों को उचित दण्ड मिलना आवश्यक है। उन्हें रेलवे कर्मचारियों के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये कि जो लोग इस प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति मज़दूर संघों में लायेंगे उन्हें नौकरी से हटा दिया जायेगा।

मैं महसूस करता हूं कि मंत्री गलती कर सकते हैं हालांकि वह सीधे हैं। यदि वह इस हिंसा के मामले में तनिक भी छूट देते हैं तो आन्ध्र की भांति इसमें भी राजनीतिक शरारत की जायेगी। जहां तक रेलवे मज़दूर संघ का सम्बन्ध है हिंसा को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि चाहे उनकी शिकायतें कितनी भी सही क्यों न हों, आप उन्हें दूर नहीं कर सकते। लोग यही कहेंगे कि सरकार पुनः हिंसा से परास्त हो गयी है। यह बड़ी दुःखद चीज़ है। आपको उनकी शिकायतें अस्वीकार करनी होंगी।

मुझे मंत्री जी से एक बात यह और भी कहनी है कि प्रशासन के और विशेषकर कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के बारे में, कुछ खराबी आ गई है। सभी रेलवे कर्मचारियों में असन्तोष और निराशा फैली हुई है क्योंकि उनकी उचित शिकायतें दूर नहीं की जातीं। यदि इसी प्रकार मंत्री और प्रधान मंत्री आदि का रुख सहानुभूतिपूर्ण न रहा तो यह असन्तोष और भी बढ़ता जायेगा। माननीय प्रधान मंत्री का विश्लेषण ठीक हो सकता है कि कुछ ने धमकाये जाने के कारण हड़ताल में भाग लिया। किन्तु मेरा विश्लेषण यह है कि निराश हो जाने के कारण काफी लोगों ने हड़ताल में भाग लिया था। मुख्य प्रबन्धक से लेकर नीचे तक रेलवे में तानाशाही का बोलबाला है। जब लोग निराश हो जाते हैं, जैसे कि रेलवे कर्मचारी हैं, तो कोई न कोई ऐसी संस्था जिसने हिंसात्मक ढंग अपना रखे हों, और मौके से लाभ उठाती है। अतः पहले उस संघ का पता लगाना होगा और उसके पश्चात् रेलवे प्रशासन को अपना पुराना तानाशाही तरीका बदलना होगा। यदि माननीय मंत्री ऐसा करते हैं तो रेलवे कर्मचारी कभी भी ऐसी संस्था का सहारा नहीं ले सकते। इन हिंसात्मक प्रवृत्तियों को दबाना एक उपाय है। दूसरा उपाय इसका यह हो सकता है कि आपको दस लाख लोगों से निबटना होता है और जिस प्रकार रेलवे कर्मचारियों की समस्यायें सुलझाई जाती हैं उनमें काफी असन्तोष फैला है। अतः मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें। मेरा विचार यह है कि प्रशासन रेलवे कर्मचारियों की समस्या की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क में नहीं रहा है। रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन ने रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन को बहुत अधिक महत्व दिया है. और इस संगठन को रेलवे कर्मचारियों के हितों की कोई जानकारी ही नहीं है। इसी का परिणाम है

कि आज रेलवे कर्मचारी हर तरह के कष्टों का शिकार बन रहे हैं। पहले आपने इस लोक-सभा की एक स्थायी समिति या परामर्शदात्री समिति बनाई थी और उसके द्वारा आप दशाब्दियों तक रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाते भी रहे हैं। हमें अब फिर से उसी को गठित करना चाहिये। हमें उसके द्वारा दो बातें करने की कोशिश करनी चाहिये; एक तो यह कि आप किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्तेजना को सहन नहीं करेंगे; और दूसरी यह कि आप रेलवे कर्मचारियों को बता दें कि आप उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तैयार हैं।

मुझे खड़गपुर की घटना का सही-सही ब्योरा नहीं मालूम है। पिछले सौ वर्षों से रेलवे प्रशासन इसीलिये चल सका है कि कुछ कार्य-निष्ठ कर्मचारियों का एक सकेन्द्रण है जो तोड़-फोड़ और हिंसात्मक कार्यवाहियों में भाग लेने से इन्कार करता रहा है। यह अब भी मौजूद है। यह सकेन्द्रण और सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन वह यह सहन नहीं कर सकता कि उसके बीबी-बच्चे हिंसा का शिकार बनें। यदि आप इस तबके के परिवारों को हिंसा के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण दे दें, तो मुझे पूरी आशा है कि वे अब भी उसी कर्मनिष्ठता से रेलवे की सेवा करने को तैयार हैं। रेलवे मंत्री को इस अवसर पर अपना आत्म-विवेचन करना चाहिये और विशेषकर अपने प्रशासकीय ढंग का पुनः मूल्यांकन करना चाहिये। दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों में ऐसे विश्वसनीय और कर्मनिष्ठ कर्मचारियों की एक काफी बड़ी संख्या मौजूद है। वे रेलवे मंत्री से केवल एक ही आश्वासन चाहते हैं कि उनकी तकलीफ़ों पर ध्यान दिया जायेगा और हिंसा को सहन नहीं किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा के सभी दलों के प्रतिनिधि मत हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब मंत्री भाषण दें।

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मुझे जो भी कुछ कहना था वह अधिकतर प्रधान मंत्री ने कह दिया है। उन्होंने बड़े-बड़े मसलों के सम्बन्ध में कहा। मेरा विचार है कि अब कार्मिक संघों के नेताओं का यह कर्त्तव्य है कि वे उन पर विचार करें। उन्होंने श्री एच० एन० मुकर्जी की बातों का भी अप्रत्यक्ष रूप में उत्तर दे दिया है। मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहता हूं।

श्री नम्बियार ने अपने भाषण द्वारा हाथ-ब्रश से रंग करने वाले ११२ रंगसाज़ों के सदाशय दावों के सम्बन्ध में बड़ी भ्रान्ति पैदा कर दी है। मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये रंगसाज़ १ मार्च, १९५६ से हड़ताल पर थे। यह तो सही है। लेकिन खड़गपुर में हाथ-ब्रश के रंगसाज़ों की हड़ताल के क्या कारण थे? उसके कारण ये थे कि उन्होंने मांग की थी कि उन्हें स्टेंसिलों (कटे हुए अक्षरों) द्वारा चिन्हीकरण करने वाले का काम न दिया जाये, क्योंकि वह एक प्रवीण कार्य है और उस कार्य के लिये उन्हें प्रवीण कर्मचारियों की मजूरी मिलनी चाहिये। १ मार्च, १९५६ को ३५-६० रुपयों की वेतन-श्रेणी वाले अर्द्ध-प्रवीण श्रेणी के ९ हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों ने स्टेंसिलों द्वारा काम करने से इन्कार कर दिया। पहले यही कर्मचारी इसी कार्य को अपने सामान्य कर्त्तव्य की भांति किया करते थे। हाथ-ब्रश से काम करने वाले दूसरे रंगसाज़ों ने भी उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए हड़ताल कर दी और प्रवीण कर्मचारियों की ५५-१३० रुपयों की वेतन-श्रेणी की मांग की।

श्री वेंकटरामन बता ही चुके हैं कि हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों और स्टसिलों द्वारा चिन्हीकरण करने के इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। उस न्यायाधिकरण में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन का भी एक प्रतिनिधि था। उसने अपने निर्णय में इसे एक अर्द्ध-प्रवीण कार्य बताया था। कंचरापाड़ा और लिलुआ के कारखानों में इसी कार्य को करने वाले कर्मचारियों

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

को अर्द्ध-प्रवीण माना जाता है। इसीलिये यह महसूस किया गया था कि इस प्रश्न की दुबारा जांच करने का कोई औचित्य ही नहीं था। न्यायाधिकरण ने पहले भी एक बार अपना यही निर्णय दिया था। इन दोनों बातों को देखते हुए खड़गपुर के हाथ-ब्रश से रंग करने रंगसाज़ों को प्रवीण मजदूर मानने और उन्हें ऊंची वेतन-श्रेणी में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

श्री नम्बियार शायद यह कहना चाहते थे कि हमने अपनी ओर से वहां तालाबन्दी की थी। यह भी ग़लत है। हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों को बार-बार समझाने और चेतावनी देने पर भी, उन्होंने अपने वैध कर्त्तव्य को करना शुरू नहीं किया। उन्होंने गैर-कानूनी 'अन्दर-रहो' हड़ताल करने की अपनी ग़लती को छिपाने के लिये ही गैर-कानूनी तालाबन्दी का प्रचार किया था। उनका कहना यह था कि वे हाथ-ब्रश से रंग करने का कार्य करने को तैयार थे और उन्हें उससे रोका गया था। यह वास्तविकता के सर्वथा विपरीत है। वास्तव में इन लोगों को सदा ही अपने टिकट लेकर विभागों में जाने और अपना सामान्य कार्य करने की अनुमति थी, लेकिन फिर भी वे इस कार्य को करने से मना करते रहे थे, और इसीलिये वे ही इस गैर-कानूनी हड़ताल के लिये उत्तरदायी हैं। गैर-कानूनी तालाबन्दी का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने इसमें कानूनी राय भी ले ली है। उससे भी प्रशासन के इसी दृष्टिकोण की पुष्टि होती है कि माल-डिब्बे विभाग में हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों ने अवैध हड़ताल की है और प्रशासन की ओर से ताला-बन्दी का कोई प्रश्न ही नहीं है।

एक के बाद दूसरी हड़ताल शुरू होने पर न्याय-निर्णयन का भी प्रश्न उठा था। श्री नम्बियार के भाषण ने माननीय सदस्यों के दिमाग में कुछ ऐसी भ्रान्ति पैदा कर दी है कि जैसे न्याय-निर्णयन की मांग केवल ८ मई से शुरू हुई बड़ी हड़ताल के लिये की गई थी। वास्तव में, न्याय-निर्णयन की मांग हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों की हड़ताल के सम्बन्ध में की गई थी। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ८ मई से आरम्भ हुई खड़गपुर की बड़ी हड़ताल के लिये न्याय-निर्णयन का प्रश्न कभी उठाया ही नहीं गया था। मेरे माननीय मित्र तो स्वयं ही कार्मिक संघ के संगठनकर्त्ता हैं। कोई भी कार्मिक संघवादी एक इतनी छोटी-सी मांग के लिये केवल ११२ हड़तालियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिये खड़गपुर में हुई इतनी बड़ी हड़ताल को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता है। इसलिये, खड़गपुर की हड़ताल को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों की हड़ताल होने पर भी वहां के कार्मिक संघ के नेताओं के लिये सबसे पहले यही करना आवश्यक था कि वे कानूनी तरीकों का सहारा लेते और यदि उन्हें वास्तव में सफलता न मिलती तब ही वे किसी और तरीके की बात सोचते। लेकिन उन्होंने हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों को सलाह देने के बदले स्वयं ही दूसरे तरीक़ों को अपनाया। इसके बारे में भी एक भ्रान्ति है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है।

खड़गपुर की हड़ताल कदापि हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों की हड़ताल के समर्थन में आरम्भ नहीं की गई थी। खड़गपुर की हड़ताल अद्रा और अन्य स्थानों के हड़तालियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिये आरम्भ की गई थी। अद्रा और अन्य स्थानों में भी कुछ गड़बड़ थी। मैं दुबारा उसे नहीं सुनाना चाहता। अद्रा और पास के अन्य स्थानों में हड़ताल आरम्भ हुई थी। खड़गपुर में भी वहां के हड़तालियों की सहानुभूति में हड़ताल की गई थी। बाद में, अपनी स्थिति को कमजोर पाकर ही उन्होंने उसी हड़ताल को हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों की हड़ताल से जोड़ दिया। उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया कि उनकी हड़ताल तो हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों की सहानुभूति में की गई थी। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

†**श्री नम्बियार :** मैंने अभी-अभी न्याय-निर्णयन के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र को पढ़कर सुनाया था। उसमें स्पष्टतया यही आधार बताया गया था कि वह हड़ताल हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों के समर्थन में ही की गई थी।

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** माननीय सदस्य ने जिन पत्रों का हवाला दिया है वे खड़गपुर की हड़ताल के आरम्भ होने के दो दिन बाद लिखे गये थे। इसीलिये मैं कहता हूं कि हड़ताल अन्य कारणों से आरम्भ हुई थी। वह अद्रा और पास के अन्य स्थानों में हुई हड़ताल की सहानुभूति में ही की गई थी और बाद में उन्होंने यह महसूस करके ही कि वे गलती पर थे यह कहना शुरू कर दिया था उनकी हड़ताल का कारण हाथ-ब्रश से रंग करने वाले रंगसाज़ों की हड़ताल हो थी।

मैंने श्री नम्बियार और श्री एच० एन० मुकर्जी के भाषण बड़े धैर्य के साथ सुने हैं। मुझे उनसे बिलकुल भी संतोष नहीं हुआ है।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने कांग्रेस की विचारधारा का उल्लेख किया। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मैं कांग्रेस द्वारा घोषित विचारधारा में विश्वास रखता हूं। लेकिन कांग्रेस ने सदा ही हिंसक और अहिंसक कार्यों में भेद किया है। हो सकता है कि कांग्रेस ने जब-तब हिंसा की भी हो, लेकिन हमारे नेता सदा ही कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निन्दा करते रहे। लोक-सभा यह जानती है कि कभी-कभी ऐसे लोगों ने भी हिंसात्मक कार्यवाहियां की हैं जो वास्तव में कांग्रेस जन नहीं थे लेकिन जिन्हें कांग्रेस का अनुसरण करने वाला माना जाता था, या जो कांग्रेस जनों के सहयोग से कार्य करते थे। गांधी जी ने ऐसे लोगों के कार्यों के लिये भी कांग्रेस जनों और कांग्रेस के नेताओं को ही उत्तरदायी ठहराया था। वास्तव में, गांधी जी ने विराम संधि या शान्ति की बातचीत चलाते समय एक या दो अवसरों पर कहा था : "मैं उन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये तैयार नहीं हूं जो किसी भी रूप में हिंसात्मक कार्य करते रहे हैं"।

मेरा विचार है कि श्री एन्थनी ने बिलकुल सही बात की ओर इशारा किया था कि हिंसात्मक कार्यवाहियों और अहिंसात्मक कार्यवाहियों के बीच हमें स्पष्ट भेद करना चाहिये। इसलिये इस समय मेरी कठिनाई यह है कि मुझे उससे न संतोष हुआ है और न कोई शान्ति ही मिली है; मुझे इस लोक-सभा में खड़े होकर यह मानते हुए लज्जा लगती है कि हमारे कुछ रेलवे कर्मचारियों ने इस प्रकार का व्यवहार किया है। सौभाग्यवश, इस समय रेलवेज़ के भार को संभालने का सम्मान मुझे प्राप्त है। मैं अपने आपको रेलवे के प्रत्येक और सभी कर्मचारियों के साथ ही साथ रखना चाहता हूं। मैं उनके किये हुए प्रत्येक अच्छे कार्य का श्रेय लेना चाहता हूं; और साथ ही उनके किये हुए प्रत्येक बुरे कार्य के लिये मेरी आलोचना और भर्त्सना भी की जानी चाहिये।

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस दृष्टिकोण के अनुसार मैं खड़गपुर के उन मजदूरों के साथ क्या करूं जिन्होंने ऐसा बर्ताव किया है। उनका व्यवहार अत्यंत वीभत्स और हृदय को आघात पहुंचाने वाला है। कहा गया है कि इसके बदले उनको प्रतिहिंसा का शिकार न बनाया जाये। मैं कभी भी वहां के सैंकड़ों निर्दोष मजदूरों को शिकार बनाना पंसद नहीं करूंगा। लेकिन यहां भी आपको नेताओं और मजदूरों में भेद करना पड़ेगा। इस प्रकार की कार्यवाही का रास्ता उन्हें किसने दिखाया? नेतागण उसके लिये उत्तरदायी थे। नेतागण कौन थे? इसका निर्णय वहां की जनता और वहां के तथाकथित उग्रवादी दलों को ही करना है कि इसके नेता कौन थे और इन लोगों को हड़ताल करने के लिये किसने उत्तेजित किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

मैं किसी भी दल विशेष का उल्लेख करना या उस पर दोषारोपण करना नहीं चाहता। लेकिन इस वास्तविकता से तो कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि उनके कुछ नेता सायवादियों जैसे विचार रखते हैं। मैं इस विषय में बड़ी स्पष्टवादिता से काम लेना चाहता हूं।

†**श्री नम्बियार** : वहां का कोई भी नेता साम्यवाद-समर्थक नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या यह कोई अपराध है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : यह कोई अपराध नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यह अच्छा है कि वे साम्यवादी विचारों के समर्थक हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि साम्यवाद-समर्थक विचारों वाले नेता अब भी इस प्रकार की कार्यवाहियों में विश्वास करते हैं। वे अब भी यही समझते हैं कि वे हिंसात्मक कार्य करके प्रशासन पर दबाव डाल सकते हैं। और जब से भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई है तभी से वह यह गलती करता रहा है। साम्यवादी दल ने देश की स्थिति का सदा गलत अंदाज लगाया है। उसका स्थिति निर्धारण सदा गलत रहा है। वह देश के लोगों, उनके कार्य करने के ढंग और उनके दृष्टिकोण को नहीं समझ सका है। इसलिये उसने सदा गलतियां की हैं। मैं अब भी सोचता हूं कि साम्यवादी दल को पुनः सोचना पड़ेगा .....

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : क्या संघ साम्यवादी है या कि उसके नेता साम्यवादी हैं ? वे साम्यवादी नहीं हैं। आप समस्त दल पर क्यों दोषारोपण करते हैं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। यदि माननीय सदस्य अपने बारे में अन्य लोगों के विचार नहीं सुनना चाहते तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : क्या माननीय सदस्य साम्यवादी दल को इस प्रकार गालियां दे सकते हैं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : क्या मैं गालियां दे रहा हूं ? यदि मैं यह कहता हूं कि साम्यवादी दल ने देश की स्थिति का ठीक निर्धारण नहीं किया है, तो क्या यह गाली देना है ? क्या साम्यवादी दल के सदस्य जनता के समक्ष और संसद् में यह नहीं कहते कि कांग्रेस जनता की प्रतिनिधि नहीं है या लोगों के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार नहीं समझती है और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करती है और इसकी विचारधारा गलत है ? एक राजनैतिक दल का सदस्य होते हुए मुझे यह सब कहने का अधिकार है और मैं यह बातें यथासम्भव बहुत नम्र शब्दों में कह रहा हूं।

†**श्री ए० के० गोपालन** : साम्यवादी दल के प्रवक्ताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उक्त संघ से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और उन्होंने वहां की घटनाओं की निन्दा की है।

उन १२००० व्यक्तियों में से सम्भव है चार या पांच साम्यवादी हों। परन्तु इसके लिये समस्त दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अन्य दलों की तरह साम्यवादी दल भी निश्चित रूप से कह चुका है कि उसका इस संघ से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री एच० एन० मुकर्जी ने माननीय मंत्री के बारे में कुछ कहा था और बाद में उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा का भी उल्लेख किया था। माननीय मंत्री ने खड़गपुर के साम्यवादी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ नेताओं की विचारधारा के बारे में कहा। अतः दोनों को यह सब कहने का हक है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** वे अपने कार्य करने के तरीके के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। परन्तु जो दल अपनी कार्यप्रणाली और अपने दृष्टिकोण की आलोचना सुनने के लिये तैयार नहीं उसका मेरे विचार से कोई भविष्य नहीं है। मैं विपक्ष से कांग्रेस की आलोचना और निन्दा सुनने के लिये तैयार हूं। क्या राजनैतिक दल लोकतन्त्र में इस प्रकार कार्य करते हैं ? क्या आपका यही दृष्टिकोण है कि अत्यन्त नम्र भाव से ही कही गई बातें भी आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। वे अपने विरुद्ध कुछ भी सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। राजनैतिक क्षेत्र में उनकी कार्य करने की रीति पर मुझे आश्चर्य होता है।

मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि उन मित्रों को जो साम्यवादी दल के सदस्य हैं यदि वे दक्षिण-पूर्वी रेलवे के संघ के नेता हैं, यह जानना और अनुभव करना चाहिये कि हिंसात्मक कार्यवाहियों से कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। मैं जानता हूं कि वहां जो कुछ नेता गिरफ्तार किये गये हैं वे साम्यवादी विचारों के हैं; परन्तु मैं यह नहीं जानता कि वे साम्यवादी दल के सदस्य हैं या नहीं। इसीलिये मैंने कहा कि उनका झुकाव साम्यवादी विचारों की ओर है। श्री नम्बियार को चाहे यह बात अच्छी न लगे और वह इसे सुन कर आवेश में आ जायें परन्तु साम्यवादी दल के लोग इस संघ में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं।

†**श्री नम्बियार :** नहीं, श्रीमान्।

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** परन्तु प्रयत्न किया जा रहा है––चाहे वह साम्यवादी हों या न हों––कि संघ में सम्मिलित हुआ जाये परन्तु संघ में सम्मिलित होने पर उनके ढंग और अपने पुराने तरीकों को जारी रखने से संघ और श्रमिकों का अहित होगा।

एक और बात है। मैं मानता हूं कि श्री मुकर्जी ने पहली बार यह स्पष्टत: स्वीकार किया कि वह खड़गपुर की घटना की निन्दा करते हैं। परन्तु श्री नम्बियार को यह कहने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने पहले वाक्य में इसका नाममात्र उल्लेख किया था। इससे मैं क्या समझूं ? किसी श्रमिक संघ, कार्मिक संघ या संस्था के किसी प्रमुख नेता ने अभी तक खड़गपुर की घटना की अथवा रेल दुर्घटना और अन्य बातों की निन्दा नहीं की है ?

†**श्री नम्बियार : स्वाधीनता** में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि श्री गुरुस्वामी ने प्रैस संवाददाताओं के सामने इसकी निन्दा की थी।

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** मैं श्री गुरुस्वामी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या श्री गुरुस्वामी साम्यवादी दल के सदस्य हैं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** जी नहीं, परन्तु मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वह साम्यवादी दल क सदस्य नहीं हैं परन्तु अनेक बार साम्यवादी दल के सदस्य उन्हें अपने साथ मिलाने का यत्न करते रहे हैं। प्रमुख नेताओं में से एक ने अपने भाषण में खड़गपुर के श्रमिकों को बधाई दी थी। वह दक्षिण-पूर्वी रेलवे के एक प्रमुख कार्मिक संघ नेता हैं। इस हड़ताल में जिस एकता और बल का उन्होंने प्रदर्शन किया उसके लिये उन्होंने खड़गपुर के कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने खड़गपुर के बच्चों और महिलाओं को भी जिन्होने प्रदर्शन में साहसपूर्ण भाग लिया था बधाई दी। उन्होंने महाभारत में भीष्म का उदाहरण दिया और कहा कि उन्हें पांडवों की भांति कन्धे से कन्धा मिला कर मुकाबला करना चाहिये। उन्होंने कहा कि वे अवश्य काम पर जायें और रेलवे अथवा पुलिस के प्रति कोई द्वेषभाव न रखें। उन्होंने कहा कि खड़गपुर की हड़ताल वैध है क्योंकि वह ब्रश के साथ हाथ से रंग करने वालों की अवैध तालाबन्दी के कारण की गई थी उन्होंने श्रमिकों से कहा

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

कि उन्हें जो दोषारोप पत्र भेजे गये हैं उनका उत्तर देने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने महिलाओं को उनके कार्य के लिये पुनः बधाई दी और कहा कि महिलाओं को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि वह श्रमिकों के लिये न्याय प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। उन्होंने खड़गपुर में यह भाषण दिया और कहा कि हैदराबाद की तुलना में खड़गपुर की हड़ताल अधिक उचित थी। यह सब उन्होंने कल सायं ही कहा।

जो संकल्प पारित किया गया मैं उसका कुछ भाग पढ़कर सुनाता हूं।

"खड़गपुर के श्रमिकों ने हाल ही में ब्रश के साथ हाथ से रंग करने वाले ११२ व्यक्तियों की अवैध तालाबन्दी के वैध दावों का औचित्य ठीक सिद्ध करने के लिये जो आन्दोलन किया कार्यकारिणी समिति उसकी प्रशंसा करती है।

"प्रतिषेधात्मक आदेशों के प्रख्यापन द्वारा की गई पुलिस कार्यवाही पर और इस वैध कार्मिक विवाद में भाग लेने वाले कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं के सामूहिक रूप से गिरफ्तार किये जाने पर समिति खेद प्रकट करती है और पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री से अपील करती है कि वह इसमें हस्तक्षेप करें और किसी गंभीर दुर्घटना का निराकरण करे।

"लोक-सभा में रेलवे मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखते हुए कि हड़ताल समाप्त किये जाने पर ही शिकायतों पर विचार किया जा सकता है। और क्योंकि हड़ताल के द्वारा लोगों का ध्यान श्रमिकों के साथ किये गये अन्याय की ओर आकर्षित करने का उद्देश्य पूरा हो गया है और जनता का यह डर दूर करने के लिये कि हड़ताल में कोई प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटि रह गई है, यह कार्यकारिणी समिति खड़गपुर के श्रमिकों से हड़ताल को समाप्त कर देने की अपील करती है।

भाषा और वाक्यों पर जरा ध्यान दें। अन्त में उन्होंने कहा :

"यह कार्यकारिणी समिति राष्ट्रपति से प्रार्थना करती है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री से खड़गपुर विवाद के सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जिन पर अभियोग चलाया जा रहा है उन्हें रिहा करने के लिये कार्यवाही करने को कहें। यह कार्यकारिणी समिति संघ के सभापति को निदेश देती है कि वह हड़ताल करने वालों को उत्पीड़न से बचाने के लिये रेलवे मंत्रालय द्वारा कार्यवाही कराने के लिये उपयुक्त पग उठाये।"

जो घटनायें वहां हुई उन पर खेद प्रकट करने अथवा उनकी निन्दा के लिये एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसकी बजाये उन्होंने श्रमिकों को उनकी एकता और दृढ़ता के लिये बधाई दी है।

इस अवस्था में श्री मुकर्जी ने मुझे नम्र बर्ताव करने और कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार, जिसमें मुझ विश्वास है। कार्यवाही करने के लिया कहा है। मैं लोक-सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश में इस समय कार्मिक संघ आन्दोलन क कार्यसंचालन के बारे में दो राय हैं। भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रस ने स्पष्टतः कहा है और इसक लिये चाहे उग्र विचारों के लोग सम्भवतः उसकी आलोचना भी करें---कि जबकि पंचवर्षीय योजना प्रथम या द्वितीय या कोई अन्य योजना कार्यान्वित की जा रही हो तो इस कालावधि में वह किसी प्रकार की हड़ताल किये जाने के पक्ष में नहीं है। इस समय उसका अभिप्राय द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी प्रकार की हड़ताल के पक्ष में नहीं है। उसने कहा है कि उनकी जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें

नियोजकों से बातचीत करके अथवा यदि वे रेलवे से सम्बन्ध में हैं तो रेलवे प्रशासन से बातचीत करके दूर की जानी चाहिये। दूसरे लोगों का यह मत है कि चाहे पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किया जाये अथवा न किया जाये, चाहे वह सफल हो अथवा न हो, उन्हें हड़तालें करनी चाहियें। मेरा विचार है कि लोक-सभा और स्थापित कार्मिक संघ नेताओं को इन दोनों मतों में से किसी एक को स्वीकार करना होगा और यह देखना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस की विचार-धारा ठीक है या दूसरी विचारधारा ठीक है। सम्भव है कि कुछ लोग यह कहें कि क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस में कुछ कांग्रेसी नेता हैं इसलिये मैं उसका समर्थनकर रहा हूं। मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं। परन्तु श्रम क्षेत्र में काम करने वालों को इस मूल प्रश्न पर विचार करना ही होगा। मेरे विचार से भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने बड़ी अच्छी राय दी है। इस कारण उसकी आलोचना भी की जा सकती है। उसका कहना है कि देश का हित सर्वाधिक महत्व रखता है और मेरा विचार है कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिकों को हड़ताल करने के लिये न कहा जाय क्योंकि इससे स्वयं उन्हें और देश को हानि होगी।

रेलवे का प्रभारी होने के नाते मैं अनुभव करता हूं कि मैं उसी कार्मिक संघ से अपना सम्पर्क रखूं जो मझे यह आश्वासन दे कि तुच्छ मामलों पर अकस्मात् हड़ताल नहीं की जायगी। यदि रेलवे विभाग को किसी ऐसे संघ का सहयोग प्राप्त होता है, जो प्रतिदिन हड़ताल करने को इच्छुक रहता है और जो अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहता है, तो प्रशासन को उसके साथ वार्ता करने से क्या लाभ है? इसीलिये मैं कुछ समय से यह सोच रहा हूं कि क्या किसी संघ को मान्यता देन से पूर्व यह शर्त लगाई जानी चाहिये कि वह स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दे कि वह कम से कम अगले पांच वर्षों तक किसी हड़ताल में भाग नहीं लेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इसका अर्थ है कि हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया जायेगा।

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : हड़ताल करने का अधिकार रहेगा, परन्तु बातचीत करके उच्च स्तर पर न्यायनिर्णय की व्यवस्था करके और वार्ता तथा स्वतन्त्र अधिकरणों द्वारा मध्यस्थ निर्णय से मामलों को निबटाने का प्रयास किया जायेगा। यह सब मैं मानता हूं। यदि मामले का कोई हल तब भी नहीं निकलता है तो निश्चय ही कर्मचारियों को हड़ताल करने का पूर्ण अधिकार है। उनको यह अधिकार है यह मैं अस्वीकार नहीं करता। किन्तु इस तरह दिन-प्रतिदिन हड़ताल का जो प्रश्रय लिया जा रहा है उससे स्थिति कठिन ही होती जा रही है।

इसलिये मैं उन दो स्पष्ट दृष्टिकोणों का निर्देश करता हूं जिनका प्रतिपादन देश के श्रमिक नेताओं के दो विभिन्न समूहों द्वारा किया जा रहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेलवे कर्मचारियों के लिये सर्वोत्तम उपाय यही स्वीकार करना होगा कि वह हड़ताल कदापि नहीं करेंगे। सामान्य प्रश्न की तह में मैं नहीं जाऊंगा। निस्संदेह माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं कि यदि एक घंटे के लिये भी हड़ताल की जाती है तो हमें कितनी चिंता हो जाती है। रेलगाड़ियां विलम्ब से चलती हैं। इस समय रेलवे पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। रेलगाड़ियों के एक या दो घंटे या एक दिन के लिये रुक जाने का अर्थ है विभिन्न स्थानों पर माल व यात्रियों का एक बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाना। श्री फीरोज़ गांधी ने आज प्रातः दिल्ली में कोयले की कमी के बारे में एक प्रश्न पूछा था। यह सच है कि हमने उन्हें कोयले का सम्भरण किया है, किन्तु फरवरी और मार्च में विभिन्न स्थानों में हड़ताल हो जाने के कारण हम उन्हें पर्याप्त संख्या में मालडिब्बे नहीं दे सके। ये बातें छोटी नहीं हैं; दिल्ली में लोगों के उपभोग के लिये कोयले का आना कोई छोटी बात नहीं

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

है; किसी वृहत्तर प्रसंग में वह छोटी बात ही सकती है। यदि कोई रेलवे कर्मचारी हड़ताल करता है तो वह रेलवे के अतिरिक्त जनता को भी हानि पहुंचाता है।

इसलिये मैं यहां अत्यन्त स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिना सूचना दिये हड़ताल करना अथवा हिंसात्मक कार्यवाही का प्रश्रय लेना ऐसी बातें हैं जिनकी उपेक्षा करना मेरे लिये संभव नहीं है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं बहुत ही शान्त प्रकृति का हूं, किन्तु यह सच है कि मैंने श्रमिकों के साथ यथासंभव सौम्यता से काम लिया है और यह इसलिये नहीं कि उससे मुझे कोई लाभ होता, किन्तु ऐसा करना रेलवे कर्मचारियों और देश के लिये लाभदायक था। मैं उनके साथ सहयोगियों जैसा व्यवहार करता हूं। मुझे कर्मचारियों में और अपने आपमें कोई अंतर मालूम नहीं हुआ है। किसी भी रेलवे कर्मचारी, किसी भी पाइंट्समैन, किसी भी स्टेशन मास्टर का दायित्व उस मंत्री से किसी प्रकार भी कम नहीं है जोकि रेलवे प्रशासन की देखभाल करता है। इसलिये जबकि मेरा रुख यह रहा है और जब मैं यह देखता हूं कि कर्मचारियों का प्रतिकार तदनुसार नहीं रहा है मुझे वास्तव में अत्यन्त खेद होता है, और जब वह इस तरह की गतिविधियों में पड़ते हैं तो उनके साथ क्या कार्यवाही की जाये यह मेरी समझ में नहीं आता है। कभी-कभी तो पुत्र की भी ताड़ना करनी पड़ती है; और इसके अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं होता है। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि खड़गपुर में रेलवे कर्मचारियों का जो व्यवहार रहा है वह रेलवे के इतिहास में संभवतः एक कालिमा ही रहेगा। इसलिये प्रश्न यह है कि जिन नेताओं ने सैंकड़ों और हज़ारों कर्मचारियों को गुमराह किया है उन्हें दंड किया जाये। यदि हिंसात्मक गतिविधियों के लिये उन्हें गिरफ्तार किया गया है या उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं ? रेलवे मंत्रालय उसे रोकेगा नहीं। हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करने जा रहे हैं और न कर ही सकते हैं। यदि वह हिंसात्मक गतिविधियों का प्रश्रय लेते हैं तो वह बात देश की शान्ति तथा व्यवस्था से सम्बन्ध रखती है और वह रेलवे का प्रश्नमात्र नहीं रह जाता है। उस सम्बन्ध में कार्यवाही राज्य सरकार को करनी है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किन्तु यदि कोई कर्मचारी ऐसे हैं जो क्षणिक आवेश में आकर गुमराह हो गये हैं तो उनके प्रति मेरा रुख कड़ा नहीं हो सकता है। किन्तु यह नितान्त आवश्यक है कि यह जो यूनियन है जिसे अभी मान्यता प्राप्त नहीं है उसकी स्थिति यही रहेगी जैसा कि मुख्य प्रबन्धक द्वारा सुझाव दिया गया है। मुख्य प्रबन्धक ने यह स्पष्ट कर दिया है, कि जब तक उसका व्यवहार वांछनीय नहीं रहता है और वह न्यायोचित तरीके से कार्यवाही नहीं करता है तब तक उस यूनियन को मान्यता देने के लिये वह तैयार नहीं है। मुख्य प्रबन्धक ने जो रुख अपनाया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जब तक खड़गपुर में हुई गतिविधियों की स्पष्ट भर्त्सना नहीं की जाती है और जब तक नेतागण प्रशासन से यह स्वीकारोक्ति नहीं करते कि उनकी कार्यवाही गलत थी। मेरा ख्याल है यूनियन की गतिविधियों का भार जिन व्यक्तियों पर है उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रह सकता है। इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैंने अपने प्रत्येक शब्द को तौला है और मैं आश्वासन देता हूं कि आवश्यकता से अधिक कोई कार्यवाही मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि रेलवे कर्मचारी का हित ही मेरा और रेलवे मंत्रालय अथवा प्रशासन का हित है। किन्तु कर्त्तव्य की भावना होनी चाहिये। दायित्व के एक पद पर कार्य करने वाले एक व्यक्ति के नाते संभव है कि मुझे यदा-कदा कोई कठिन कार्य करना पड़ जाये। मुझे कठोर होना है किन्तु आवश्यकता से अधिक मैं कोई कार्यवाही नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों और यूनियनों द्वारा स्पष्ट भर्त्सना की जाये ताकि इसके बाद स्थिति कुछ सुधर जाये।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** खड़े हुए—

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने काफी चर्चा कर ली है ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या हम माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने काफी चर्चा कर ली है। सभा की यह इच्छा है कि निवारक विरोध अधिनियम के कार्यकरण सम्बन्धी चर्चा को आज प्रारम्भ किया जाये ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : मेरा प्रश्न यह है । माननीय मंत्री यह चाहते हैं जो कुछ घटनायें हुई हैं उनकी भर्त्सना सम्बन्धित यूनियन द्वारा की जाये। वह उसका दायित्व नहीं लेता है और खेद प्रकट करता है। कथित घटनाओं की परिस्थितियों की जांच की जायेगी इस आशय का आश्वासन माननीय मंत्री द्वारा न दिये जाने पर क्या माननीय मंत्री इस विशिष्ट घटना के लिये सम्बन्धित यूनियन के दायित्व के प्रत्याख्यान के बिना इस प्रकार की मांग कर सकते हैं ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : जांच के प्रश्न के बारे में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता हूं। किन्तु मेरा ख्याल है कि खड़गपुर में जो अवांछनीय घटनायें हुई हैं उनके लिये अधिक प्रमाणों की आवश्कता नहीं है। यदि कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है तो क्या श्री मुकर्जी यह कहने के लिये तैयार हैं कि खड़गपुर में जो हड़ताल हुई उसके लिये वह उत्तरदायी नहीं हैं ? उनको एक अर्थ में रंगे हाथों पकड़ा गया है, क्योंकि जहां आक्रमण हो रहा था वहां वह एक भीड़ के मध्य थे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह समूचा मामला ही न्यायाधीन है ।

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : श्री मुकर्जी का कथन है कि नेताओं ने उत्तरदायित्व अस्वीकार कर दिया है। इससे मुझे आश्चर्य होता है। कर्मचारियों से हड़ताल करने के लिये कहना और बाद में नेताओं द्वारा यह कहा जाना कि वहां जो घटनायें हुईं उसका उत्तरदायित्व उन पर नहीं है, यह बहुत अनुचित है। माननीय सदस्य फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं। उनके प्रश्न का तात्पर्य मैं यह लेता हूं कि इस हड़ताल का कोई दायित्व नेताओं पर नहीं है। यदि यह निर्वचन सही है, तो मैं उन्हें उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : उसका सम्बन्ध हड़ताल से नहीं किन्तु उन कथित घटनाओं से है जिन्हें कि अवांछनीय समझा गया है। नेतागण दायित्व का प्रत्याख्यान करते हैं। (**अन्तर्बाधायें**) ऐसी स्थिति में आप और क्या आशा करते हैं ? सरकार द्वारा कथित घटनाओं की उचित जांच किये जाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। (**अन्तर्बाधायें**)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुडगांव) : क्या मैं श्री मुकर्जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका तो कोई अन्त ही नहीं होगा । प्रश्न के बाद प्रश्न क्यों पूछे जायें ? कुछ हुआ अवश्य है। ड्राइवर के बगैर ही रेलगाड़ी चला दी गई है । माननीय मंत्री संभवतः यह चाहते हैं कि जो भी इसके लिये उत्तरदायी हैं उनकी भर्त्सना देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की जाये। यही वह चाहते हैं। अब माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा जाना आवश्यक नहीं है कि वह उनकी भर्त्सना करते हैं; उन्होंने इसका दायित्व तो लिया नहीं है और वह गलत कार्य है। इसी प्रकार नेताओं द्वारा उस कार्य की स्पष्ट भर्त्सना की जाये। यह स्पष्ट है कि माननीय मंत्री यही चाहते हैं। अग्रेतर स्पष्टीकरण किस बात का चाहिये ? मैं अगला कार्य लेता हूं।

†मूल अंग्रेजी में ।

# राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†**श्री एस० सी० सामन्त** (तामलुक) : श्रीमान्, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के इस अविलम्बनीय प्रश्न को मैं उठाना चाहता हूं। माननीय श्री भोंसले ने पुनर्वास विभाग में इस योजना को प्रयोगात्मक तौर पर क्रियान्वित किया है। इस योजना का कार्य उल्लेखनीय रहा है और ऐसी योजना में चरित्र-निर्माण का जो गुण निहित है उससे प्रभावित होकर कुछ माननीय सदस्यों ने इस योजना के बारे में शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी।

कस्तूरबा निकेतन में विस्थापितों के बच्चे रहते हैं। श्री भोंसले ने वहां जाकर उन्हें अनुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया, और दो वर्षों में आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि, उन बच्चों के मन में नई आशा का उदय हुआ है।

सरकार यह कह सकती है कि चरित्र-निर्माण के लिये उसने एन० सी० सी०, ए० सी० सी० जैसी व्यवस्थायें की हैं तथा उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है; किन्तु हम साथ ही इस योजना को भी चाहते हैं। हम इस योजना की क्रियान्विति एक अवधि विशेष में चाहते हैं। आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि गत वर्ष मार्शल बुल्गानिन और श्री ख्रुशेव ने भारत के भ्रमण के समय कस्तूरबा निकेतन को देखा था। श्री कानूनगो ने, जो उनके साथ रहते थे, श्री भोंसले को एक पत्र लिखकर निकेतन के विद्यार्थियों द्वारा की गई ड्रिल तथा शारीरिक कवायद प्रदर्शन का प्रशंसात्मक उल्लेख किया था।

इस योजना के बारे में प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई थी। एक दिन इस योजना के न अपनाये जाने का कारण धनाभाव बताया गया था। किन्तु धनाभाव ही एकमात्र कारण नहीं हो सकता। यदि श्री भोंसले सरकारी योजना का भार सम्हाल लें तो हम यह आशा कर सकते हैं कि एक विशिष्ट अवधि में भारत के प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जायेगी जिस पर कि प्रत्येक व्यक्ति को गर्व हो सकता है। इससे अगली पीढ़ियों का चरित्र ऊंचा और अच्छा होगा और सभी लाभान्वित होंगे। किन्तु हमें यह बातें बाल्यावस्था से ही प्रारम्भ करनी चाहियें। शिक्षा की जो मौजूदा प्रणाली है उसके विरोध में मुझे कुछ कहना नहीं है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस योजना की क्रियान्विति के लिये आवश्यक धन व्यय करे क्योंकि संविधान द्वारा जो दायित्व सरकार का है उसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाना चाहिये।

†**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** (जम्मू तथा काश्मीर) : श्रीमान्, मेरे मित्र श्री सामन्त ने मौजूदा स्थिति का जो मूल्यांकन किया है वह सही है और भारत के बालकों के लिये भविष्य सम्बन्धी योजना बनाने के लिये उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। राष्ट्र का अनुशासन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, इस बात पर दो मत नहीं हो सकते हैं स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश के नौनिहालों के भविष्य के लिये योजना बनाने का दायित्व हम पर ही है।

स्कूलों और कालिजों में हड़तालें होने तथा अनुशासन न होने आदि जैसी बातें हम सुनते हैं। इसके लिये संस्थाओं को हम दोष नहीं देते हैं। बालकों की शक्ति और उत्साह को रचनात्मक गति-विधियों में लगाने के तरीके हमें खोजने चाहिय।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[ **श्री बर्मन** पीठासीन हुए ]

भारत सरकार ने स्थिति का मूल्यांकन किया है और उसने एन० सी० सी० और ए० सी० सी० आदि बातें प्रारम्भ की हैं ।

किन्तु उसकी तुलना में हम यह देखते हैं कि हमारे माननीय उपमंत्री श्री भोंसले ने यह कार्यक्रम पुनर्वास विभाग के एक स्कूल में प्रारम्भ किया । सन् १९५२ के बाद इस सम्बन्ध में काफी कार्य किया गया है । मुझे प्रारम्भ में इस योजना की सफलता की इतनी आशा नहीं थी किन्तु गत ३-४ वर्षों में जिस तरह यह योजना चलाई गई है उसे देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उसमें अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है । स्वर्गीय श्री सुभाष चन्द्र बोस ने और उनके साथियों ने भारतीय राष्ट्रीय सेना में जो भावना अनुप्राणित की थी वह आश्चर्यजनक थी । मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो प्रतिभा है उसको हमें काम में लाना चाहिये ।

इसलिये हम शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध कर सकते हैं कि वह जनरल भोंसले के मार्ग प्रदर्शन में इस योजना को प्रारम्भ करे । किन्तु हमें एक बात विस्मृत नहीं करनी चाहिये कि भारत की जनसंख्या काफी है और हमारे यहां प्रतिभा भी विपुल है । इसलिये जब ऐसी किसी योजना के सम्बन्ध में सोचा जाये तो हमें केन्द्रीय सरकार में कोई केन्द्र बनाना चाहिये । युवकों को प्रशिक्षण देनेवाले संगठनों का यदि आप समन्वय करते हैं तो आपात परिस्थिति में हम देश के रक्षणार्थ युवकों की सहायता प्राप्त कर सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदन को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह चर्चा केवल आधे घंटे की है । पन्द्रह मिनट व्यतीत हो चुके हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : आठ-दस मिनट ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब तो अन्य सदस्यों के लिये पांच मिनट शेष हैं । इसलिये माननीय सदस्य दो-तीन मिनट से अधिक समय न लें । श्री बी० के० दास ।

†**श्री बी० के० दास** (कंटाई) : मैं केवल कुछ प्रश्न पूछूंगा । हम देखते हैं कि एन० सी० सी०, ए० सी० सी० स्काउट जैसी योजनायें भी हैं । हमारे समक्ष राष्ट्रीय अनुशासन योजना है । निस्संदेह हम यह जानते हैं कि अनाथ बालकों में इस योजना ने कितना साहस और आत्म-विश्वास उत्पन्न कर दिया है और यह योजना कितनी सफल रही है । हमें यह विश्वास है कि इस योजना की क्रियान्विति से देश के बालक और युवक भी काफी लाभान्वित होंगे ।

समन्वय की आवश्यकता है, और सरकार की क्या राय है यह मैं जानना चाहता हूं । मेरा ख्याल है कि योजना के उद्देश्यों के बारे में कोई मतभेद नहीं है । क्या सरकार इस योजना को पुनर्वास के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्यत्र भी प्रारम्भ करने के लिये तैयार है जिससे कि हमारे युवक और युवतियां, एक बड़ी संख्या में लाभान्वित हों ?

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय अनुशासन योजना के सिद्धान्त और उपयोगिता को स्वीकार करती है ? यदि हां, तो सरकार को इस विषय में प्रयोग करने से कौन रोकता है ? यदि इस में धन का प्रश्न है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार का कार्य- करने वाली निजी संस्थाओं पर कुछ रुपया खर्च कर रही है या नहीं ? यदि कर रही है तो वह इस राशि का उस समय तक उचित वितरण

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री भागवत झा आजाद]

क्यों नहीं करती जब तक कि योजना आयोग से इस प्रयोजन के लिये धनराशि प्राप्त न हो ? क्या सरकार को ज्ञात नहीं है कि राष्ट्रीय अनुशासन के मामले में सरकार ने अभी बहुत कुछ करना है ? यदि वह ऐसा अनुभव करती है तो उसके लिये राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लिये कुछ धनराशि प्राप्त करना क्यों संभव नहीं है ?

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अनुशासनहीनता न केवल शिक्षा संस्थाओं में ही है बल्कि सरकारी संगठनों में भी है। हम रेलवे कर्मचारियों के आंदोलन को देख रहे हैं। अनुशासनहीनता सारे देश में फैली हुई है। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना भी है जो सारे राष्ट्र पर लागू हो सके और जिससे सारे राष्ट्र में अनुशासन स्थापित हो सके ?

†**श्री बी० एस० मूर्ति** (एलुरु) : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाई स्कूलों में अनुशासन सम्बन्धी बहुत-सी योजनायें चालू की गई हैं किन्तु देखा जाता है कि अधिकांश विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। न ही वे परीक्षायें पास करना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने जीवन में क्या करना है ? इन बातों से प्रकट होता है कि उनमें अनुशासनहीनता फैली हुई है ? इसे दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं। क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना इसके लिये काफ़ी है ? यदि नहीं, तो सरकार क्या अन्य कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री भक्त दर्शन** (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व) : मैं श्री सामन्त जी को यह वाद-विवाद छेड़ने के लिये बधाई देने के बाद केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें तो कोई दो मत हो ही नहीं सकते कि देश में इस समय जो अनुशासनहीनता फैल गयी है उसके लिये शिक्षा मंत्रालय ने अब तक कितने ही उपाय किये लेकिन मैं नहीं समझता कि वे कहां तक सफल हुए हैं। अब जनरल भोंसले साहब की योजना ने हमको एक नये मार्ग का प्रदर्शन किया है और मैं समझता हूं कि शायद इस मार्ग पर चल कर हम देश के छात्र-छात्राओं में एक नये जीवन का संचार कर सकते हैं। इससे केवल उनका शारीरिक विकास ही नहीं होगा बल्कि इससे उनमें देश-प्रेम, अनुशासन और चरित्र का निर्माण होगा और सब से अधिक यह होगा कि वे अपने असली कर्तव्य अर्थात् पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देंगे। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी योजना को इतनी सफलता नहीं मिली है जितनी कि इस योजना को मिली है।

इस सम्बन्ध में मेरे केवल दो सुझाव हैं। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि यह जो ऑग्जिलियरी केडेट कोर, स्काउट मूवमेंट आदि चल रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश में प्रोविंशियल एजूकेशनल कोर आदि संस्थायें जल रही हैं इन सब के मिलाने पर शिक्षा मंत्रालय को विचार करना चाहिये और केन्द्र में एक इस प्रकार का बोर्ड बनाया जाना चाहिये जोकि इन संस्थाओं के गुणों का संग्रह करे। हो सकता है कि इस विषय पर विचार किया जाये तो जनरल भोंसले की योजना में भी कुछ संशोधन किया जा सके। मेरा सुझाव है कि इस संशोधन योजना को सारे देश पर लागू किया जाये। बड़े लड़कों के लिये तो एन० सी० सी० (राष्ट्रीय सेना छात्र विकास) को कायम रखा जाये लकिन ६ से ८ श्रेणी तक के छात्रों के लिये यह राष्ट्रीय अनुशासन योजना चालू की जाये। मैं समझता हूं कि इस प्रकार काफी सफलता प्राप्त की जा सकती है।

इस योजना का समर्थन करने का मेरा दूसरा कारण यह भी है कि इसके द्वारा सरकार आजाद हिन्द फौज क प्रति जो उसका कर्तव्य है और जिसका उसने अभी तक पूरा पालन नहीं किया है उसका भी पालन कर सकगी और उनको रोजगार दे सकेगी।

†मूल अंग्रेजी में।

†**सभापति महोदय** : इस आध घंटे की चर्चा में यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो पूछ सकते हैं, किन्तु किसी आलोचना की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

†**डा० सुरेशचन्द्र** (औरंगाबाद) : मैं माननीय शिक्षा उपमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने देश में अनुशासन स्थापित करने के विषय में क्यों कोई रुचि नहीं ली है और कोई ठोस प्रयत्न नहीं किया है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देश में इस योजना को शुरू करने से जो सैनिक भावना उत्पन्न होगी, उस आशंका को दूर करने के लिये सरकार क्या करने का विचार करती है ?

तीसरा प्रश्न यह है कि सरकार इस योजना में आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों की सेवाओं से क्यों लाभ नहीं उठा सकती है ?

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा––मध्य) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना से वित्तीय पहलुओं पर विचार कर लिया गया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार एक ऐसी समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है जो इस बात की जांच करे कि इसे क्रियान्वित करने के लिये कितनेधन की आवश्यकता है ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : इस चर्चा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि केवल इस बात को ही कि सरकार इस योजना का समर्थन कर रही है, सदन द्वारा एक पर्याप्त आश्वासन समझा जाना चाहिये ।

सदन को विदित है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना जुलाई, १९५४ में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा स्वयं उपमंत्री के तत्वाधान जारी की गई थी और इसे दिल्ली, बम्बई, पश्चिम बंगाल, सौराष्ट्र, पंजाब और पेप्सू में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों पर लागू किया गया था । पुनर्वास मंत्रालय ने इस योजना की क्रियान्विति पर १९५४-५५ में १ लाख रुपया और १९५५-५६ में ३ लाख रुपया खर्च किया । १९५६-५७ में ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । चाहे यह पुनर्वास मंत्रालय हो या शिक्षा मंत्रालय, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसे केवल योजना की सफलता में रुचि है और जैसा कि आंकड़ों से प्रकट होता है, इस योजना के बजट में निरन्तर वृद्धि हुई है ।

सदन को यह भी विदित है कि शिक्षा मंत्रालय ने १००० करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तुत की थी । दुर्भाग्यवश इस राशि को बहुत घटा दिया गया था और जनवरी १९५६ में ही शिक्षा मंत्रालय ने योजना आयोग से राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लिये ५० लाख रुपये निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया था । जब योजना आयोग ने यह प्रस्ताव किया था, तो योजनाओं की राशि पहले ही घटा दी गई थी और आवंटन कर दिये गये थे । इस योजना को अग्रेतर विकसित करने के लिये मंत्रालय को आवंटित किये गये धन में से अतिरिक्त राशि देना संभव नहीं था ।

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि अनुशासन की यह समस्या उतनी सरल नहीं है जितनी कि हम कई बार समझते ह । समाज में अनुशासन स्थापित करने के प्रश्न के कई पहलू हैं––सामाजिक पहलू हैं, आर्थिक पहलू हैं, परम्परायें हैं, समाज का नैतिक स्तर और शिक्षा सम्बन्धी वातावरण आदि हैं । मैं तो यह कहूंगा कि समाज का समूचा वातावरण ही विद्यार्थियों में अनुशासन स्थापित करने के लिये उत्तरदायी है ।

माननीय सदस्यों का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि युवकों में अनुशासनहीनता का कारण यह है कि समाज में अनुशासन नहीं है । युवक पृथक तो रह नहीं सकते । प्रौढ़ समाज में जो मान्यतायें हैं,

†मूल अंग्रेजी में ।

[डा० के० एल० श्रीमाली]

उनका प्रभाव शिक्षा संस्थाओं और युवकों पर अवश्य पड़ता है। अतः हमें इस समस्या पर बहुत से दृष्टिकोणों से विचार करना है। हमें यह भी अच्छी तरह जान लेना चाहिये कि हम अपने समाज में किस प्रकार का अनुशासन चाहते हैं।

श्री गिडवानी ने पूछा है कि युवकों में अनुशासन स्थापित करने के लिये क्या मंत्रालय की कोई राष्ट्रीय योजना है। हमने इस देश में लोकतंत्रात्मक समाज स्थापित करने का निश्चय किया है।

लोकतंत्र को अपना उद्देश्य मान लेने के बाद, हमें आदर्श नागरिक बनाने के लिये उपयुक्त उपाय करने होंगे। लोकतंत्र में अनुशासन स्वयं अपने प्रयत्नों से स्थापित किया जाता है, बाहर से ठोंसा नहीं जाता है। लोकतंत्रात्मक समाज में स्वानुशासित व्यक्तियों की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि तानाशाही समाजों में अनुशासन स्थापित करने के लिये बहुत प्रशिक्षण दिया जाता है। किन्तु युवकों पर यह बाहर से लादा जाता है, यह स्वानुशासन नहीं होता है। सदन यह बात मानेगा कि हमें युवकों में स्वानुशासन की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : कैसे ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : इसका कोई सरल उपाय नहीं है। हमें कई दृष्टिकोणों से इस प्रश्न पर विचार करना होगा। हमें परिवारों को शिक्षित करना है। आखिर बच्चे पर सबसे पहला प्रभाव परिवार का पड़ता है। आप चाहे बच्चे को एक या दो घंटे तक परेड करवायें, किन्तु यदि वह परिवार में ठीक बातें नहीं सीखता है, तो वह अनुशासित व्यक्ति नहीं बन सकता है। इसके अतिरिक्त, उसके व्यक्तित्व पर समाज, उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों और समाज के आर्थिक ढांचे का भी प्रभाव पड़ता है।

इसलिये यह कहना कि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कोई कार्य शुरू करने या बच्चे को थोड़े से समय के लिये परेड के मैदान में भेजने से उसका व्यक्तित्व बदल जायेगा, इस प्रकार के अनुशासन को अत्यधिक महत्व देना है। जैसा कि मैंने कहा, मैं श्री भोंसले की सारी योजना का समर्थन करता हूं और यदि धन उपलब्ध हो, तो हम इसे विकसित करने के लिये अधिक धन देने को तैयार हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि केवल एक योजना से ही सारे राष्ट्र में अनुशासन स्थापित नहीं होगा।

हमारे देश में बहुत-सी विभिन्न संस्थायें हैं——स्वयंसेवी संस्थायें और सरकारी संस्थायें हैं——जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और जिन्होंने कई तरह से सेवा की है। उदाहरण के लिये राष्ट्रीय छात्र-सेना और सहायी छात्र सेना, दो ऐसी संस्थायें हैं, जिन्हें प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा संगठित किया गया है। भारत स्काउट आंदोलन भी है, जो शिक्षा मंत्रालय की सहायता से शुरू किया गया है। इन संस्थाओं ने काफ़ी उत्साह पैदा किया है और इनका ध्येय युवकों में नैतिकता और अनुशासन स्थापित करना है। छात्र सैनिकों की संख्या से, जो हर वर्ष बढ़ती जा रही है, यह स्पष्ट होता है कि सारी योजना बहुत सफल रही है। इसलिये हमें किसी वर्तमान योजना में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। ये योजनायें बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। किन्तु राष्ट्रीय अनुशासन योजना को विकसित किये जाने की अभी भी संभावना है।

शिक्षा मंत्रालय ने और भी विभिन्न योजनायें शुरू की हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि इन योजनाओं के लिये हमने कितना धन दिया है। हमारा विचार युवक होस्टल, युवक पर्यटन और युवक समारोहों की व्यवस्था करने का है। इनके लिये हमने अगली पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। श्रम, समाज सेवा कैम्पों और कैम्प्स कार्य परियोजनाओं के लिये तीन करोड़ रुपये

†मूल अंग्रेजी में।

की व्यवस्था है। ये परियोजनायें बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। देश के युवकों ने राष्ट्रनिर्माण के कार्यों में भाग लिया है और उनके उत्साह और आदर्शों को उचित गतिविधियों में लगाया गया है। जहां भी ये कैम्प आयोजित किये गये हैं, वहां काफ़ी उत्साह पैदा हुआ है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि हम इस योजना के व्यय में कमी करके उस बचत को किसी और योजना पर खर्च करें।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने खेल-कूद के लिये दो करोड़ रुपये की, स्काउटिंग और गाइडिंग के लिये एक करोड़ रुपये की और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये ३० लाख रुपये की व्यवस्था की है। ये राशियां बहुत कम हैं। वास्तव में इन योजनाओं को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिये हम कुछ और धन लेना चाहेंगे। मैं सदन को फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि हम योजना आयोग से कुछ और धन लेने के लिये पूरा प्रयत्न करेंगे। यदि यह अतिरिक्त धन योजना आयोग या किसी अन्य अभिकरण से मिल गया, तो हम अवश्य राष्ट्रीय अनुशासन योजना को जिसकी सदन ने सराहना की है विकसित करने में सहायता देंगे। हमने स्वयं यह अनुभव किया है कि यह योजना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। पुनर्वास मंत्रालय के अधीन इस योजना के विकास के लिये सरकार पहले ही कुछ व्यवस्था कर चुकी है।

**श्री भक्त दर्शन** : माननीय मंत्री जी ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक सामान्य आश्वासन तो दिया लेकिन क्या इस योजना को जो कि आजकल केवल विस्थापितों के स्कूलों में चल रही है, अन्य स्कूलों में भी लागू करने का विचार है ?

**डा० के० एल० श्रीमाली** : निश्चित उत्तर तो यही है कि अगर हम को धन मिल सका तो हम इसके लिये अवश्य प्रयत्न करेंगे।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार २९ मई, १९५६, के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

# दैनिक संक्षेपिका

## [सोमवार २८, मई, १९५६]

पृष्ठ

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र** ४०७७–७९

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) (क) पांडिचेरी, कारीकल, माही और यनाम आदि फ्रांसीसी बस्तियों के अभ्यर्पण सम्बन्धी संधि, जिस पर २८ मई, १९५६ को हस्ताक्षर हुए थे, की अंग्रेजी और फ्रेंच की एक-एक प्रति ।

(ख) भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों के भविष्य के प्रश्न का निबटारा करने के लिये भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच २१ अक्तूबर, १९५४ को जो करार हुआ था, और अभ्यर्पण सम्बन्धी संधि में जिसका उल्लेख किया गया है, उसकी एक प्रति ।

(२) ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों (सैतालीसवीं से उनसठवीं) के, जो बारहवें सत्र में हुई थीं, विवरण ।

(३) भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा २८ के परन्तुक के अन्तर्गत भारत का रक्षित बैंक (नोटों की वापसी) नियम, १९३५ में कुछ अग्रेतर संशोधन करने वाली भारत के रक्षित बैंक की अधिसूचना संख्या ७, दिनांक २८ अप्रैल, १९५६ की एक प्रति ।

**विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति** .. ४०७९

सचिव ने लोक-सभा को बताया कि निम्नलिखित विधेयकों पर, जिनको संसद् की सभाओं ने चालू सत्र में पारित किया राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी है :

(१) सेंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) निधियों का स्थानान्तरण विधेयक,

(२) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,

(३) त्रावणकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ।

**प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित** ... ४०७९

इक्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पारित ४०७९–४१०७

(१) त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पर चर्चा आरम्भ की गयी और विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

(२) भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा आरम्भ की गयी और विधेयक पारित किया गया ।

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा** ४१०८–३३

श्री फीरोज गांधी ने खड़गपुर में हुए उपद्रवों से, जिनके फलस्वरूप २६ मई, १९५६ को रेल दुर्घटना हुई, उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ की।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हो गयी।

**आध घंटे की चर्चा**... ४१३४–३९

श्री एस० सी० सामन्त ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना के सम्बन्ध में १८ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५४६ के उत्तर से उत्पन्न बातों पर आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की।

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

**मंगलवार २९ मई, १९५६, के लिये कार्यावलि—**

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार और उसका पारण।

---

M 146 LSD—190—21-1-58—GIPF.